खण्ड-479, अंक-2
मंगलवार, 08 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(29 मई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-36
विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री नरेन्द्र देव, विदेशी प्रसाद भारती, राघव राम मिश्र, पूरन लाल, जगदम्बा प्रसाद सिंह, फजलुल बारी, राजेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, राम विलास पाण्डेय, राम प्रकाश सिंह, रघुनन्दन, हरीश कुमार गंगवार, जगदीश नारायण त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सोनकर, मुकन्दी सिंह, राम असारे वर्मा, अजीजुर्रहमान, त्रिपाल सिंह धामा, देवेन्द्र दत्त शास्त्री, परागी लाल चौधरी, बाबूलाल विद्यार्थी, गोविन्द प्रसाद गैरोला, सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, देव कुमार यादव, विद्या सागर नौटियाल, राम देव वर्मा, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, कुँवर देवेन्द्र सिंह, महेश चन्द्र, अब्दुल खालिक, कप्तान सिंह यादव, ओम प्रकाश, प्रभू नारायण सिंह, मंगल सिंह सैनी एवं श्री लाल चन्द्र के निधन पर शोकोद्गार ...	36-45
भूतपूर्व सदस्य स्व0 कन्हैयाल लाल सहित कतिपय अन्य भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना समय से प्राप्त न होने पर कार्यवाही की मांग	45-47
विधान सभा के सभी भूतपूर्व सदस्यों को पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	47-48
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	48-49
विधान सभा सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत सिधौना मल्लाह टोला बस्ती में भयंकर आग लगने से हुई क्षति पर शासन द्वारा आवास एवं अधिक से अधिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
विधान सभा क्षेत्र हाटा कुशीनगर के अन्तर्गत सुकरौली बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण हालत में हुए मार्गों को सी0 सी0 मार्ग बनवाने एवं गलियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
मेरठ जिले की काली नदी में छोड़े जा रहे फैक्ट्रियों एवं पशु वधशालाओं के अवशेष से प्रदूषित जल प्रदूषण एवं संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
विधान सभा क्षेत्र नौतनवां जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत रोहिन नहर का बैराज टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर महानगर में नकहा नं0-1 में उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद गोरखपुर के इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन पर जल निकासी से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद मुजफ्फरनगर में शामली कस्बे को नया जनपद प्रबुद्धनगर बनाए जाने से लोगों में व्याप्त रोष को देखते हुए प्रबुद्धनगर का नाम शामली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कालापुर में सिंचाई विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि की लूट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद बलिया में बैरिया विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की विषम स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में गंगा की स्वच्छ निर्मल एवं अविरल धारा को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद अलीगढ़ की गभाना तहसील में सोभना मोड़ से खैर तक टूटा सम्पर्क मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	54
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	55
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 286 के अन्तर्गत पालनीय नियमों का अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	55-57
विधान सभा के बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय का चुनाव निष्पक्ष न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57-66
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना	66-67

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-13 की लोक लेखा समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्ध समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	67-68
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	68
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	68
मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	69
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो-दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	69-70
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	70-76
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के भाषण हेतु समय सीमा का निर्धारण	77
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	77-125
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	125-126
नत्थियाँ	127-244

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष,
श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-381

अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
अजय, श्री	लखीमपुर खीरी
अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद
अजय कुमार 'लल्लू', श्री	कुशीनगर
अजीत कुमार, श्री	फर्रुखाबाद
अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर
अताउररहमान, श्री	बरेली
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव
अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनुप्रिया पटेल, सुश्री	वाराणसी
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर
अभय नरायन सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
अभय सिंह, श्री	फैजाबाद
अभिषेक मिश्र, श्री	लखनऊ
अमर पाल, श्री	गाजियाबाद
अमित गौरव, श्री	एटा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
अरूण कुमार, डा0	बरेली
अरूण कुमार कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीरनगर
अली यूसूफ अली, श्री	रामपुर
अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अविनाथ, श्री	सोनभद्र
अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
आनन्द सिंह कुंवर, श्री	गोण्डा
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
आशीष कुमार यादव, श्री	एटा
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ
इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानुपर नगर
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी
उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया

उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन
उमाशंकर, श्री	बलिया
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम कुमार, श्री	बिजनौर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
कमाल अख्तर, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
कमाल युसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कलराज मिश्र, श्री	लखनऊ
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां नवाब, श्री	रामपुर
कामेश्वर, श्री	देवरिया
काली चरन सुमन, श्री	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार ओझा, श्री	बहराइच
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशव प्रसाद, श्री	कौशाम्बी
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल सिंह कुंवर, श्री	महराजगंज
गंगा, श्री	कुशीनगर
गजराज सिंह, श्री	पंचशील नगर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गयाचरण दिनकर, श्री	बांदा
गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर
गायत्री प्रसाद, श्री	क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर
गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा
गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
गेंदा लाल चौधरी, श्री	महामायानगर
गोमती यादव, श्री	लखनऊ
गोरख पासवान श्री	बलिया
चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
जफर आलम, श्री	अलीगढ
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ
जमील अहमद कास्मी, श्री	मुजफ्फरनगर
जय प्रकाश, श्री	गोरखपुर
जय प्रकाश अंचल, श्री	बलिया
जाकिर अली, श्री	गाजियाबाद
जाहीद बेग, श्री	संत रविदास नगर (भदोही)
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
तसलीम, श्री	बिजनौर
तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
त्रिभुवन राम, श्री	वाराणसी
त्रिलोकीराम, श्री	अलीगढ़
दयाशंकर वर्मा, श्री	जालौन
दलजीत सिंह, श्री	बांदा
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिलनवाज खान, श्री	बुलन्दशहर
दीपक पटेल, श्री	इलाहाबाद
दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	महराजगंज
देवेन्द्र अग्रवाल, श्री	महामायानगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा

धर्मराज, श्री	बाराबंकी
धर्मसिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेश सिंह तोमर, श्री	पंचशील नगर
नजीवा खान जीनत, श्रीमती	कांशीराम नगर
नन्दिता शुक्ल, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नवाजिश आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री	प्रतापगढ़
नारद राय, श्री	बलिया
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निरंजन ज्योति, साध्वी	हमीरपुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहांपुर
नूर सलीम राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
पंकज कुमार मलिक, श्री	प्रबुद्धनगर
परवेज अहमद (टंकी), हाजी	इलाहाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पिंकी सिंह, श्रीमती	भीमनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतमराम, श्री	पीलीभीत
पूनम सोनकर, श्रीमती	चन्दौली
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
प्रदीप कुमार, श्री	औरैया
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री	मेरठ
प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री	औरैया
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
फतेह बहादुर, श्री	गोरखपुर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी	देवरिया
फेरन लाल, श्री	ललितपुर
बंशी सिंह पहाड़िया, श्री	बुलन्दशहर
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बदलू खां, श्री	उन्नाव
बब्बन, श्री	चन्दौली
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बावन सिंह, श्री	गोण्डा
बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती	बुलन्दशहर
बृज लाल सोनकर, श्री	आजमगढ़
बृजेश कठेरिया, इंजी0	मैनपुरी
बृजेश कुमार, श्री	हरदोई
बेचई सरोज, श्री	आजमगढ़
बैजनाथ, श्री	मऊ
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	कुशीनगर
भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद, श्री	अलीगढ़
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भाई लाल कोल, श्री	मिर्जापुर
भारतेन्द्र, कुंवर	बिजनौर
भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकरनगर
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री	औरैया
मधुबाला, श्रीमती	सन्त रविदास नगर (भदोही)
मनबोध, श्री	देवरिया
मनीष असीजा, श्री	फिरोजाबाद
मनीष रावत, श्री	सीतापुर
मनोज कुमार, श्री	चन्दौली
मनोज कुमार पाण्डेय, श्री	रायबरेली
मनोज कुमार पारस, श्री	बिजनौर
महबूब अली, श्री	जे0पी0नगर
महावीर सिंह, कुं0	हरदोई
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेश शर्मा डा0	गौतमबुद्धनगर
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माइकल चन्द्रा, श्री	जे0पी0नगर

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
मो0 रेहान, श्री लखनऊ
मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
यासर शाह, श्री बहराइच
योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
रणजीत सुमन, श्री एटा
रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
रशिम आर्य, डा0 झांसी
राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
राजकुमार रावत, श्री मथुरा
राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
राजमती, श्रीमती गोरखपुर
राजाराम, श्री प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
राम करन आर्य, श्री बस्ती
रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
रामगोपाल, श्री बाराबंकी
राम गोविन्द, श्री बलिया
रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
रामपाल यादव, श्री सीतापुर
रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर

राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राममूर्ति वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
रामलाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	महामाया नगर
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामशरन, श्री	लखीमपुर खीरी
राम सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रामस्वरूप सिंह, श्री	रमाबाई नगर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह, श्री	एटा
रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0	लखनऊ
रूबी प्रसाद, श्रीमती	सोनभद्र
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री	सन्तकबीर नगर
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लक्ष्मी गौतम, श्रीमती	भीमनगर
ललितेश पति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
लालमुन्नी सिंह, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
लोकेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
लोकेश दीक्षित, श्री	बागपत
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
वहाब चौधरी, श्री	गाजियाबाद
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार, श्री	सिद्धार्थनगर
विजय कुमार, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
विजय कुमार, डा0	गोरखपुर
विजय कुमार दूबे, श्री	कुशीनगर
विजय कुमार मिश्र, श्री	गाजीपुर
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विजय सिंह, श्री	रामपुर
विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
विनय तिवारी, श्री	लखीमपुर खीरी
विनोद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्बर सिंह, श्री	बांदा
वीरपाल, श्री	बागपत
वीर सिंह, श्री	चित्रकूट
वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	गौतमबुद्ध नगर
शंखलाल मांझी, श्री	अम्बेडकरनगर
शकुन्तला देवी, सुश्री	शाहजहांपुर
शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री	लखीमपुर खीरी
शमीकुल हक, श्री	मुरादाबाद
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा प्रताप शुक्ला, श्री	लखनऊ
शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री	आजमगढ़
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	रमाबाई नगर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रो0	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री	आजमगढ़
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संगीत सिंह सोम, श्री	मेरठ
संग्राम यादव, डा0	आजमगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती
सईद अहमद, श्री	इलाहाबाद
सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
सतवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्ध नगर

सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद
सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्तराम, श्री	जालौन
सन्तोष पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
सर्वेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री	बदायूं
सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीमा, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
सुधाकर, श्री	मऊ
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र
सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर
सुभाष, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के उपाय

**1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिये क्या सरकार विभिन्न कल-कारखानों द्वारा उसमें डाले जाने वाले विषैले रसायनयुक्त जल तथा कचरे को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिये पूर्व में ही दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नदी, सरिता, सतही जल में उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं जिसमें टॉक्सिक रसायनों यथा हैवी मेटल्स, पेस्टीसाइड्स इत्यादि हेतु भी मानक निर्धारित किये गये हैं। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के विपरीत बहिश्राव किसी भी सरिता में निस्तारित किया जाना निषिद्ध किया गया है तथा इसकी अवहेलना करने पर धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा कारावास जो कम से कम 01 वर्ष 06 माह तथा अधिकतम 06 वर्ष के साथ-साथ अर्थदण्ड से भी दण्डित किये जाने का प्राविधान है। साथ ही उद्योगों के विरुद्ध आवश्यक आदेश/निर्देश पारित करने के भी अधिकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 में दिये गये हैं, जिसमें बन्दी आदेश भी सम्मिलित हैं।

प्रदेश में स्थिति जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गई है जिनका अनुश्रवण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है तथा मानकों के अनुसार उत्प्रवाह निस्तारित न करने वाले औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु प्रदेश में 33 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स की स्थापना भी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर में कहा है कि जल प्रदूषण करने वाले कारखानों के विरुद्ध धारा-43 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक किन-किन कल कारखानों पर इसके अन्तर्गत कार्यवाही कराई गई और खासकर बहराइच जनपद

में जो चीनी मिलें स्थित हैं, जो दूषित जल प्रवाह नदियों में बहा रही हैं, उन पर अब तक क्या कार्यवाही कराई गई ?

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में वर्तमान में 2370 प्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित हैं, जिसमें से 520 उद्योग उत्पादनरत नहीं हैं, शेष 1850 उद्योगों में से 1987 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं और 63 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं हैं, जिनको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस प्रेषित किया जा चुका है, जिससे कि उद्योग अपने यहां उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापति करें। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (डी0टी0पी0) न स्थापित करने वाले 6 उद्योगों को बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इसके आगे मा0 प्रदूषण न्यायालय बोर्ड ने बोर्ड द्वारा जल अधिनियम की धारा-33(ए), 41, 43 व 44 क अन्तर्गत 318 मुकदमें तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत 22-ए, 37 व 39 के अन्तर्गत 23 मुकदमें दायर किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 09 मुकदमें दायर किये गये हैं। इनमें से 225 मुकदमें निस्तारित हो चुके हैं, जिसमें से 187 मुकदमें पक्ष में गये हैं तथा 87 विपक्ष में गये हैं, वर्तमान में 125 मुकदमें विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े विस्तार से।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष-

अब वह खड़े हो गये हैं, आपका नाम है, मैं जानता हूं अभी आपको मौका मिलेगा इतनी देर में तो तिवारी जी पूछ लेते। अब उनकी पार्टी के विधायक हैं उनको ये असिस्ट कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि यह प्रश्न आपने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक नये सदस्य ने पूछा था और मंत्री जी भी नये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न भी ठीक था और जवाब भी ठीक है लेकिन एक प्रश्न का जो माननीय मंत्री जी ने नहीं उत्तर दिया, सिर्फ मैं उसके लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि बहराइच की क्या कार्यवाही हुई आपने पढ़ दिया, संख्या पढ़ दिया, आप देखें अगर नहीं है तो थोड़ा दायें-बायें देखें पीछे से जवाब आ जायेगा। बहराइच में दो चीनी मिलें हैं सिम्भावली और पारले। इन्होंने दोनों के लिये कहा है कि सरयू नदी में प्रदूषित जल फैला रहा है। यह जानना चाहते हैं यह इनकी विशिष्ट जानकारी है यह सदस्य हैं उनके चक्कर में पड़े तो गये। मैं कहना चाहता हूं कि यह जानना चाहते हैं कि जो जल प्रदूषण फैला रहे हैं उसके संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई इनकी विशिष्ट सूचना दो के बारे में है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, प्रश्न आप पढ़ेंगे इसमें बहराइच का कही उल्लेख है नहीं और इन्होंने पूरा जनरल पूछा था जनरल उत्तर आ गया अब यह स्पेसिफिक उत्तर के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो वह आपसे कहें न मान्यवर।

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरे प्रदेश की पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई सूचना है जिसमें बहराइच भी शामिल है। बहराइच का चाहिये तो अलग से आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न ही नहीं बनता। तिवारी जी सब नये-नये हैं और प्रश्न को आप देखें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इन्होंने सप्लीमेन्ट्री जो किया था उस पर आपने अनुमति दे दी थी या तो न देते, जब आपने अनुमति दे दी तो वह ब्रह्मास्त्र हो गया, वह नहीं कट सकता।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन उत्तर दिलाने के लिये मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री प्रमोद तिवारी-

हम उत्तर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर चाहते ही नहीं हैं हमारी बात तो सुन लें, आपको अच्छी लगेगी।

यह सिर्फ इन्होंने दो मिलों का नाम लिया है माननीय मंत्री जी के पास अगर विशिष्ट सूचना अभी नहीं है तो बाद में सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इन दोनों मिलों को दिखवा लीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नदियों में प्रदूषण के सम्बन्ध में आज नहीं यह पहले भी इस हाउस में लगातार यह प्रश्न आता रहा और जिस प्रकार का जवाब आज आया है प्राविधान का, प्राविधान तो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है और कोई भी आदमी कानून की किताब निकाल कर पढ़ सकता है। लेकिन मान्यवर, जो कदम उठाये गये हैं वह काफी नहीं हैं, प्रभावी नहीं हैं उन नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिये अभी तक जितने भी कदम उठाये गये और जो भी प्राविधान है वह निष्प्रभावी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई ऐसे प्रभावी कदम, जहां पर संयंत्र स्थापित भी हैं वह मान्यवर, ज्यादा लागत आने की वजह से वह लोग चलाते नहीं हैं और उसी प्रकार का पूरा प्रदूषण का पानी सीधे-सीधे नदियों में चला जाता है। मैंने कानपुर में बहुत से स्थानों में यह जाकर देखा है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन

फैक्ट्रियों के पानी को रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम चरणबद्ध तरीके से उठायेंगे जिससे वास्तव में व्यवहारिक रूप से उसको रोका जा सके और साथ-साथ एक बात और कि जो नाले सीधे-सीधे नदियों में खुले हैं उनको भी माननीय मंत्री जी रोकने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, यह समाजवादी पार्टी के हमारे मैनिफिस्टों में भी था यह मुद्दा, हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं जो भी प्राविधान एक्ट में है उनका अगर ठीक से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक से मानीटरिंग नहीं हो रही है तो सरकार पूरी तरह से इस बात के लिये कटिबद्ध है कि हम उसका अच्छे से मानीटरिंग करायेंगे, अच्छे से उसका इम्पलीमेन्टेशन होगा और अगर यदि कोई सुझाव माननीय सदस्य या और कोई देना चाहेगा तो उसका भी परीक्षण सरकार करायेगी।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, आमी नदी और राप्ती नदी . . . . .

श्री अध्यक्ष-

यही सवाल नदियों का नहीं है। तो वह कहां से उत्तर दे पायेंगे, पहले आप सवाल तो पढ़ो। यह प्रश्न नहीं बनता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरे प्रश्न सिर्फ दो हैं। आपको संबोधित करके, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने अपने जवाब में यह कहा है कि प्रदेश में स्थित जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है और मानकों के अनुसार उत्प्रवाह निस्तारित न करने वाले औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगों ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगाये, उनके विरुद्ध तो हम कार्यवाही करते हैं लेकिन जहां स्वयं विकास प्राधिकरणों का या औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का यह दायित्व था कि वह अपने औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इफलीन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट लगायें जहां उन्होंने इफलीन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने का लिखित वादा किया था और उन्होंने स्वयं इफलीन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगाये, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगों ने नहीं लगाया उनके विरुद्ध तो आप कार्यवाही करेंगे लेकिन जिन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने वायदा करके भी इफलीन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगाये, मैं उनका नाम ले रहा हूं गीडा यानि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का, जहां आज पूरा पूर्वांचल आमी नदी के प्रदूषण का शिकार है कारण सिर्फ इतना है कि आमी नदी के किनारे ढेर सारे उद्योगों की स्थापना की गयी है, जब गीडा की स्थापना हुई और उद्योग धन्धे वहां जाने लगे। तो गीडा की एथारिटीज ने लिखित रूप से कहा कि वह एक कामन इफलीन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट लगायेंगे, यह उनके ब्रोशर में है लेकिन उन्होंने आज तक नहीं लगाया। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि सरकार गीडा के इस गैरजिम्मेदारी पूर्ण आचरण के लिये गीडा के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, यह सोलहवीं विधान सभा का पहला उपवेशन है और सरकार बने हुये भी अभी थोड़े दिन हुये हैं। तो भविष्य में तो कुछ आ सकता है लेकिन अभी क्या किया, क्या नहीं किया, यह बताना मुश्किल है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं पूछा कि क्या कार्यवाही की है। यह पहला दिन है और हम यह नहीं कह सकते कि इन्होंने क्या किया। लेकिन मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या करेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, आमी नदी के बारे में भी मेरे पास कुछ सप्लीमेन्टरी डिटेल्स हैं। आमी नदी के जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु नदी के जल का नियमित अनुश्रवण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है। नदी के जल के नमूने बरसात के मौसम में प्रायः बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये जाते हैं। बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद नदी में जल बहाव की मात्रा जब कम हो जाती है तथा गर्मी के मौसम में जल बहाव लगभग नगण्य हो जाता है तब बरसात के मौसम के बाद एकत्रित किये जाने वाले जल नमूनों की गुणवत्ता तथा ग्रीष्म ऋतु एवं शरद ऋतु में जल गुणवत्ता मानकों के प्रतिकूल हो जाती है। आमी नदी का जो आपने मुद्दा उठाया। उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री अध्यक्ष-

वह तो मैंने अनुमति ही नहीं दी।

श्री अभिषेक मिश्र-

जहां तक गीडा का संबंध है गीडा औद्योगिक क्षेत्र, गोरखपुर में स्थापित मेसर्स लारी टेक्सटाइल एण्ड डाइंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अम्बे प्रासेसेज गीड और मेसर्स बफेल प्रोसेसेज गीडा यह तीन मुख्य संयंत्र हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें आयी हैं। उपरोक्त उद्योगों द्वारा पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया हैं। मेसर्स राइना पेपर मिल लिमिटेड एग्रो व संतकबीर नगर द्वारा केमिकल रिकवरी प्लांट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसका संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप उद्योग से जनित ब्लैक लिकर के कारण हो रहे प्रदूषण की समस्या का निवारण आलरेडी हो चुका है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकारी जवाब है। हम भी सरकार हैं और सरकारी जवाब कितना सही कितना गलत है यह मौजूदा सरकार तय करेगी और हमें थोड़ा समय दिया जाये ताकि इन सरकारी जवाबों का भी परीक्षण हो सके, स्थलीय परीक्षण भी हो सके और हम यह देख सकें कि इसमें कितने जवाब सही और कितने गलत हैं ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। जब संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि जितने जवाब आये हैं हम इनका परीक्षण करायेंगे तो मैं इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मैं नत्थी-ख का प्रश्न सं0-1 ले रहा हूं।

श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री प्रदीप माथुर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राज कुमार रावत एवं कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर व्यवधान

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि जो जवाब आया है हम इसका परीक्षण करायेंगे और कार्रवाई करेंगे तो इसमें और बचा क्या है ? अब आप अगला प्रश्न लें। अच्छा खन्ना साहब का प्रश्न है कुछ जरूरी कहना चाहते हैं, खन्ना साहब बतायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं केवल एक आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहता हूं, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिये यह व्यवस्था दो महीने, तीन महीने, चार महीने या छः महीने या साल भर में या कब तक कर देंगे इसके लिये कोई समय सीमा तो तय कर दें और एक साल में प्रभावी कार्रवाई कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह सब कितने दिनों में करा देंगे क्या इसकी कोई समय सीमा है या यथाशीघ्र करायेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्रा-

मान्यवर, सरकार यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। माननीय सदस्यगण, जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कह दिया कि यह सरकार नयी है जो प्रश्नों के उत्तर आये हैं हम उनका परीक्षण करायेंगे कि वह कितने सही हैं। अगर वह गलत होंगे तो उसको वह फिर से देखेंगे और कार्रवाई करेंगे उसकी आप लोग बाद में जानकारी ले लीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुला लिया था।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप कृपया बैठ जायें।

(श्री सतीश महाना के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे महाना जी मेरी बात मान लीजिये। आप लिख करके दे दीजिये मैं चर्चा करा दूंगा। आप कृपया बैठ जायें।

(श्री सतीश महाना के सदन से बाहर जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे महाना जी बैठिये-बैठिये आप कहां जा रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ले आइयेगा मैं उस पर चर्चा करा दूंगा। माननीय नेता भाजपा आप महाना जी को समझाइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज सदन का पहला दिन है और दो प्रश्न हैं। जो पूर्व में व्यवस्था रही है अगर उसका पालन हो जाये तो सभी सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे। मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न था कम से कम दो प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिये था, खन्ना जी ओर इनको मौका मिलना चाहिये था लेकिन इनका नाम आपने निकाल दिया। मैं आज कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूं, मेरा आपसे आग्रह है कि शान्ती से प्रश्न करने दीजिये, उत्तर आने दीजिये, बीच में आपको व्यवधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब काम सही हो जायेगा। समय का कोई अभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

समय का कोई अभाव नहीं है। 12.20 तक चलता है, एक प्रश्न पर 20 मिनट हो गया। जब संसदीय कार्यम ंत्री जी ने कह दिया कि जो सारे उत्तर आये हैं वह सही हैं या नहीं मैं इसका पूरा परीक्षण कराऊंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मेरा अनुरोध यह है कि अगर यह काम उनके और हमारे बीच में हो जाये, आपको उत्तर देने की जरूरत न पड़े तो काम ठीक हो जायेगा। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं लेकिन प्रश्न पूछा, उत्तर आ गया, अनुपूरक पूछा, उत्तर आ गया। हमारा अनुपूरक ठीक न हो तो हमे टोक दीजिये। बाकी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसका परीक्षण करायेंगे। यह तो उन्होंने खुद कह दिया और हमने भी सुन लिया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान्यवर, इतने समय में ही सारे प्रश्न हो जाते।

श्री अध्यक्ष-

इसमें प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे नियम 49 में दे दें, इसमें आधे घण्टे की चर्चा करा देंगे और जो लोग इच्छुक होंगे वह अपनी बात रख लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चर्चा कब आयेगी ?

श्री अध्यक्ष-

चर्चा कल हो जायेगी, कार्य-मंत्रणा समिति में बात हो जायेगी। आप बैठिये, अब दादा (श्री श्यामदेव राय चौधरी) का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जो मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें एक विभाग है जो सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट चलाता है और प्रदूषण को रोकने का काम करता है, दूसरा विभाग है, पर्यावरण विभाग। इन दोनों विभागों में तालमेल न होने के कारण नदियों में प्रदूषित जल बहता है। जल निगम वालों से बात करो तो वह कह देते हैं कि फैक्ट्रियों के ऊपर काम करने का मेरा अधिकार नहीं है, हमारा केवल सीवेज ट्रीटमेण्ट करने का अधिकार है। मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहता हूं। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष-

फिर आप उसी बात पर आ गये जब मैंने कह दिया कि नियम 49 में दे दीजिये, चर्चा हो जायेगी तो फिर क्यों परेशान हैं ? उस समय बात कह लीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर दें या न दें लेकिन आपने मुझे बुलाया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये पूछ लीजिये लेकिन फिर नियम 49 की चर्चा खत्म हो जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मुझे भी अनुमति दे दीजियेगा। मा0 मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मत दें, लेकिन मुझे एक छोटा सा अनुपूरक करने का अवसर दे दीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहता कि जो पर्यावरण विभाग है, पर्यावरण विभाग में और जो ट्रीटमेण्ट प्लान्ट चलाते हैं जल निगम, इन दोनों विभागों का आपस में तालमेल नहीं है जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई होती है और पानी गंगा में सीधे चला जाता है। जल निगम वालों से पूछो कि यह सीधा क्यों जाता है ? तो वह कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। हमारे पास जितना पानी आयेगा हम उसका ट्रीटमेण्ट करेंगे। आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन है कि इन दोनों विभागों में तालमेल करने का मा0 मंत्री जी प्रयास करेंगे। दूसरा, कुम्भ मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है, उसकी समय सीमा है, उसके बाहर नहीं जाया जा सकता। आज मा0 मंत्री जी उसकी चिन्ता कर रहे हैं, इन्होंने बैठक भी की है, उसके लिये उन्हें साधुवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुम्भ मेला कहां से आ गया ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, नदियों के प्रदूषण से सम्बन्धित है। कुम्भ मेला से पहले, गंगा नदी जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें प्रदूषण रोकने के लिये कोई तत्काल प्रभावी कदम उठायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खान-

महाना जी बहुत सीनियर सदस्य हैं और आपने सुझाव दिया है कि दो विभागों में, पोल्यूशन बोर्ड को छोड़ गये। इन तीनों में समन्वय होना चाहिये। मान्यवर, तीनों विभागों के काम अलग-अलग हैं, तीनों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिये। एस0 टी0 पीस जितने भी लगे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिये और जो कारखानों से प्रदूषित पानी आ रहा है उन्हें अपना काम करना चाहिये, अपने यहां संयंत्र लगाना चाहिये। इसकी मॉनीटरिंग के लिये ही आपसे यह वायदा किया गया है कि हम यह देख लें कि रिपोर्ट कितनी सही और कितनी गलत आयी है। इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। धन्यवाद।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, गंगा नदी के विषय में सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मा0 मंत्री जी से कि गंगा नदी को ले करके आन्दोलन चल रहा है। उसकी निर्मलता, अविरलता को लेकर, वह कहीं और से सम्बन्धित है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पिन प्वाइंटेड इतना ही पूछना चाहता हूं कि आज भी काशी में गंगा नदी में 22 जो सीवरयुक्त नाले हैं उसका गंदा पानी गंगा

नदी में गिर रहा है। क्या मा0 मंत्री जी जल निगम को यह निर्देशित करेंगे कि गंगा की पवित्रता को बनाये रखने के लिये जो 22 गंदे नाले गिर रहे हैं उनको बन्द करने का आदेश देंगे।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री पूरन प्रकाश व श्री राजकुमार रावत के खड़े होने व प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जब इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की बात आ गई तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं। प्रदीप माथुर साहब आपकी पार्टी की तरफ से ही इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा कराने की बात की गई है। तो जब नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा हो उस समय अपनी बात रख दीजिये। उस समय मंत्री जी सारी बातों का जवाब दे देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मैं मंत्री जी से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। अगर मंत्री जी उचित समझे तो उसका उत्तर दे दें न उचित समझें तो न दें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हमारे यहां वाराणसी में गंगा नदी में 22 नालों का गन्दा पानी सीधे गिर रहा है। क्या उन नालों के पानी को बन्द करने के लिये जल निगम को निर्देशित करेंगे ?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इस तरह से मथुरा वृन्दावन में 19 नालों का गन्दा पानी सीधे यमुना नदी में गिर रहा है। वहां पर नदी का जल आचमन करने लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग और जल निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है विभाग के लोग सारे पैसों को खा जाते हैं और प्रदूषण रोकने के लिये कुछ नहीं करते। प्रदूषण रोकने के नाम पर नाटक होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिये हमने इसे नियम 49 में लिया है। आपने भेज दिया खन्ना साहब ने भी भेज दिया जब उस पर चर्चा होगी तो सारी बातें आ जायेंगी। माथुर साहब सब लोग नियम जानते हैं अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी चौधरी साहब हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और सदस्य मथुरा भी वरिष्ठ सदस्य हैं। अभी चन्द रोज पहले ही हमने नये विधायकों को सिखाया था कि कैसे सदन चलना है। और उसमें हमारे चौधरी साहब का सबसे मुख्य रोल था मेरे ख्याल से इस पर जितना समय लग गया इस विवाद में कि नियम 49 के तहत बहस होगी उसके बाद बराबर इस प्रश्न पर बहस होने का मतलब है कि हम नये सदस्यों को एक गलत चीज सिखा रहे हैं और उन्हें इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि अध्यक्ष पीठ से जो आदेश हो गया उसका सम्मान नहीं करना है। उस पीठ से यह आदेश हो गया कि नियम 49 के तहत इस पर बहस की जायेगी उसके बाद भी सदन का समय खराब होने का सारा नुकसान विपक्ष का है आप चाहें तो सारा समय एक प्रश्न के लिये निकाल दीजिये हमें सारे प्रश्नों के बहस से छुट्टी मिल गई यह तो आपका समय है यह तो आपका अधिकार है जिसका आप खुद हनन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक ऐसी परम्परा पड़े जिसमें नये सदस्यों के लिये भी प्रश्न पूछने का वक्त रहेगा। अगर सारा समय सिर्फ पुराने सदस्य ही ले लेंगे तो हमारे नये सदस्य कुछ सीख नहीं पायेंगे।

तारांकित प्रश्न

डी0 आई0 आर0 तथा मीसा बन्दियों को बन्द किये गये मानदेय को पुनः लागू किये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में डी0 आई0 आर0 तथा मीसा बन्दियों को वर्ष 2002 में चुनी हुई सरकार द्वारा ''स्वतंत्रता रक्षक सेनानी'' का दर्जा देकर उन्हें 500 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता रहा, जो बाद की सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को पुनः लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वर्ष 2002 में ''स्वतंत्रता रक्षक सेनानी'' को मानदेय नहीं अपितु वर्ष 2006 में राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2181 जेड/6-सा-1-06-55जी/90, दिनांक 04-09-2006 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को दिनांक 01-04-2006 से रु0 500 प्रतिमाह सम्मान राशि अनुमन्य की गयी जिसे शासानादेश दिनांक 16-01-2007 द्वारा दिनांक 01-01-2007 से बढ़ाकर रु0 1000 प्रतिमाह किया गया। यह योजना दिनांक 01-04-2006 से 31-03-2007 तक के लिये निर्धारित थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब सत्ता में थी तब ही यह योजना लागू की गई थी और उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। आज खुशी की बात है कि उनके योग्य सुपुत्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं। सरकार के निर्णय लेने के पहले की यह प्रश्न मेरे मन में उठा था इसीलिये मैंने इस प्रश्न को लगाया। अच्छा है कि उसका उत्तर आ गया और उत्तर पाजिटिव आया। उनकी योजना थी वह बन्द कर दी गई और फिर लागू कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह योजना कब से लागू होगी ? और क्या यह योजना हमेशा लागू रहेगी ? क्योंकि उत्तर से ऐसा लग रहा है यह 31-03-2007 तक के लिये निर्धारित थी, उसके बाद के लिये निर्धारित नहीं थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब सरकार कब से इसको लागू करेगी और क्या यह हमेशा के लिये लागू रहेगी ? यह अलग बात है कि कोई दूसरी सरकार आये और वह इस योजना को बन्द कर दे। क्या इस सरकार के रहते यह योजना हमेशा के लिये लागू रहेगी ?

होमगार्ड, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, 31-03-2007 तक के लिये यह योजना माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आदेश से लागू हुई थी। जब इसके रिन्यूवल का समय आया इसको आगे बढ़ाने का समय आया तब तक प्रदेश में अधिसूचना लागू हो गई और नई सरकार आई तो उसने इसको बन्द कर दिया। हमारे आज के नेता सदन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह प्रतिवद्ध है लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने के लिये, सम्मान राशि देने के लिये.....

(मेजें थपथपाई गईं)।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह योजना कब से लागू होगी, कोई निर्धारित अवधि के लिये लागू होगी या हमेशा के लिये लागू होगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि चौधरी साहब सीनियर सदस्य हैं, यह जानते हैं कि सरकारें निर्णय लेती हैं और सरकारें निर्णय बदलती हैं और यह सरकार का अपना अधिकार है। बहुत सी योजनायें खत्म की जाती हैं, बहुत सी योजनायें जारी रखी जाती हैं और बहुत सी योजनाओं में तब्दीली की जाती है और यह उस सरकार का अपना विचार था कि 1975 से 1977 तक जो एक काला दौर गुजरा पूरे भारतवर्ष में, और लोग मीसा और डी0 आई0 आर0 के तहत बन्द किये गये उनको एक सम्मान देने के लिये। यह कोई एक ऐसी धनराशि नहीं है जो बहुत बोझ हो उत्तर प्रदेश के बजट पर। बहुत कम लोग जिन्दा भी हैं इसीलिये भी इसको जारी करने में उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। यह जल्द शुरू की जायेगी। क्यों बन्द की गई यह तो हम नहीं कह सकेंगे लेकिन हां इसलिये बन्द यकीनन हुई होगी कि इमरजेंसी के दौर की तपिश उन लोगों तक नहीं गई होगी कि इमरजेंसी के दौर की तपिश उन लोगों तक नहीं गई होगी जिन्होंने इसको बन्द किया होगा। यह एक अच्छी योजना थी और इस योजना को लागू किये जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

यह योजना केवल 31 मार्च, 2007 के लिये लागू थी तो दूसरी सरकार ने इसको बन्द कहां कर दिया जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं। दूसरी सरकार का गठन तो मई 2007 में हुआ तो यह आक्षेप लगाना गलत है मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आक्षेप नहीं है यह तो खुद जवाब है तारीख के साथ। जब नई सरकार आई तो पुरानी योजना बन्द कर दी गई। नई सरकार ने उस पुरानी योजना को जारी रखा होता। यह तो खुद में इतिहास है, इसमें कहां गलत बात कह रहे हैं, कहां किसी पर आक्षेप कर रहे हैं। यह तो विचारों की बात है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

किस तारीख के लिये लागू की गई थी, यह तो माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में दिया 31 मार्च, 2007 तक के लिये यह योजना लागू की गई और उसके बाद यह योजना अपने आप बन्द हो गई। हमारी सरकार का गठन मई, 2007 में हुआ तो हमारी सरकार ने कहां से इसको बन्द किया ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश की दूसरी आजादी के लिये जिन लोगों ने बलिदान दिया 18-20 महीने जेल में रहे। उनके लिये यह योजना लागू हुई तो सभी ने इस योजना लागू करने वाले को हृदय से धन्यवाद दिया। लेकिन आज यह पता चला कि यह योजना केवल 31-03-2007 तक के लिये थी। सम्मान देना, एक महीना, दो महीना और चार महीने के लिये, फिर उसको वापस ले लेना यह सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता था कि चूंकि इस योजना पर पुनर्विचार हो रहा है तो वास्तविक रूप से उन स्वतंत्रता रक्षक सेनानियों को सम्मान देने के लिये जो यह योजना लागू की जायेगी तो क्या 31-03-2007 से जिन लोगों को हमने सेनानी माना और हमने सम्मान दिया तो उस दिन से, बीच में जो उनको पांच साल तक धन नहीं दिया गया, तो क्या उस समय से, उनको वह सम्मान देना जारी रखा जायेगा। दूसरी बात 2007 में जब आपने सम्मान दिया तो एक हजार की राशि आपने स्वीकृत की तो आज 2012 है इन पांच सालों में महंगाई इन्डैक्स बहुत आगे चला गया है क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि 31-03-2007 से दे और सम्मान की राशि को एक हजार से बढ़ाकर भी दे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

डाक्टर साहब हमारे बच्चों के डाक्टर हैं और कहा जाता है . . . .।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह डाक्टरी के बाद स्पेसलाइजेशन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बस, तभी तो आप वहां बैठे हैं कि बात पूरी सुनते नहीं हैं आप। मेरा कहने का मंशा यह है जो बच्चों का कामयाब डाक्टर होता है वह उसका डाक्टर होता है जो बेजुबान होते हैं जब आप बेजुबानों की जबान समझ सकते हैं तो आपको यह भी समझना चाहिये कि यह उत्तर सरकारी है और क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी दूसरी सरकार आ गई थी, अधिकारियों को यही जवाब देना चाहिये था जो जवाब आया है। यह सरकारी जवाब है इस योजना को अगर जारी रखना होता तो उस वक्त सरकार ने इसको जारी रखना जरूरी नहीं समझा इसे समाप्त कर दिया गया, अब यह सरकार इसे जारी रखना चाहती है लिहाजा इसे जारी किया जायेगा। जहां तक महंगाई का सवाल है आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ जाये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बयान, आश्वासन हुआ करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, आपके वेतन भी बढ़ जायें, अर्थात् आपने यह निर्णय लिया है कि आप माननीय सदस्यों के वेतन बढ़ायेंगे। पूरे सदन की ओर से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आभार प्रकट करता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि यह जो सम्मान दिया जाता है यह 2007 से दिया जायेगा या 2012 से दिया जायेगा यह कब से दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह बच्चों के डाक्टर हैं लेकिन यह बच्चों के डाक्टर तो हो सकते हैं पर खुद बच्चे नहीं हैं यह इन्होंने साबित कर दिया है। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिस बात को बोलते हैं वह उस पर कायम रहते हैं आज तक मैंने अपने जिन्दगी में जो आजम साहब ने कह दिया उससे पीछे हटते नही देखा। (हंसी) और

आजम खां जी ने जो कहा है उसका इम्तहान पूरे सदन में होगा। इन्होंने कहा है कि वेतन बढ़ेगा अब मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख से बढ़ेगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछेंगे चौधरी साहब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

खां साहब ने कहा कि हमें अध्यक्ष के आदेशों का पालन करना चाहिये तो मैं आदेशों का पालन करता हूं। और करना चाहता हूं लेकिन आपने एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया, इसलिये मैं बैठ जा रहा हूं।

प्रदेश में किसानों के ऋण माफी की कार्य योजना

*2-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के रु0 50,000/ तक के ऋणों के माफी की कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा सवाल पूरे प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित है। पूरे प्रदेश में एक भ्रम फैल गया है, हमारे नए मुख्य मंत्री, युवा मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद जनता में यह भ्रम फैल गया है कि हमारा कर्ज माफ हो गया है। 50 हजार रुपया तक का कर्ज हमारा माफ हो गया, यह पूरे प्रदेश के किसानों में भ्रम फैल गया है। माननीय अखिलेश जी की घोषणा पर, मा0 मुख्य मंत्री जी की बातों पर प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है, लेकिन अब हो यह रहा है कि पूरे प्रदेश के गांवों में अमीनों से किसानों का झगड़ा चल रहा है। अमीन पैसा मांगने जाता है तो किसान कहता है कि अखिलेश जी ने हमारा तो 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है। अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि इस पर विचार हो रहा है, विचार होते-होते कहीं 5 वर्ष निकल गए, गांवों में वसूली के लिए हल्ला मचा है किसानों का कहना है कि हमारा 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ हो गया है। जो यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो जाए कि यह विचार 4-5 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा और यदि नहीं चलेगा तो वसूली प्रारम्भ कर दी जाय।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

कम से कम बजट तो पास हो जाने दीजिए। मान्यवर, जब बजट पास हो जायेगा तो आपके सामने खुद पूरा नतीजा आ जायेगा और जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसे वायदे पर जब पूरा प्रदेश ऐतबार कर रहा है तो 2 महीने के लिए आप भी ऐतबार कर लीजिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, यह आश्वासन आ गया कि किसानों का कर्जा 2 महीने में माफ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि दो महीने प्रतीक्षा करिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक आप 2 महीनें में, 3 महीनें में निर्णय ले रहे हैं, नियम बना रहे है तब तक आप यह आदेश जारी कर दे कि जिन किसानों की आर0सी0 जारी हो गयी है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वह रोक दिया जाए। हम आपकी बात से सहमत है, सरकार का जो जवाब आया है लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आदेश जारी करा दें कि किसानों का उत्पीड़न न किया जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेनीफेस्टो के जितने भी वायदे हैं, वह पूरे किए जायेंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध है और जितनी जल्दी हो सकेगा, उन्हें पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है, किसानों की अगर कहीं प्रताड़ना हो रही है, उनको कही परेशानी हो रही है तो यकीनन इस पर विचार भी करेंगे, इस पर कार्यवाही भी करेंगे और जो राहत दी जा सकती है, वह राहत किसानों को दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तारांकित प्रश्न संख्या-3

(मंत्री जी राम गोविन्द चौधरी ने उत्तर पढ़ा)

(श्री इन्द्रजीत सरोज कुछ बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी, अब हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पूछ लीजिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में 50 हजार रुपये तक के कर्ज को माफ करने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो वायदा किया है, उसे पूरा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कर्जमाफी का मानक क्या होगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा सुझाव तो नहीं है लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा कि जब अगला प्रश्न आ गया और माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया तो प्रश्न उनसे सम्बन्धित होना चाहिए। बस मेरा इतना निवेदन है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों का समायोजन कर उच्च सुविधायें दिये जाने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने तथा सरकारी अध्यापकों की भांति अन्य सुविधायें देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

शिक्षामित्रों का समायोजन राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में कार्यवाही गतिमान है तथा शिक्षामित्रों को चरणबद्ध रूप में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 2 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी आपका सवाल है आप सप्लीमेंट्री तो पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, व्यवधान में सुन नहीं पाये फिर से पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास उत्तर है, उत्तर की कापी है उसी से सप्लीमेंट्री बनती है। पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों के भरोसे शिक्षा चल रही है। इनके समायोजन के संबंध में और इनके मानदेय के संबंध में पहले भी सदन में प्रश्न आते रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनका समायोजन सरकार की प्राथमिकता में है यह सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसको कब तक अंतिम रूप दे देंगे दूसरी बात जब तक इनका समायोजन नहीं किया जाता है तब तक क्या माननीय मंत्री जी इनके मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हमने वादा किया है कि हम शिक्षामित्रों का समायोजन करेंगे। इसी के तहत लगभग 60 हजार शिक्षा मित्रों को दूरस्थ विधि से ट्रेनिंग दे रहे है। 2012-13 में 60 हजार शिक्षा मित्र अध्यापक के रूप में हमें मिल जायेंगे। फिर जुलाई से जो बचे हैं लगभग इतने ही उनको भी ट्रेनिंग देकर 2014 तक उनको पूर्ण अध्यापक बना देंगे। उसके बाद भी जो 24-40 हजार लोग बच रहे हैं जो स्नातक नहीं है अगर वह भी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो उनको भी हम ट्रेनिंग दिलवाकर अध्यापक के रूप में नियुक्त कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब तक वह पूर्ण शिक्षक नहीं बन जाते तब तक क्या माननीय मंत्री जी उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सीधा सीधा सवाल है। हां या नहीं ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जब हमने उनको पूर्ण अध्यापक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ अभी हो जाएंगे कुछ 2014 में हो जाएंगे। तो मानदेय बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

कुंवर भारतेंन्द्र-

मान्यवर, 1 लाख 66 हजार शिक्षा मित्र हमारे प्रदेश में हैं इन्हें 12 साल पहले नौकरी पर रखा गया था। इन्हें 3500 रुपये महीना वेतन मिलता है। प्रश्न बिलकुल सीधा है कि यह सिर्फ 3500 महीना वेतन में कैसे अपने परिवार व बच्चों का पालन करेंगे। नरेगा का मजदूर इनसे ज्यादा पाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि हम उनको शिक्षक बना रहे हैं। कितने-कितने लोगों को करेंगे यह भी बता दिया, समय भी बता दिया और यह कहा कि हम मानदेय नहीं बढ़ा सकते।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएट नहीं हैं अगर वह स्नातक कर लेंगे तो हम उन्हें ट्रेनिंग कराकर नियमित शिक्षक रख लेंगे। लेकिन ग्रेजुएट करने की इजाजत देना बंद कर चुके हैं पिछली सरकार में, तो क्या यह उनको ग्रेजुएशन करने की इजाजत देंगे ? सरकार कहती है कि जब आप शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं तो आप स्नातक करने कैसे जाएंगे। तो इन्होंने जो आश्वासन दिया है लेकिन अगर वह स्नातक नहीं करेंगे तो वह कैसे नियमित शिक्षक बन पायेंगे। इस पर सरकार क्या बताना चाहती है ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मैंने पहले ही उत्तर दिया था कि जो बच रहे हैं अगर वह स्नातक हो जाएंगे तो उन्हें भी ट्रेनिंग देकर नियमित शिक्षक बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको स्नातक करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका प्रश्न यह है कि वह कक्षा पढ़ाते हैं तो वह रेगुलर कहां जायें। लेकिन बहुत से विश्वविद्यालयों ने प्राइवेट एलाउ किया है तो वह प्राइवेट स्नातक कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि वह प्राइवेट कर सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ के देहात क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती की मांग

1-श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के देहात क्षेत्र में स्थापित प्राइमरी स्कूलों में मानक के अनुरूप पर्याप्त स्टाफ तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्रों में मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के संबंध में निर्णय लिये जाने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के बिजरौल गांव में पशु चिकित्सालय का कथित प्रकरण

2-श्री वीरपाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के बिजरौल गांव में पशुओं के अस्पताल में न कोई डाक्टर है और न कोई अन्य व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर बीमार पशुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जनपद बागपत के बिजरौल गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता मानक

3-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूलों के भवनों का निर्माण किनके देख-रेख में होता है ? क्या यह सही है कि खराब गुणवत्ता के कारण स्कूलों के भवन बहुत अल्प अवधि में जर्जर हुये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में स्कूल भवनों का निर्माण उत्तम गुणवत्ता मानक के अनुरूप करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूलों के भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से जिला समन्वयक (निर्माण) तथा विकास खण्ड के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की देख-रेख में होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शासन के निर्देशानुसार विकास खण्ड स्तर के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा तकनीकी सपोर्ट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला समन्वयक (निर्माण) द्वारा निर्माण प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को मानदेय देने का विचाराधीन प्रकरण

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को कोई मानदेय दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के वित्तविहीन विद्यालयों में अध्यापकों को जीविकोपार्जन भर के मासिक मानदेय दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की नियमावली के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों की सेवा शर्तें शासनादेश अध्यापकों की सेवा शर्तें शासनादेश संख्या-ई0एम0-1443/15-7-2001-1 (91)/2001, दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा निर्धारित की गयी है।

6-श्री दलवीर सिंह-

[1लें बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ के पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप स्टफ की तैनाती की मांग

7-श्री दलवीर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में कितने पशु चिकित्सालयों पर मानक के अनुरूप डाक्टर व स्टाफ तैनात हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

सामान्यतया एक पशु चिकित्सालय पर एक पशु चिकित्साधिकारी, एक फार्मासिस्ट तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद स्थापित रहते है।

जनपद अलीगढ़ में पशु चिकित्साधिकारी का 01 पद, वेटनरी फार्मासिस्ट के 18 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 17 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संगत नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अलीगढ़ व सासनी दुग्ध उत्पादन डेरी महामायानगर को पुनः चालू कराये जाने की मांग

8-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध उत्पादक सहाकरी संघ, अलीगढ़ व सासनी दुग्ध उत्पादन डेरी जनपद-महामायानगर बन्द है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन पर किसानों व कर्मचारियों का कितना भुगतान शेष है ? क्या सरकार बकाये का भुगतान कर बन्द डेरियों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र में जनपद अलीगढ़ एवं महामायानगर आते हैं। उक्त दुग्ध संघ सम्प्रति बन्द है।

दुग्ध संघ अलीगढ़ पर दुग्ध उत्पादकों का रु0 1.20 करोड़ एवं कर्मचारियों का रु0 4.68 करोड़ का बकाया लम्बित है।

दुग्ध संघ सहकारिता के क्षेत्र में आते हैं तथा अपने व्यवसाय को सुदृढ़ करते हुए अर्जित आय से दुग्ध-मूल्य भुगतान तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करते हैं। दुग्ध उत्पादकों के बकाया धनराशि के भुगतान एवं बन्द दुग्ध संघों के सम्बन्ध में प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत कार्यवाही विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के नियामतपुर पशु चिकित्सालय का कथित प्रकरण

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के नियामतपुर पशु अस्पताल में चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

नियामतपुर में पशुचिकित्सालय नहीं है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने हेतु भवन किराये व बर्तनों की व्यवस्था हेतु बढ़ी दरों पर मानदेय भुगतान करने के आदेश

10-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने हेतु कमरों के लिये अनुमन्य किराये का नियमित भुगतान, बच्चों के हाट-कुक पकाने हेतु गैस

चूल्हा, गैस सिलेण्डर, बर्तनों की आपूर्ति एवं केन्द्र सरकार द्वारा 2010-11 में बढ़ाये गये मानदेय का भुगतान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राज्य सरकार स्तर पर भी मानदेय राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-10-2011 निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन हेतु अनुमन्य किराये का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है।

नवीन स्वीकृत केन्द्रों पर बर्तनों की व्यवस्था की गयी है। हाट कुक्ड़ फूड को पकाने हेतु प्रयुक्त होने वाले बर्तनों, गैस चूल्हा, गैस सिलेन्डर आदि के लिए केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर व्यवस्था की जायेगी।

शासनादेश दिनांक 16-05-12 द्वारा बढ़ी दरों पर मानदेय भुगतान करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 16-05-12 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को बढ़ी हुई दरों पर मानदेय भुगतान करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मार्ग-व्यय एवं अन्य खर्चों का भुगतान प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किये जाने के आदेश

11-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण हेतु जिले से बाहर भेजने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय तथा अन्य खर्चों के लिए धनराशि अनुमन्य है ? यदि हां, तो वाराणसी सहित अन्य जिलों में तैनात कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को दिनांक 06-06-2011 से दिनांक 07-07-2011 तक तथा उसके बाद ट्रेनिंग प्राप्त लोगों को कोई भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मार्ग व्यय एवं अन्य खर्चो का भुगतान कभी-कभी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाता है। जनपद स्तर पर बजट उपलब्ध होने पर संस्थाओं के बिल का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजनैतिक बंदियों/लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि के साथ समस्त सुविधाओं को बहाल करने की मांग

12-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में बन्द राजनैतिक बन्दियों को लोकतंत्र सेनानी मानकर वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने पेंशन स्वीकार की थी तथा सहवर्ती के साथ राज्य सरकार की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की थी ? क्या यह भी सही है कि 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक देने के बाद उक्त पेंशन एवं सारी सुविधायें बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार 1 अप्रैल, 2007 से बकाया पेंशन एवं देय सारी सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। लोकतंत्र सेनानियों को वर्ष 2006 में पेंशन नहीं अपितु सम्मान राशि प्रदान की गयी।

राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 04-09-2006 द्वारा एक नियमावली प्रख्यापित की गयी जिसमें योजना की अवधि दिनांक 01-04-2006 से 31-03-2007 तक निर्धारित थी। सम्मान राशि दिनांक 31-03-2007 तक दी गयी। लोकतन्त्र सेनानियों को एक सहयोगी सहित परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा 23-03-2010 तक तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 31-03-2011 तक दी गयी थी।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर के आदर्श पब्लिक कन्या हा0 से0 स्कूल को वित्तीय अनुदान की किश्त स्वीकृत करने की मांग

13-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय स्थापना योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर के अन्तर्गत 'आदर्श पब्लिक कन्या हा0 से0 स्कूल मोहम्मदपुर भजा की मान्यता हेतु वर्ष 2005 में आवेदन किया गया जिसे मई, 2010 में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मान्यता प्रदत्त की गयी किन्तु अब तक विद्यालय की द्वितीय अनुदान किश्त स्वीकृत नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब हो जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इस योजनान्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों को विशेष श्रेणी का दर्जा देते हुए अनुदानित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विद्यालय को द्वितीय किश्त स्वीकृत किए जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों को विशेष श्रेणी का दर्जा देते हुए अनुदानित किये जाने की कोई नीति नहीं है।

जनपद पीलीभीत में भवन विहीन विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की मांग

14-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कौन कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं मात्र शिक्षा मित्र के द्वारा संचालित हैं ? इनमें से कितने भवन विहीन हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती तथा भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जनपद पीलीभीत में कुल 1195 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 17 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की मृत्यु/पदोन्नति के कारण शिक्षक विहीन हुए हैं तथा 673 प्राथमिक विद्यालय एकल हैं, जिनमें शिक्षा मित्र कार्यरत हैं मात्र शिक्षा मित्र के सहारे कोई विद्यालय संचालित नहीं हैं एवं 566 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 05 विद्यालय शिक्षक की मृत्यु/पदोन्नति के कारण शिक्षक विहीन हुए हैं तथा 124 उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल हैं। विद्यालयों के संबंध में उक्त संख्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त नामवार सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर क्षेत्र में 15 विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के संबंध में निर्णय लिये जाने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। किराये के भवनों में भवन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर पास कन्याओं को बीस हजार रुपये दिये जाने की योजना पुनः चालू किये जाने की मांग

15-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में इण्टर पास लड़कियों को रुपया बीस हजार कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत प्रदान किये थे जिसे पिछली सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कन्या विद्याधन योजना संचालित किए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में कतिपय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वर्ष 2010 से 19-04-2012 के मध्य कितने नये निर्मित जूनियर (बेसिक) हाई स्कूलों के भवन में पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मो0 ककरा का नवनिर्मित जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन निर्माण पूर्ण कराकर इसमें भी शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

वर्ष 2010 से 19-04-2012 के मध्य नगर शाहजहांपुर में कोई भी नवीन जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है।

मो0 ककरा का नवनिर्मित जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

जूनियर हाई स्कूल ककरा कलां, नगरा क्षेत्र शाहजहांपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शैक्षिक सत्र 2011-12 में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मण्डल स्तर पर स्पोर्ट्स कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मण्डल स्तर पर स्पोर्ट्स कालेज खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेल विभाग के अन्तर्गत सभी मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित स्पोर्ट्स स्टेडियम के अन्तर्गत विभागीय प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कार्यक्रमों को आयोजित कराते हुए खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या तथा रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग

18-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों के 12 पद रिक्त हैं।

जी हां।

सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने पर रोक है। पदोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षक संघ बनाम उ0 प्र0 सरकार में मा0 सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में कार्यवाही की मांग

19-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका संख्या 5383, बेसिक शिक्षक संघ बनाम उ0 प्र0 सरकार में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कोई निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसके अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

रिट याचिका संख्या 5383/2007 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 3737/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 09-12-2011 को आदेश/निर्णय पारित किये गये हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 09-12-2011 निम्नवत् है-

"याचीगण के विद्वान अधिवक्ता मि0 पी0 एन0 मिश्रा एवं रिसपाण्डेण्ट के विद्वान अधिवक्ता मि0 वी0 एस0 मलिक को सुनने के उपरान्त हम सन्तुष्ट हैं कि प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु प्रत्येक संस्था को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के बारे में सन्तुष्ट करना होगा। राज्य सरकार जैसा कि मा0 उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक संस्था जिसे अनुदान सूची पर लिया जाना है, की समस्याओं/शिकायतों पर विचार करेगी और यदि कोई संस्था अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु अर्ह न पायी जाये तो इसके कारणों से संस्था को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये।

अनुदान के मामले में निर्णय लिये जाने से पूर्व सम्बन्धित संस्था को अपनी अर्हता के दावे के समर्थन में सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा। विशेष अनुमति याचिका तद्नुसार निस्तारित की जाती है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री राम चन्द्र यादव-

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन एवं उसके अवशेष का भुगतान कराये जाने की मांग

21-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सेवानिवृत्त अध्यापकों की पेंशन माह दिसम्बर, 2011 से माह अप्रैल, 2012 तक का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन में हुई वृद्धि के अवशेष का भी भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

भुगतान कर दिया गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

अवशेष भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम का विवरण

22-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता की निम्न स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुधार के लिए क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित हैं-

- विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें सुदृढ़ की गयी है। असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष विद्यालय रख-रखाव अनुदान दिया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तदनुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी हैं। कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।
- कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

- विद्यालयों में पठन-पाठन प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

- वर्ष 2010-2011 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रयोग एवं गतिविधि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने तथा प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा भूगोल सीखने हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।

- "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर विषयवार 07 विषय विशेषज्ञ रखे जाने की व्यवस्था की गई है इसके अतिरिक्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

23-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की योजना है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रा0 वि0 के सहायक अध्यापक के 177819 पद रिक्त हैं तथा प्रा0 वि0 के प्रधानाध्यापक के 25058 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के 35628 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के 19292 पद रिक्त हैं।

प्रा0 वि0 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रा0वि0प्र0अ0 व उच्च प्रा0वि0 के सहायक अध्यापक एवं प्र0 अ0 के पद पदोन्नति के हैं यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है।

देश में अन्य प्रान्तों के तुलनात्मक डीजल/पेट्रोल पर वैट का विवरण एवं इस सम्बन्ध में नीति बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

24-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के अन्य प्रान्तों के तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में डीजल/पेट्रोल पर कितना वैट लगाया गया है ? क्या प्रदेश सरकार इस वैट को कम करने के सन्दर्भ में कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में कर की दर डीजल पर 17.23% तथा पेट्रोल पर 26.55% है। डीजल की पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को नान-वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित फार्म के विरुद्ध बिक्री पर 5% की

दर से कर की देयता है। देश के अन्य प्रान्तों में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीजल व पेट्रोल पर कर की दरें निम्नवत् हैं-

राज्य का नाम	डीजल पर कर की दर	पेट्रोल पर कर की दर
1-तमिलनाडु	21.43%	27.00%
2-आन्ध्र प्रदेश	22.25%	33.00%
3-मध्यप्रदेश	23.00%	27.00%
4-पंजाब	नार्मल 8.25% ब्रांडेड 12.5% कर पर सरचार्ज 10%	27.5% कर पर सरचार्ज 10%. सेस ` 1 ली0
5-राजस्थान	18%. सेस ` 0.50 ली0 रिबेट रु0 54 ली0	26%. सेस ` 0.50 ली0
6-आसाम	16.50%	27.50%
7-महाराष्ट्र (ठाणे, मुम्बई, नवी मुम्बई)	24%	26% + ` 1 ली0
8-महाराष्ट्र (अन्य)	21%	25% + ` 1 ली0
9-केरल	22.8260%	26.0782%
10-छत्तीसगढ़	25%	25%
11-उत्तराखण्ड	21% रिबेट ` 0.63 ली0	25% रिबेट ` .78 ली0
12-गुजरात	21% (सेस 3%)	23% (सेस 2%)
13-विहार	18%	24.50%
14-झारखण्ड	18%	20%
15-कर्नाटक	16.75%	25%
16-उड़ीसा	18%	18%
17-पश्चिम बंगाल	17%	25%
18-दिल्ली	12.50% (सेस ` .25 ली0)	20%
19-हरियाणा	8.80% (वैट पर अतिरिक्त कर 5%)	20% (वैट पर अतिरिक्त कर 5%)
20-हिमांचल प्रदेश	9.70%	25%

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में स्थित अनेकों विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश

25-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में स्थित सिद्धनाथ महादेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, सेमरौना तथा महाजनान संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, भूपगंज बाजार, पयागपुर के जर्जर भवनों व मूलभूत सुविधायें पेयजल, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल न होने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या वि0प0/ज0हि0/2012-13/ख-एस0 नं0 005919/292, दिनांक 23-4-12 जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत संस्थाओं के प्रबन्धक को मूलभूत सुविधाएं पेयजल, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि की व्यवस्था के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच में जिला व ब्लाक स्तरीय समितियों का गठन

26-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन हुआ है ? यदि नहीं, तो इन समितियों का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बहराइच में जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समितियों का गठन किया जा चुका है।

आंगनबाड़ी स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की नीति का विवरण

27-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

जी हां।

विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 127 पर)।

जनपद मऊ के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन राशिकरण आदि के भुगतान की कार्यवाही

28-श्री अरुण कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में वित्तीय वर्ष 2011-12 से बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक शिक्षकों को राशिकरण, पेंशन, अवकाश बेची नामा आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पेंशन राशिकरण आदि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अवकाश बेचीनामा परिषदीय अध्यापकों को देय नहीं है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने हेतु पेट्रोलियम पदार्थों के कर को घटाये जाने की मांग

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए सरकार पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल पर 26.55 प्रतिशत डीजल पर 17.23 प्रतिशत व कुकिंग गैस पर 21 प्रतिशत कर को घटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में कर की दर डीजल पर 17.23% तथा पेट्रोल पर 26.55% है। डीजल की पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को नान-वैट माल से भिन्न कर योग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित फार्म के विरुद्ध बिक्री पर 5% की दर से कर की देयता है। कुकिंग गैस (केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित घरेलू उपयोग हेतु लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) वर्तमान में कर मुक्त है।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की गयी हैं।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी के पुरवों/मजरों को अम्बेडकर ग्राम के कार्यक्रम अन्तर्गत संतृप्त करने की मांग

30-श्री वीरपाल-

क्या समग्र ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम मोतियारी किस वित्तीय वर्ष में अम्बेडकर ग्राम की श्रेणी में था ? उक्त ग्राम से सम्बन्धित किन-किन पुरवों/मजरों का कितना-कितना विकास कार्य हुआ है ? क्या शेष बचे पुरवों/मजरों का विकास कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

ग्राम मोतियारी, विकास खण्ड महुआ, जनपद बांदा का वर्ष 2002-03 तथा वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया गया था।

प्रश्नगत ग्राम तथा उसके दोनों मजरों राजापुर एवं रामपुरमुर्दी को तत्कालीन कार्यक्रमों से शत-प्रतिशत संतृप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री नरेन्द्र देव, विदेशी प्रसाद भारती, राघव राम मिश्रा, पूरनलाल, जगदम्बा प्रसाद सिंह, फजलुलवारी, राजेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, राम विलास पाण्डेय, राम प्रकाश सिंह, रघुनाथ, हरीश कुमार गंगवार, जगदीश नारायण त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सोनकर, मुकन्दी सिंह, राम आसरे वर्मा, अजीजुर्रहमान, त्रिपाल सिंह धामा, देवेन्द्र दत्त शास्त्री, परागी लाल चौधरी, बाबूलाल विद्यार्थी, गोविन्द प्रसाद गैरोला, सुरेश चन्द्र अवस्थी, देव कुमार यादव, विद्या सागर नौटियाल, रामदेव वर्मा, हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी, कुंवर देवेन्द्र सिंह, महेश चन्द्र, अब्दुल खालिद, कप्तान सिंह यादव, ओम प्रकाश, प्रभू नारायण सिंह, मंगल सिंह सैनी एवं श्री लाल चन्द्र के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेन्द्र देव का 21 नवम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री नरेन्द्र देव का जन्म 04 अप्रैल, 1955 को ग्राम सरसों, जिला मिर्जापुर में हुआ था। उन्होंने बी0 काम0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नरेन्द्र देव वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़, जिला मिर्जापुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नरेन्द्र देव छात्र आन्दोलन में मिर्जापुर कारागार में बन्दी रहे थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस विकास केन्द्र के युवक समन्वयक रहे थे। ग्राम्य विकास में सहयोग और अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री नरेन्द्र देव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विदेशी प्रसाद भारती का 16 सितम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री विदेशी प्रसाद भारती का जन्म 15 जनवरी, 1938 को ग्राम मटजमुआंव, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एम0काम0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विदेशी प्रसाद भारती वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हाटा (अ0जा0), जिला देवरिया से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विदेशी प्रसाद भारती, श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के दौरान जिला कारागार, देवरिया में 8 दिन तक बन्दी रहे थे। ज्ञानोदय कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भटनी, देवरिया की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा जिला परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री विदेशी प्रसाद भारती के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राघवराम मिश्र का 6 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राघवराम मिश्र का जन्म 20 दिसम्बर, 1933 को ग्राम रानीपुर, जनपद सन्त कबीर नगर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राघवराम मिश्र वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद, जिला खीरी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे। श्री राघवराम मिश्र

जे0सी0टी0 ट्रेनिंग कालेज, रूड़की में प्रधानाचार्य रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, रूड़की तथा हरिद्वार के प्रचारक, जनसंघ के कानपुर तथा लखनऊ के संगठन मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के प्रभारी रहे थे। वे वर्ष 1997 से 1998 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति तथा वर्ष 2004 से 2005 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विधायी समाधिकार समिति के सभापति रहे थे। पठन-पाठन में उनकी विशेष रुचि थी तथा उद्योग, शिक्षा एवं सहकारिता आदि कार्यों से भी उनका लगाव था। श्री राघवराम मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पूरन लाल का 15 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री पूरन लाल का जन्म 6 मार्च, 1925 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पूरन लाल वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र सिरोमन नगर, जिला हरदोई से तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बावन, जिला हरदोई से जनसंघ के टिकट पर एवं वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बावन (अ0जा0), जिला हरदोई से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री पूरन लाल एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। पठन-पाठन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पूरन लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह का 21 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह का जन्म 01 नवम्बर, 1929 को ग्राम मरवटिया, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर, जिला बस्ती से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह ने वर्ष 1951 में वकालत शुरू की थी। वे शिशु विद्यालय, बस्ती के ट्रेजरार, टाउन क्लब, बस्ती के सेक्रेटरी तथा किसान डिग्री कालेज के आजीवन सदस्य थे। वे संघ के नगर संचालक भी रह चुके थे। पठन-पाठन, व्यायाम, खेल-कूद तथा सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फजलुल बारी का 27 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री फजलुल बारी का जन्म 28 जुलाई, 1938 को ग्राम कोहड़ा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0एम0 एवं बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री फजलुल बारी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र गोण्डा, जिला गोण्डा से जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र उतरौला, जिला गोण्डा से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री फजलुल बारी एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भूगोल विषय की एक पाठ्य पुस्तक लिखी थी। शिक्षा एवं कृषि संबंधी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री फजलुल बारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का 02 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 04 जनवरी, 1933 को ग्राम मंझना, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था, उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा

सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजेन्द्र सिंह डी0ए0वी0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, रजवामई के तथा सूर्य कुमारी इण्टर कालेज, मंझना के प्रबन्धक रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1978 तक जिला परिषद् के मनोनीत सदस्य तथा वर्ष 1963 से 1967 तक बटालियन सेकेण्ड एण्ड कमाण्डेण्ट होमगार्ड रहे थे। कृषि एवं शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी तथा बागवानी उन्हें प्रिय थी। श्री राजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अर्जुन सिंह का 03 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री अर्जुन सिंह का जन्म 12 दिसम्बर, 1938 को ग्राम सिन्धन कला, जिला बांदा में हुआ था, उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अर्जुन सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र तिन्दवारी, जिला बांदा से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अर्जुन सिंह वर्ष 1969 से 1973 तक ब्लाक युवक कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, साधन सहकारी समिति, सिन्धन कला, बांदा, जसपुरा इण्टर कालेज, बांदा तथा अतर्रा डिग्री कालेज, बांदा के सदस्य रहे थे। वे जसपुरा ब्लाक, बांदा के ब्लाक प्रमुख भी रहे थे। कृषि विकास, प्रौढ़ शिक्षा, गरीबों की सेवा तथा स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अर्जुन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम विलास पाण्डेय का 08/09 नवम्बर, 2011 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री राम विलास पाण्डेय का जन्म वर्ष 1924 में ग्राम इटौरा बुजुर्ग, जिला आजमगढ़ में हुआ था, उन्होंने विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम विलास पाण्डेय वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके थे। श्री राम विलास पाण्डेय जिला सहकारी बैंक, सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश तथा जिला परिषद् के सदस्य एवं मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। वे श्री चन्द्रभानु गुप्त मंत्रिमण्डल में उप मंत्री भी रह चुके थे। वे विभिन्न कालेजों एवं विद्यालयों में प्रबन्धक एवं अध्यक्ष रहे थे। स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम विलास पाण्डेय के निधन से प्रदेश एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रकाश सिंह का 17 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री राम प्रकाश सिंह का जन्म 07 जुलाई, 1950 को ग्राम हदरुख, जिला जालौन में हुआ था, उन्होंने स्नातक तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम प्रकाश सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र माधौगढ़, जिला जालौन से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्रकाश सिंह धारा 144 तथा 188 के अन्तर्गत 1980 में लखनऊ कारागार में बन्दी रहे थे। वे जिला युवक कांग्रेस (आई), जालौन की कार्यकारिणी के सदस्य, महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे थे। वे ब्लाक युवक कांग्रेस (आई), जालौन की कार्यकारिणी के सदस्य, जिला खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य तथा बीस सूत्री कमेटी के सदस्य भी रहे थे। कृषि विकास, प्रौढ़ शिक्षा, बाल विकास एवं गरीबों की मदद करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुनाथ का 24 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री रघुनाथ का जन्म 1 जुलाई, 1932 को ग्राम मुस्तफाबाद, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रघुनाथ वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र

रसड़ा (अ0जा0), जिला बलिया से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रघुनाथ ने खेतिहर मजदूरों के आन्दोलनों में सदैव सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। लखीमपुर खीरी में गरीबों को भूमि का कब्जा दिलाने के संबंध में भी वे जेल गये थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रघुनाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरीश कुमार गंगवार का 26 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री हरीश कुमार गंगवार का जन्म 25 जनवरी, 1930 को ग्राम टियूलिया, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, बी0टी0, एल0एल0बी0 तथा प्रथमा एवं साहित्य रत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरीश कुमार गंगवार वर्ष 1962, 1967 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र भोजीपुरा, जिला बरेली से जनसंघ के टिकट पर वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र बीसलपुर, जिला पीलीभीत से जनता दल तथा वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र भोजीपुरा, जिला बरेली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री हरीश कुमार गंगवार विभिन्न आन्दोलनों के दौरान वर्ष 1948 तथा 1975-76 में जिला जेल और केन्द्रीय कारागार, बरेली में बन्दी रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। वे बरेली सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड के डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक, बरेली के अध्यक्ष, पटेल इण्टर कालेज, धौरा तथा श्री विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल, बरेली के प्रबन्धक रहे थे। शोषित-पीड़ितों की सेवा तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरीश कुमार गंगवार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी का 17 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई, 1927 को ग्राम बेवर, जिला मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, बी0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी वर्ष 1967 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जिला मैनपुरी से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी ने वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वे कई बार जेल गये। वे विभिन्न ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संस्थानों और किसान संगठनों से सम्बद्ध थे। उन्होंने कविता, नाटक, गीत आदि की कई रचनायें लिखीं। श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्य प्रकाश सोनकर का 17/18 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री सत्य प्रकाश सोनकर का जन्म 14 जनवरी, 1956 को हुआ था। उन्होंने एम0 टेक0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्य प्रकाश सोनकर वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र चकिया (अ0जा0), जिला वाराणसी से जनता दल के टिकट पर तथा वर्ष 1996 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सत्य प्रकाश सोनकर जनता युवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी रुचि थी। श्री सत्य प्रकाश सोनकर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुकुन्दी सिंह का 27 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री मुकुन्दी सिंह का जन्म जुलाई, 1926 में हुआ था।

श्री मुकुन्दी सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (अ0जा0), जिला बिजनौर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मुकुन्दी सिंह ने कई वर्षों तक श्रमिक संघों में महामंत्री के पद पर कार्य किया था। वे आपातकाल में जेल गये थे। श्री मुकुन्दी सिंह रविदास सभा, बिजनौर के महामंत्री, भारतीय क्रान्ति दल, बिजनौर के मंत्री तथा सोशलिस्ट पार्टी की प्रान्तीय व राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी रहे थे। श्री मुकुन्दी सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा का 2 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री राम आसरे वर्मा का जन्म 10 जुलाई, 1940 को ग्राम सदरपुर, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम आसरे वर्मा निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां, जिला हरदोई से वर्ष 1977, 1980 तथा 1985 में निर्दलीय एवं वर्ष 1991 तथा 1993 में जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम आसरे वर्मा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के दौरान तथा आपातकाल में कई बार जेल गये थे। वे वर्ष 1957 में छात्र नेता के रूप में सक्रिय रहे। वे अखिल भारतीय क्रांतिकारी युवा मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अनेक संगठनों के संरक्षक, हरदोई एवं लखनऊ जिले की दर्जनों शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे थे। श्री वर्मा 28 फरवरी, 1992 से 6 दिसम्बर, 1992 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। वे जनता दल, समता पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे थे। उन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया तथा कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम आसरे वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अजीजुर्रहमान का 7 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री अजीजुर्रहमान का जन्म वर्ष 1922 में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अजीजुर्रहमान सर्वप्रथम 1972 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नगीना, जिला बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 एवं 1985 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अजीजुर्रहमान वर्ष 1973-1974 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रि-मण्डल तथा वर्ष 1976-1977 एवं 1984-1985 में श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। उन्हें वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री अजीजुर्रहमान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री त्रिपाल सिंह धामा का 8 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री त्रिपाल सिंह धामा का जन्म 15 मई, 1956 को ग्राम बिनौली, तत्कालीन जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री त्रिपाल सिंह धामा वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र बरनावा तत्कालीन जिला मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री त्रिपाल सिंह धामा किसान सेवा सहकारी समिति, बिनौली के

तीन वर्ष सभापति रहे थे। सामाजिक सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री त्रिपाल सिंह धामा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री का 9 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री का जन्म 22 मई, 1922 को ग्राम चुरेणा, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने लाहौर में उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र देहरादून, जिला देहरादून से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री बचपन से ही समाजसेवी कार्यों में संलग्न रहे तथा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अनेक संगठनात्मक पदों पर कार्य किया। वे भारतीय जनसंघ की जिला व क्षेत्र समिति के मंत्री तथा प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। लेखन, ग्राम विकास तथा शिक्षा में उनकी रुचि थी। श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री परागी लाल चौधरी का 17 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री परागी लाल चौधरी का जन्म 15 जनवरी, 1930 को ग्राम बेलन्दापुर, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री परागी लाल चौधरी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र हरगांव (अ0जा0), जिला सीतापुर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हरगांव जिला सीतापुर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री परागी लाल चौधरी वर्ष 1979 में पांच दिन के लिये सीतापुर कारागार में राजनीतिक बन्दी रहे थे। वे 25 वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे थे। श्री परागी लाल चौधरी जिला परिषद् सीतापुर के डिप्टी चेयरमैन तथा कार्यकारी चेयरमैन, जिला कांग्रेस कमेटी, सीतापुर के सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश के सदस्य रह चुके थे। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सदस्य एवं प्रबन्धक पदों पर आसीन रहे थे। सामाजिक कार्यों एवं जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री परागी लाल चौधरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू लाल विद्यार्थी का 17 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री बाबू लाल विद्यार्थी का जन्म 2 अप्रैल, 1937 को मुहल्ला हुमायूँपुर दक्षिणी, जिला गोरखपुर में हुआ था। श्री बाबू लाल विद्यार्थी वर्ष 1977 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र-बासगाँव (अ0जा0), जिला गोरखपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये। श्री बाबू लाल विद्यार्थी ने विद्यार्थी जीवन से ही जनसेवा के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे कई बार छात्र नेता भी चुने गये। वे सन् 1958 के गोरखपुर नगरपालिका के चुनाव में गोरखनाथ वार्ड से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में म्यूनिसिपल कमिश्नर चुने गये। उन्होंने 6 वर्षों तक नगरपालिका में रहकर नगर के हित के लिए अनेक कार्य किये। वे बहुत ही कम उम्र में नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसकी सराहना तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 पंडित नेहरू ने भी की थीं। वे अपने जिले की रविदास जयन्ती एवं अम्बेडकर जयन्ती समिति के संयोजक एवं संगठन मंत्री भी थे उनका सम्पूर्ण जीवन दलितों एवं गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित था। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी, जिस कारण उन्होंने एक वर्ष तक संगीत अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। श्री बाबू लाल विद्यार्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला का 28 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला का जन्म 20 जुलाई, 1928 को ग्राम सिंगोली पट्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र देव प्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने पशुबलि बन्द आन्दोलन, शराबबन्दी आन्दोलन आदि सामाजिक कार्यों में दृढ़ता से कार्य किया था। वे कई विद्यालयों के प्रबन्धक भी थे। उन्होंने दो पुस्तकें लिखीं थीं तथा दो पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया था। लिखने, पढ़ने एवं भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी का 3 फरवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी का जन्म 12 अक्टूबर, 1956 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई) तथा वर्ष 1991 एवं 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़, जिला बाराबंकी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र आन्दोलन तथा कांग्रेस के गन्ना किसान आन्दोलन में जिला कारागार, लखनऊ में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1983 तक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय छात्र संगठन की प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा वर्ष 1983 से 1985 तक उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस (आई) के प्रान्तीय कोषाध्यक्ष रहे थे। श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके थे। कृषि अध्ययन एवं समाज के विकास सम्बन्धी कार्यों मे उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देव कुमार यादव का 5 फरवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री देव कुमार यादव का जन्म 1 अक्टूबर, 1934 को ग्राम जाखी, जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री देव कुमार यादव वर्ष 1974 तथा 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी, 1985 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बबेरू, जिला बांदा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री देव कुमार यादव ने विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया था तथा जिला कारागार, बांदा एवं केन्द्रीय कारागार, उन्नाव में बन्दी रहे थे। वे विधान सभा की कई समितियों के सदस्य भी थे। वे पंडित जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, बांदा की कार्यकारिणी के सदस्य तथा किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पतवन के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 'माटी के गीत' नामक काव्य रचना प्रकाशित की थी। पत्रकारिता, लेखन, कानून, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री देव कुमार यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विद्या सागर नौटियाल का 12 फरवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री विद्या सागर नौटियाल का जन्म 29 सितम्बर, 1933 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विद्या सागर नौटियाल वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र देव प्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री विद्या सागर नौटियाल डी0आई0आर0 के अन्तर्गत नजरबन्द रहे थे। वे एक प्रसिद्ध कथाकार थे तथा जीवन भर किसान और ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं,

आकांक्षाओं व संघर्षों को अपने साहित्य के माध्यम से मुखरित करते रहे। लेखन तथा पर्वतारोहण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री विद्या सागर नौटियाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामदेव वर्मा का 7 मार्च, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे। श्री रामदेव वर्मा का जन्म 20 अगस्त, 1951 को हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0, बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामदेव वर्मा 1993 के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी, जिला फैजाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रामदेव वर्मा अखिल भारतीय कुर्मी मन्दिर एवं धर्मशाला रायगंज अयोध्या, फैजाबाद के मंत्री तथा कुर्मी महासभा और झिनका पटेल बालिका विद्यालय भरथुआ, फैजाबाद के सचिव थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामदेव वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी का 13 मार्च, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी का जन्म 5 अक्टूबर, 1938 को लालबाग, मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोकसभा सदस्य भी रहे थे। श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी, श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे मुरादाबाद के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के संरक्षक रहे थे। सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कुँवर देवेन्द्र सिंह का 16 मार्च, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। कुँवर देवेन्द्र सिंह का जन्म 30 अप्रैल, 1935 को साहनपुर, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 (आनर्स) व डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा ग्रहण की थी। कुँवर देवेन्द्र सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (बिजनौर) से निर्दलीय सदस्य के रूप में, वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (बिजनौर) से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर एवं वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र चाँदपुर जिला बिजनौर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। कुँवर देवेन्द्र सिंह विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य रहे थे। वे श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल में उपमंत्री थे। विश्व शान्ति के लिये उन्होंने थाईलैण्ड, हांगकांग, जापान और फिलीपीन्स की यात्रायें भी की थीं। वे राजा चरत सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, सहारनपुर (बिजनौर) तथा राजा भरत सिंह इण्टर कालेज, नांगल से सम्बद्ध रहे थे एवं बाल्मीकि कल्याण सभा के उप संरक्षक रहे थे। कुँवर देवेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महेश चन्द्र का 19 अप्रैल, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री महेश चन्द्र का जन्म 15 अप्रैल, 1955 को हुआ था। श्री महेश चन्द्र वर्ष 2009 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र बिधूना, जिला औरैया से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री महेश चन्द्र अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे वर्ष 2009-2010 में विधान सभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे थे।

समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री महेश चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल खालिक का 22 अप्रैल, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अब्दुल खालिक का जन्म 1 जनवरी, 1951 को अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अब्दुल खालिक वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़, जिला अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अब्दुल खालिक राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, अलीगढ़ में बन्दी रहे थे। वे सैफी जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धक, दरगाह शाहजमाल के प्रशासक तथा जिला वक्फ सब कमेटी के सचिव रहे थे। जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में उनकी विशेष रुचि थी तथा टेलीविजन देखना और समाचार पत्र पढ़ना उन्हें प्रिय था। श्री अब्दुल खालिक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कप्तान सिंह यादव का 24 अप्रैल, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री कप्तान सिंह यादव का जन्म 10 अक्टूबर, 1931 को ग्राम निजामपुर, तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कप्तान सिंह यादव वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र छिबरामऊ, तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री कप्तान सिंह यादव वर्ष 1989 में कैम्प कारागार, छिबरामऊ में धारा 144 तथा 188 के अन्तर्गत बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1971 से 1988 तक ब्लाक तालग्राम में ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे जिला फर्रुखाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष तथा समाजवादी पार्टी कन्नौज के जिलाध्यक्ष पद पर भी रहे थे। राजनीति, समाचार-पत्र पढ़ना एवं कृषि कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री कप्तान सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश का 28/29 अप्रैल, 2012 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री ओम प्रकाश का जन्म 17 अक्टूबर, 1945 को नैमिषारण्य, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ओम प्रकाश निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख, जिला सीतापुर से वर्ष 1989 में निर्दलीय सदस्य के रूप में तथा वर्ष 1993, 1996 एवं 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री ओम प्रकाश ने राजनीतिक आन्दोलनों में अनेक बार भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद, जिला कारागार, सीतापुर, लखनऊ तथा वाराणसी में बन्दी रहे थे। वे नगरपालिका परिषद् मिश्रिख तथा सीतापुर नगरपालिका परिषद् के चेयरमैन, उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष रहे थे। वे कृषक सेवा सहकारी समिति, नैमिषारण्य, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति, भरत मिलाप राज्याभिषेक उत्सव कमेटी सीतापुर, आर0एम0पी0 डिग्री कालेज एवं इण्टर कालेज, सीतापुर सहित अनेक धार्मिक संगठनों और संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे थे। धार्मिक कार्य, समाज सेवा एवं कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री ओम प्रकाश के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रभु नारायण सिंह का 9 मई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 93 वर्ष के थे। श्री प्रभु नारायण सिंह का जन्म 11 नवम्बर, 1919 को काशीपुरा, जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रभु

नारायण सिंह वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र सैदपुर, जिला वाराणसी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री प्रभु नारायण सिंह वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल गये। वे सन् 1948 से 1953 तक विधान परिषद् में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। वे सन् 1964 में पुनः उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में संसोपा के सदस्य निर्वाचित हुये। वे दूसरी व तीसरी लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। वे श्री चौधरी चरण सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री त्रिभुवन सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रि-मण्डल एवं श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। उनकी भ्रमण व खेलकूद में विशेष रुचि थी। श्री प्रभु नारायण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मंगल सिंह सैनी का 11/12 मई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे। श्री मंगल सिंह सैनी का जन्म 7 जुलाई, 1949 को ग्राम बम्बूगढ़, अमरोहा में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मंगल सिंह सैनी वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा, तत्कालीन जिला मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे। श्री मंगल सिंह सैनी ऑल इण्डिया सैनी सेवा समाज तथा आल इण्डिया सैनी सभा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वे बहुजन समाज पार्टी बरेली मण्डल के को-आर्डिनेटर रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। राजनीति और एकाउन्ट्स में उनकी विशेष रुचि थी तथा पर्यटन उन्हें प्रिय था। श्री मंगल सिंह सैनी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल चन्द का 15 मई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री लाल चन्द का जन्म 12 जुलाई, 1942 को ग्राम डेरा यूसुफ, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0, बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लाल चन्द निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर, जिला जौनपुर से वर्ष 1991 में जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लाल चन्द ने राजनीतिक आन्दोलनों में अनेक बार भाग लिया था। वे पार्टी द्वारा आयोजित आन्दोलनों के अन्तर्गत जौनपुर कारागार में बन्दी रहे। वे वर्ष 1988-89 में शान्ति पद-यात्रा तथा 1985-86 में कृषि उत्पादन मण्डी समिति के द्वारा आयोजित भारत भ्रमण कार्यक्रम के संयोजक भी रहे। वे भगवान गौतम बुद्ध उ0 मा0 विद्यालय, चम्बलतारा के संस्थापक एवं प्रबन्धक रहे थे। उन्हें बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन प्रिय था तथा सामाजिक सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री लाल चन्द के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुँचवा दूंगा।

अब मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दो मिनट का मौन धारण करें।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

भूतपूर्व सदस्य स्व0 श्री कन्हैया लाल सहित व कतिपय अन्य भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना समय से प्राप्त न होने पर कार्यवाही की मांग

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख की बात है, बड़ी वेदना है मैं कहने को मजबूर हूँ कि कैसा आपका सूचना विभाग है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य बोलने से पहले आज्ञा ले लीजिए।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, यह ऐसा विषय था, इतना संवेदनशील था कि मैं बिना आज्ञा लिये खड़ा हो गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी इस हाउस के सदस्य रहे हैं। 06 फरवरी, को उनका निधन हो गया। अक्टूबर से लेकर मई तक की सारी सूचनायें यहाँ पर आ गयी हैं। मेरे पिता जी 1962 से लेकर 1967 तक, 1969 से लेकर 1974 तक और 1980 से लेकर 1984 तक इस हाउस के सदस्य रहे, उनकी सूचना तक यहाँ पर नहीं आई है, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, इसके लिए आपके जिले के डी0एम0 से पूछताछ की जा रही है, यह सूचना क्यों नहीं भेजी गई इसके लिए उनसे एक्स्प्लनेशन भी कॉल किया जा रहा है। जैसे ही वहाँ से सूचना आ जायेगी हम लोग उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

जबकि यह कार्यक्रम में शामिल हुए थे उसके बाद भी यहाँ पर सूचना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष-

जब सूचना आ जायेगी तो जैसे आज हो रहा है वैसे ही उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो आपका सूचना तंत्र है, जिलाधिकारी या जिसके भी माध्यम से आपके पास सूचना आती है, यह दो-तीन महीने पहले की बात है फिर भी सूचना नहीं आ पायी है। हम तो कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए, यह कैसे छूट गये ? मान्यवर,. . .

(संसदीय कार्यमंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, अब बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छी तरह याद है आपने अपनी पीठ से कई बार नाराजगी का इजहार किया है। ऐसे वाकये पहले भी हुये हैं कि जिले की तरफ से यह सूचना नहीं आयी है। मेरे

ख्याल से यह बहुत दुःखद और बड़ी निन्दनीय बात है कि इतने वरिष्ठ सदस्य के निधन की सूचना न मिले। कड़े निर्देश जारी होने चाहिये और सरकार भी अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेगी कि आइन्दा ऐसी गलती न हो और जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए जवाब-तलब किया गया है।

कुँवर कौशल सिंह-

मान्यवर, हमारे बलिया जिले की भी सूचना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दे दीजियेगा, हम डी0एम0 से सूचना मँगवा लेंगे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(इसी बीच डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस सरकार की संवेदना को जाहिर करते हुए इस गम्भीर विषय पर आपसे आग्रह किया कि सरकार भी स्वयं करेगी और आप भी पीठ से इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने की कृपा करें। मेरा आग्रह है कि सरकार ने भी स्वयं आग्रह किया है इस सम्बन्ध में आज आप कोई निर्देश जारी कर देंगे तो कम से कम ऐसे जिलाधिकारियों को जिन्होंने इस प्रकार का दुःसाहस किया है उनको नसीहत मिलेगी। मेरा आग्रह है कि आप कोई निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये बाजपेयी जी, यह मेरे संज्ञान में आया था और जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा गया कि यह सूचना हमें मिली और आपने अभी तक हमें क्यों नहीं भेजी है। अब उनके बारे में बात मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कर दी है। हम फिर उनके विरुद्ध कोई कड़ा कदम उठायेंगे, आप शान्त रहें।

विधान सभा के सभी भूतपूर्व सदस्यों को परिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश के बाद क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उसी के बाद तो हम लोगों का समय आता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं आपका आभारी हूँ कि व्यवस्था का यह प्रश्न उठाने की आपने मुझे अनुमति दी और इस समय मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध निधन के निर्देश से ही उठा है। तकरीबन 35 मा0 भूतपूर्व सदस्यों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। अगर हम इन्हें बाँटने पर उतरें तो यह दो हिस्से में बाँटे जा सकते हैं इनमें कुछ मा0 सदस्य आपके माध्यम से मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराना चाहूँगा कि इनमें से कुछ सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें आज पारिवारिक पेन्शन नहीं मिल रही होगी और कुछ सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें पारिवारिक पेन्शन मिल रही होगी। क्योंकि हम लोगों ने पारिवारिक पेन्शन देने के लिए एक कट ऑफ डेट तय की है इसका सम्बन्ध हम लोगों से नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हमारे पूर्व विधायक होंगे...

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न कहाँ से है ?

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

चूँकि यह विषय अभी तुरन्त सदन में उठा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था प्रश्न कहाँ है, अभी जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तब कहें या किसी नियम में उठावें, यह कोई नियम नहीं है। किस नियम में आ रहा है बतायें।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, बात खत्म हो गयी अब क्या बचा, अब एक लाइन और बची है। मैं आग्रह करूँगा कि इस पर विचार होना चाहिये कि जो मा0 सदस्य पुराने बच गये हैं उन्हें भी पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाना चाहिये।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 मई, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें 13 सूचनायें स्वीकार की गयी-

पहली सूचना, श्री सुभाष की विधान सभा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत सिधौना मल्लाह टोला बस्ती में भयंकर आग लगने से हुई क्षति पर शासन द्वारा आवास एवं अधिक से अधिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना, श्री राधेश्याम की विधान सभा क्षेत्र हाटा कुशीनगर के अन्तर्गत सुकरोली बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र मे जीर्ण-शीर्ण हालत में हुई मार्गों को सी0सी0 मार्ग बनवाने एवं नालियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना, रविन्द्र भड़ाना की मेरठ जिले की काली नदी में छोड़े जा रहे फैक्ट्रियों एवं पशु वधशालाओं के अवशेष से प्रदूषित जल प्रदूषण एवं संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बध में है, पाँचवीं सूचना, श्री कुँवर कौशल सिंह की विधान सभा क्षेत्र नौतनवा जनपद महराजगंज के अन्तर्गत रोहिन नहर का बैराज टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में नकहा नं0-1 में उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना, श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के इलाही बाग पम्पिंग स्टेशन पर जल निकासी से हो

रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में शामली कस्बे को नया जनपद प्रबुद्धनगर बनाये जाने से लोगों में व्याप्त रोष को देखते हुए प्रबुद्धनगर का नाम शामली किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में आलापुर में सिंचाई विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि की लूट के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की विषम स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में गंगा के स्वच्छ निर्मल एवं अविरल धारा को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील बिलासपुर में ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा

(श्री संजय कपूर ने अपनी सूचना को पढ़कर सुनाया)

तेरहवीं सूचना दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के गभाना तहसील में सोमना मोड़ से खैर तक टूटा सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री पूरन प्रकाश की सूचनाएं नियमानुसार नहीं लिखीं गयीं थीं इसलिये अस्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत सिधौना मल्लाह टोला बस्ती में भयंकर आग लगने से हुई क्षति पर शासन द्वारा आवास एवं अधिक से अधिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के विगत एक सप्ताह पूर्व सिधौना मल्लाह टोला बस्ती में भयंकर आग लग गयी थी जिसमें लगभग 34 लोगों के पशु जल कर मर गये तथा मकान व मकान में रखी सारी वस्तुयें व अनाज जलकर राख हो गया। शासन द्वारा जो सहायता राशि दी गयी है वह बहुत ही कम है। लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं उनके पास रहने के लिये आवास नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोगों को रहने के लिये इन्दिरा आवास प्रकार का आवास एवं दैवीय आपदा राहत से अधिक से अधिक सहायता राशि दिलाये जाने एवं तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र हाटा कुशीनगर के अन्तर्गत सुकरौली बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा हाटा अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक गरीब लोग निवास करते हैं इस पिछड़े क्षेत्र में ग्राम सभा देवतहां क्षेत्र पंचायत सुकरौली बाजार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो करोड़ों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुपये की लागत से बना है किन्तु अब तक उक्त केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती नहीं की गयी जिससे स्थानीय लोगों को समुचित उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे लोगों को काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। डाक्टरों के अभाव में अस्पताल बन्द पड़ा हुआ है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती किये जाने की मांग करता हूँ।]

शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण हालत से हुई मार्गों को सी0सी0 रोड बनवाने एवं नालियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहाँपुर जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है की निम्न कुछ सड़कें कच्ची हैं जिसमें पानी भर जाता है। बरसात के समय में इन सड़कों पर निकलना मुश्किल होता है। कुछ में नालियां न होने से तथा कुछ में सफाई न होने के कारण इन सड़कों पर नाली का पानी भर जाता है। इसलिये आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही इनमें से कुछ सड़कों पर खड़न्जा पड़ा है जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है इन सभी पर सी0सी0 मार्ग बनना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निम्न मार्गों को नाली सहित सी0सी0 रोड बनवाने की माँग करता हूँ।

(1) मोहल्ला सराय काइयाँ में मुख्य मार्ग की पुलिया के पूर्व की ओर जाने वाला रास्ता 400 मी0 कच्चा है।

(2) मो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती ग्रीन वैली स्कूल से मिला हुआ 300 मी0 कच्चा रास्ता विशाल कश्यप के घर तक।

(3) मो0 गदियाना में मंजीत सिंह के मकान से मिला हुआ कच्चा रास्ता 200 मी0 तथा बुद्धसेन के मकान से रामसनेही तक 150 मी0 तथा रामशंकर शर्मा के मकान से आगे तक 100 मी0 ब्राहमणों की बस्ती तक।

(4) मो0 रेती के बालेश्वर के सामने वाला रास्ता।

(5) मो0 बाबूजेई बेरी चौकी के सामने वाली गली बरवारो वाली गली 100 मी0।

(6) मो0 बक्सरिया बाबू होटल से जवाहर रस्तोगी के मकान तक 200 मी0।

(7) मो0 लोधीपुर में खजुरिया वाली बस्ती 60 मी0]

मेरठ जिले की काली नदी में छोड़े जा रहे फैक्ट्रियों एवं पशु वधशालाओं के अवशेष से प्रदूषित जल प्रदूषण एवं संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[मान्यवर, मेरठ जिले से होकर गुजर रही काली नदी में मेरठ महानगर के नाले गिरते हैं। आस-पास की समस्त फैक्ट्रियों का कचरा व गन्दा पानी इस नदी में गिरता है तथ ग्राम घोसीपुर स्थित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर निगम कमेला का गन्दा पानी व खून रंजित पानी तथा कचरा इसमें छोड़ा जा रहा है जिसके कारण इस नदी के किनारे बसे जलालपुर, काजीपुर, घोसीपुर, कुठला, अल्लीपुर, पीपली खेड़ा, कोल आदि समीप के जानवर एवं मनुष्य संक्रामक बीमारी के चपेट में हैं। इस नदी के आस-पास के गाँव में नलों से पीने का पानी भी प्रदूषित है जिसके कारण लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। जनहित में इस नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु मेरठ के नागरिक आन्दोलन एवं धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं परन्तु आज तक जिला प्रशासन अथवा शासन स्तर से इस काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार की उपेक्षा से जनता में क्षोभ एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरठ जिले की काली नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र नौतनवा, जनपद महराजगंज के अन्तर्गत रोहिन नहर वैराज टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर कौशल सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नौतनवा जनपद महराजगंज के अन्तर्गत रोहिन नहर प्रणाली एवं डाण्डा नहर प्रणाली की दो नहरें हैं, रोहिन नहर प्रणाली का बैराज टूट जाने से और उसको अब तक निर्मित न होने से रोहिन नहर से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में 20 मई, से धान का बीज गिराकर धान के पौध की तैयारी प्रारम्भ हो जाता है, परन्तु रोहिन नहर से अब तक पानी न मिलने से और डाण्डा नहर से भी अब तक पानी न मिलने से किसान धान की खेती में पिछड़ता जा रहा है जिससे हमारे क्षेत्र के हजारों किसानों में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है। यह अविलम्बनीय व लोकमहत्व का विषय है।

अतः आपसे आग्रह है कि नियम-301 के अन्तर्गत विषय उठाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।]

गोरखपुर महानगर में नकहा नं0 1 में उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[गोरखपुर महानगर में गोरखपुर नौतनवा रेलवे लाईन के गुजरने से बहासर की एक बहुत बड़ी आबादी का परस्पर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दी है। इस कारण महानगर में लाखों की संख्या में नागरिकों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मीलों घूम कर जाना पड़ता है और इस कारण अनावश्यक रूप से अत्याधिक जाम की स्थिति बनी रहती है।

प्राथमिक तौर पर गोरखनाथ के करीब 1 लाख, रामनगर के 15000, पंचपेड़वा के करीब 36000, रामजानकीनगर के 26000, नकहा नम्बर-1 के 21000, रानीनगर के 25000, घोषीपुरवा के 13000, गंगानगर, इन्द्रप्रस्थपुरम्, गायत्रीनगर के 15000, मानकेला के 20000, फत्तेपुर के 5000, केवटिया, शास्त्रीनगर, शास्त्रीपुरम् में 25000, राजेन्द्रनगर के करीब 25000 (कुल मिलाकर करीब) 3 लाख नागरिकों का जीवन पूरी तरह दूभर हो गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस असहज स्थिति को समाप्त करने के लिये नकहा नम्बर-1 पर एक नये उपरिगामी सेतु का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ने सेतु के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये अ0शा0प0 संख्या 23(9)/23-11-2012 दिनांक 13-04-12 के माध्यम से उ0प्र0 राज्य सेतु निगम को परीक्षणोपरान्त आवश्यक आख्या उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया था। सेतु निगम की गोरखपुर इकाई ने प्रत्रांक 470/जन प्रतिलिपि/12-13 दिनांक 11-05-2012 के माधम से यह लिखित रूप से अभिमत जाहिर किया है कि ''प्रस्तावित उपरिगामी सेतु पर लेविल क्रासिंग नहीं है अतः क्षेत्रीय आबादी रेल लाईन पर बिना बाधा के आवागमन करते हैं तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। यह उपरिगामी सेतु क्षेत्र की स्थिति तथा भविष्य के ट्रैफिक घनत्व को देखते हुये, नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है।''

अतः लोकमहत्व के इस सुनिश्चित विषय तथा दूसरी अविलम्बनीयता को देखते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत इस विषय से सदन में उठाने तथा शासन को सदन पटल पर जवाब रखने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद गोरखपुर के इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन पर जल निकासी से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन पर जल निकासी से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

गोरखपुर के इलाहीबाग में शहर के घनी आबादी का पानी लगभग 4 कि0मी0 एरिया धर्मशाला, कप्तानगंज पुलिया डी0ए0पी0 डिग्री कालेज के पीछे होते हुए मखनिया पुल से इलाहीबाग पम्पिंग स्टेशन पर पानी आता है जो बरसात के समय में काफी भयंकर जल जमाव का रूप ले लेता है इस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं यह गोरखपुर शहर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोगों को बरसात के समय में जल-जमाव की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं यहाँ जल-जमाव के सापेक्ष पावरपुल लिफ्टींग मशीन लगाया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर शामली कस्बे को नया जनपद प्रबुद्ध नगर बनाये जाने से लोगों में व्याप्त रोष को देखते हुए प्रबुद्ध नगर का नाम शामली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज मलिक-

[महोदय, पिछली सरकार द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना व शामली को मिलाकर नये जिले का सृजन किया गया था। वहाँ आज तक मुख्यालय का निर्माण नहीं हुआ है और न ही जनता स्तर की कोई व्यवस्था हुई है। पिछली सरकार जिले का नाम प्रबुद्धनगर रखा गया है, जिससे वहाँ के नागरिकों में रोष व्याप्त है। शामली कस्बा एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक कार्यक्रम हुए हैं। आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। स्व0 चौधरी मोहर सिंह जैसे अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। शामली के इतिहास एवं उसके योगदान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अतः शामली को नया जनपद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रबुद्धनगर बनाये जाने से लोगों में व्याप्त रोष को देखते हुए नये जनपद प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर पुनः शामली किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से जनपद प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर पुनः शामली किये जाने के लिए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र में आलापुर में सिंचाई विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि की लूट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में ब्रम्हचारी की कुटी से माझा कम्हरिया तक बन्धे की मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों से लगातार कागजों पर की जा रही है और शासकीय धनराशि की लूट की गयी है। यही नहीं मेरे क्षेत्र में निकली नहर की सिल्ट सफाई के नाम पर स्थानीय सिंचाई विभाग के अभियंताओं द्वारा फर्जी रूप से बगैर कार्य कराये भुगतान विगत पाँच वर्षों से अब तक लगातार लिया गया है जबकि नहर की सफाई व मरम्मत कभी नहीं हुई है। सिंचाई विभाग के कार्यों में पाँच वर्षों के कार्यकाल में खूब लूट हुई है। कोई कार्य नहीं हुआ है। अधिशासी अभियंता से लेकर सहायक, अवर सभी लोग मिलकर पद का दुरुपयोग किये हैं इससे जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तत्काल शासकीय धन की लूट करने वाले अभियन्ताओं को हटाकर उच्च स्तरीय जाँच कराने एवं इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करने का निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के बेरिया विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की विषम स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बेरिया जनपद बलिया में बाढ़ पीड़ित काफी परिवार गाँव छोड़कर तुर्तीपार, श्रीनगर बन्धा पर (टी0एस0 बन्धा) पर अगल-बगल के गांवों के हजारों की संख्या में लोग शरण लिये हुए हैं। इसी प्रकार से अन्य भी काफी लोग शरण लिए हुए है, इन्हें सरकार की तरफ से सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। यह परिवार भुखमरी से पीड़ित है और उनके पास न रहने के लिए व्यवस्था है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं न तो इनके पास खाने की सामग्री है और न ही इनके पास राशन कार्ड ही बना है इससे यह हजारों परिवार अपने बच्चों की न तो शादी कर पा रहा है और नहीं पढ़ा लिखा पा रहा है। मेरे द्वारा बार-बार जिला प्रशासन को लिखे जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। बलिया-बैरिया बन्धा पर भी काफी संख्या में परिवार अगल-बगल के गाँवों से आकर विस्थापित के रूप में बसे हुए हैं उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है तत्काल इन्हें भी सारी सुविधायें दी जायें। यह गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में गंगा के स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल धारा को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय, गंगा के स्वच्छ, निर्मल अविरल धारा के लिए वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में जन आन्दोलन चल रहा हैं साधू समाज के साथ ही मुस्लिम, सिख और समस्त समाज के लोग गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए आन्दोलित हैं। गंगा की अविरल धारा को कहीं बांध बनाकर रोका जा रहा है तो कहीं प्रदेश के कानपुर सहित कई जिलों के कारखानों के दूषित जल और रसायनयुक्त जल की को गंगा नदी में गिराकर उसे प्रदूषित किया जा रहा है साथ ही नगर निगमों के सीवर का पानी बिना ट्रीटमेन्ट किये डायरेक्ट गंगा नदी में गिराया जा रहा है। इससे पवित्र गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। गंगा के पवित्रता को बनाये रखने एवं प्रदूषण से बचाने हेतु प्रदेश विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आन्दोलन किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ इस नदी पर पुल नही है जिसके कारण बरसात में 40-50 ग्रामों का जिला मुख्यालय से आवागमन वाधित हो जाता है। इस पुल का आगणन शासन में काफी लम्बे समय से लम्बित है। इस पुल के न बनने से जनता में रोष व्याप्त है इस पुल के निर्माण की मांग जनता द्वारा काफी समय चली आ रही है।

मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-अलीगढ़ की गभाना तहसील में सोमना मोड़ से खैर तक टूटा सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ठा0 दलवीर सिंह-

[जनपद-अलीगढ़ के गभाना तहसील में सोमना मोड़ से खैर तक बने सम्पर्क मार्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा सोमना मोड़ से बीरपुरा तक जो पक्की सड़क नाम मात्र की बची है जिसमें काफी गहरे-गहरे गढ्ढे हो चुके हैं जबकि यह मार्ग जनता के लिये दिल्ली एन0एच0-91 मार्ग से जेवर टप्पल जाने वाले मार्ग को जोड़ता है, जहां से होकर बड़े एवं छोटे वाहन निकलते हैं जिनका सही सलामत गन्तव्य स्थान तक सही सलामत पहुंचना बड़ा जोखिम पूर्ण कार्य है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस मार्ग की वर्षा पूर्व मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 मई, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 286 के अन्तर्गत पालनीय नियमों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, कुँवर भारतेन्द्र सिंह, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी डा0 अरुण कुमार तथा श्री रामचन्द्र यादव की विधान सभा के बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय का चुनाव निष्पक्ष कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 286 के अन्तर्गत पालनीय नियमों का अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन की कार्यवाही कैसे सुनियोजित ढंग से चले इस पर आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर ग्राह्यता के संदर्भ में बोलने का निर्देश दिया है। मान्यवर यह बहुत पवित्र पावन मंदिर है इबादतगाह है, मान्यवर, यहां जो कुछ होता है प्रतिफल, प्रतिक्षण लिखा भी जाता है और पूरे प्रदेश और देश की नजर भी रहती है। मान्यवर, यह देश की सबसे बड़ी विधान सभा है यहां जो कुछ भी होता है वह सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए ही नजीर नहीं बनता बल्कि मैं सच कहूं तो वह सामान्य जन के लिए भी बन जाता है। इस प्रश्न को उठाने के पीछे मेरी मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है। बहुत ही साफ नीयत है और वह यह है कि भविष्य में विधान सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से चल सके ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें, और जो समय है उसके एक-एक पल का सही उपयोग नियमानुसार हो सके। इसी आशय से मैं यह लाया हूं। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह भारत का संविधान है इसके अनुच्छेद 168 (1) के अन्तर्गत इस सदन का जन्म होता है और यह सदन उसी लड़ाई, उसी संघर्ष का प्रतीक है जो सैकड़ों साल हमने लड़ी और देश का प्रजातंत्र पाया। उसी में उसी संविधान से एक नियमावली सृजित होती है जो संविधान द्वारा आच्छादित है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार बनती है। उसी नियमावली से इस सदन की कार्यवाही व्यवस्थित होती है। इसके दो नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। नियम 63 जिनमें हर सदस्य मान्यवर आपको ही नहीं नेता सदन को ही नहीं, नेता विरोधी दल को ही नहीं, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को ही नहीं बल्कि हर सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके अधिकार सुरक्षित रखें जायं।

लेकिन उसके अधिकार सुरक्षित रखें इसकी एक पूरी जिम्मेदारी किसी एक पर है तो मान्यवर मुख्यतया आप पर है क्योंकि आप इसके संरक्षक हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज तक जो कुछ हुआ वह अपनी जगह है लेकिन भविष्य में हमारे अधिकार सुरक्षित रहें इसके लिये मैं यह प्रश्न लाया हूं। मान्यवर, इसी नियमावली का अध्याय 20 और नियम 286 देखने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लें और मुझे अनुमति दे दें कि मैं पढ़ दूं। मान्यवर, सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम। क्या नियमों का पालन हो वह इमसें पूरी तरह से दिया गया है। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये आपने प्रयास किया दो दिन तक आपने सबको बुलाया, इतने भाषण भी कराये और सबको सुनाया भी। लेकिन मान्यवर, क्या हमने इसका पालन किया ? और मेरी चिन्ता है कि भविष्य में इसका पालन हो मान्यवर, सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम, इसका नियम-2 देख लें। किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेंगे। मान्यवर, फिर जब सदन में कोई बोल रहा हो तो सब शांत रहें और तीसरा मान्यवर, कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे। मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे। चीत्कार नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं इसको फिर से पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

चीत्कार नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे। जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों तो साथ-साथ उस पर टीका नहीं करेंगे। मान्यवर, कल से तीन बार मैं अपना टी0वी0 बन्द कर चुका हूं। जब मैं देखता हूं सदन की कार्यवाही के बारे में उसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है मान्यवर, ऐसा लगता है कि यहां हम सब सम्मानित सदस्य नहीं बैठे थे बल्कि जैसे हम यहां हुडदंग करने के लिये बैठे थे। अखबारों में भी आज देख लीजिये मान्यवर, जो कुछ है मैं उसको कह नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि इस सबका अवसर किसने दिया ? यह हमने दिया और मान्यवर, आज जो हमारी व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं थी। कल महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जब यहां आये वह भी मान्यवर, एक नियम है, संविधान के रूप में आते हैं और जब सदन की पहली बैठक आहूत होती है तो उसको संबोधित करते हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का बड़ा पूज्यनीय पद है, आदरणीय पद है, गरिमामय पद है वह प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं उनका तो सभी को आदर करना चाहिए। मान्यवर, उनका किसी से विरोध नहीं हो सकता पर जब वो अभिभाषण पढ़ते हैं मान्यवर, तो वह सरकार की रीति-नीति, उसका आइन होती है और उसी के हिसाब से बाद में बजट आता है, बजट में उसका प्राविजन होता है। हम उनकी बात से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं और इसीलिये संविधान में यह छूट है कि अगर हम उनके अभिभाषण में कोई चीज जुड़वाना चाहें तो हम संशोधन के रूप में कह देते हैं कि इसको जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, हमको यह पूरा अधिकार है कि हम उस समय खड़े हो जायं और हम अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करें अगर आप अनुमति दे दें तो दें और अगर न दें तो हम व्यवधान नहीं कर सकते लेकिन मान्यवर, बहुत ही ऐसी परिस्थिति आ जाय तो इस वेल में आने की भी परम्परा रही है। मान्यवर, मैं इसे नहीं कहता कि नहीं रही। लेकिन मान्यवर मुझे दुःख सिर्फ एक बात का है, शर्म सिर्फ एक बात की है कि महामहिम राज्यपाल सिर्फ एक दिन के लिये आते हैं उनको आप बैनर दिखाइये दिखा दीजिये लेकिन उन पर गोले फेंकिये उन पर आब्जेक्ट फेंकिये। उन पर गोले फेंकिये और फेंक कर कहिये आप और पूरे सदन की बदनामी हो। पूरे सदन की इज्जत और पूरा राज्य कलंकित हो। करें कुछ लोग और उत्तर प्रदेश के सदन की गरिमा नष्ट हो। मान्यवर, मुझे पीड़ा है, मुझे दुख है, जिसके द्वारा हो, मैं इतने दिनों से सदन में आता हूं मैं किसी एक की बात नहीं करता, यह जब भी हो, जहां भी हो, मैं उसकी निन्दा करता हूं। मान्यवर, प्रजातंत्र इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि हम अपने आप से सबक सीखें। जो कुछ हुआ उसको एक दुःखद अध्याय के रूप में लें।

समझें और समझकर मान्यवर, कम से कम उसको भविष्य में न करने का निर्णय लें। इसी आशय से मान्यवर, यह प्रश्न लाया गया है और मैं तो यह कहूंगा कि यह गम्भीर विषय है। विशेषाधिकार का। यहां हमारे बहुत से सदस्य जो हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के संशोधन देना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे थे संशोधन देना चाह रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बैठे रहे, स0पा0 के भी रहे होंगे अपना दल के सदस्य रहे होंगे, लोकदल के सदस्य रहे होंगे संशोधन देना चाहते रहे होंगे तो क्या मान्यवर, इसकी इजाजत आप देंगे कि महामहिम राज्यपाल सदन में आयें तो उन पर गोलें फेंके जायं। उन पर आब्जेक्ट फेंके जायं और मान्यवर, मेज पर चढ़कर कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जाय।

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और भविष्य में आपसे आग्रह करूंगा जो आप जरुरत समझें वह करें लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक, याचना पूर्वक निवेदन है कम से कम ऐसा न करें, क्योंकि इस सदन का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है इसलिए ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ियां इसे कलंकित इतिहास के रूप में याद करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है मैंने उसकी ग्राह्यता पर विचार किया, उसको सुना, माननीय तिवारी जी, यह नियमावली है और नियमावली के नियमों को मानने के लिए सभी सदस्यगण बाध्य हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी बात आ जाती है, हमें सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वह भविष्य में नियमानुकूल आचरण करें, जो हमारे नियमों में है, नियम-286 में है जिसको मानने की हमारी बाध्यता है उसके अनुरूप हम आचरण करें। इस निर्णय के बाद मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा के बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय का चुनाव निष्पक्ष न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना है डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की, और हुकुम सिंह जी की।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आग्रह करूंगा कि इसको अलग-अलग ले लें।

श्री अध्यक्ष-

इनकी सूचना क्या है देख लें, दोनों एक साथ बोल लें। आज बहुत भाषण होना है।

श्री हुकुम सिंह-

एक साथ नहीं बोल पाएंगे। दो-दो मिनट दोनों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों एक ही बात बोलते हैं एक ही भाषा बोलते हैं कोई अलग तो बोलता ही नहीं है।

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सदन के इस पहले दिन में ही जो प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने औचित्य के प्रश्न के रूप में मुझे उठाने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवसर दिया। मान्यवर, दो घटनायें एक साथ हो रही हैं 28 मई को सदन भी आहूत किया गया और यह वर्षाकालीन या शीतकालीन सत्र नहीं है यह सदन का बजट सत्र है। इसमें सरकार अपनी नीतियों की घोषणा करेगी, सरकार अपनी योजनाओं को प्रकाशित करेगी, सरकार बहुत सारे विभागों के अनुदानों को लेकर आएगी, बहुत सारे नागरिकों को बहुत सारी छूट मिलेगी, बहुत सारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में नई योजनायें लाई जाएंगी। 28 मई को यह सदन बुलाया गया 26 मई को पूरे प्रदेश में एक-दो अपवाद जनपदों को छोड़ दिया जाए, तो पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम, सभी नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज, की संख्या छोटी नहीं है यह बहुत बड़ी संख्या है यह संख्या किसी क्षेत्र में नहीं है पूरे प्रदेश में है चुनावों की घोषणा कर दी गई है, अभी हम लोकतंत्र सेनानियों की रक्षा की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आजादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा बलिदान किया हम उन लोगों में नहीं हैं कि कोई सही काम करता हो तो हम उसका विरोध करें। तत्कालीन सरकार ने यह घोषणा की कि इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाएगा, लोकतंत्र सेनानी माना जाएगा तो हम लोगों ने भी सदन में कहा, कि इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। प्रश्न यह है जब उस कार्य को प्रशंसनीय कहा जाएगा और यह कार्य जो सदन में हुआ जिसके माध्यम से लोकतंत्र में एक अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप पैदा किया जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे । भारत की पहचान पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया भारत के इस लोकतंत्र को आश्चर्य की नजर से देखती है। इतना बड़ा देश है इतनी विभिन्नतायें हैं, इतनी समस्याओं के बीच भारत एक है तो वह इसलिए कि भारत का हर एक नागरिक इस बात का एहसास करता है कि लोकतंत्र में हम प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते हैं और जब हम प्रभावी हस्तक्षेप की बात करते हैं तो माननीय अध्यक्ष इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम लोकसभा के सांसद चुनते हैं, हम विधान सभा के विधायक चुनते हैं। बल्कि प्रभावी हस्तक्षेप का अर्थ यह भी होता है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद जमीनी धरातल से प्रत्यक्ष जुड़कर काम करने वाले स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी चुनते हैं सबका महत्व बराबर है ऐसा नहीं है कि लोकसभा का महत्व बड़ा होगा, विधान सभा का उससे कम होगा और स्थानीय निकायों का उससे कम होगा। तीनों अपनी-अपनी जगह पर सबल हैं, तीनों की अपनी-अपनी नियमावलियां हैं और तीनों का समाज निर्माण में और देश निर्माण में समान रूप से योगदान है। इसलिए हम किसी एक को बढ़ करके और किसी एक को कमतर करके नहीं देख सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों पर विश्वास करने वाली सरकार है।

डा0 राम मनोहर लोहिया क्या कहते थे, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में हस्तक्षेप करना, राजनीति में हिस्सेदारी करना, राजनीति में अपने विचारों का प्रसारण करना, राजनीति में नागरिकों को अपने विचारों के अनुरूप ले जाने का प्रयास करना, यही लोकतंत्र की जान है। अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि यह पूजा का घर है, सत्य है, यह पूजा का घर है। अगर यह पूजा का घर है, तो इस लोकतंत्र के हम वही पुजारी हैं, जो विभिन्न धर्मावलम्बियों के मन्दिरों और मस्जिदों में धर्म-गुरुओं का स्थान होता है और बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और दो चीजें हो जाने के नाते, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के सामने बड़ी असहज स्थिति है। यह सदन महत्वपूर्ण है, इस सदन पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, पूरे प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन्हें हम सदन में रखना चाहते हैं, इस सदन को छोड़ करके हम लोग नहीं जा सकते। यह सरकार जो कहते हैं कि इस सदन को हम पूरे कार्यकाल तक चलाना चाहते हैं, लम्बे समय तक चलाना चाहते हैं, हम विधायकों का भी दायित्व होता

है कि हम इस सदन में लगातार उपस्थित रहें, अपनी सहभागिता करें, सरकार के गलत कामों का विरोध करते हुए सरकार को सही दिशा देने का प्रयास करें। दूसरी चीज, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, नागरिक अपेक्षा करते हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है, इस चुनाव के दौरान हमारे बीच में होंगे, वह लोग जो कर रहे होंगे, सरकार की जो नीतियां होंगी, उनको हमारे बीच में रखेंगे और कार्यकर्ताओं को हमारे बीच में ले करके आयेंगे, उसके आधार पर हम निश्चित करेंगे कि हम जिस प्रकार के जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। लेकिन एक गंभीर स्थित है, हम सदन के प्रति गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने नागरिकों के प्रति भी लापरवाह नहीं हो सकते। हम सदन में भी उपस्थित रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आपको उस चुनाव से भी अनुपस्थित नहीं रख सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, इस समय प्रदेश के सामने जो समस्या पैदा हो गयी, एक संकट की स्थिति पैदा हो गयी, अभी कुछ दिनों पूर्व पूरे प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव आयुक्त ने घोषणा किया, एक बयान दिया कि भारत सरकार कोई बजट सत्र नहीं बुलायेगी, जब तक चुनाव नहीं हो जाते और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, लोकसभा का बजट सत्र करीब-करीब बुलाया जा चुका था, पहली बार हुआ जब चुनाव के दरम्यान लोकसभा के सत्र को स्थगित कया गया और चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार ने बजट सत्र बुलाया अर्थात् भारत का चुनाव आयुक्त इस बात को कहता है कि जब विधान सभाओं के चुनाव हो रहे हों, तब लोकसभा का सत्र न बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त यह कहने के लिए बाध्य होगा, यदि परम्परा वहीं की है, अगर यहां दूसरी चुनाव व्यवस्था है तो बात दूसरी है, अन्यथा आदर्श चुनाव संहिता वही है, जो दिल्ली के स्तर पर लागू होती है, वही यहां भी लागू होगी कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बयान यह आया कि इस चुनाव के दौरान सरकार स्थानीय निकायों से सम्बन्धित किसी विषय पर किसी योजना की घोषणा नहीं करेगी। इसका मायने क्या है ? हमने आदर्श चुनाव संहिता लागू नहीं की, हमने अधूरी आदर्श चुनाव संहिता लागू की है। पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार किसी भी विभाग से सम्बन्धित किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकती। आप खुद सोचिए, व्यापार कर विभाग का बजट प्रस्तुत होगा, व्यापारियों को व्यापार-कर में छूट दी जा सकती है, उन चीजों के बारे में बताया जा सकता है कि हमने टैक्स कम कर दिए, क्या इसका असर नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में या टाउन एरिया के चुनाव में नहीं पड़ेगा ? बहुत सारे विभागों के बजट प्रस्तुत होंगे, ग्रामीण योजनाएं प्रस्तुत होंगी, लोक निर्माण के पुल बनेंगे, क्या इनका असर आने वाले चुनावों पर नहीं पड़ेगा ? इसलिए जब तक यह चुनाव होता है, तब तक हमारे पास दो ही रास्ते हैं या तो इस बजट सत्र के लिए हम कोई रास्त निकालें, आज हम यहां बैठ चुके हैं, महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, हम कोई बीच का रास्ता निकालें, सदन को बीच में स्थगित किया जाए और चुनाव करा लिया जाए, हम दोनों इकट्ठा हो सकते हैं और जितने दिन आप सदन चलाना चाहें, हम सब सदन में सहभागी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बजट प्रस्तुत न होने से सरकार के ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो आगामी दिनों के अंदर आप कोई छोटा सा लेखानुदान लाइये, एक-आध महीने के लिए वित्तीय व्यवस्था कर लीजिए या दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं। जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो एक त्यौहार बीच में पड़ गया, तो त्यौहार के नाते उस चुनाव को स्थगित किया गया। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अगर देश का चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना के बाद उस चुनाव को स्थगित कर सकता है तो

यह तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। अधिसूचना के बाद यह चुनाव स्थगित किया जा सकता है। विधान सभा के सत्र के बाद यह चुनाव पूर्ण कराये जा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनमें से कोई एक रास्त इनको चुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बस कीजिए, थोड़ा हुकुम सिंह जी के लिए छोड़िये।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान सदस्य डा0 अग्रवाल ने जो तर्क दिये हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि उनके सभी के बहुत सारगर्भित थे।

नगर विकास (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

और उनको पहले बुलवाइये।

* श्री हुकुम सिंह-

मैंने आपकी राय नहीं ली गलती कर दी।

(हँसी)

मान्यवर, किसी भी निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। यह चुनाव का दर्शन है कि जो हमारे सब प्रत्याशी है और जो हमारे सब दल हैं उनको समान अवसर मिलना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सत्ता में बैठे हुए हैं सत्ता में बैठकर हम प्रलोभन दे सकें, लालच दें सकें, और उसके बाद हम यह उम्मीद करें कि चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। मान्यवर, यह संभव नहीं है। इस हेतु एक आचार संहिता बनी जिसे मॉडल कोड आफ कन्डक्ट कहते हैं और मॉडल कोड आफ कन्डक्ट किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है। जितने दल यहां पर बैठे हुए हैं और इससे भी अलग दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर, सबकी सहमति से वह बना है। उस पर सबके हस्ताक्षर है। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है उस पर सबके हस्ताक्षर हैं। जब उस पर सबके हस्ताक्षर हैं तो उसमें जो अपेक्षा की गयी है तो उन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें चलना होगा। अगर उसका उल्लंघन हो तो यह संदेश देता है कि हम उस दर्शन को छोड़ रहे हैं और हम प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मान्यवर, कोड आफ कन्डक्ट की दो पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं। यह सरकार के लिए है-"शेल नाट एनाउंस ऐनी फाइनेंशियल ग्रान्ट इन ऐनी फार्म और प्रोमिस देयर आफ और नो फाउंडेशन स्टोन एक्सेट्रा और प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स आफ ऐनी काइंड मेक ऐनी प्रामिस आफ कन्स्ट्रक्शन आफ रोड्स, प्रोविजन आफ ड्रिंकिंग वाटर फैसेलिटीज एक्सेट्रा। यह मान्यवर, कोड आफ कन्डक्ट है। इसमें अगर बजट आएगा बजट का भाषण भी होगा। हम उसमें घोषणा करेंगे कि अमुक वर्ग के लिए हम यह सुविधा करेंगे उस वर्ग को लगेगा कि हमारे लिए कुछ सुविधा दी जा रही है निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। अगर हम निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है।

मान्यवर, इसमें आगे भी कहा गया है, अपने आप ही निर्वाचन आयोग ने सवाल किया-"वेदर ए मिनिस्टर और ऐनी अदर अथारिटी केन अनाउंस ऐनी फाइनेन्शियल ग्रान्ट इन ऐनी फार्म विद प्रामिस देयर आफ और नो फाउन्डेशन स्टोन्स एक्सेट्रा प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स आफ ऐनी काइंड एक्सेट्रा।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलेक्शन कमीशन ने कहा नो, "मिनिस्टर्स एनदर एथारिटी शेल नाट एनाउंस ऐनी फाइनेन्शियल ग्रान्ट्स इन ऐनी फार्म और प्रामिसेस देयर आफ नो फाउंडेशन स्टोन्स प्रोजेक्ट आफ स्कीम्स आफ ऐनी काइंड और मेक ऐनी प्रामिस आफ कन्स्ट्रक्शन रोड एक्सेट्रा।" तो यह पाबंदी है, यह पाबंदी किसी और ने नहीं लगायी यह पाबंदी हमने आपस में लगा रखी है। हमने सहमति देकर इलेक्शन कमीशन में कहा कि हम इससे सहमत हैं।

यहां पर बजट के बहाने दुनिया भर की हम घोषणायें करें, तो फिर चुनाव निष्पक्ष कहां से हो जायेंगे मान्यवर, नहीं होंगे न। मान्यवर, हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे सबको लगे कि नहीं बराबर का व्यवहार सबके साथ में हो रहा है, यह बराबर का व्यवहार तो सबके साथ नहीं हो रहा है। मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका और माननीय सदन का भी। मान्यवर, एक स्थिति आप देखेंगे और मजबूरी भी है सरकार की मैं उसमें सरकार का दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक मिनट में पॉवर जेनरेशन हो नहीं जाने का, नई व्यवस्था हो नहीं जाने की, भारी किल्लत है, शिद्दत की गर्मी है पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा है बिजली के लिए। ठीक है हमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि जब यह तुरन्त व्यवस्था नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते और व्यवस्था करनी थी आपको तो आप खरीद सकते थे, लेकिन मान्यवर, जो भेद-भाव आगे हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में चौबीस घण्टे बिजली चमकेगी, कुछ क्षेत्रों के किसानों को 14 घण्टे बिजली मिलेगी और कुछ क्षेत्र के किसान दो-दो घण्टे के लिए तरसेंगे मान्यवर, तो क्या संदेश जायेगा, क्या यह बराबर का व्यवहार है सबके साथ में। जहां मेरी नगर पालिका है, मेरा टाउन एरिया है।

मान्यवर उसमें अंधकार छाया रहे और मेरी बराबर वाली म्युनिसपिलिटी में रोशनी छाई रहे, क्योंकि वह किसी मंत्री की म्युनिसपिलिटी है एक सत्ता पक्ष की म्युनिसपिलिटी है, तो क्या संदेश जायेगा मान्यवर, क्या मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि चुनाव कराने हैं। तो समान व्यवहार होना चाहिए। मान्यवर, केवल एक मिसाल आपके सामने रखूंगा, आप शक्तिशाली हैं, आप सत्ता में हैं, आपके बहुत से लोगों ने डबल ग्रुप की स्वीकृति करा ली, वहां 12 घण्टे, 14 घण्टे बिजली चल रही है। संयोग से मैं विद्युत मंत्री रहा मान्यवर और 12 तारीख में शपथ हो गई हम लोगों की विधायक के रूप में, मेरी इच्छा थी कि मैं भी जाकर के शक्ति भवन को देख लूं, मैं चला गया, सी0एम0डी0 का कार्यालय मैंने देखा, चमचमाता हुआ कार्यालय था, लेकिन मेरे पूर्व से दो सज्जन वहां बैठे थे, शायद बैठे होंगे मेरे सामने आज भी वह, मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, मेरा पूर्व परिचय नहीं था, बड़े सज्जन थे, बड़ा सम्मान दिया उन्होंने मुझे भी और जैसे ही सी0एम0डी0 से बात उनकी हुई और सी0एम0डी0 से कहा कि मेरे क्षेत्र में डबल ग्रुप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा सर आप तो इतने सक्षम हैं और आपकी इतनी तारीफ। और आपकी इतनी प्रशंसा है। उन्होंने संयोग से कहा कि मा0 मंत्री जी आप मुझे बुला लेते, तो मुझे पता चला कि यह तो मंत्री हैं। मेरे ख्याल से सी0एम0डी0 को सर कहने की नौबत नहीं आई क्योंकि हर सन्टेन्स के बाद सर से शुरू होता था और जिस तरह से हमारे मंत्री जी कार्यालय में जाकर उनको सर जी कह रहे थे, हम लोगों का क्या होगा जो इधर बैठे हुए हैं। जब मंत्री लोग सरकारी दफ्तरों में जाकर के, सी0एम0डी0 के दफ्तर में जाकर के उसको सर-सर कहेंगे और डबल ग्रुप कराने के लिए, केवल बात इतनी थी, हमें तो सिंगल भी नहीं मिलना चाहिए फिर तो। श्रीमन् मुझे लाल बत्ती न दिखाएं मैं जानता हूं कि वह लाईट है, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध यह करता हूं जो मैंने बात कही, आज मा0 मुख्यमंत्री जी यहां

पर बैठे हैं, माननीय आजम साहब यहां पर बैठे हुए हैं, आप सूची मंगा लें किन-किन मंत्रियों के क्षेत्रों में, किन-किन विधायकों के क्षेत्रों में डबल ग्रुप की स्वीकृति है और बाकी में क्यों नहीं है। अगर बाकी में नहीं है मान्यवर, तो संदेश क्या जायेगा इस बात का, मान्यवर क्या आपकी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कल सदन है पूरी सूची आ जाए और चुनाव होने वाला है अगर तो समाप्त कर दीजिए कोई भेद-भाव नहीं, जितनी बिजली मिलेगी सबको मिलेगी, ज्यादा, कम की बात नहीं होगी। तब तो देखेंगे आप निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। मान्यवर, नहीं तो नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

बजट भाषण में आप सड़क की घोषणा करेंगे, किसी को 30 हजार देने की बात करेंगे इत्यादि करिये आप, लेकिन जो बात मैंने कही है, अगर इस प्रकार का भेद-भाव कर के आप चुनाव करायेंगे तो वह समान व्यवहार वाला फार्मूला कहां चला गया। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कल तक सूची मंगायें और समान व्यवहार वाली बात लागू करें कि जितनी बिजली मिलेगी सब गांवों को बराबर मिलेगी, सब क्षेत्रों को बराबर मिलेगी, सब नगरों को बराबर मिलेगी। मान्यवर, सरकार भी समाजवादी है, समता वाली बात होनी चाहिए, समान व्यवहार वाली बात होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपकी जो सूचना आई है, उस सूचना से परे आप बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बात जो माननीय हुकुम सिंह जी ने उठाई है, यह सबके महत्व की है, सदन के महत्व की है, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा मान्यवर, इस पर नहीं जाता मैं कि उस समय विधान सभा चल सकती है या लोक सभा चल सकती है, बजट पारित कर सकती है कि नहीं कर सकती है। मैं इस पर नहीं जाता, इस पर परम श्रद्धेय, परम विद्वान आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी की रूलिंग भी है।

श्री अध्यक्ष-

हां, हां है, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं उस पर नहीं जाता लेकिन मैं इस पर जरूर जाता हूं। मान्यवर कि जब चुनाव चल रहे हों, अगर सभी दलों की यह राय हो कि बीच में उनको अवसर मिलना चाहिए चुनाव में शामिल होने के लिए। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज ही हो रही है। मान्यवर। उसमें सबको बुला लें, सारे नेताओं की बात हो जाए, और एक अवसर हर प्रत्याशी को खास तौर से जिसे सिम्बल पर लड़ा रहे हैं। मान्यवर, उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वे वहां उपस्थित रहें और विधायक अगर आज उपस्थित नहीं रहेंगे उनके चुनाव में तो जब विधायक का चुनाव आएगा तो वो भी अनुपस्थित हो जाएंगे मान्यवर जब वो चुनाव लड़ रहे होंगे कि ये राजनैतिक मजबूरियां भी हैं हम लोगों की। कृपया इस पर विचार-विमर्श कर लें। नेता सदन, मुख्यमंत्री जी और सभी दलों के नेता बैठ लें।

(एक सदस्य के बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम इसमें नहीं है, आप बैठ जाएं।

श्री प्रमोद तिवारी-

कृपया बैठ लें और मेरी राय में थोड़ा समय चुनाव के प्रचार के लिए लोगों को मिलना चाहिए।

(उन्हीं सदस्य के पुनः बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, आप बैठिए। आपका इसमें नाम ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। आप मा0 सदस्य हैं आप अपने मेम्बर को तो समझाइए। बैठिए, इसमें आपका नाम ही नहीं है। ये नियम-300 का है और जिसका इसमें नाम होता है वही बोलता है, बैठिए। मा0 तिवारी जी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है और जो प्रश्न आपने रखा है, उसमें आप इस बिन्दु को रखेंगे और विचार हो जाएगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 साहब ने रखा बड़े सलीके से मुकदमा रखा।

(श्री हुकुम सिंह के कुछ बोलने पर)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

नहीं, डॉ0 साहब तो आज बर्दाश्त ही नहीं है आपको।

(सदन में हँसी)

कुआं तो आपने ही खोदा था पहले उन्हें बोलने के लिए कहा। डा0 साहब ने बहुत ही समझदारी से पार्लियामेण्ट की फंक्शनिंग तक अपने सवाल का निहित रखा और हुकुम सिंह जी के बोलने के बाद तिवारी जी ने, जो हमारे दोनों सज्जन बोले थे उसे अच्छी तरीके से वाइण्ड-अप कर दिया और याद दिला दी उस ज़माने की जब मा0 केशरी नाथ त्रिपाठी जी आपके स्थान पर बैठते थे और कभी उन्हीं के दल के सदस्य भी थे, वहीं से चल कर यहां तक आए थे। पांच पेज की रूलिंग उन्हीं की थी और वो सारे सदन को मान्य थी। आज भी मान्य है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। महामहिम का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद-176 से और जिस पर एतराज है आचार संहिता के लागू होने का और ये चुनाव न कराने का स्थानीय निकाय का। ये मात्र एक अधिनियम के तहत है। दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है यानी एक से दूसरे का कोई लेना-देना है ही नहीं, और जहां तक आचार संहिता के उल्लंघन का प्रश्न होगा, उसके लिए आपको पूरा अधिकार है। अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आपके पास शिकायत करने के प्लेटफार्म्स मौजूद हैं, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। दोनों सूरतें अपनी जगह अटल है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का। चुनाव की तिथि को बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 31 तक घोषणा कर दीजिए, इससे एक दिन आगे नहीं बढ़ सकते। वह संवैधानिक संकट पैदा हो जाता। यह अलग बात कि पिछली सरकार ने इस चुनाव को इतना टाला, इतना टाला कि यह सरकार 31 तारीख से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। हमने संविधान का पालन किया, हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया और उनकी दी हुई तिथि से तकरीबन एक सप्ताह पहले मौजूदा सरकार ने चुनाव कराने की अपनी

सहमति दे दी और ये तारीखें हमारी तरफ से नहीं चुनाव आयोग की तरफ से आई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट सत्र बुलाना ये भी जरूरी थी और ये अपनी मजबूरी थी। लिहाजा दोनों शक्लें अपनी-अपनी जगह अटल हैं और ये यकीनदेहानी आपको कराई जा सकती है सदन के माध्यम से और चूंकि हम सभी यहां बैठे होंगे, नुकसान सबका है, फायदा सबका है।

"न मेरा है न तेरा है, ये हिन्दोस्तान सबका है

और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।"

श्रीमन्, क्योंकि आपकी पीठ से ही रूलिंग हुई है, इस संवैधानिक प्रक्रिया से उसका लेना-देना नहीं है। श्रीमन्, इस बात के लिये आश्वस्त किया जाता है कि कोई उल्लंघन नहीं होगा आचार संहिता का।

मान्यवर, जिन चीजों की घोषणा पहले से ही कर चुके हैं अगर उन पर कोई मा0 सदस्य बाहर जाकर कुछ कहते हैं तो वह उसी चीज को दुहराते हैं। अब जैसे बेरोजगारी भत्ता देने की बात है तो यह घोषणा पहले की है। किसानों के कर्ज माफी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। मान्यवर, अब जैसे पैरों से रिक्शा चलाने वाले हैं, अब कुदरत ने तो उन्हें इंसान के रूप में पैदा किया है लेकिन वह काम जानवरों जैसा करते हैं तो उनको बैट्री या सोलर से सुविधा पहुंचाने की जो बात है उसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। मान्यवर, मुस्लिम बच्चियों को 30 हजार रु0 का अनुदान शादी या पढ़ाई के लिये देने की जो बात है उसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। मान्यवर, इसी तरह से, युवक युवतियों को लैपटॉप और टेबलेट देने की जो बात है उसकी घोषणा पहले की ही हैं। मान्यवर, इस तरीके की जितनी घोषणायें हैं और जो पहले की ही हैं वह समाज के दबे हुये वर्गों के उत्थान के लिये हैं। किसानों के लिये घोषणा हैं। यह सब पहले ही की घोषणायें हैं इनको कहने मात्र से कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। मान्यवर, मुझसे ज्यादा आप दोनों सम्मानित मा0 सदस्यगण ज्यादा जानकार हैं इन सब चीजों के। अब यह बहस-बराय-बहस की बात अलग है।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन्, लेकिन प्रचार के लिये टाईम तो मिलना ही चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। आप बजाय उधर दाद देने के इधर के लोगों को दें। मान्यवर, आप सब लोग बैठ जायेंगे उसके बाद इस पर विचार हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, समान व्यवहार की बात कही, समान अवसर की बात कही है। मान्यवर, भेदभाव अभी भी चल रहा है। आखिर यह चुनाव का समय है चुनाव के समय तो भेदभाव समाप्त होना चाहिये। दो नगर बराबर-बराबर में बसे हुये हैं एक तो रात में चमचमा रहा है और दूसरे में अंधकार व्याप्त हो रहा है। कहीं डबल ग्रुप में बत्ती दी जा रही है 24 घंटे विद्युत् की आपूर्ति हो रही है तो कहीं पर लगातार कटौती बनी हुई है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि इस भेदभाव को आप खत्म कीजिये। माननीय अध्यक्ष जी आप में भी शक्तियां हैं सरकार को निर्देश देने की

इस बारे में। अब आप यू0 पी0 को बांटने की बात करेंगे इस तरह से, कहीं खैरात देकर बांटते रहेंगे हम लोगों को इस तरह से। इस पर आप विचार करेंगे। यह केवल मेरी ही नहीं यहां पर बैठे हुये सभी सदस्यों की भावनायें हैं। इसका समावेश हर जगहों के लिये होना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर कोई एतराज नहीं है इस पर विचार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हुकुम सिंह जी आपकी बात हो गयी, आश्वासन आ गया है।

आज माननीय हुकुम सिंह जी ने माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने बड़ी गंभीरता से सदन के जो अधिकार हैं, जो सदन का बजट पारित करने का अधिकार है, उस पर बड़ी लम्बी चर्चायें कीं। सरकार का भी पक्ष आया है। आचार संहिता की बात कहकर हम लोगों को सदन के अधिकारों को कम करने की बात कदाचित् नहीं करनी चाहिये।

आप यह जान लें कि बजट जो है, बजट की घोषणायें जो हैं, वह सदन का विशेषाधिकार है। यह सदन का विशेषाधिकार आपका विशेषाधिकार है कि हम बजट रखेंगे, उसे पारित करेंगे। इस विशेषाधिकार को अगर हम कम करने की बात करेंगे तो सदन के विशेषाधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा। इसलिये मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो संविधान है, उसमें हमें आजादी दी हुई है, उसमें हमें सदन के अन्दर कार्य करने की स्वतंत्रता दी हुई है। यह जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है यह सदन की प्रक्रिया से ही गठित है और उसके द्वारा प्रदत्त जो एक सूची है, उस सूची के द्वारा ही यह राज्य निर्वाचन आयोग बना है। यह संस्था उस तरह से नहीं है जैसी कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में व्यवस्था है। निकाय चुनाव आचार संहिता एक अधिनियम के प्रावधान संविधान को प्रतिबन्धित या बाधित नहीं कर सकते हैं। संविधान के प्रावधान अधिनियम के ऊपर हैं।

इस तरह के प्रश्न पर पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। माननीय गौरी शंकर जी ने इस प्रश्न को यहां पर उठाया था और उस पर पूर्व माननीय अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी की एक रूलिंग हुई थी उससे सम्बन्धित एक किताब हमारे पास है। उसमें इस पर सबसे अच्छी रूलिंग माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने दी है। उसमें लम्बी चर्चा यहां पर हुई थी। अगर आप कहें तो इसे हम यहां पर पढ़ देते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा है। आप कहें तो मैं आपके पास इसे भेज देता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख आया है। अगर हम इस पूरी रूलिंग को यहां पर पढ़ेंगे तो वह बहुत लम्बा हो जायेगा। इस पर सबसे अच्छी व्यवस्था माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने दी हुई है और वह एक तरह से सभी राज्य विधान सभाओं में स्वीकार कर ली गयी हैं। इस प्रश्न पर यहां पर पूरी बहस हुई है। मैं इसको आपके पास भेज देता हूं आप पढ़ लेंगे। उसमें माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने इस पर पूरी बहस को सुनकर अपना विनिश्चय सुनाया है और उस सूचना को अग्राह्य कर दिया है। आप भी उस समय मंत्री के रूप में रहे होंगे। यह जो स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हैं यह अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्थित हैं, इसमें जो आचार संहिता की बात है, उससे सदन के बजट पारण की प्रक्रिया को प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें बजट की घोषणायें जनहित में की जाती हैं तो आचार संहिता के अन्तर्गत उन घोषणाओं को करने क लिये प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। बजट में जो घोषणायें आयेंगी वह पूर्व में ही की भी जा चुकी हैं। उससे आप सब अवगत हैं।

इसलिये माननीय हुकुम सिंह जी और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी जो बात कह रहे हैं इस सूचना को उठाकर यहां पर, उसके सम्बन्ध में इस पुस्तक में पूर्व से ही एक अच्छी रूलिंग मौजूद हैं आप उसे पढ़ लेंगे। आप कहें तो मैं इसे पूरा पढ़ दूं यह पांच-छह पन्ने की है।

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, यह किताब तो विधान सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है ही।

श्री अध्यक्ष-

यह दिनांक 29 जनवरी, 1998 की रूलिंग है अध्यक्ष पीठ की। यह बहुत लम्बी है और इसके द्वारा माननीय गौरी शंकर जी की नियम 300 की सूचना को अग्राह्य किया गया है। अब आप लोग जानते हैं कि माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी इस सदन के एक विद्वान माननीय अध्यक्ष रहे हैं, विद्वान माननीय सदस्यों में से रहे हैं। उनको सांविधानिक विषयों पर अच्छी जानकारी है। सदन में ऐसे बहुत कम लोग होंगे। यह मैं आपके पास पूरी रूलिंग उनकी भेज रहा हूं। मैं आज भी इस पर नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, व्यवहार समान होना चाहिये हम सभी की यही भावना है सरकार से।

श्री अध्यक्ष-

देखिये वह सब बातें यहां पर आ गयी हैं। अब हम अगली मद को लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधन सभा की वर्ष 2012-2013 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है-

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार, 05 जून, 2012 को अपराह्न 4.00 बजे तक।
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शुक्रवार, 08 जून, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)।
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	सोमवार, 11 जून, 2012 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक।

4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिये — सोमवार, 18 जून, 2012।

(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये

विधान भवन, लखनऊ स्थिति समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2012-2013 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि, यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों

सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2012-2013 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन के प्रस्ताव पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा को सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 29 मई, 2012 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

यह सदन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 29 मई, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि

एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 29 मई, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन कने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री योगेश प्रताप सिंह योगेश भइया-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 28 मई, 2012 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

मान्यवर, मैंने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आदरपूर्वक और ध्यान से अध्ययन किया है। महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण सारगर्भित, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी है। मैं महामहिम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ ही साथ इस प्रदेश की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने कि प्रदेश में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके जनभावनाओं, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुये प्रदेश में एक नये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सफलतापूर्वक जीती है। समय ने उन्हें कभी माफ नहीं किया है जिन्होंने दुखियों के अस्कों से दिल्लगी की है। मान्यवर, प्रदेश की जनता पिछले कुशासन में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और जनतांतित्रक मूल्यों की समाप्ति से पूरी तरह त्रस्त थी, मानवता कराह रही थी प्रदेश के विकास की गति ठप हो गयी थी, प्रदेश में विकास की योजनायें मृतप्राय हो गयी थीं सरकार केवल मूर्ति स्मारकों और पत्थरों में उलझकर रह गयी थी जिससे प्रदेश में गरीबी बढ़ती गयी। इन सारी चीजों के प्रति जनता ने जनादेश देकर व्यवस्था परिवर्तन करके एक नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय दिया है, जिसके लिये मैं जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 'तब्दीलियां इतनी हुई इंकलाब से, कुछ नाम हट गये हैं पुरानी किताब से'। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार के भावी कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा होती है। हमारे बहुत से माननीय सदस्य महामहिम के अभिभाषण में पूर्णता का दर्शन करना चाहेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केवल दस सप्ताह हुये हैं। इस सरकार के दस सप्ताह में हमारे पूरे भावी कार्यक्रमों, जिनको हमारी सरकार करना चाहती है, उनको सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जनता की सरकार जनता के द्वारा बनी है और जनता के लिये कार्य करेगी। ये

जनहितकारी एवं जनकल्याणकारी सरकार होगी। किसी को इसमें संदेह, सोच या प्रश्नचिन्ह लगाने की आवश्यकता मैं समझता हूं, नहीं पड़ेगी। आज हमारी सरकार का नेतृत्व युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है, इनका उत्साह, ऊर्जा, संघर्ष की क्षमता एवं शालीनता अद्भुत है। कर्मवीर के आगे हर पत्थर बनता है दीवारें दिशा बताती हैं मानव जब आगे बढ़ता है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं की ओर इंगित किया है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। हमारे मानवीय मूल्यों में जो पुरानी व्यवस्था के चलते गिरावट आयी है, उसमें नयापन पैदा किया जाये और उनका उन्नयन किया जाये, यह हमारा संकल्प है। चुनावी घोषणा-पत्र जिसके आधार पर हमें जनादेश प्राप्त हुआ है, हमारी सरकार की बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, कक्षा 10 व 12वीं पास छात्र/छात्राओं को लैपटाप/टैबलेट दिये जाने की योजना है, जिससे हमारी नई पीढ़ी, जिसके बदलते हुये, सूचना प्रौद्योगिक परिदृश्य में अपने को कदम-ब-कदम खड़ा हुआ पायेगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पिछली समाजवादी सरकार द्वारा लागू कन्या विद्या धन योजना, जो कि बसपा सरकार द्वारा बन्द कर दी गयी थी, पुनः प्रारम्भ की जायेगी। पिछली सरकार में जनता अपनी बात शासन तक नहीं पहुंचा पाती थी, इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन करके जन समस्याओं से सीधे रूबरू हो रहे हैं। हमारी प्राथमिकतायें होंगी, गांव का विकास, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा किसानों को कृषि से सम्बन्धित सुविधायें प्रदान करना। हम चाहेंगे कि जो भी योजनायें बनें उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और जनता तक उसका सीधा लाभ पहुंचे। हमारी सरकार किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध करायेगी तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत बीज एवं सही खाद व गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी तथा कृषकों की फसलों की रक्षा की भी हमारी योजना है। गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा भुगतान अतिशीघ्र कराने हेतु सरकार कृतसंलल्प है। प्रदेश में पशुधन के संवधन के लिये और पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड जो कि भौगोलिक कारणों से पिछड़ा हुआ है फिर भी पिछली सरकार द्वारा बुन्देलखंड पैकेज का समुचित उपयोग नहीं किया गया है, वर्तमान सरकार बुन्देलखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति की दशा पिछले पांच वर्षों में अत्यन्त दयनीय रह चुकी है, इसको सुधारने के लिये आवासीय विद्युत् फीडर व कृषि फीडर को पृथक् कर विद्युत् आपूर्ति सुधारने के लिये सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये वातावरण तैयार करने के लिये सरकार अपना कार्यक्रम प्रारम्भ कर चुकी है तथा उद्यमियों का विश्वास अर्जित करने के लिये नई औद्योगिक नीति बहुत ही शीघ्र प्रभावी होगी तथा विकास के लिये आवश्यक कारक सड़कों एवं पुलों का निर्माण सरकार की मूल प्राथमिकता है। सरकार फ्लाई ओवर्स, बाईपास, रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण को प्रारम्भ करायेगी तथा जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा जायेगा। यातायात के बढ़ते हुये प्रभाव को देखते हुये मेट्रो परियोजना लागू करने की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में आई0 टी0 पार्कों की स्थापना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कृषकों के जीवन स्तर को वृद्धवस्था में बनाये रखने के लिये वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना प्रारम्भ की जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की शिक्षा की स्तर को ऊपर उठाने के लिये कोचिंग संस्थान बनाने का निर्णय प्रक्रिया में है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्ता स्थापित करने के लिये सरकार विशेष प्रयास कर रही है। राजनीति में अनेक महान नेताओं को उत्पन्न करने वाले छात्र संघों के चुनाव पुनः कराये जाने का निर्णय लिया गया है। रिक्शा चालकों को स्वचालित रिक्शा मुफ्त दिया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और

प्रदेश की जनता के कल्याण के लिये कुछ करने का भाव, संकल्प तथा सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने के प्रति जुझारूपन तथा प्रदेश के विकास के प्रति सम्पूर्ण समर्पण की भावना है तथा जनकल्याण के लिये कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। जनता ने जो अटूट विश्वास इस सरकार को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उन जनभावनाओं का सही रूप से परिलक्षण करेगी तथा प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाने के लिये, प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये कृतसंकल्प रहेगी।

हर सृजन के लिये एक स्वप्न चाहिये, पॉव छू लेंगे मंजिल लगन चाहिये।
हम भी मन चाही गंगा बहा सकते हैं, बस भगीरथ सा अर्पित मन चाहिये।।

इस सरकार का पहला प्रयास होगा कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त हो। आम जनता को सरकार की सुविधाओं का लाभ बिना किसी अधिभार के मिल सके। प्रदेश में साम्प्रदायिक भावनाओं को पहल करने के लिये हमारी सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश के एक-एक जन को इसमें विश्वास होगा। ये सरकार प्रदेश में व्यापक परिवर्तन लायेगी। ये सरकार समाज के लोगों में विश्वास पैदा करेगी, प्रदेश के अल्पसंख्यकों में एक नया विश्वास भरा जायेगा। मान्यवर, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी और युगान्तकारी परिवर्तन लाने के लिये कृतसंकल्प है। गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जायेगा। नियोजन में स्थानीय समस्याओं के समाधान का भी समुचित समावेश किया जायेगा। मान्यवर, सार्वजनिक जीवन में पवित्रता को बनाये रखने और सार्वजनिक जीवन को सादगी पूर्ण जीवन बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से दैनिक खर्चों में कटौती होगी और सरकार मितव्ययिता के रास्ते पर चलेगी, जिससे कि तमाम फिजूलखर्ची जो वैभवपूर्ण जीवन पर व्यय करके की जाती थी, वह नहीं हो सकेगी और सरकार ने निर्णय लिया है कि सादगी पूर्ण जीवनयापन करेंगे, इससे सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आयेगा।

कुछ कर गुजरने के लिये मौसम नहीं मन चाहिये।
साधन सभी जुट जायेंगे, संकल्प का धन चाहिये।।

उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं के लिये जनसंख्या के आधार पर आर्थिक मदद मिल सके इसके लिये ये सरकार संकल्पशील होगी। नये योजना आयोग का गठन हुआ है, मुझे विश्वास है सरकार प्रयास करेगी कि प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद् से आबादी के आधार पर पूरे प्रदेश को भली प्रकार लाभांश मिल सके इसके लिये सरकार पूरा प्रयास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। औद्योगिक विकास और उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य भी इस सरकार ने रखा है, क्योंकि लगातार औद्योगिक विकास में ये प्रदेश पीछे रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों की गैरबराबरी को दूर करने का प्रयास करेगी और सभी स्थानों को बराबर विकास का लाभ दिया जायेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की भांति ही प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी औद्योगिक विकास का केन्द्र स्थापित किया जाये, ऐसा इस सरकार का प्रयास होगा।

जनता चुनकर भेजती है, गांव शहर के लोग,
फिर भी होता गणित का जनाधार संयोग।
प्रदेश का विकास चाहिये, करिये दृढ़ संकल्प,
मतभेदों को भूलकर चुनिये प्रबल विकल्प।।

हमारी सरकार एक स्वच्छ व चुस्त प्रशासन देना चाहती है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि बिना संशोधन के इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

* श्री उदयराज-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 28 मार्च, 2012 को जो दानों सदनों के समवेत् सदन में अपना अभिभाषण रखा और जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय योगेश प्रताप जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखा है, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा भाग है, जहां इस देश के लगभग 7 प्रतिशत भू-भाग पर उत्तर प्रदेश बसा हुआ है और इस देश के लगभग 16-17 प्रतिशत लोग अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। निश्चित रूप से जब तक इस प्रदेश का समुचित विकास नहीं होगा तक तक यह माना जायेगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहली प्राथमिकता रखने का काम किया गया है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रहा है मैंने जो उसमें पढ़ा है इस प्रदेश की चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य के बारे में और इतना ही नहीं हर तरीके से इस प्रदेश के हर तबके के लोगों के बारे में, चाहे जिस समाज से जुड़े हुये लोग हों, चाहे जिस पेशे के जुड़े हुये लोग हों उन सारे लोगों के बारे में विचार करने का काम किया गया है। मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस देश और प्रदेश के लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करने का काम किया था लोकिन यह दुर्भाग्य रहा कि पिछले 5 वर्षों के अन्दर इस प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास करने का काम किया गया था। मान्यवर, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण कल यहां पर पढ़ने का काम किया है उसमें इस प्रदेश की जो भी ज्वलंत समस्यायें थीं उसके बारे में अपनी बात रखने का काम किया है और जो प्राथमिकतायें दी गयी हैं, अगर अभिभाषण उठाकर देखा जाये तो राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है इस प्रदेश की सरकार की क्या नीयत है, इस प्रदेश की सरकार क्या करना चाहती है, साफ-साफ वह नीयत इस अभिभाषण में परिलक्षित होती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी हाल में बनी है, 3 माह भी नहीं पूरे हुये हैं, दो माह से कुछ अधिक समय बीता है, तो उसको अगर उठा करके देखें तो हर तबके के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विचार करने का काम किया है। मान्यवर, सरकार के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश जी ने और मा0 मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी ने देने की बात कही थी, तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में घोषणा करने का कमा किया गया है। लड़के किस तरीके से आगे बढ़ें, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जाये जिससे वह पढ़ाई की तरफ ध्यान देने का काम करें, इसी उद्देश्य को लेकर के कक्षा-10 जो पास करेंगे उनको टैबलेट और कक्षा-12 के जो छात्र-छात्रायें उत्तीर्ण होंगे उनको लैपटॉप देने की व्यवस्था भी राज्यपाल के अभिभाषण में प्रस्तुत करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं हम आप सारे लोग जानते हैं कि आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अन्दर तुलना करें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से काफी पीछे हैं। किस तरीके से लड़कियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाये उसके ध्यान में रखते हुये जो पिछली सरकार के द्वारा कन्या विद्या धन योजना बन्द करने का काम किया गया था उसको पुनः चालू करने का फैसला लेने का काम किया गया है। मान्यवर, आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों जब इससे पूर्व में मा0 मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी तो मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किसान बीमा योजना लागू करके उत्तर प्रदेश में जो भी किसान आकस्मिक मौत से, किसी दुर्घटना में मरेगा उसे एक लाख रुपया देने का फैसला करने का काम किया था, उस बीमा राशि को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आया है, उसको 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का काम किया गया है। (मेजें थपथपाई गयीं) मान्यवर, हमने, आपने और सारे लोगों ने देखा है विगत दिनों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर रहा कि इसी विधान सभा में जो लोग रहे, जितने भी सदस्य रहे, अगर कभी जरूरत पड़ी होगी तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया होगा। माननीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के केवल विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों की ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनने के लिये हर बुधवार को जनता दर्शन आयोजन करने का काम किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो समस्यायें होंगी, जो लोग समस्यायें लेकर के हमारे बीच में आयेंगे उन समस्याओं का निस्तारण करने का काम, जनता दर्शन के माध्यम से करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं गांव के लोग तहसीलों में जाते थे कहीं जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये कहीं आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये या किन्हीं दूसरे कामों के लिये महीनों कार्यालयों में भटकने का काम करते थे। सरकार ने फैसला लिया है कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन करके जनसमस्याओं के तुरन्त निस्तारण का काम किया जायेगा। मान्यवर, मैं बहुत आक्षेप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता था जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण करने आये थे अभी माननीय तिवारी जी भी खेद प्रकट कर रहे थे कि जो कुछ कल हुआ वह गलत हुआ जब कानून व्यवस्था का सवाल उठता है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग आज कानून व्यवस्था की दुहाई देने का काम करते हैं उनको विचार करना होगा कि आखिर अब से दो महीने पहले तीन महीने पहले इस सूबे की कानून व्यवस्था क्या हुआ करती थी कि थाने के अन्दर हत्या होती थी लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का काम पुलिस द्वारा नहीं किया जाता था एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं मान्यवर, खीरी के अन्दर नाबालिग लड़की की हत्या करके पेड़ पर लटकाने का काम किया गया उयकी हत्या का मुकदमा लिखने का काम नहीं किया गया। आपके लखनऊ राजधानी के अन्दर दो-दो सी0 एम0 ओ0 की हत्या की गई एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 की हत्या जेल के अन्दर की गई। मान्यवर, बांदा में क्या हुआ, नोयडा में क्या हुआ किसानों की हत्याएं की गईं लेकिन उनके मुकदमें लिखने का काम किसानों की तरफ से नहीं हुआ बल्कि किसानों के ऊपर मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने का काम किया गया। मुझे याद आती है एक कहावत खिसियानी . . . . खम्भा नोचे। मैं एक शब्द भूल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने बिल्ली तो कहा नहीं।

श्री उदयराज-

वही शब्द भूल रहा हूं। मान्यवर, वह स्थिति आ गई थी। इतना ही नहीं था थाने के अन्दर सुबह सात बजे कोई नेता सफारी सूट पहनकर पहुंच जाता था किसका मुकदमा लिखा जायेगा किसका

मुकदमा नहीं लिखा जायेगा। यह फैसला थाने पर बैठा हुआ थानाध्यक्ष नहीं करता था जिलों में बैठा हुआ कप्तान नहीं करता था यह फैसला वह लोग करते थे जो सुबह जाकर थाने की चाय पीते थे थाने में जाकर फर्जी मुकदमा लिखाने का काम करते थे। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को जिस दिन उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी पीड़ित आयेगा जो भी मुकदमा लिखाने आयेगा उसका अभियोग पंजीकृत किया जायेगा फैसला पुलिस को करना होगा कि वह फर्जी है या सही। उसमें कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं किन्हीं कारणों से पूर्व में जो डी0 आई0 जी0 हुआ करते थे उनके हटाने का काम किया गया था उस पद को समाप्त करने का काम किया गया था आपको भी याद होगा आप भी उसी सदन के सदस्य थे जिस समय पिछली सरकार बनी थी किसकी सरकार थी आप सारे लोग जानते हैं। पूरे हर जनपद में जाति के आधार पर आरक्षियों और प्रमुख आरक्षियों को चिन्हित करके प्रदेश के बार्डर के जनपदों में भेजने का काम किया गया था और या तो उनको पुलिस लाइन में आमद करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों की मजबूरी को समझने का काम किया जाति और धर्म देखने का काम नहीं किया और यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस कर्मी हैं जितने भी सिपाही हैं उन सारे सिपाहियों को उनसे आवेदन लेकर उनके गृह जनपद के नजदीक जनपद में तैनात करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, किसानों की समस्या या बिजली की समस्या थी लेकिन वर्तमान सरकार ने उन सारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देने का काम किया। आज पूरे प्रदेश के अन्दर गेहूं क्रय केन्द्र की समस्या आई है उसका दोषी कौन है इसके बारे में भी सोचना होगा। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में न तो किसानों के सामने खाद की समस्या आने पायेगी। न किसानों के सामने बिजली की समस्या आयेगी इन सारी समस्याओं को दूर करने का काम किया जायेगा। किसान किस तरीके से अपनी खेती की उपज बढ़ा सकें फैसला लिया है कि किसान मेले लगाकर कैम्प लगाकर उनके क्रेडिट कार्ड बनवाने का काम किया जायेगा। जिससे कि बिचौलिये के द्वारा जो लूट की जाती थी उस लूट को रोकने का कमा किया जा सके। गन्ना किसानों की उत्पादन क्षमता जो कि अब ते 59 टन प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी प्रयास किया है कि किसी तरीके से उनकी उपज को बढ़ाया जाय किस तरीके से गन्ने की नई किस्में पैदा की जायं कि उसकी उपज बढ़कर 70 टन प्रति हेक्टेयर हो जाय।

मान्यवर, काफी लम्बे अरसे से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु चिकित्सालय हुआ करते थे जिनका एक मानक निर्धारित हुआ करता था कि 20 हजार जानवरों के बीच में एक पशु चिकित्सालय होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 सालों के अन्दर 20 हजार जानवरों की संख्या को कम करके 15 हजार जानवरों पर एक पशु चिकित्सालय निर्माण कराने का काम किया जायेगा। औद्योगिक वातावरण जो इस प्रदेश का एकदम बन्द हो चुका था, यह प्रयास किया गया है कि किस तरीके से औद्योगिक वातावरण को सुधारा जा सके। मान्यवर, किसानों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि किसानों को बिजली गांव की बिजली और ट्यूबवेल की बिजली एक ही फीडर से मिला करती थी, उसको भी समाप्त करके यह निर्णय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिया गया है। यह प्रयास किया गया है कि गांव की विद्युत व्यवस्था का फीडर अलग होगा और किसानों का विद्युत फीडर अलग होगा। इतना ही नहीं यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 8 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 16 से 20 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। आने वाले 2 वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश के किसानों को 20 घंटे बिजली मिलेगी और शहरी क्षेत्र के लोगों को 22 घंटे बिजली देने का काम

निश्चित रूप से किया जायेगा। मान्यवर, जिस तरीके से विकास की गति धीमी थी कि आज भी लाखों गांव प्रदेश के ऐसे होंगे जो सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं, बिजली से नहीं जुड़ पाये हैं।

मान्यवर, उसको भी प्राथमिकता देने का काम किया गया है कि उन गांवों को सड़कों और बिजली से जोड़ने का काम किया जायेगा। मान्यवर, छात्र संघों का सवाल उठता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार हटती है पता नहीं क्या आफत आ जाती है। हम लोगों ने भी छात्र राजनीति की है। छात्र राजनीति से निकल कर आये हैं। तमाम लोग यहां पर बैठे हैं जो किसी न किसी विश्वविद्यालय से डिग्री कालेज से राजनीति करके सक्रिय राजनीति में आये हैं। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं जहां उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले समय में हजारों लड़के जेल की यातनायें सहे होंगे, तमाम ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने पुलिस की लाठी खाई होगी और हो सकता है दो चार लड़के मर गये हों। उनकी एक मांग हुआ करती थी छात्र संघों की बहाली की। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को कि उन्होंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के छात्र संघों को बहाल करके अक्टूबर में छात्र संघों के चुनाव कराने का काम किया जायेगा।

मान्यवर, एक बड़ी समस्या प्रदेश में हुआ करती थी कब्रिस्तान की जमीन को ले करके आये दिन गांवों और शहरों में विवाद हुआ करते थे आये दिन तहसीलदार और लेखपाल जहां कब्रिस्तान होता था, कब्रिस्तान नहीं है, उस जमीन की राख को ले करके विवाद करने का काम हुआ करता था। मान्यवर, सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी कब्रिस्तान की जमीनें होंगी उन कब्रिस्तान की जमीनों को बाउण्ड्री से घिरवाने का काम उत्तर प्रदेश की हुकूमत करने का काम करेगी। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करती थी कि सी0 एच0 सी0 हो और चाहे पी0 एच0 सी0 हो गांव में जब कोई बीमार होता था या सड़क पर कोई दुर्घटना होती थी तो जिला चिकित्सालय या उससे ऊपर के चिकित्सालय में नहीं पहुंच पाता था उसकी रास्ते में ही मौत हो जाया करती थी। मान्यवर, सरकार का फैसला है कि प्रदेश के जितने भी विकास खंड हों उन पर जो पी0 एच0 सी0 और सी0 एच0 सी0 होगी उनमें एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का काम किया जायेगा। एम्बुलेंस व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्येक विकास खंड में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अस्पतालों में मान्यवर, पैथोलाजी और लैबों की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है जहां एक्स-रे, सिटी स्कैन जैसी जांच आराम से लोगों की हो जाया करेगी। मान्यवर, सबसे बड़ा फैसला एक और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेने का काम किया है। अभी माननीय आजम खां साहब ने रिक्शा चालकों का जिक्र किया था। मान्यवर, रास्ते में एक अजीब सी स्थिति थी कि आदमी उस रिक्शे को चलाता था और आदमी उस पर बैठ कर चलने का काम करता था। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे रिक्शा चालाकों को, ऐसा रिक्शा देने का काम किया जाएगा जो रिक्शा मोटर से और सोलर से संचालित होगा। यह बहुत बड़ा इतिहास कायम हुआ है। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर इतना अनुरोध करुंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रहा है उसमें चाहे वह छात्र रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे मजदूर रहा हो, सारे लोगों को आगे बढ़ाने का किस तरीके से काम किया जाए, किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए इसका प्रयास किया गया है। इसी के साथ माननीय योगेश जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण हेतु समय सीमा का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

समय सीमा अपने आप में, चर्चा में सारे सदस्यों के लिए अनिवार्य है, नेता विरोधी दल के लिए कोई समय सीमा नहीं है। दलीय नेता 15 मिनट तक बोलेंगे। पार्टी के विधायक सात से लेकर आठ और दस मिनट के बीच में सदन में चर्चा के रूप में अपनी बात रख सकेंगे। यह समय सीमा सबको माननी चाहिए।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

मुख्य मंत्री जी नहीं हैं अब नेता विरोधी दल का नम्बर है बोलने का।

श्री मोहम्मद आजम खां-

डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से, उनसे मिलने गए हैं। तब तक दूसरे सदस्य बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

यह शुरू कर दें तब तक आ जाएंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दूसरे सदस्यों को तब तक बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे सदस्य क्यों, शुरू कर दें तब तक आ जाएंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं चला जाता हूं बुलाने।

श्री अध्यक्ष-

परम्परा रही है मुख्य मंत्री जी रहेंगे तो नेता विरोधी दल बोलेंगे। तब तक फिर महाना जी बोल लें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर, अभी माननीय सदस्य योगेश जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगा, मुझे क्या लगा सारे माननीय सदस्यों को लगा होगा कि वह अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोल रहे थे उनको कुछ लिखकर दे दिया गया होगा और उन्होंने पूरा का पूरा धन्यवाद प्रस्ताव नीचे रखे कागज को देखते हुए पढ़ा है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीतियों के बारे में जो जनहित की होनी चाहिए थी अगर उनके बारे में चर्चा की थी तो आपको यहां खड़े होकर उस पर विस्तार से बात करनी चाहिए थी। आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन सरकार का जो ढाई महीने का कार्यकाल था उसके बारे में शायद कुछ कहना भूल गए। आप किस बात के लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहते थे क्या इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते थे जिस दिन से आपकी सरकार आई उस दिन से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई।

मान्यवर, क्या आप इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल ही उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नगर में एक ही परिवार के छः-छः लोगों की हत्या कर दी गई ? मान्यवर, क्या आप इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रदेश के थानों में जो 5 वर्षों से अभी तक होता आया है, उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं ?

मान्यवर, बहुत बढ़-चढ़ कर इस बात को कहा गया है कि आपकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया।

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियम है कि जिस समय चुनाव की बात होती है, चुनाव घोषणा-पत्र राजनीतिक दल जारी करते हैं। आपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह अच्छी घोषणा थी। सरकार जब बनी तो लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से यहां पर बैठाया है, निश्चित रूप से जनता का जनादेश सबसे बड़ा होता है, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जिस दिन यह सरकार बनी, उसी दिन से सेवायोजन कार्यालयों में बड़ी भीड़ लग गयी। 18 साल से 45 साल तक के नौजवानों ने वहां लाइन लगानी शुरू कर दी, उनको पीने का वहां पानी नहीं था, उसके ऊपर लाठियां चलाई गई। उस नौजवान को जो बेरोजगारी भत्ता पाकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकता था, उस पर लाठियां चलीं, उनके खिलाफ मुकदमें लिखे गए कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए ? अगले दिन अखबार में पढ़ा कि इन सब लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जायेगा। फिर किसको दिया जायेगा, बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को दिया जायेगा जो 35 वर्ष से ऊपर हों। जब यह कहा गया कि 35 वर्ष से ऊपर वालों को दिया जायेगा तो अगले दिन से भीड़ कम होने लगी और 35 वर्ष से ऊपर वाले वहां जाकर खड़े होने लगे। एक दिन समाचार-पत्र में पढ़ा की एक 65 वर्ष के सम्मानित युवक भी बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए लाइन में खड़े थे। दो दिन बाद फिर अखबार में पढ़ा कि नहीं, उनको नहीं मिलेगा, अब 35 और 45 साल के बीच के लोगों को मिलेगा। तो फिर वह भी लिस्ट से आउट हो गए और नीचे वाले भी लिस्ट से आउट हो गए और जब 35 से 45 वर्ष के बीच वालों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई तो फिर कहा कि इनको भी नहीं मिलेगा, जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर एक दिन समाचार-पत्र में पढ़ा कि जब वह एफीडेविट देंगे कि वह ठेली भी नहीं लगाते, खोंचा भी नहीं लगाते, वह सड़क के किनारे खड़े होकर चाय की ठेली भी नहीं लगाते, जो कुछ नहीं करते, एकदम नालायक हैं, उन्हीं को दिया जायेगा।

मान्यवर, आपने उनकी भावनाओं को भड़का कर उनसे वोट लेने का काम तो लिया लेकिन जो नवयुवक 18 साल, 20 साल के बाद अपनी रोजी-रोटी ढूंढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, जिस समय उसे फार्म भरने पड़ते हैं, उन फार्मों को भरने के लिए बैंक ड्राफ्ट लगाने पड़ते हैं, पे आर्डर लगाना पड़ता है, लेकिन उसके पास वह पैसे नहीं होते हैं तो उसको देना चाहिए। लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यह आपको भी पता नहीं है। मान्यवर, बिजली की बात करते हैं, आज प्रदेश भर में हाहाकार है, कुछ जनपदों में आ रही है। यह परम्परा हो गयी है, पहले कुछ जिलों में जाती रही होगी, अब वहां पर अंधकार होगा लेकिन अब कुछ नए जिले आपने चयनित कर लिए कि अब इन नए जिलों में बिजली दी जायेगी। मान्यवर, पूरे प्रदेश का हाल, बेहाल है, किसान परेशान

है, बिजली उसको मिल नहीं रही, पानी उसके पास है नहीं, मान्यवर, एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मान्यवर, जब यह निर्णय हो गया था कि जिन किसानों का पैसा जमा हो गया था, सब्सिडाइज रेट पर उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा, आपकी सरकार आते ही उसको रोक दिया गया है।

मान्यवर, गरीब किसान किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होता, वह अपना पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है और वह चाहता है कि उसको सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिल जायेगी तो उसका कुछ भला हो जायेगा। फिर कहा गया कि नई सरकार बनी है, नयी योजना बनी है, नए लोग चुनकर आयेंगे। अरे, किसान तो किसान है, गरीब तो गरीब हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसको कनेक्शन देने का काम आपको करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेंहू नहीं लिया जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी विधान सभा में गेहूं क्रय केन्द्र पर छापा मारा था। उसके बारे में समाचार-पत्रों में भी प्रमुखता से छपा था, सभी टेलीविजन में भी दिखाया गया था। मैंने कैमरे पर पी0सी0डी0एफ0 के जो सचिव होते हैं उनसे पूछा कि आप किसान से कितना गेहूं लेते हैं और उसके ऊपर कितनी लेवी लेते हैं। उसने कैमरे पर कहा कि हम 100 किलो लेते हैं, तीन किलो ऊपर इसलिए लेना पड़ता है कि जिस समय यहां से हमारा ट्रक जाता है तो गेट पर गेट पास बनाने वाले को इतना पैसा देना पड़ता है। मान्यवर, मैं यह आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि सुझाव की दृष्टि से कह रहा हूं। किसान 3 किलो अधिक देने के लिए मजबूर है नहीं तो उसकी गेहूं नहीं ली जाएगी। इसलिए क्योंकि जब जाएगा तो ट्रक लादने वाले को पैसे देने पड़ेंगे, ट्रक की इंट्री करवायेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। वह खुरपी लगायेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, वह उतरवायेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे।

मान्यवर, कोई ऐसा स्टेज नहीं है जहां पर उसको पैसे नहीं देने पड़ते। किसान का दोष क्या है। सुबह से शाम तक मेहनत करता है। जिस किसान को हम देश की आत्मा कहते हैं। किसान पर देश निर्भर है। उस किसान को परेशान होना पड़ता है। अपने गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है बिचौलिये उस गेहूं को साढ़े नौ सौ रुपये में खरीद लें हजार रुपये में खरीद लें। किसान मजबूरी में, चाहे दबाव बनाकर चाहे उसका उत्पीड़न करके, सूदखोर उसको ब्याज देने का दबाव बनाकर उससे ले लेंगे। उसके बाद उसको साढ़े नौ सौ में हजार रुपये में उसको गेहूं बेचना पड़ता है। मान्यवर यह बात सत्य है और यह बात सबको मालूम है। आपसे उम्मीद है कि आप इस बिगड़ी हुयी व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसको ठीक करेंगे। मान्यवर, आज जनता को विश्वास है। आज जनता विश्वास भरी निगाह से देख रही है कि अब यह नई सरकार आयी है तो शायद इस नई सरकार में हमारी अपेक्षायें पूरी होंगी। मान्यवर, 1285 दाम मिलने के बजाये उसको साढ़े नौ सौ या हजार रुपये प्रति कु0 दाम मिलते हैं इसमें किसान का क्या कसूर है। उसके बाद भी बोरियां नहीं हैं। मान्यवर आज से लगभग 10 दिन पहले 19 तारीख के आस-पास जब मैं छापा मारने के लिए गया था तो मैंने पूछा कि आपका कितना लक्ष्य है तो मैंने पाया कि जिस केन्द्र के ऊपर 7000 कु0 का लक्ष्य था उसमें केवल 1000 कु0 गेहूं लिया गया था। किसान का गेहूं पड़ा हुआ है। उसकी मजबूरी है उसको बेचना पड़ेगा। उसने आपसे कर्जा लिया हुआ है उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। और उस कर्जे पर अगर वह डिफाल्ट हो जाएगा तो उस पर उसको ज्यादा बयाज देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था की वजह से, बोरी न मिलने की वजह से देरी हो रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बोरियों की व्यवस्था होनी चाहिए। वह नहीं हुयी है। और जिस व्यवस्था के कारण से देरी हुयी है तो उसको देखते हुए किसान से ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। मान्यवर, आप विकास की बात करते हैं। बजट आएगा उस पर विकास की बात करेंगे। सरकार नई है, नए मुख्यमंत्री हैं और अपेक्षाएं भी नई हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं इस सदन में बैठने के लिए सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है। और वह क्वालिफिकेशन है कि जनता लोकतंत्र में जिसको सबसे अधिक वोट देती है निर्वाचन आयोग उसको चुनाव का सर्टिफिकेट देता है और वह यहां पर आता है। चाहे उधर के सम्मानित सदस्य हों चाहे उधर के सम्मानित सदस्य हों सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है। न किसी की ज्यादा क्वालिफिकेशन है न किसी की कम क्वालिफिकेशन है जब क्वालिफिकेशन एक है तो जनता की सबसे अपेक्षाएं भी एक हैं। बहुत सारे लोग सुन लें, अपने-अपने समय के अन्तर्गत बहुत सारी बातें हुई हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, नई सरकार को एक सकारात्मक सुझाव के रूप में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब क्वालिफिकेशन एक है और अपेक्षाएं एक हैं और वह सबसे अपेक्षाएं हैं चाहे मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, चाहे आदरणीय आजम खां जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं उस क्षेत्र से, वहां की जनता की अपेक्षा एक है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर गये हैं हमारे क्षेत्र का विकास कार्य करायेंगे। हमें पीने के लिए पानी देंगे, हमारा हैण्ड पम्प खराब है उसको ठीक करायेंगे, हमारी सड़क खराब है, उसको ठीक करायेंगे, हमें बिजली देंगे। क्वालिफिकेशन एक अपेक्षा एक, हम सबको मिलकर उस अपेक्षा को पूरा करने का काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ, आपके प्रति मन में आदर है, उसको व्यक्त करना चाहता हूं, सुन लें। मान्यवर, आप मुख्य मंत्री बने थे, आपने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन शायद कुछ घोषणाएं करना आपके ध्यान से उतर गया होगा। आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि गर्मी आने से पहले सारे के सारे हैण्डपम्प ठीक हो जायेंगे। गरीब आदमी के पास पीने का पानी नहीं है, हैण्डपम्प उसके ठीक हो जायेंगे, हैण्डपम्प रि-बोर होने की आवश्यकता होगी तो रि-बोर हो जायेंगे और मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ अगर बात को कहूं कि पांच साल तक जो हैण्डपम्प नहीं मिले थे, अब मिलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जरा सा विराम लें, सारे हैण्डपम्प ठीक करने के लिए आदेश हो गये हैं, नये लगने के आदेश हो गये हैं, आपकी बात मान ली गयी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

लेकिन वह आदेश है कहां वह, यहीं दफ्तर में ही है या बारह भी गये हैं। क्षेत्रों में कुछ काम तो हो नहीं रहा है, अब आदेश अगर कार्यालय में हों तो उनको भिजवा दीजिए। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप भी ऐसी बात करेंगे। बस जो प्रोसीजरल देर है, आदेश के बाद, कौन लोग काम करेंगे, ठेकेदार की भी जरूरत होगी, बहुत जल्द शुरू हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी अब आप बैठ जायें, अब हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कितनी अच्छी बात कही कि सारे मा0 सदस्य खुश हो गये। ऐसी बातचीत थोड़ी देर होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं, अब आपका टाईम खत्म हो गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं पहले अपनी बात खत्म कर दूं। माननीय नेता विरोधी दल हमारे नेता हैं, उनको अतिक्रमण करने का हमारा साहस भी नहीं है और न ही हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात खत्म कर दूं या फिर आप मुझे उनके बाद बोलने का अवसर दे दें तब मैं बैठ जाऊं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने इस बात को कहा कि यहां से आदेश हो गये, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता हैं, उनके प्रति सारे सम्मान के साथ, मान्यवर, हैण्डपम्प रि-बोर हो जाएं, हैण्डपम्प ठीक हो जाएं। आने वाले समय में बारिश होने वाली है, बहुत सारी चीजें मान्यवर समय से पहले प्लानिंग करनी होती है, अगर मार्च-अप्रैल में गर्मी होती है तो हैण्डपम्प की प्लानिंग उससे पहले होनी चाहिए थी, मगर आप अब आये हैं, इसलिए मैं किसी प्रकार का दोष नहीं दे रहा हूं मैं केवल सुझाव के तौर पर कह रहा हूं आने वाली बारिश की तैयारी अभी से कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने उंगली किधर उठाई थी ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप समझ गये होंगे। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, मैंने कहा कि सरकार नई है, मैंने कहा कि मुख्य मंत्री नये हैं, मैंने कहा कि अपेक्षाएं नहीं हैं, लेकिन मान्यवर, यह भी सही है कि सरकार का चरित्र पुराना है उसको बहुत सख्ती के साथ ठीक करने के लिए आप जिस ओर आगे बढ़ रहे हों मैं उसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र में आना जाना लगा रहता है कोई किसी का पट्टा नहीं होता है। तो शुरू से अगर यह समझ लो तो दोबारा आना चालू भी रह सकता है। मान्यवर, मैंने जो बातें आपसे कहीं चाहे वह किसान क्रय के बारे में हों, चाहे बिजली के हाहाकार के बारे में हों, चाहे गरीब के पानी पीने के बारे में हो, यह सारी महत्वपूर्ण बातें मान्यवर, इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उनकी चर्चा नहीं थी, मुझे अपेक्षा थी, मान्यवर शहरी क्षेत्रों के बारे में आपने कहा है, शहरी क्षेत्रों के विकास के बारे में आपने कहा, शहरी क्षेत्रों की जो आबादी बढ़ रही है? मा0 नगर विकास मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अगर आप सुन लेंगे, तो बड़ा भला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी समाप्त करें, काफी समय हो गया है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने काफी समय दिया, मैं सिर्फ इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि शहरों का जो बढ़ता हुआ स्वरूप है, इसके लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी, मान्यवर इसके पहले पिछले पांच सालों के अन्तर्गत एक तुगलकी शासनादेश चला गया कि जो बाहरी क्षेत्र में रहते हैं सोसाइटी के क्षेत्र में रहते हैं जो बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान न दिया जाए, उनकी तरफ कोई विकास न किया जाए। मगर इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को यह अधिकार है कि उनको अवस्थापना सुविधाएं मिलें। अगर उसको अवस्थापनाएं सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, अब बैठ जाइए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बस अन्तिम बात है।

श्री अध्यक्ष-

कब तक अन्तिम बात।

श्री सतीश महाना-

आपने 15 मिनट का टाइम दिया था।

श्री अध्यक्ष-

वह हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप घड़ी देख लीजिए और 15 मिनट जोड़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपका हो गया। मैं देख रहा हूं कि 15 मिनट हो गए हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बस अन्तिम बात और है और जो विकास की बात है। आप इण्डस्ट्रिलाइजेशन की बात करते हैं, इण्डस्ट्री आपके यहां आएंगी। मान्यवर, आज प्रायऑरिटीज बदल गई हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब वो प्राथमिकताएं नहीं रहीं कि हम किसी से झगड़ा करें। प्राथमिकता यह है कि हम आगे कैसे बढ़ें। हमारे को मूलभूत सुविधाएं कहां से मिलेंगी। हमारे को पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इण्डस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। मान्यवर, आज देश में, प्रदेशों के अन्दर होड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की। हमारी भी इच्छा है कि जब हम उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं तो लोग कहें कि आप भी ऐसे प्रदेश से आते हैं जो अपने आप को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता है। मान्यवर, इस प्रकार अपेक्षाएं हैं। लेकिन यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं थी जिसकी प्रशंसा की जा सके। कुछ सुझाव के रूप में, कुछ समस्याओं के रूप में मैंने अपनी बात रखी है मा0 मुख्यमंत्री जी के सामने, सारे वरिष्ठ मंत्रियों के सामने जो यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे को विश्वास है कि जनहित के अन्तर्गत उन अपेक्षाओं को पूरा

करने का काम, समग्र विकास का काम बिना किसी भेद-भाव के किया जाएगा। मान्यवर, जिन्होंने भेद-भाव किया था, वह बहुत ज्यादा समय नहीं रहे। सबकी सीटें बदलती रहती है अगर आप चाहते हैं कि सीटें न बदलें तो निश्चित रूप से आप जनता के उस विश्वास को पूरा कर सकें। हम अपनी उस एक क्वालीफिकेशन के कारण, हम सारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य (नेता विरोधी दल)-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अभी हमारे मा0 सदस्य योगेश प्रताप सिंह एवं उदय राज जी ने धन्यवाद प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इन दोनों मा0 सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को ठीक से नहीं पढ़ा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बेसिक गलती होती आ रही है। उधर से धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, संशोधन आपको दिए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पहले वो संशोधन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है और यह चूक है। आप वो प्रस्ताव जो आपने रखा है, उसे विपक्ष की तरफ से रखिए न।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मान्यवर, मैंने विधिवत् महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का पाठन किया है और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल [x x x] का पुलिन्दा है।

(सत्ता पक्ष की ओर विरोध करने पर शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

[x x x] शब्द असंसदीय है, इसको निकाल दिया जाएगा। यह असंसदीय है।

श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री)-

(नेता प्रतिपक्ष की ओर देखते हुए) आपके लिए एक प्वाइण्ट कहना चाहता हूं। आप ही के लिए एक प्वाइण्ट कहना चाहता हूं, आपकी इजाजत से।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्यः

मैं खुद निवेदन कर लूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, अगर पूर्व में कभी भी कार्यवाही में अगर यह [x x x] का ''पुलिंदा'' शब्द न आया हो तो मेरा भी शब्द इसमें न लिखा जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने, हम उनका इतना सम्मान करते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि जो कार्य-सूची में छप गया है इस नाते वो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं माना जाएगा। संशोधन का प्रस्ताव मा0 नेता प्रतिपक्ष रखेंगे और वो उसके

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आगे का पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। ये प्रस्ताव रखेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा था। यह चर्चा करने से नहीं होगा। कार्य-सूची में छप गया किन्तु आप इसका प्रस्ताव रखेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि . . . .

श्री अध्यक्ष-

आपने अपना प्रस्ताव पढ़ा नहीं था क्या।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्राप्त संशोधनों को, जो कार्य-सूची में प्रस्तुत हुए हैं, प्रस्तुत हुआ मान लिया जाये। यह काफी लम्बे चौड़े हैं इसलिए मैं यह सब नहीं पढ़ रहा हूं। यह छपे हुए हैं इसमें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष हम सबके विपक्षी दल के नेता हैं वह विधिवत् इसे पढ़ दें और उसके बाद आप कह दें कि सभी के अन्य प्राप्त संशोधन के प्रस्ताव इसमें सम्मिलित माने जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उनके बाद वह सबका लिया हुआ माना जाता है उसमें आप सबका भी समाहित हो गया। *

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रस्ताव यह रखा जायेगा उनकी ओर से कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो आया है उस प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधनों को जोड़ लिया जाये तो उपयुक्त होगा। मान्यवर, तभी आप कह देंगे कि इसमें सबके प्राप्त संशोधनों के प्रस्ताव जोड़ दिये जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिये जायें। ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।

[-महामाया बालिका आशीर्वादयोजना के सम्बन्ध में,

2-महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में,

3-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के सम्बन्ध में,

4-सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के सम्बन्ध में,

5-उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में,

---

* अन्य संशोधनों के लिए देखिए नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ-128-244 पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6-मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

7-मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9-उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

10-उत्तर प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

11-उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

12-हत्या, अपराध लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में, तथा

13-जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत जेागापुर पम्प कैनाल चालू कराने के सम्बन्ध में]''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी के साथ जो अन्य हमारे दलीय नेताओं के संशोधन के प्रस्ताव आये हैं माननीय सदस्यों के संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वह इसमें सम्मिलित मान लिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसे जोड़ लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह अभिभाषण की पुस्तिका मेरे पास है जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह उनका खुद का अभिभाषण नहीं है। यह कपोलपंखी घोषणाओं की पुस्तिका है। यह सरकार की चाटुकारिता से भरा अभिभाषण है।

(सत्ता पक्ष की ओर से [x x x] की आवाजें।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह कुल मिलाकर के महज एक सरकारी दस्तावेज है और कुछ नहीं है। इसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। मान्यवर, कल हमने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विरोध जताया था। मान्यवर, जो लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके की बात है अगर सामने का साथी कोई कार्य करता है तो वह लोकतांत्रिक हो जाता है और वही कार्य अगर हम करते हैं तो अलोकतांत्रिक हो जाता हैं मान्यवर, इसके पूर्व में भी यहां पर नेता विरोधी दल रहे हैं भाई शिवपाल जी रहे हैं, तो जो पूर्व में परम्परायें रही हैं उसके अनुरूप ही हमने अपनी बात कही थी। हमने कोई नयी परिपाटी यहां पर नहीं डाली है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आपको स्मरण होगा कि वर्ष 2007 में जब पहली बार बैठक हुई थी और उनका पहला अभिभाषण हुआ था तो मैं भी उस समय सदन का सदस्य था और आप भी थे तो उस समय महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई व्यवधान नहीं डाला गया था। वह पहला भाषण होता है यहां पर उनका।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस बात की बेहतर जानकारी हमारे सामने बैठे हुए लोग दे सकते हैं उन्होंने भी नेता विरोधी दल का दायित्व संभाला है। मान्यवर, इस अभिभाषण के दूसरे पेज के पैराग्राफ 2 को देखने का कष्ट करें। जिसमें लिखा हुआ है कि ''जनाकांक्षाओं की पूर्ति व प्रदेश का समग्र विकास ही मेरी सरकार का लक्ष्य है। बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी अवस्थापना सुविधाओं के बिना समग्र विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। जनता मूर्ति, पत्थर व स्मारक की जगह सड़क, पानी व बिजली जैसी अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही है।'' यह क्या राज्यपाल जी का खुद का अभिभाषण है।

मान्यवर, और साथ ही साथ यह महामहिम राज्यपाल की अभिभाषण सन, 2012 है पैराग्राफ 2 पहला पेज, जिसमें लिखा हुआ है जनता को पत्थर, मूर्तियों, स्मारक के अलावा कुछ नहीं मिला, यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है और सुनिये क्या सही है, और यह भी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है 2011 का और उसी पहले पेज के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मेरी सरकार देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों विशेष रूप से महात्मा ज्योतिबाफुले, छत्रपति शाहू जी महराज, नरायना गुरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशी राम जी के बताये रास्ते पर चलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर प्रत्येक निर्णय लेती हैं और इन्हीं महापुरूषों के सम्मान में तमाम प्रकार के स्मारक और स्मरणीय स्थलों का निर्माण भी किया है। यह दूसरा पेज है मान्यवर, तो मैंने कहा, मैंने इसमें उल्टा क्या कहा, मैंने कहा यह झूठ का पुलिन्दा है या तो यह सही है अगर गलत है तो इसका मतलब है कि महामहिम श्री राज्यपाल का अपना कोई भाषण नहीं है, मैंने यही कहा था कि यह सरकारी दस्तावेज है और सरकार की नुमाइन्दगी करती है मैंने मान्यवर, इसमें बुरा क्या कहा? और मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, बड़ी उम्मीदें थी और देखने में भले लगते भी हैं लेकिन इनकी क्या मजबूरी है कि अपना मनचाहा कार्य नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अब यह मुझसे ज्यादा बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी जानते होंगे। इनकी कोई न कोई मजबूरी है क्योंकि इस भोलेपन में अच्छाइयां जरूर छिपी हैं लेकिन उनमें कहीं न कहीं बीच में रोड़े बाजी भी हो रही है तो नीयत पर मुझे खोट नहीं है लेकिन जब एक मुख्यमंत्री हो तो प्रदेश की सरकार चला भी सकता है। लेकिन जब 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री होंगे तो देश का बंटाधार होगा। मान्यवर, कभी भी कानून का राज कभी भी विकास नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहियें।

देखियें, माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है यह नेता विरोधी दल है और यह परम्परा है कि नेता विरोधी दल जब बोलते हैं तो आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इनकी बात सुननी चाहिए। चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग चुपचाप बात सुनिये, जब आपकों मौका मिलेगा तो आप उनकी बातों का जवाब अपने भाषण में देंगे लेकिन चुपचाप सुने यही मेरा आग्रह है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हल्लाबोल संस्कृति है बाज नहीं आयेंगे आपनी आदत से। बार-बार आपके कहने पर भी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था।

(एक सदस्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें, इन लोगों को समझायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों से हमारा निवेदन है कि आप ही परम्पराएं बनायेंगे, आप ही परम्परा तोड़ेगें। यह परम्परा रही है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तब चाहे वह कितनी ही कड़वी बात बोलें, सत्ता पक्ष से उस पर टीका-टिप्पणी नहीं की जाती और फिर समाजवादियों की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब विपक्ष के नेता बोले हैं तब हम नहीं बोलते हैं। हम भी वहीं बैठते थे यह अलग बात कि जब हम वहां बोलते थे तो यह कुर्सी खाली होती थी। तो अच्छी परम्परा के लिए निवेदन है कि आप बिलकुल खामोशी से सुनें। जितना खामोशी से सुनेंगे उतना ही अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि यह जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसकी कथनी और करनी में कोई भी एका नहीं है। यद्यपि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पेज-5 पर यह मंशा तो स्पष्ट की गयी है कि मानून व्यवस्था हम कायम करेगें। लेकिन तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्या है आज वह मान्यवर किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, यह कटु सत्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान इसलिये लें कि यदि वाकई में कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करना है तो इसका गंभीरता से संज्ञान लेकर, जो कानून व्यवस्था पर बदनुमा दाग है, उनको मिटाने की कोशिश करनी होगी। आज पूरे प्रदेश में मान्यवर, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुये हम सरकार की अभी न अच्छाइयों पर चर्चा कर सकते हैं और न बुराइयों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के नाते कोई मजबूरी भी नहीं है। इसलिये पूरे उत्तर प्रदेश में जो जंगलराज और गुण्डाराज है, उस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत लम्बा चौड़ा दस्तावेज है मात्र 70 दिनों में ही लगभग हजारों हत्यायें हो गयी। मैं सूची पढ़ूंगा तो बहुत लम्बा समय लग जायेगा। मैं

उसमें जाना नहीं चाहता। मान्यवर, अभी कल जब यहां महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में ही इकदिल थाने में एक साथ एक ही परिवार में 6-6 हत्यायें हो गयी। अभी मान्यवर, कल ही बदायूँ की एक पुलिस चौकी में एक लड़की से बलात्कार किया जा रहा था। मान्यवर, अगर कानून के रखवाले कानून की धज्जियाँ उड़ाने के लिये तुल जायेंगे तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा के बावजूद भी कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। इसलिये कानून सबके लिये समान और बराबर होता है। कानून में न कोई रिश्तेदारी चलती है और न भाई भतीजावाद चलता है और न कोई पार्टी चलता है और न कोई रिश्ता चलता हैं कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिये दृढ़ इच्छा होनी चाहिये। काम करने का संकल्प होना चाहिये, और जब इस भावना से कार्य होगा तभी जाकर युवा मुख्यमंत्री की सार्थकता होगी इसी लिए मान्यवर मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें कहा कुछ गया है और किया कुछ गया है। मैं चाहता हूँ कि जो कहा गया है उसको अमलीजामा पहनाया जाये।

मान्यवर, आज कानूनराज कैसे होगा, आज अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं आपने ऑफिसों में, कहीं अधिकारी अपने ऑफिसों में पीटे जा रहे हैं, कहीं थाना चौकियों में पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं और मान्यवर, जब अधिकारी सुरक्षित नहीं होगा, कानून का रखवाला पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं होगा तो हम समझते हैं कि अपने आप कानून राज पर सवालिया निशान लग जायेगा। इसलिए मान्यवर, इतने ही कम समय में, जबकि इस समय तो अभी नई सरकार है, नए युवा मुख्यमंत्री हैं, नए युवा मुख्यमंत्री का रौब ही इतना होगा चाहिए कि गुण्डे, माफिया, अपराधी चूहे के बिलों में घुस जाएं। अभी कल तक जिन गुण्डों-माफियाओं की बोलती बन्द थी आज वह अधिकारियों की पिटाई कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों की पिटाई कर रहे हें, दिन-दहाड़े बैंक डकैती कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, छिनैती, अपहरण और फिरौती 70 दिन के अन्दर बेशुमार क्यों बढ़ गई। इसका मतलब है कि या तो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है और उनके खिलाफ कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ मजबूरिया हैं इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कुछ दिन पहले पार्टी में तथा कथित माफिया के प्रवेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका था प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में पीड़ा है कि गुण्डाराज खत्म हो लेकिन क्या मजबूरी है कि गुण्डाराज खत्म करने की चाहत रखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस गुण्डाराज पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। यह कोई लंगड़ी सरकार नहीं, बैसाखी की सरकार नहीं, कोई जोड़-तोड़ की सरकार नहीं बल्कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार है।

उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी न किसी रूप में आपको अगर यह प्रचण्ड बहुमत दिया है तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। मान्यवर, अच्छी चीजें कहीं भी मिल जाएं तो उनकी नकल की जाती है और बुरी चीजें अगर कहीं दिखाई देती हैं तो उससे परहेज किया जाता है। इसलिए केवल इधर बैठे हुए लोग कह रहे हैं इसलिए बात को हंसी में उड़ा दिया जाए, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं यह सरकार की भूल होगी। जैसा कि आप भी गवाह हैं हम भी गवाह हैं, कभी हम उधर थे और आप इधर थे और कभी हम इधर और आप उधर हैं।

सत्तापक्ष की ओर से-

चलिए इतना तो एहसास हुआ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो आप लोगों की करतूतें हैं उसका नतीजा पांच साल बाद आयेगा, घबराइये मत।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप उनकी बातों में न उलझिये, अपनी बात कहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं नहीं उलझूंगा। माननीय अध्यक्ष जी एक सेवायोजन अधिकारी की हत्या कर दी गई। कार्यालय में जाकर पिटाई कर दी गई। एटा में एक जे0ई0 की हत्या कर दी गई। झांसी में एक बी0डी0ओ0 को गोली मार दी गई। इसी प्रकार से विभिन्न थानों में पुलिसकर्मियों की कहीं घुस करके पिटाई की गई और यहां तक कि गोली मार दी, थानेदार की मौत हो गई। इस तरह से वारदातें हो रही हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है सरकार को इन सब चीजों को बड़ी गम्भीरता से लेने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। ये दस्तावेज तो आते-जाते हैं। लेकिन जो हम इसमें लिख रहे हैं उसको अमलीजामा कितना दे रहे हैं आज जिस तरीके से अराजकता बड़े पैमाने पर फैली है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। गुण्डे, माफिया व अपराधी बेलगाम हो चुके हैं उन पर लगाम लगाना होगा। गुण्डे, माफिया व अपराधियों को अगर छूट मिलेगी तो हम समझते हैं कि प्रदेश की जनता को युवा मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें हैं वह कहीं न कहीं चकनाचूर होंगी।

(टोका-टाकी)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें, मौर्या जी को बोलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

रही बात हमारे भाई योगेश जी ने और उदयराज जी ने, उदयराज जी आप तो लगातर पांचवीं बार एम0एल0ए0 बने हों।

श्री उदयराज-

पांचवीं बार नहीं, चौथी बार, आपको कोई कष्ट है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लगातार चौथी बार आप एम0एल0ए0 हैं लेकिन आपको मंत्री तक भी नहीं बनाया गया।

श्री उदयराज-

आप उसके लिए क्यों परेशान हैं, यह चिन्ता आपको क्यों है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्योंकि आप हमारे पुराने मित्र हो।

श्री अध्यक्ष-

आपस में वार्तालाप न करें।

श्री उदयराज-

अध्यक्ष जी, मित्र इसलिए नहीं हो सकता हूँ क्योंकि उस दल में कभी रहा नहीं जहाँ तनख्वाह दी जाती हो और नौकरी पर रखे जाते हों लोग, मैं ऐसे दल में कभी नहीं रहा। मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ मौर्या जी से कि एक ही बात कितनी बार कहेंगे, उसे कुछ आगे बढ़ाये।

श्री अध्यक्ष-

आप यह नहीं जानते हो कि मौर्या जी आपके भी दल में रहे हैं। अब आप लोग शांत रहिये और मा0 मौर्या जी को बोलने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमारे मा0 सदस्यों ने इंगित किया था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौर में सी0एम0ओ0 की हत्या हुई। मान्यवार, तत्कालीन माननीया मुख्यमंत्री सुश्री बहिन मायावती जी ने स्वयं सी0बी0आई0 जांच की अनुशंसा की थी और यही नहीं ...

(कई सदस्यों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सी0बी0आई0 जांच प्रारम्भ हुई है)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें, मा0 नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, यह बात दीगर है कि आज हम इधर बैठे हैं लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री बहिन मायावती जी ने जिस तरीके से कानूनराज स्थापित किया, बिना भेदभाव के कानून की नजरों में सभी समान रहे और यहां तक कि कानून तोड़ने वाला अगर सरकार का सत्तापक्ष का कोई मंत्री, विधायक, सांसद या बहुजन समाज पार्टी का कोई पदाधिकारी भी था, अगर कानून तोड़ा है तो जेल की सलाखों में गया था कभी उसकी कोई माफी नहीं हुई।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि सभी अपराधी थे, थोड़े से लोग ही जेल गये)

इसलिए मान्यवर, यह सारी स्थितियां अपने आप में साफ हो रही है कि कहां कानून का राज था और कहा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसमें हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यता नहीं है। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी का घोर विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए थीं। उनको बन्द कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अभिभाषण का विरोध करिए राज्यपाल जी का नहीं। माननीय सदस्य शांत रहें नेता विरोधी दल को धैर्य से सुनें उनको डिस्टर्ब न करें। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभिभाषण का ही विरोध है। अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठे हुए साथी हमें सुनना नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी बोलें तो उनके भाषण में भी व्यवधान डाला जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

आपको चुनौती नहीं देनी चाहिए।

श्री उमेश पाण्डेय-

क्या नए सदस्यों को आप लोग यही सिखाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी आप अपनी बात जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पूर्व की सरकार में जनता को न्याय उसकी देहरी पर मिलता था उसकी समस्याओं का निस्तराण उसकी देहरी पर होता था और इसके लिए तहसील दिवस और थाना दिवस आयोजित होता था। यद्यपि मुख्यमंत्री जी ने उस व्यवस्था पर विचार किया और अपने शासन में भी उस व्यवस्था को लागू करने के बारे में सोचा और उसकी पहल की जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखने को मिला। क्योंकि तमाम ऐसे गरीब हैं जो किराए के अभाव में मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में नहीं जा सकते। अगर मजलूमों, गरीबों की सुनवाई थाने पर ही हो जाती तो यहाँ पर जनता दर्शन में एक-एक दिन में 10-10 हजार आदमी नहीं आते क्योंकि पूर्व में जनता को इंसाफ उसकी देहरी पर ही मिल जाता था इसलिए उसे लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, मजलूम हैं उनको न्याय उनके आंगन में दिलाने की व्यवस्था की जाय। अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अनुभव किया होगा इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिलों में एस0पी0/एस0एस0पी0 और जिलाधिकारी अपने यहाँ 10-12 बजे तक लोगों से मिलें और उनकी फरियाद सुनें। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद क्या कारण है किस कारण अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपको ठोस कार्यवाही करने की पहल करनी होगी। अभी तक हम लोकतंत्र के चौथें पाये के रूप में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को महत्व देते हैं और तमाम जगह पर उन्होंने जाकर के इसको दिखाया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी कोई भी ज्यादा से ज्यादा डी0एम0 और एस0एस0पी0 अपने आफिस में लोगों की फरियाद सुनने के लिये मौजूद नहीं हैं। इसलिये केवल कागज पर आदेश हो जाय और उसका व्यावहारिक स्वरूप न तैयार हो सके तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की तौहीन हो रही है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं जो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिये बनाई गयी थीं, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को सीधे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था वह तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो महापुरूषों के नाम पर संचालित जरूर थीं लेकिन लाखों और करोड़ों की तादाद में उससे गरीब लाभान्वित होकर सीधे मुख्य धारा से जुड़ रहे थे उनकी इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा योजना माहामया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना, मान्यवर, कांशी राम शहरी समग्र विकास योजना इन सारी योजनाओं का कहीं जिक्र ही नहीं और माननीय मंत्री जी

समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र तो समता मूलक समाज की स्थापना का रहा है। जब हम एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान देने की बात करते हैं तो महापुरूषों का सम्मान क्यों नहीं ?

मान्यवर, डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाज के एक आदर्श थे, महापुरूष थे इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बहस नहीं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर आप एक नहीं एक दर्जन योजना चला दीजिये हम उसका स्वागत करेंगें लेकिन डाक्टर अम्बेडकर के नाम की वह योजना जो 1991 से चल रही थी और उस समय मुख्य मंत्री शायद हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री के पिता जी ही थे और 1991 से संचालित डाक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना जो उस समय भारत सरकार के निर्देश पर सेम्पुल के तौर पर यहाँ पर शुरू की गई थी और दिनों दिन वह सुदृढ़ होता गया आज उसी अम्बेडकर समग्र विकास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 60 फीसदी गांवों में पक्की सड़क, बिजली, स्कूल, पानी, इंडिया मार्का नल, पंचायत, सी0सी0 रोड जैसे विकास के कार्य हुए हैं उस नाम को परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या रही। आप इससे भी अच्छी योजना कोई ला देते। डा0 लोहिया जी के नाम पर एक क्यों आप एक दर्जन योजनाएं चला देते स्वागत योग्य होता लेकिन महापुरुषों के नाम पर एक संचालित योजना का नाम बदल कर डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर कर दिया गया। यह क्या दोनों महापुरूषों का अपमान नहीं है। एक और डा0 अम्बेडकर का अपमान है जो भारतीय संविधान के निर्माता थे जो इस देश के करोड़ों-करोड़ गरीब जनता के मसीहा थे। दूसरी ओर डा0 राम मनोहर लोहिया जी जो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना के महानायक थे उनके भी दर्शन पर यह सवालिया निशान है। इसलिये मान्यवर, मालूम नहीं कौन लोग राय दे देते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी जैसा कि मैंने कहा कि चेहरे से भोले हैं। भोलापन उनमें हैं लोग उनके भोलेपन का फायदा उठाकर गलत रास्ता बता देते हैं।

(हंसी)

इसलिए मान्यवर इन सब चीजों पर गम्भीरता से मनन करने की आवश्यकता है, और यही नहीं यह सर्वविदित है, बहुत सी सरकारें आई-गई, हमारे साथियों की भी सरकारें आई-गई, उधर कई बार सरकारें बनी और आई-गई, लेकिन मान्यवर, बड़े पैमाने पर गांव का विकास, गांव में स्कूल, पानी, बिजली, पंचायत भवन, इण्डिया मार्का-2 सभी विकास कार्यों का संतृप्तिकरण का कार्य अगर हुआ तो अम्बेडकर योजना के माध्यम से। बारी-बारी से यह हमारी सरकार का संकल्प था कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव चाहे-छोटे हों, चाहे बड़े हों, सबको हम बारी-बारी से अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित करेंगे, विकास करेंगे, गांव-गांव तक विकास ले जाएंगे, इन विकास परक योजना में आखिर औरों को पैदा करने की आवश्यकता क्यों रही, इसका भी राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, हमने इसका कड़ा प्रतिवाद किया था। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तमाम राजनीतिक दल जब-जब सत्ता में आते हैं, आपसी सौहार्द बिगड़ता है, भाईचारा टूटता है लेकिन बहुजन समाजपार्टी की चार बार सरकार आई लेकिन एक बार भी कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ था। कोई फसाद नहीं हुआ था, भाईचारा बड़ा, आपसी सौहार्द बड़ा था।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी हमारे साथी बैठते हैं बगल में और वह कभी-कभी अपनी भूमिका भूल जाते हैं हमें क्या करना है। वह सरकार के सलाहकार बन जाते हैं। लेकिन, मान्यवर, हम सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से यहां चुनकर आए हैं। लोग उनकी भावनाओं को यहां

प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्र की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को यहां उद्धत करने के लिए, क्षेत्र की समस्याओं को बताने के लिए यहां आते हैं और कहीं भी अगर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का निर्वहन नहीं होता है हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो जिन लोगों ने यहां चुनकर भेजा है हम कहीं न कहीं उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तमाम कल्याणकारी योजनायें खत्म की गई हैं जिसको फिर से प्रारम्भ करने की आवश्यकता है और मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि केवल पत्थर मूर्ति और स्मारक के अलावा कुछ नहीं मिला। जो लोग इस देश के दलितों और पिछड़ों पर हमेशा कोड़ा बरसाए हैं, जिन लोगों ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को सत्ता शासन से दूर रखने का काम किया जिन लोगों ने इस बड़े समूह को जानवर से बदतर जिन्दगी जीने पर मजबूर किया, स्वाभाविक रूप से आज उनमें पैदा होने वाले किसी महापुरुष को सम्मान दिया जाएगा तो संभवतः उसकी आँखें पथरा जाएंगी।

तो स्वाभाविक रूप से उसकी आंखे पथरा जायेंगी क्योंकि जिसको हमने कभी इन्सान नहीं समझा, अगर आज उसकी आदमकद प्रतिमा लगती है, उसका भव्य स्मारक बनता है तो स्मारक घोटाला दिखाई पड़ता है, वह इसलिए दिखायी पड़ता है क्योंकि देखने वालों की आंखे पथरा गई हैं। साथियों मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं, जो बैठे हुए साथी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय-समय पर यहां जो भी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो या बहुजन समाजपार्टी की रही हो, सभी सरकारों ने अपने-अपने तौर-तरीकों से महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया है। किसी ने दीनदयाल उपाध्याय की परियोजना चलाई, किसी ने जवाहर लाल नेहरू और गांधी जी के नाम से परियोजना चलाई, किसी ने राम मनोहर लोहिया जी पर परियोजना चलाई, किसी ने डा0 अम्बेडकर के नाम पर परियोजना चलाई तो मान्यवर, महापुरुष, महापुरुष होता है, अगर हम उसको सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी मुझे अधिकार नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अब बदला-बदली से काम नहीं चलेगा, आप डा0 अम्बेडकर का नाम बदल दें, हम राम मनोहर लोहिया का नाम बदल दें, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके साथी नए-नए सरकार में आए हैं, इसलिये उछल रहे हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं है, आप इनको संभालिए, आप इनके अगुआ हो, आप इनके नेता हो, आप माननीय मुख्य मंत्री हो, अगर आज आप डा0 अम्बेडकर का नाम हटा रहे हैं और जब बहुजन समाज पार्टी आए वह राम मनोहर लोहिया जी का नाम हटाये तो ऐसा कोई काम यदि होता है तो यह डा0 अम्बेडकर का भी अपमान है और राम मनोहर लोहिया जी का भी अपमान है। इसलिए हमें ऐसी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए कि कल किसी महापुरुष पर अपमान का कोई दाग लगे। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं, इस प्रकार की कोई मंशा नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं और मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पहली बार सुश्री बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बनी थीं तो सबसे कम उम्र की थीं, तब तक के जितने भी मुख्य मंत्री थे, उसमें सबसे कम उम्र की मुख्य मंत्री थी। आज उनसे भी कम उम्र के माननीय मुख्य मंत्री हैं, श्री अखिलेख यादव जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके अन्दर ऊर्जा है, क्षमता है तो काम करके आगे बढ़ो लेकिन लीपापोती की संस्कृति ठीक नहीं है और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह केवल स्मारक, मूर्तियां और पत्थर नहीं हैं बल्कि इसमें विकास छिपा है।

(कई सदस्य जोर-जोर बोलने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इन्हीं महापुरुषों के नाम पर अगर अक्ल हो तो सोचो, आंख हो तो देखो।

(कई सदस्य जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें, आप नेता विरोधी दल का भाषण सुनें।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो बातें पसंद हैं, नापसंद हैं तो जब आप बोलिएगा तो बोल लीजियेगा। कृपया शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी समझ में नहीं आएगा। इन स्मारकों, पार्कों में विकास छुपा है। डा0 अम्बेडकर के नाम पर डा0 अम्बेडकर नगर जिला बना। मान्यवर, कांशीराम जी के नाम पर मान्यवर कांशीराम नगर जिला बना, रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर रमाबाई नगर जिला बना, ज्योतिबा फूले के नाम पर ज्योतिबाफूले नगर जिला बना, गौतमबुद्ध के नाम पर गौतमबुद्ध नगर जिला बना, महामाया के नाम पर महामायानगर जिला बना और मान्यवर, इन तमाम महापुरुषों के नाम पर अनेकों विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुयी। रचानात्मक कार्य कराइये, आगे बढ़िये। मैं तो इशारा कर रहा हूं।

(टोका-टाकी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। बाद में बोल लीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं तो इंगित कर रहा हूं कि माननीय युवा मुख्य मंत्री जी अपनी इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें। तमाम निर्माण कार्य करके आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। किसी बनाये हुए काम को मिटाकर आप कभी भी लोगों के प्रिय नहीं हो सकते। मान्यवर, आज सुश्री बहन मायावती जी राज्यसभा में हैं। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने विश्वविद्यालयों की स्थापना पिछले 55 सालों में नहीं हुयी है उससे ज्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना विभिन्न महापुरुषों के नाम पर 5 साल की सरकार में करने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और विकास तभी संभव होगा जब प्रदेश में कानून का राज होगा। अगर आप चाहते हैं कि गाजियाबाद में नोएडा में, विकास हो आपकी तमाम नई-नई योजनाएं चलें तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक विकास की कल्पना संभव नहीं है। जब व्यवसायी यह सोचेगा कि हम जिस प्रदेश में व्यवसाय करने जा रहे हैं वहां से वापस लौटेंगे या नहीं तो वह इस प्रदेश में क्यों आएगा।

(टोका-टाकी माहौल ठीक है)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह कह रहे हैं कि माहौल ठीक है। मान्यवर, जो लोगों की बस्ती उजाड़ रहा है यह तो आने वाला समय बताऐगा। अभी तो इनको हर जगह हरियाली नजर आ रही है। जब मौका आएगा तब पता चलेगा कितना खेत बचा है और कितना चर गये।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रक तथा कारागार राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

आप इधर से उधर कैसे गये यह बतायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप क्यों इतनी जल्दी इधर आना चाहते हैं यह बतायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह हमारी बराबरी कर रहे हैं। मैं तो सत्तापक्ष का ध्यान खींचने के लिए कभी-कभी वेल में कूद जाता हूं क्या यह लोग वेल में कभी आयेंगे ? तो इसलिए आप इधर आने के लिए इतना ज्यादा उतावलापन मत कीजिए अभी ढाई महीने भी पूरा नहीं हुआ अभी कम से कम साफ दिल, दिमाग कर के काम का मन बनाइये और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उनसे हम सब बहुत सीखते भी हैं, यद्यपि कि उनका पुराना अनुभव हम सबका कभी-कभी मार्गदर्शन भी करता है और कभी-कभी हम समझते हैं एक डांट खा रहे हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए मा0 बहन मायावती जी को कि आजादी के 63 सालों में उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हुई थी, उसको बहन मायावती जी ने कर के अल्पसंख्यक समाज के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया।

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग राज्य मंत्री (श्री महबूब अली)-

लेकिन यह शिक्षा भी नहीं लेना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

शिक्षा तो मैं हमेशा लेता रहता हूं और आप लोगों से भी मैं शिक्षा लेता हूं और उसका कभी-कभी उपयोग भी करता हूं।

मान्यवर, ''छींका टूट बिलारी के भाग''

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा यह कहने पर कि मुहावरा तो सही-सही कहिये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अरे, ''अंधे के हाथ बटेर कभी-कभी लग जाता है''।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शान्त होकर सुनें, माननीय नेता विरोधी दल जब खड़े हों तो अन्य किसी सदस्य को नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

बटेर तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत थोड़े ही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी, जब अंधे के हाथ बटेर लगे, ठीक है, लेकिन कभी बटेर को अगर अंधा हाथ आ गया तो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रायः इसी बात से फायदा उठा जाते हैं तो इसलिए मान्यवर, यह तो तमाम डपोरशंखी घोषणाओं के बिना पर सरकार बन गई और जब घोषणायें हो रही थीं तो उस समय घोषणाओं में कोई शर्त नहीं थी, उस समय तो केवल एक भाषा थी कि सभी बेरोजगार, बेरोजगारी भत्ता पायेंगे। सरकार में आने के बाद शर्तें लगना शुरू हो गई। कभी 35-45 कभी 40 के ऊपर का कभी 30-40 का, आखिर जो नौजवान बच रहे हैं वह क्या करेंगे, आप बतायें। हमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी खटिया वही नौजवान खड़ा करेगा जिस नौजवान ने गलतफहमी से आपको वहां पर बैठाने का काम किया है, वह समय आने दीजिए।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। नेता विरोधी दल को अपनी बात कहने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर मैं इस पर कहने को आऊंगा, तो तमाम मा0 मंत्री जी लोगों को अपना मुंह छिपाना पड़ेगा, इसलिए उस पर मत सुनवाइये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज,

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी और कितना समय लेंगे आप ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बस बहुत जल्द ही हम अपनी बात समाप्त कर देंगे।

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, ये नेता विरोधी दल हैं। नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप जानते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नेता विरोधी का समय तो असीमित है। यह बात दूसरी है लेकिन अभी बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे। अगर दो-दो मिनट, पांच-पांच मिनट सबको मिल जाएं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कल चर्चा है, परसों भी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जल्दी कर रहा हूं, ये तो बीच-बीच में समय ले लेते हैं हमारे साथी लोग नहीं लेते तो अब तक खत्म कर दिया होता।

श्री अध्यक्ष-

कुछ उत्तर के लिए भी छोड़िए, आप उत्तर भी तो रखेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि आज टैबलेट और लैपटॉप में परसेण्टेज की बात हो रही थी, उस समय तो नहीं हुई। अरे ये तो मा0 मुख्य मंत्री जी का तिकड़म था, काम कर गया। आप लोग सब कोई चले आए। इसके लिए आपको अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए जिनके बलबूते पर बैठे हैं। आप लोगों की करनी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप वहां पर बैठते।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी विषय पर बोलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ये तो ठग लिए।

(सत्ता पक्ष की ओर से शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, विषय पर आइए और जल्दी-जल्दी समाप्त करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज हालात यह है बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है .....

(सत्ता पक्ष की ओर से शोरगुल होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शान्त रहें, मौर्या जी को जल्दी-जल्दी खत्म कर लेने दें। बहुत लोगों को बोलना है। जितना ही आप बोलेंगे, मौर्या जी उतना उत्तेजित होंगे। कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

''बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठे हों तो अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा''

मान्यवर, आज यही हालात है। मान्यवर, आज जो बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी है, अराजकता का दौर है, इस पर तमाम लगाम का कोई जिक्र नहीं, अपराधियों पर अंकुश लगाने का कोई जिक्र नहीं। बहन-बेटियां आज थानों में सुरक्षित नहीं, उनकी सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं। मान्यवर, आज केवल लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस राजधानी लखनऊ में आज चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मजदूर हो। आज किसी की बहन-बेटी अकेले इसलिए नहीं निकल सकती कि कब उसकी झोलियां छीन ली जाएं उसकी चेन

छीन ली जाए, कब उसको कट्टा लगा दिया जाए। यह अफरा-तफरी का माहौल है और इसीलिए मान्यवर .....

(सत्ता पक्ष की ओर से शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। सारे सदस्य शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, इसीलिए यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जन-विरोधी है, सरकारी दस्तावेज है, ढपोरशंखी घोषणाओं का यह कागज है और साथ ही साथ [xxx] ये का पुलिन्दा है इसलिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का मान्यवर, हम विरोध करते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, पहले जो परम्परा रही है कि सभी बड़े नेता बोलते हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी रहते हैं। आज अभी मा0 मुख्य मंत्री जी हैं तो अगर आप लोगों की राय हो तो मैं दलीय नेताओं को बुला दूं।

श्री हुकुम सिंह-

धन्यवाद, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, हर नेता को 15-15 मिनट का समय है। अच्छा बोलिए तो पहले शुरू तो करिए, आप तो वैसे भी समय ले लेते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोई बीच में न टोके।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह डालते हैं, आप को तो बहुत ज्ञान है।

* श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैं उसी के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ढाई महीने सरकार को हुए हैं और ढाई महीने में मैं आलोचना में विश्वास नहीं करता। अवसर पूरा नहीं मिला, जो कुछ कहूंगा केवल सुझाव के तौर पर कहूंगा। मान्यवर, अभिभाषण शुरू होता है, खासतौर से अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं और हमने पूरी गरिमा बना के रखी हमने पूरी गरिमा बना कर रखी, आज नेता प्रतिपक्ष का बहुत अच्छा सारगर्भित भाषण मैंने सुना और उससे मैं लाभान्वित भी हुआ और भागीदारी आपकी भी उतनी ही रही है, क्योंकि वह दो लाईन बोलते थे, तो टोका-टाकी बहुत करते थे। मान्यवर, यह अभिभाषण का प्रथम पक्ष इसमें मैं केवल कुछ बिन्दुओं को रखने की कोशिश करूंगा। इसमें लिखा गया है कि ''राजनैतिक अधोपतन के चलते पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली अनेक घटनाएं इस दौरान घटी। विगत पांच

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्षों के लूट-खसोट के एजेण्डा के स्थान पर मेरी सरकार ने विकास का एजेण्डा तैयार किया है, वह प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जायेगा।'' जहां तक शुरुआत है पंक्ति की हम तो सहमत हैं, जो कुछ पांच साल में हुआ, वह आपके सामने भी हुआ और हमारे सामने भी हुआ, लेकिन आपने उसमें कुछ दुरुस्त कर दी हो, वह नजर नहीं आती। खुद आपके ही कथनानुसार नजर नहीं आती। अगर नजर आती तो बार-बार आपको चेतावनी न देनी पड़ती। हर बार आप कह देते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाएगी, यह सब स्थिति। चेतावनी देने का मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए चेतावनी देनी पड़ती है और हर बार 15 दिन का समय देते हैं, तो यह ठीक कैसे हो जाएगी।

मान्यवर, अगर हम जातीय आधार पर नियुक्ति करेंगे। हम इस बात को आधार मानकर नियुक्ति करेंगे कि मेरे राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति कौन कर सकता है, तो फिर आम जनता की कौन सुनेगा ? हम अपने मन में टटोल करके देखें कि क्या हमने नियुक्तियां निष्पक्ष भाव से की है ? हमने हजारों स्थानान्तरण किए और पूरी व्यस्तता इस सरकार की रही स्थानान्तरण करने में, विचार कर लें आप खुद ही कि हमारे सामने स्थानान्तरण करने की प्राथमिकता क्या थी ? नंबर एक प्राथमिकता तो यह थी कि पूर्ववर्ती सरकार के नजदीक होंगे, उसे हटाओ तुरंत, दूसरी यह थी कि हमारे राजनैतिक एजेण्डे को पूरा कौन कर सकता है, किस पर हमें विश्वास है, फिर कानून व्यवस्था ठीक कहां से हो जाएगी, अपराध कहां से रुक जाएंगे। आपने क्या लायक पुलिस अधीक्षक को छोड़ा है कि वह अपनी मर्जी से थानों की नियुक्तियां कर दें, उसका नियंत्रण रह पायेगा और अगर उसका नियंत्रण नहीं रह पायेगा तो लखनऊ से हम कितना प्रयास कर लें, मान्यवर, स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आज यही स्थिति चलती है। मान्यवर, यह कहते हुए मुझे कष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो नियुक्ति गुण और दोष के आधार पर नहीं की गयी। एक जाति विशेष के लोगों ने समझ लिया कि हम सर्वोपरि हैं, यदि किसी एक जाति विशेष का अधिकारी तहसीलदार था तो अपने आपको कमिश्नर से ऊपर मानता था। अगर एक जाति विशेष का अधिकारी दरोगा था तो वह अपने आपको डी0आई0जी0 से ऊपर मानता था। क्या आपने प्रयास किया उस भावना को दूर करने का। यह संदेश देने का कि नहीं पक्षपात के आधार पर नहीं तुम्हारी परफारमेन्स देखी जाएगी और परफारमेन्स देखने के बाद, वह तुम्हारा अधिकारी होगा। अधिकारी को पूरा अधिकार होगा समीक्षा करने, वह माहौल बनाने की जरूरत है, यह मेरा सुझाव है। अगर कुछ कमी रह गई है तो सोच लें, जनता का भला करना है, प्रदेश का भला करना है, मेरे सुझाव पर विचार कर लें, विचार करेंगे तो 6 माह के भीतर आपको स्थिति बदली नजर आएगी, अगर नहीं करेंगे तो यह धोखा है सबको कि राजनैतिक एजेण्डा हमारा अधिकारी पूरा करता है। राजनैतिक एजेण्डा पूरा करता है हमारा अपना कैडर। राजनैतिक एजेण्डा पूरा करते हैं हमारे अपने कार्यकर्ता। हमने कार्यकर्ता पर विश्वास छोड़कर के अधिकारियों को आगे ले लिया है। मान्यवर, यह उचित नहीं लगा, जब समस्त प्रदेश के उच्च अधिकारियों को आपने बैठाया, समीक्षा की और उनको आप अपना चुनाव घोषणा-पत्र सौंप रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बांट रहे हैं, उनको अपना घोषणा-पत्र । क्या मेसैज लेकर जाएंगे वह हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सरकारी अधिकारी हैं, और अगर उनके मन में यह बात आ जाएगी कि सरकारी कार्यकर्ता के रूप में काम करना है तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए कानून-व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है और अपराध रुकने वाले नहीं है। मान्यवर, सुबह शाम मीडिया में खबरें बनी रहती हैं कि फलां थाने के अन्तर्गत बलात्कार की घटना हो गयी है। यह मनःस्थिति आ गयी है। वह जो मौजूद वहां पर अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वह जानने लग गये हैं कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। आप उनकी इस मनःस्थिति को दुरुस्त कीजिये। बस आपके अंदर

इसके लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए। कोई रुकावट आपके सामने आने वाली नहीं है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था बनाये रखने की आपकी जिम्मेदारी है थानों पर। वह व्यवस्था आज पूरी की पूरी बिगड़ गयी है। कभी किसी थाने पर आप जाकर के देख लीजिये। जो डकैती, लूट, बलात्कार अपहरण की घटनायें रोकने का काम उन दरोगाओं और सिपाहियों को करना चाहिए वह किसी और काम में लग जाते हैं। अगर तीन दरोगा किसी थाने में तैनात हैं तो उसमें से दो शाम को निकल जाते हैं और पूरी रात मेहनत करते हैं मुख्य मार्गों पर जाकर ट्रकों को रोकते हैं दूसरे बड़े वाहनों को रोकते हैं चेकिंग के नाम पर। अब जब वे लोग वहां पर खड़े होकर अपनी नींद खराब करेंगे तो थकावट तो होगी ही उनको। और उस चेकिंग की प्रक्रिया के चलते ट्रकों का फिर काफिला सा लग जाता है। अब एक और नई चीज उसमें हो गयी है उन दरोगाओं ने प्राइवेट आदमियों को हॉयर कर लिया है अवैध वसूली के लिए। वह प्राइवेट आदमी जाकर ट्रकों पर डंडा मारते हैं और पैसे वसूल कर दरोगा जी को आकर दे देते हैं। उसमें वहां पर मारपीट की घटनायें भी होती हैं। जो लोग इस तरह के लिप्त पाये जायें उन्हें आप दंडित करें या उनको ट्रेनिंग की ड्यूटी पर लगा दें तो उपयुक्त होगा। यह सिपाही से लेकर ऊपर तक की स्थिति एक सी बन गयी है सब बड़े अधिकारियों ने भी समझौता सा कर लिया है। वह भी कहते हैं कि दो साल सर्विस को रह गये हैं अब नोएडा में मकान बनाना है तो करोड़ रुपये तो चाहिये हीं उनको भी। अब प्राथमिकता उनकी यह हो गयी है। अब ईमानदारी के साथ काम करने वालों की कमी हो गयी है। जब आम आदमी एफ0आई0आर0 कराने जाता है तो उसकी वहां पर सुनी नहीं जाती है जब तक कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति उसके लिए सिफारिश न कर दे। आप सोचिये कि उस गरीब पीड़ित आदमी पर क्या बीतती होगी बजाय उसकी एफ0आई0आर0 लिखने के उस पर कार्यवाही करने के उसी को गालियां सुनने को मिल जाती हैं। अब वह जांच का इंतजार करता है केवल वोट देने के लिए। उसकी कोई फरियाद सुनता नहीं है। अब इन सब दिक्कतों को दूर करने का माहौला कैसे बनेगा। वह माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको यह माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से वह माहौल भी बन जायेगा। आपने डी0आई0जी0 से आई0जी0 बना दिया वह क्या कर रहे हैं यह भी आप देखें। केवल थानों का जाकर निरीक्षण कर लिया और देख लिया कि कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं। उस पर क्या कार्यवाही हुई है वह भी देखने की बात होनी चाहिए। उनके द्वारा अपने इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की बात होनी चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब यह मानसिकता उनकी बन गयी है कि इस बार कितनी वसूली हुई है पिछले महीने कितनी हुई थी तो फिर कैसे काम चलेगा। इस मानसिकता को आपको अपने दृढ़ निश्चय के साथ दूर करना होगा। इस सोच को आप जरूर बदलने का प्रयास करेंगे। आज इसकी बहुत आवश्यकता है।

मान्यवर, रोजगार सृजन की बात कही गयी है। आपने बेरोजगारी भत्ते की बात कही है वह स्वागत योग्य है। मान्यवर, और भी जगहों पर बेरोजगारी भत्ता लोगों को दिया जाता है लेकिन उसके आधार अलग-अलग होते हैं आपके आधार अलग हैं। आपने अपना आधार इसमें दिया है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता दे देने मात्र से तो काम चलने वाला नहीं है। उनके लिए रोजगार सृजन की दिशा में आप क्या पहल कर रहे हैं यह तो आपको बताना होगा। उनमें उम्मीद जगानी होगी। आज नौजवान पढ़े लिखे ट्रेंड बेकार घूम रहे हैं आखिरकार वह कब तक बेरोजगार बने रहेंगे। कब तक वह आपके बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर करते रहेंगे। उनको तो रोजगार चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है आपको

औद्योगिक निवेश का माहौल बनाना पड़ेगा। आपने प्रयास भी किया है और विशेषज्ञों को बुलाकर बात भी की है लेकिन वह विशेषज्ञ दूसरे लोग हैं बड़े लोग हैं वह इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों को बनाने की बात करते हैं। उनकी बातें ज्यादा हवा की होती हैं वह जमीनीं बात नहीं करते हैं। इसको आपको देखना होगा। यहां की स्थिति को देखना होगा। इसी देश में दूसरे प्रदेशों में क्यों उद्योग जा रहे हैं मेरे यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है और उद्योग कभी भी खुशामत करने से नहीं आये हैं उद्योगपति को सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, उसके मन में सुरक्षा का भाव आना चाहिए कि मैं जा रहा हूं मेरा अपहरण नहीं होने का, मैं जा रहा हूं गुण्डे लोग मुझसे वसूली नहीं करने को, एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया मान्यवर, कि राजनीतिक नेताओं का संरक्षण देकर हर वर्ग पर हावी होता, चाहे व्यवसायी हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, वकील हो सब पर हावी होता है और उसी को देखकर उद्योगपति भागता है कि मेरा लाखों का काम है चन्द गुण्डे मुझको आकर यहां पर फ्लड कर रहे हैं, मैं कैसे यहां पर रह पाऊंगा, इस वातावरण को ठीक करिये आप। इस प्रदेश में बहुत बड़ी गुंजाइश है, मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता अपनी, किसी और की नहीं करना चाहता लेकिन मैंने खुद भी देखा है सरकार में रह करके कि नोएडा में किस प्रकार से उद्योगपति भागकर आ रहा था, लाइन लगा रहा था खड़े हो करके कि मुझकों प्लाट लोनिंग में दे दीजिए, मुझकों प्लाट यहां पर दे दीजिए। 3-3 टेबिल्स हमने वहां पर रखवाई अधिकारियों की कि फौरन उनका रजिस्ट्रेशन हो, बीच में क्या हो गया, क्यों चला गया बुलाइये, रोजगार तब होगा। नवयुवकों का उद्धार तब होगा जब उसको रोजगार मिलेगा उसके मन में सम्मान पैदा होगा कि जो कुछ कमा रहा हूं अपने खून पसीने की कमाई से कमा रहा हूं यह खैरात बांटने से उसके मन में सम्मान नहीं पैदा होगा, एक उसके मन में हिकारत की भावना पैदा होगी कि क्या यार एक हजार रुपये लेकर दो रोटी खा लेता हूं, मेरा वजूद क्या है, यह नहीं उसकी सृजन शक्ति बढ़े, रचनात्मक काम बढ़े, सोच बढ़े उसके लिए जरूरी है कि इस प्रदेश में ज्यादा उद्योग आयें।

खेती की हालत क्या हो गयी, आपने कृषि पर बहुत जोर दिया, क्या हालत है खेती की आज, मैं एक कृषक हूं और कृषक परिवार से आता हूं, राजनीति में हूं खेती भी अच्छी-खासी है, मेरे परिवार में, मैं अनुभव बता रहा हूं मेरे अलावा कोई खेती कर नहीं रहा है पर मैं राजनीति कर रहा हूं वह खाली बैठे हैं सब। कहना यह है कि आज खेती अपने हाथ से करेंगे यह लाभप्रद हमारे लिए नहीं रही, ठेके पर देते हैं 6 हजार रुपये बीघा पर घर बैठकर खाते हैं इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी, रही क्यों नहीं लाभप्रद, अभी गेहूं क्रय केन्द्र की बात आई आपने बहुत छापे भी मारे सब कुछ मारे लेकिन कब मारे जब 90 प्रतिशत गेहूं जा चुका, 15 मार्च को आपने शपथ ली थी, सबको पता है कि पहली अप्रैल से गेहूं की आवक शुरू हो जायेगी, हमें क्या इस बात की प्रतीक्षा करनी थी कि जब तक आवक शुरू हो जायेगी, यहां बोरियों की कमी की शिकायत नहीं होगी, तब भी क्या इंतजार करने की बात थी, बहुत बड़ा शोषण हुआ और इस बार सौभाग्य से रिकार्ड उत्पादन हुआ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हुआ।

यह तो ईश्वर की मेहरबानी है, प्रकृति कभी-कभी कृपा करती है इस बार कृपा की हुई थी और किसान को यह उम्मीद लगी थी कि खेत में जितना गेहूं पैदा हुआ है उसके अच्छे दाम 1250 रुपये मिल जायेंगे प्रति कुन्तल तो मेरी बहुत समस्या हल हो जायेगी लेकिन दुख की बात है कि साढ़े 900 रुपये 900 रुपये में उसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और जो लोग खरीदते थे बाद में वही ले जाकर 1250 में बेचते थे क्योंकि व्यवस्था खराब थी। जितनी आपने कार्पोरेशन लगायी हुई थी यहां की मैं नाम तो क्या लूं उनका, एक-एक कर्मचारी की नियुक्ति पैसे लेकर हो रही थी कि वहां जा रहे

हो वहां गेहूं का खरीद 1000 कुन्तल होगा, एक हजार टन होगा, उसके हिसाब से पहले पैसे जमा कर दो यहां पर। यह स्थिति यहां की थी, आप पूछेंगे तो मैं बाद में आकर बता भी दूंगा। जो लोग यहां पर एडवांस में पैसे जमा करके जा रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वह किसान का गेहूं खरीद लेंगे, नहीं खरीद पायेंगे, यह ठीक करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करना चाहिए तभी कुछ खेती की बात होगी।

खाद के बारे में आपने लिखा है कि पहले भण्डारण हम कर लेंगे, अच्छा है भंडारण आप कर लेंगे लेकिन कई वर्षों से स्थिति यह थी, गेहूं की बुआई हुई डी0ए0पी0 नहीं, पहला पानी आया यूरिया नहीं और एक-एक बोरी के लिए वहां संघर्ष चल रहे हैं, डी0ए0पी के लिए संघर्ष चल रहे हैं, अगर आप भंडारण कर लेंगे, पहले योजना बना लेंगे, स्वागत योग्य बात है लेकिन यह भंडारण कर पायेंगे नहीं कर पायेंगे क्योंकि राज्य सरकार के सामने दुनिया भर की कठिनाइयां हैं क्या-क्या नीति बनती हैं, क्या-क्या नीति नहीं बनती है तो इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।

गन्ना के बारे में आपने जिक्र किया, अबकी बार मान्यवर, गन्ने की स्थिति यह रही कि खेत में गन्ना खड़ा सूखता रहा, एक ऐसी बीमारी आई कि उसकी रिकवरी कम होती चली गयी, उत्तर प्रदेश का आज शुगर उद्योग बीमारी की हालत में है जहां पर रिकवरी कभी-कभी 12 प्रतिशत तक जाती थी, साढ़े आठ से ऊपर नहीं पहुंच पाई। यह बातें हमारे विचार करने की हैं। आगरा हमारा उद्योग चौपट हो गया तो चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो तो सारा गन्ना किसान चौपट हो जायेगा। तो यह चिन्ता की बात है और आपको वैज्ञानिकों की टीम बनानी चाहिये ताकि वह निष्कर्ष निकालें कि आखिर वह कौन सी बीमारी थी, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया और अंत में आकर वह गन्ना सूखना शुरू हो गया और रिकवरी इतनी डाउन हो गयी और अब बैंक वाला किसान को लोन देने को तैयार नहीं है। यह हालत उनकी है, किसानों को पैसे कहां से मिलेगें। तो मैंने सुझाव के रूप में आपके सामने रखा है, इस पर आपको विचार करना चाहिये।

मान्यवर, आपने बहुत अच्छी बात कहने का प्रयास किया कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी मुख्यालय पर बैठेंगे, कुछ दिन को छोड़कर और वह जनता को उपलब्ध रहेंगे। बस मैं एक सुझाव दे रहा हूं , कल 10 बजे, माननीय विधायक सत्ता पक्ष के, इनसे जिले में किसी को टेलीफोन कराकर आप देख लेना कि वह मुख्यालय पर हैं कि नहीं। यह आदेश हो गये आपकी तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्रीगण आश्वस्त हो गये कि हमने आदेश कर दिया और वह बैठे हैं। लेकिन कोई चिन्ता नहीं कर रहा, बहुत बड़े-बड़े आदमी हो गये हैं वो। डी0एम0 और एस0पी0 को तो छोड़ दीजिये, तहसीलदार तक नहीं बैठता। हैसियत प्रमाण-पत्र की बात कही है आपने। यह हैसियत प्रमाण-पत्र हो खतौनी का दाखिल खारिज हो, आज हमारे सम्मानित लेखपाल भाइयों ने अपने असिस्टेंट रख दिये हैं, वही तस्दीक करके लाते हैं और रेट बंधे हुये हैं, डरने की बात नहीं है कि वह मेरे उप चुनाव पर प्रभाव डाल देंगे, इस बात की चिन्ता मुझे नहीं है। मैं लेखपालों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता हूं और आप भी नहीं लड़ते होगें। लेकिन पीड़ित कौन है, वह छोटा किसान, वह गांव का आदमी, वह छोटा ठेकेदार, वह छोटा व्यापारी जो आकर अपना हैसियत प्रमाण-पत्र लेना चाहता है। दाखिल खारिज के लिये आपने कानून भी बना दिया, यह व्यवस्था भी कर दी कि इतने दिनों के अंदर बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज हो जायेगा। एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी तीन-तीन महीने और 6-6 महीने के दाखिल खारिज अभी पड़े हैं, यदि पैसा नहीं दिया है। आप चलकर देख लें और आज आप तहसीलों का औचक

निरीक्षण यहां से आप टीमों के द्वारा कराइये कि कितने किसानों के दाखिल खारिज के मामले, कब से पेंडिंग हैं और जिसके यहां पेंडिंग मिले उसको एक बार दिखा दीजिये कि नौजवान मुख्य मंत्री में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, ताकि संदेश जाये उन बेईमानों के ऊपर, कि यह बदमाशी अब हम सहन करने वाले नहीं हैं। खाली हम लोगों का काम टेलीफोन तक सीमित रह गया है।

हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ, हमारा हैसियत प्रमाण-पत्र नहीं मिला, मेरा फलां काम नहीं हुआ। शस्त्र लाइसेंस के बारे में नवीनीकरण के लिये आपने कहा कि जिम्मेदार वह होंगे, आज यहां सारा सदन बैठा है, आप हाथ खड़े करा लो, अगरा किसी के कहने से एक लाइसेंस बन जाये। केवल आपके कहने से बन जायेंगे, मंत्रियों के कहने से बन जायेंगे। लेकिन आप माननीय सदस्यों से पूछ लीजिये, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, गिरावट बहुत आ चुकी और यहां तक आ चुकी जिनके आधार पर हम सारी व्यवस्थाओं को लेकर बैठे हैं, अपने आपको आई0ए0एस0 तमगा लगाने वाले अधिकारियों के यहां तक गिरावट आ चुकी है कि अब लाइसेंस भी बिना पैसे के नहीं बन रहा है। यह हमने कभी सुना नहीं था। मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। मेरे अपने जिले में छोटा जिला बना है, जो कुछ समस्या हम भुगत रहे हैं, हमारे कांग्रेस के सदस्य भी हैं, बालियान साहब बैठे हैं। यहां पर, पंकज मलिक जी और हम भी हैं, सुरेश राम भी हैं। हम तीनों उसी जनपद से आये हुये हैं। जिला तो बना दिया, घोषणा कर दी लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, जिला बन गया, घोषणा कर दी अब जाओ, न कोई दफ्तर, न कोई अधिकारी, जिलाधिकारी गये और मिल वालों के मकान पर कब्जा कर लिया, गेस्ट हाउस पर कब्जा है। कभी-कभी हम लोग जाकर मीटिंग कर लेते थे, हम लोग वंचित हो गये और कुछ होने वाला नहीं वहां जिले-विले का, नाम भी ऐसा रख दिया कि मुझे तो याद नहीं रहता। मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कह दीजिए कि इसे समाप्त कर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

अगर आप दो करोड़ रुपये जिले के निर्माण में नहीं दे सकते तो मैं कहूंगा कि इसे समाप्त कर दें। लाइसेंस की बात मैंने कही और लाइसेंस की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कुछ लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं कि उन जिलों में जहां लाइसेंस की रिकमेंडेशन आ चुकी हो, संस्तुति आ चुकी हो और तीन-तीन बार वह रोक रहे हों क्योंकि उसमें कहा गया है कि यदि 6 महीने में लाइसेंस नहीं बनेगा तो वह दोबारा जाएगा और मान्यवर, एक लाइसेंस की एप्लीकेशन को दोबारा लाने में 3 हजार से 5 हजार रुपये का खर्च आता है। विपक्ष की ओर से 10 हजार रुपये लगते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

सही कह रहे हैं 10 हजार रुपए तक लग जाते हैं। क्या करें हम लोग, आप लाइसेंस दे रहे हैं या लूट करा रहे हैं उसकी। आप देखिये कि उनकी एप्लीकेशन 6 महीने से या दो साल से क्यों पड़ी है। उसके बाद पूछिये कि संस्तुति पहले भी थी और संस्तुति बाद में भी की गई तो पहले उसे क्यों नहीं माना गया। एक-आध को पकड़िये, आपको पता लग जायेगा और उनको भी पता चल जायेगा कि कोई पूछने वाला है, कोई सुनने वाला है। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति के बारे में आपने कहा कि कृषि क्षेत्र

के फीडर को अलग कर देंगे, आवासीय क्षेत्र के फीडर को अलग कर देंगे लेकिन क्या इससे समस्या हल हो जाएगी। अभी जेनरेशन तो होने वाला है नहीं, जहां से उपलब्ध हो सकती हो वहां से उपलब्ध करा दीजिए, खरीदारी कर लीजिए, बस इतना कर दीजिए कि उसमें कमीशन न खाया जाय। अगर आप बिना कमीशन के जिस कीमत में बिजली खरीदें उसी कीमत पर दिलवा दें तो इस प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान आपका हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने पहले भी कहा और आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं। सारे सदस्य चाहे वह इधर के हों या उधर के हों, उधर के तो खैर सौभाग्यशाली हैं लेकिन हम इधर वाले ज्यादा अभागे हैं लेकिन आपने हमें और अभागा कर दिया। इतना पहले कभी नहीं हुआ था जिस तरह से भेदभाव हुआ है अब ज्यादा बढ़ गया भेदभाव, आजम साहब ने कहा कि हम देख लेंगे, वह बात अलग है। लेकिन मान्यवर, एक क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली आये और एक क्षेत्र में दो घण्टे भी नहीं आये यह धोखा मेरे साथ क्यों। साढ़े तीन लाख, चार लाख की जनसंख्या का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आखिर उनको हम क्या जवाब दें। क्या उनके लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, अगर यह नहीं हो पाता है तो हम समझते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं। हमें मजबूर होकर कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा चाहे हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़े या कुछ और करना पड़े। अगर आप छः घण्टे दे सकते हैं तो छः घण्टे दे दें, हम खुश हैं लेकिन ऐसा न कीजिए कि कही 24 घण्टे दें और कहीं पर 2 घण्टे भी न दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी और कितना समय है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, समय तो ऊपर वाले के हाथ में है, न मेरे हाथ में है और न आपके हाथ में है। मान्यवर, जल्दी खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पेज 20 देखें इसमें लिखा है कुछ जाति विशेष के लिए कि उनको हम अनुसूचित जाति की सुविधा दे देंगे, क्या सुविधा दे देंगे आप, क्या यह सम्भव है आपके लिए, आपके कहने मात्र से क्या यह अनुसूचित जाति में चले जायेंगे। पहले भी घोषणा की थी अब फिर घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद लोग हम लोगों के पीछे भागते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है आप हमारा प्रमाण-पत्र निकलवाइये। जिन जातियों का आपने जिक्र किया है वह अखबारों में छप जायेगा उसके बाद लोग प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आ जायेंगे, मैं तो सीधे उनकी एप्लीकेशन ले करके आपके पास आ जाऊंगा कि आप ही बनवाइये अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र। मान्यवर, जब कुछ होना नहीं तो फिर इसे बार-बार कहने का फायदा क्या है। हां अगर आपके हाथ में है तो कर दीजिए। पार्लियामेन्ट करेगी यह सबको पता है। यहां से होने वाला भी नहीं है, जितने भी समाज कल्याण से संबंधित काम हैं, वृद्धावस्था, विकलांग पेंन्शन हो, जितनी भी व्यवस्था है, पूरी तरह से चौपट है। गांवों में चले जाईये, दांत नहीं है, बुढ़िया है, न जाने कब से खाना नहीं मिला है, लाइन लगाकर विधायकों के सामने खड़ी हो जाती है कि भैया हमारी पेन्शन नहीं आयी। मान्यवर, आपके सामने भी खड़ी होती होगी और आप लोगों के सामने भी खड़ी होती होंगी। हम सब लोगों ने एक-दूसरे से बढ़-चढ़ करके वायदे कर लिये कि फलां पेंशन दे देंगे, फलां पेंशन दे देंगे। गिनती नही है, न जाने दर्जनों प्रकार के पेंशन दे रखे हैं और कोष कोई है नहीं। बजट आप रिलीज नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत किया भी तो जिले स्तर के जो समाज कल्यण विभाग के संबंधित अधिकारी बैठे हैं, हमारे यहां तो उसके ऊपर गोली भी चली, वह भी अनशन पर बैठा

हुआ है। पैसा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ? थोड़ी सी कार्यवाही हो जाए ताकि पात्र व्यक्तियों तक यह पहुंच जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, अब समाप्त करिये।

श्री हुकुम सिंह-

लैपटाप की बात न कहें।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बहुत से लोग कह चुके हैं अगर नहीं कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह-

लैपटॉप दे दीजिए, खूब दीजिए लेकिन लैपटॉप से पेट भरेगा क्या ? उनको तो रोजगार चाहिए। अब विश्वविद्यालयों पर आना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, कुछ आप अपने पार्टी के लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं खाली आपका ध्यान चाह रहा हूं क्योंकि आपका शिक्षा से विशेष लगाव है। महाविद्यालयों में जा करके देखिये, मैं गारण्टी के साथ कहता हूं, कभी जाईये अगर किसी महाविद्यालय में आपको कक्षा में बैठे हुए छात्र मिल जायं या पढ़ाते हुए हमारे लेक्चरर्स मिल जांए, आप जा करके देख लीजिए। मेरा शौक है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट राजकीय महाविद्यालय बनवाया, देखने गया, शौक था कि देखें पढ़ाई हो रही है या नहीं ? मैंने देखा कि सर्दी के दिन थे हमारे प्राचार्य महोदय, लॉन के बीच में बैठे हुए मूंगफली खा रहे थे। डेढ़ बजा था, मैंने कहा कि लंच हो रहा है क्या ? क्लास में देखा क्लास खाली, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है तो कहा कि बच्चे नहीं आते हैं। एक दो बच्चे मिले तो पूछा कि पढ़ते क्यों नहीं हो, तो बताया कि पढ़ाने नहीं आते। चौपट है मामला। वेतन देते रहो, घोषणा करते रहो। हमें यह वातावरण बनाना है कि वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था बन जाए, बच्चों को विश्वास हो जाए कि पढ़ाई होगी, टीचर्स को विश्वास हो जाए कि मुझको क्लास लेनी होगी। इस वातावरण का पुनः निर्माण करना है। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं कृषि विश्वविद्यालय की बात कह कर खत्म करुंगा क्योंकि अगर वह नहीं करुंगा तो आपको दिक्कत आयेगी। कृषि विश्वविद्यालय चाहे कानपुर, फैजाबाद व मोदीपुरम का हो, ये महान व्यक्तियों के नाम से बने हैं। एक चन्द्रशेखर आजाद के नाम से, दूसरा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम से, तीसरा आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम से बना हुआ है। उनकी हालत क्या है ? इन विश्वविद्यालयों से जितने भी अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक थे वे नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, बहुत अव्यवस्था हो चुकी है। खाली एडमिशन होता है। बच्चों की मजबूरी है वहां पर एडमिशन लेना। कोई पढ़ाई नहीं होती, आप उनसे पूछिये कि पिछले 8-10 सालों में कितनी सीड विकसित की है, कितने किसानों को प्रशिक्षित किया है। सारी व्यवस्था चौपट हो रही है और उत्तर प्रदेश का नाम दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। इस अभिभाषण पर आपने बहुत कृपा की, 4-5 बार टोका-टाकी की इसके बावजूद भी केवल जनवितरण प्रणाली पर दो वाक्य कर अपनी बात खत्म करुंगा। यह बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एक समानान्तर व्यवस्था कभी भारत सरकार ने

खड़ी की थी कि बाजार में किसी चीज की कमी हो जाए तो एक समानान्तर व्यवस्था हमारे पास भी रहे। यह मैं अपना पाप भी स्वीकार करता हूं कि यह मैंने खाद्य मंत्री के रूप में निर्णय लिया था कि सरकारीकरण से हटा करके उसको पंचायतों को दिया जाए। लेकिन आज सरकारी अधिकारियों ने उसको इस प्रकार जकड़ लिया सारी व्यवस्था को, कि पात्र व्यक्ति के पास तक पहुंचना असम्भव हो गया। बहुत ज्यादा उस पर काम करने की आवश्यकता है और इसे दोबारा सुचारुरूप से ठीक करने की आवश्यकता है क्योंकि गांवों के आदमियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, मिट्टी का तेल अगर 14 ड्रम जाने हैं तो 10 ड्रम वह वहीं बेचकर जाता है जहां से वह उठाता है और पैसे लेकर खाली जाता है और पैसे एस0डी0एम0 से ले करके जो दूसरे अधिकारीगण है उनको बांट करके अपनी तरक्की करता है।

इसलिए आपने जो कुछ इसमें लिखा था उसी पर अपने विचार रखे हैं। इस विश्वास के साथ रखे हैं जैसा कि मैंने कहा था कि ढाई महीने की सरकार है आलोचना की बात नहीं है सुझाव की बात है। सुझाव के रूप में मैंने अपने विचार रखे हैं। मैं विश्वास लेकर जा रहा हूं, आप इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए विचार करिए ताकि प्रदेश का भला हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री प्रमोद तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव आदरणीय नेता विरोधी दल ने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रखे हैं मैं भी उन्हीं संशोधनों में कांग्रेस पार्टी के रखे गये सारे संशोधनों को जोड़ते हुए उन पर बल देता हूं। मान्यवर, एक अजीब सी स्थिति होती है जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है और जब पहला सत्र होता है तो कहना जरा कुछ मुश्किल होता है। हुकुम सिंह जी ने राह दिखाई मैं उनका आभारी हूं उन्होंने कहा आलोचना नहीं करेंगे बल्कि सुझाव देंगे। ठीक है दो ढाई महीने की सरकार की बहुत आलोचना नहीं कर सकते मैं तो दो-ढाई महीने की सरकार को शुभ कामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करे। इस संभावना के साथ जैसा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र है कि काली रात खत्म हो गई सुबह आ रही है तो यह सुबह साबित हो उससे काली रात साबित न हो। इसकी कामना मैं करता हूं। यह आपसे कहते हुए जितनी बातें मैं कहूंगा उसे एक सुझाव के रूप में जैसा कि श्री हुकुम सिंह जी ने कहा उसी के रूप में लिया जाय। मान्यवर, सबसे बड़ी बात अगर सरकार कर दे तो उसे मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। विधायिका को, विधायिका की गरिमा को, संसदीय प्रणाली को, संविधान की मूल आत्मा को, अगर आप वापस कर दें तो मैं समझता हूं कि यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ह्रास तो सब जगह हुआ कमी तो सब जगह आई लेकिन इसे अन्यथा न लिया जाय अपनी आंखों से मैंने और जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने यहां जिस तरह से ह्रास होते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में उतना कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी कष्टदायक चीज जो मैंने देखी मान्यवर, भारत संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत लिखा हुआ है कि मंत्रिमण्डल इस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिमण्डल का काम है जनाकांक्षाओं को पूरा करें और उसमें अगर कोई कमी रह गयी है तो यहां पर बैठे हुए हर विधायक को अधिकार है कि वह मंत्रिमण्डल की उस कमी को उजागर करें हम उनको जिम्मेदार ठहरायें यह कोई परम्परा नहीं भारत का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान है। लेकिन बहुत दुखद कार्यकाल बीता, इसे अन्यथा न लिया जाय, जब मंत्रियों की पिछले दो तीन सालों में जितनी निरीह अवस्था देखी उतनी इसके पहले नहीं देखी। उस सरकार में भी मैंने उठाया था इसलिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। उस सरकार में भी मैंने तीन बार औचित्य के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया था हुकुम सिंह जी महाना जी गवाह हैं। हो क्या रहा था तीन साल में सारी ताकत मंत्रिपरिषद् से लेकर मुट्ठीभर अधिकारियों के यहां कैद कर दी गई थी। जवाबदेह बेचारे मंत्री, काम करें अधिकारी। मुझे तो उस दिन लगा कि आज लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है जब मैं देखता था कि माननीय मंत्रीगण दो एक अधिकारियों के यहां बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे कि कब उनको मिलने का मौका मिलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं मौर्य जी अगर मेरी बात सच न हो तो मना कर दीजिए। वह संसदीय प्रणाली के पतन का दिन था जिस दिन अधिकारी मंत्री के कमरे में नहीं जाता था बल्कि मंत्री अधिकारी के कमरे में जाता था और जवाब देना पड़ता था मंत्रियों को। इनकी हैसियत तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं इसके पहले की सरकार की बात कर रहा हूं। मंत्रियों की हैसियत तो यह भी नहीं रह गई थी कि अपने विभाग में ट्रांसफर कर सकें। उन्हें अपने विभाग के ट्रांसफर की जानकारी समाचार-पत्रों से होती थी और बहुत सी जगहों पर अधिकारी को तो छोड़ दीजिए अधिकारी के पी0ए0 को छोड़ दीजिए उसके पी0ए0 का चपरासी ज्यादा ताकतवर था मंत्री कमजोर थे। यह व्यवस्था खत्म करिये दृढ़ता करिये।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं विधायिका में अगर ताकत होगी, विधायक में अगर ताकत होगी तो आपकी सरकार में ताकत होगी और जब सरकार में ताकत होगी तो प्रदेश में ताकत होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

लोकतंत्र में ताकत होगी तब ही विकास और तरक्की होगी। वह पहले वाली व्यवस्था वापस आनी चाहिए दूसरा काम जो मैं एक सुझाव के रूप में देना चाहता हूं। सबको माफ करने को मैं तैयार हूं मान्यवर, उस व्यवस्था को माफ करने को मैं तैयार नहीं हूं। मान्यवर, हम तो आपको सबसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं और कहा जाय कि आप अच्छे हैं तो मैं तो उन लोगों में हूं जो कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। कोई तराजू आपको तौले तो आप उससे भी ज्यादा वजनी हों लेकिन गेहूं खरीद घोटाले की सच्चाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही 20 किलो का तौल दिया। मान्यवर, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 किलो का तौल दिया तो गेहूं का किसान कितने किलो का तौला जाता होगा इसका अंदाजा जरा आप लगा लें।

मान्यवर, मैं बधाई दूंगा आपको आपने साहस दिखलाया लखनऊ से निकलकर गये और आप न जाते तो जो मैं आज यहां पर कह रहा हूं आप यकीं न करते। आपको लगता कि मैं आलोचना के लिए कह रहा हूं। लेकिन जब आपने अपनी आंखों से नंगा सच देखा कि किसान का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है बिचौलिये का गेहूं खरीदा जा रहा है और तो छोड़ दीजिए मान्यवर, मैं तो कहता हूं आपसे कि जब आपने अपने आप को खड़ा कर दिया और आपको लगा कि आप सिर्फ 20 किलो के रह गये हैं तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान का गेहूं उतने का उतना रहे ऐसी मशीन बना दीजिए। यही प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जब किसान का गेहूं खरीदा जाय तो बिचौलिये की जगह अगर कहीं हो तो वह उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कर दीजिए और किसान के हाथ में राज दे दीजिए। मान्यवर, यह नीचे से नहीं होगा, दो कर्मचारी सस्पेंड करने से नहीं होगा। एक

अधिकारी हटाने से नहीं होगा। ऊपर से जहां से भ्रष्टाचार चले गंगोत्री को आप जब तक समाप्त नहीं करेंगे गंगा तब तक निर्मल नहीं होगी। ऊपर से नीचे तक साफ करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं बहुत जल्दी-जल्दी में बहुत सी बातें कह देना चाहता हूं। कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि ब0स0पा0 के शासनकाल में कानून व्यवस्था खराब थी लेकिन मैं दुःख के साथ कहता हूं कि उससे भी ज्यादा खराब आपके समय में है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि एक-एक जिले में 27-27 कत्ल हुए 27-27 मर्डर हो रहे हैं। आज बदायूं में एक मासूम लड़की जियारत करने गई थी थाने के अंदर उसका बलात्कार होता है। मान्यवर, इकदिल जो इटावा में है वहां 6-6 लोग मारे गये। 27 एक जगह 70 एक जिले में। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा पूरी सूची अखबारों में छपी है। मैं उठाकर उसको पढ़ सकता हूं। मान्यवर, दृढ़तापूर्वक रोक दीजिये। मान्यवर, इसका भी मैं एक सुझाव आपको दिये देता हूं। अपराध कब होता है ? अपराध तब होता है जब उसको राजनैतिक संरक्षण मिलता है, सत्ता का संरक्षण मिलता है। आप बेरहमी के साथ क्योंकि ईश्वर ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है। 224 आपके और मिलाकर बहुत से लोग होंगे। आप कोई बहुमत के मोहताज नहीं कि अपराधियों और माफियाओं के सामने यह सरकार घुटने टेके। अगर किसी माफिया के अन्तर्गत कहीं अपराध हो रहा हो तो उसको निकालकर बाहर फेंकिये, उसको सजा दीजिये यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस दिन आप लोगों को कानून व्यवस्था दे देंगे मैं समझता हूं कि वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और मैं इस बात को दोहराता हूं कि कानून व्यवस्था आज कमजोर है ओर उसको सुधारने की आवश्यकता है। आप उसको सुधार सकते हैं, आपमें शक्ति है, हालात हैं और उस शक्ति को आवाज देते हुए कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था प्राथमिकता पर होनी चाहिए। तीसरी बात बिजली की।

मान्यवर, इससे आज कौन इंकार कर सकता है कि आज प्रदेश में बिजली की हालत जितनी खराब है उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन मैं इस ढाई महीने की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता क्योंकि मैं इस विभाग को देख चुका हूं इसलिए इस विभाग के लिए मैं आपको अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराता। सच्चाई तो यह है कि 1989 के बाद से पावर प्रोडक्शन के लिए, जेनरेशन के लिए प्लान्ट कम लगे। इस सच्चाई को मैं विधान सभा में कह रहा हूं कोई चुनौती दे तो मैं साबित कर सकता हूं कि 1989 के बाद प्रोडक्शन कम हुआ। जो प्रोडक्शन ऊंचाहार में होता था, टांडा में होता था उसको बेच दिया गया है। उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो 1989 के बाद जितनी सरकारें आई कहीं न कहीं से वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। जेनरेशन होगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी गैप बढ़ता जा रहा है। बिजली की दिक्कत आयेगी। आपने बहुत योग्य अधिकारी लगा रखे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी है। मैं तो केवल एक बात सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि सिर्फ सबको छोड़कर एक पावर प्लान्ट प्रोडक्शन के लिए लगाइये। बाहर से लोगों को बुलाइये जो पैसा देकर लगाना चाहें पी0पी0पी0 में उसको बुलाइये और किसी तरीके से आगे 3 साल 4 साल जितना जेनरेशन होगा तो आगे होने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक ही नहीं होगी बल्कि बेहतर हालत में आ जायेगी।

बहुत बड़ी गल्ती हुई है। मैं कहता हूं गल्ती हुई है मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं। उत्तराखंड बन रहा था, उस समय हाईडिल पावर का अधिकार छोड़ दिया। आज हाईडिल पावर के नाम पर केवल रिहन्द है और कुछ है ही नहीं। सारा चला गया जब बंटवारा हुआ तो उस समय क्यों ख्याल नहीं रखा गया कि हमें बिजली बनाने का अधिकार वहां रखना चाहिए। हाईडिल की बिजली दिन पर दिन सस्ती होगी और थर्मल की बिजली दिन पर दिन मंहगी होगी। उस समय आपकी सरकार नहीं

थी, जिसकी सरकार थी, वह जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की नहीं है कि गल्तियां कहां हुई हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा एक बात मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि राज्य के बजट हमने देखें हैं कैसे होते हैं, नौ-दस साल हमने भी देखा है। मंत्री के रूप में भी देखा है मैं जानता हूं कि बहुत सीमित साधन होते हैं बहुत साधन आपके पास नहीं हैं। मैं आपके उस कथन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बधाई देता हूं, आपने कहा हम कन्सलटेशन की राजनीति नहीं करेंगे हम टकराव की राजनीति नहीं करेंगे, हम केन्द्र के साथ बेहतर सम्बन्ध बनायेंगे इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है, जब केन्द्र से सहायता मिले, हम आपको आश्वस्त करते हैं, अपने साथियों की ओर से आश्वस्त करते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश के हित में केन्द्र से सहयोग की आवश्यकता होगी वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं जायेगी, कांग्रेस पार्टी खुद जायेगी और उत्तर प्रदेश की पैरवी करेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने बड़ी दृढ़तापूर्वक कदम उठाया रायबरेली में एम्स का झगड़ा पिछले तीन साल से फंसा था, वरना अब तक बन गया होता। आपने कहा हम वहीं नहीं जमीन देंगे बल्कि जरूरत पड़ेगी तो बुन्देलखंड में जमीन देंगे और जगह भी जमीन देंगे। जब तक केन्द्र सरकार से परियोजनाओं में पैसा नहीं आयेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट इतना नहीं होता है कि आप विकास कर लें, तरक्की कर लें, तो आप इनसे संबंध रखिये। कांग्रेस की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग प्रदेश की तरक्की के लिए, आपके साथ जरूर खड़े होंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजारों मेगावाट आपने खो दिया उत्तर प्रदेश में बरगढ़ में एन0टी0पी0सी दो साल इन्तजार करती रही कि बुन्देलखंड में, बांदा में, हम लगायेंगे, एक पैसा आपका नहीं लग रहा था जमीन भी आपको लेकर नहीं देनी पड़ रही थी। जो फ्लोट ग्लास की जमीन थी, जो खत्म हो गई थी, फ्लोट ग्लास का कारखाना है बरगढ़ में, यहां पर चित्रकूट के लोग बैठे होंगे, बांदा के लोग होंगे, बुन्देलखंड के लोग बतायेंगे, वह जमीन तीस साल से बेकार पड़ी थी उसको एन0टी0पी0सी0 के लोग मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया और वही पावर प्लान्ट मध्यप्रदेश में लग गया। अगर उत्तर प्रदेश में लगता तो उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिजली लगाने के लिए बुलाइये। मान्यवर, इन सुझावों के साथ-साथ दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं कि 16 हजार करोड़ से ज्यादा का उपयोग नोयडा में, ग्रेटर नोयडा और उत्तर प्रदेश से चला गया। उत्तराखंड में लग गया, हरियाणा में लग गया, अगर यह 16 हजार करोड़ उत्तर प्रदेश में लगता तो उत्तर प्रदेश की हैसियत बढ़ती और बेरोजगारी की समस्या भी घटती। अब ऐसा वातावरण पैदा करिये कि जो गये से गये, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जायेंगे नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश में लोग लगाने आयेंगे इसका अगर आप प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी। बुन्देलखंड का पैकेज आया लेकिन हमारे बुन्देलखंड के साथी बता रहे थे कि ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, कहा गया वह पैसा, बुन्देलखंड में गरीबी थी अगर किसी ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है तो उसने इंसान की लाश से कफन नोंचने का काम किया है। इसकी उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुन्देलखंड की प्यासी धरती को पानी मिलना चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछड़ा विभाग के मंत्री जी होंगे तो उन्हें मालूम होगा। आपको पता है मुख्यमंत्री जी, पिछले तीन-चार साल से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वजीफा नहीं दिया जा रहा है। कोई वजह हो सकती है, आप प्राथमिकता के आधार पर जो पिछड़ा

वर्ग के छात्रों का रुका हुआ धन है जो विद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं और उनको एडमिट कार्ड इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वह फीस नहीं भर सकते हैं उनके भविष्य को संभालिए।

उनके भविष्य को संभालिए, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति के जिन बच्चों को वजीफे नहीं मिले हैं, वह मिल जाने चाहिए। फीस के लिए प्राविजन था कि उनके प्रवेश ले लिए जायेंगे और फीस सरकार देगी लेकिन 3-4 सालों से उनकी फीस नहीं गयी। अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, यह कष्टकारक है, उसे कम होना चाहिए, लेकिन कम करने के लिए तेल कम्पनियां जब तक करें, लेकिन जब दिल्ली कर सकती है, केरल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी वैट कम किया जाना चाहिए, इससे आम जनता को राहत मिलेगी।

मान्यवर, खाद की बात करूं, अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, खाद हिन्दुस्तान के हिन्दुस्तानियों को नहीं मिलती थी, नेपाल के लोगों को मिलती थी। आप भी सिद्धार्थ नगर के हैं, खाद आती है, नेपाल में बिक जाती है। खाद पहले हिन्दुस्तान के लोगों को मिलनी चाहिए। 500-700 रुपये बोरी जो ब्लैक है, उस पर रोक लगे। मेरा एक फार्मूला है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, प्रदेश के विकास के लिए, मान्यवर, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जबकि आपके पास आर्थिक संसाधन न हों, तब तक नये जिले न बनाये जायें। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने से क्या, जब चुनाव हो तो नये जिले बना दीजिए। जिला बनाने का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन नया जिला बना दिया। अभी माननीय पंकज मलिक और हुकुम सिंह जी बता रहे थे, भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जो समझ में आये, किसी ने पूछा की प्रबुद्ध नगर जाना है, मेरी समझ में नहीं आया कि प्रद्युम्न नगर जाना है या प्रबुद्ध नगर जाना है, मैंने सोचा कि मैं उत्तर प्रदेश का इतना वरिष्ठ विधायक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश के जिलों तक का ज्ञान नहीं है। मान्यवर, यदि नये जिले बनें तो नाम वही होने चाहिए, अमेठी को पुराना नाम वापस दे दीजिए, हापुड़ को उसका नाम वापस दे दीजिए, हाथरस का नाम वापस दे दीजिए और भी कई नाम हैं। हम फार्मूला बता रहे हैं, आप जैसे पढ़े-लिखे व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आप इसे अपने सर पर मत लीजिए, आप वहां के जनप्रतिनिधियों को, एम0एल0ए0 और एम0पी0 को बुला लीजिए और पूछ लीजिए, अगर वह चाहते हैं तो यहीं घोषणा कर दें कि इन जिलों का नाम वही होगा जिन नामों से यह जाने जाते थे, जिनकी अपनी ऐतिहासिक पहचान है, काका हाथरसी को कौन नहीं जानता, काका हाथरसी या महामाया ? मान्यवर, बिजली के बारे में बात आई, मैं दोहराना नहीं चाहता, एक मेरा फार्मूला है, यदि मान लेंगे। आपको प्रदेश की चिन्ता है, आपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, तकनीकी शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की है, प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों की हालत क्या है, किसी से छिपा नहीं है, कुछ प्राइवेट यूनीवर्सिटीज कैसे बनीं, उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, नेता विरोधी दल के रूप में आजम खां साहब जानते हैं, वहां पर कानून नहीं लागू होता, आपकी जो टेक्निकल यूनीवर्सिटी है, पता नहीं इन प्राइवेट यूनीवर्सिटीज का उस पर क्या प्रभाव है कि टेक्निकल यूनीवर्सिटी 50 और 60 परसेण्ट पर प्रवेश परीक्षा कराती हैं उससे नीचे वाले बच्चे उसमे आवेदन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन प्राइवेट यूनीवर्सिटीज में 33 परसेण्ट और 35 परसेण्ट वाले बच्चों के प्रवेश लिए जा रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर एआईसीटी 45 प्रतिशत मांगती है, आपकी जीबीटीयू 45 प्रतिशत पर प्रवेश परीक्षा लेती है तो फिर प्रवेश परीक्षा 45 प्रतिशत की होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर किया जाता है तो इन प्राइवेट युनिवर्सिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। मान्यवर, इस पर विचार कर लें। मान्यवर, मेरा एक फार्मूला है केवल तीन या चार मिनट लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं।

मान्यवर, कोई फार्मूला बताइये कि सर्वांगीण विकास कैसे होगा। एक सड़क जायेगी एक इलाके का विकास करेगी, दो सड़क जायेगी दो इलाके का विकास करेगी। किसी जगह पर ज्यादा बिजली हो तो उस इलाके का ज्यादा विकास होगा। कुछ जगह पर पानी के लिए सुविधायें होंगी तो उस जगह का विकास होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मानक बनाइये। मानक बनाने के लिए 403 यूनिट में इस उत्तर प्रदेश को बांटिये। 403 विधान सभा क्षेत्र में 403 यूनिट बनाइये और यह 403 यूनिट तो निर्वाचन आयोग ने बना ही दिया है। अब इन यूनिट्स को अगर आप संतृप्त करेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास अपने आप हो जायेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हर विधान सभा में आप विधायक की राय से 5-6 सौ हैण्डपम्प लगाइये। क्षेत्रीय विधायक से कहिये तुम 600 हैण्डपम्पों को सुझाव हमें दो। मैं समझता हूं कि कोई विधायक इसमें बेईमानी नहीं करेगा क्योंकि जिसको दोबारा चुनाव लड़ना है वह बेईमानी नहीं करेगा। अगर वह बेईमानी करेगा तो चुनाव में जनता उससे जवाब मांगेगी। वह वहीं का सुझाव देगा जहां की जनता उससे चिल्ला कर हैण्डपम्प मांगेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक फार्मूला है कृपया उसे सुन लें। मान्यवर, 6 सौ हैण्डपम्प आप उसे दे दें। सामान्यतः दो या तीन ब्लाक होते हैं। अगर 5 साल तक आप यह 600 हैण्डपम्प देते रहे तो तीन हजार हैण्डपम्प हर विधान सभा क्षेत्र में लग जायेंगे तो मैं समझता हूं कि जब आप 5 साल बाद जनता के बीच जायेंगे तो आप जनता से कह सकेंगे कि हमने तुम्हारी पानी की समस्या का निदान कर दिया है। दूसरा मान्यवर, बिजली के बारे में कहना है। अभी हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि कहीं 24 घण्टे आती है कहीं 2 घण्टे आती है। जरा उनकी भी तो सोच लीजिये। एक गांव में आधे गांव में बिजली जलती है, तो अगर पड़ोसी के यहां बिजली नहीं जलती होगी तो पड़ोसी को क्या लगता होगा। तो मान्यवर, हुकुम सिंह जी से भी ज्यादा मेरी डिमान्ड है ओर इसका भी एक इलाज है। आप हर विधान सभा क्षेत्र से 8-10 गांव फिक्स कर दीजिए। अगर आप कर देंगे तो हर विधान सभा क्षेत्र से 50 गांव हो जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपका संतृप्त हो जायेगा। तीसरी बात मान्यवर, वह तो माननीय श्री शिवपाल जी करने ही जा रहे हैं। 10 किमी0 की सड़क मान्यवर। मान्यवर, बहुत सी योजनाओं में तमाम सड़कें हैं। मैं 4-5 साल से देख रहा हूं। जिला योजना में हम देते थे जिला योजना यहां तक आती थी फिर लौटकर नहीं जाती थी। नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि 3-3 किमी0, 2-2 किमी0, 1-1 किमी0 के जो क्षेत्र बचे हुए हैं। अगर आप 10 किमी0 का कर दें तो बहुत काम हो जायेगा। इसी तरह से पी0एच0सी0 के लिए कहना चाहता हूं कि अब मानक शिथिल हो गये हैं। इसलिए अब पी0एच0सी0 लग सकती है। अगर एक-एक जिले में 5-6 पी0एच0सी0 चली जाये, हर विधान सभा क्षेत्र में लग जाये और अगले पांच सालों में पांच पी0एच0सी0 हो जाये। तो आपको दुआ देगा वह जो एनआरएचएम का मारा हुआ है, एनआरएचएम में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, एनआरएचएम में जितना बड़ा पाप हुआ है, एनआरएचएम में जितनी बड़ी ज्यादती हुई है, अरे उसको मारो, उस पर डकैती डालो जो स्वस्थ्य है, तो बात समझ में आती है, जिसकी सांस रुक रही थी अगर उसके पैसे को लूटा है, तो ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा करने वालों को कड़ी

से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दवायें आजकल कहां मिल रही हैं, गटर और नाले में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि इसको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए और अन्त में मैं कहूंगा कि दाम बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मंहगाई बढ़ी है, मान्यवर, कोई यहां बैठा हो कह दे कि सरिया का दाम नहीं बढ़ा है, ईंटे का दाम नहीं बढ़ा है, मजदूरी का दाम नहीं बढ़ा या बालू, मौरंग का दाम नहीं बढ़ा, मौरंग तो मिल भी नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक क्षेत्र विकास निधि 01 करोड़ 25 लाख रुपये है मान्यवर, आप किसी अर्थशास्त्री को बुलाइये, जितनी मंहगाई दर बढ़ी हो उसके हिसाब से अगर आप बढ़ा देंगे तो यह 01 करोड़ 25 लाख की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि हर हालत में 03 करोड़ तक पहुंच ही जायेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतना कर दीजिये। मेरा यह जो फार्मूला है उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश को 403 टुकड़ों में मैंने न इधर की कही न उधर की कही और जिनकी नहीं करनी चाहिए थी उनकी भी कर दी, मैं तो 403 टुकड़ों में बांट रहा हूं जिन्होंने गलत प्रथा की, इनको भी लाभ मिलना चाहिए, दीजिए इनको भी लाभ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी एक का नहीं है, मुख्य मंत्री आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सारी जनता के हैं, इसलिए आप कुछ ऐसे कदम उठायें और आप उठा सकते हैं क्योंकि आप मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं और ज्यादा बातें आपसे न कह करके इस बात को यहीं समाप्त करता हूं, जो मैंने संशोधन रखें हैं उस पर बल देता हूं और नई सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पांच साल काम करें, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को कतई माफ न करें जो हमारे मुख्य मंत्री को 20 किलो में तौल दें, धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता विस्तार से सभी विषयों पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री दलवीर सिंह-

मैं समझ रहा हूं, नई सरकार को केवल अभी ढाई महीना हुआ है और काफी बुरी और बदतर स्थिति माननीय मुख्य मंत्री जी को मिली है, लेकिन फिर भी ढाई महीने में यदि इच्छा शक्ति हो माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो कानून व्यवस्था की स्थिति सही हो सकती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है, पूरे प्रदेश की नहीं मैं अपने जनपद और जिले की बात बता रहा हूं, दिन में बैंक लूट रहे हैं, हत्याओं का ग्राफ बढ़ गया है। जो पूर्व वक्ताओं ने कहा उनसे मैं हट कर अपनी बात कहूंगा, अभी माननीय तिवारी जी ने भी कहा, इतने बड़े प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा मांग करता रहा है, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह ने अनेक बार मांग की है कि जब तक इस प्रदेश के चार भाग नहीं होंगे तब तक कानून व्यवस्था की

स्थिति सही नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं यह मांग करता हूं कि कानून व्यवस्था को सही करने के लिए प्रदेश को चार भागों में बांटा जाय। बिजली की भारी कमी है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी, तिवारी जी बहुत विस्तार से बता चुके हैं। मेरे जिले के बराबर जिले में बाई इलेक्शन हो रहा है मांट में, वहां बिजली 24 घण्टे से भी ज्यादा दी जा रही है, सवा चौबीस घण्टे आ रही है और कहीं पर इतनी बिजली नहीं दी जा रही है और वहां पर इसलिए दी जा रही है क्योंकि वहां पर चुनाव जीतना है तो ऐसी विसंगतियों का हम विरोध करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नार्दन इण्डिया में मात्र एक बिजली घर है हरदुआगंज पावर हाऊस, पिछली सरकार में हरदुआगंज, कासिमपुर में पांच सौ मेगावाट की दो यूनिट लगाई गई, दोनों यूनिट लगाने की उस वक्त कीमत थी 22 सौ करोड़, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण पिछले समय में इसकी कीमत पहुंच गई 29 सौ करोड़। दोनों यूनिटों पर इतना पैसा खर्च हुआ है मा0 मुख्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता जी, आप अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री दलवीर सिंह-

आप देखिये दोनों यूनिटों पर 29 सौ करोड़ रुपया खर्च होने के बाद कोई यूनिट काम नहीं कर रही है, इतनी बड़ी रिश्वत ली गई है उसमें, पूरे के पूरे प्रोग्राम को उन्होंने फेल कर दिया। तत्कालीन सब अधिकारियों ने उसे खा-पीकर बराबर कर दिया। मैं चाहूंगा और मैंने मांग की है मुख्य मंत्री जी से कि उसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। जैसे अन्य बेईमानी के घोटाले खुल रहे हैं, उनसे कम बड़ा घोटाला हरदुआगंज, कासिमपुर पावर हाउस के इन दोनों यूनिटों में कम घोटाला नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि इनमें जांच होनी चाहिए। गेहूं खरीद के सम्बन्ध में मैंने खुद अधिकारी के साथ मीटिंग की। एक अधिकारी मुझे मिले जो मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा नोडल अफसर बना करके भेजे गये हैं। मैंने पूछा कि भाई आप क्यों आये हो तो बोले कि हम व्यवस्था देखने आये हैं। बोरी है नहीं, पैसा है नहीं। मैंने अपने जिले के कलेक्टर से कहा कि एक काम यदि यह सरकार कर दे कि जो एफ0सी0आई0 के गोदाम हैं जहां ट्रक अनलोड होता है, 1500 से 2000 रुपये तक का डाला दिया जाता है। आज तक किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न रुका। जब वहां 2000 रुपया एक ट्रक में देना पड़ रहा है। तो यहां क्रय केन्द्र हैं वहां वो 3 किलो प्रति कुण्टल के हिसाब से हर किसान से वसूल कर रहा है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, न जिला प्रशासन कर पा रहा है, न ही सरकार कर पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि जरा ध्यान दें और खरीद केन्द्र खुले हैं उनमें बेईमानी को रोका जाये। अभी जब चुनाव हो रहा था तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को बिजली फ्री, नहरों में टेल तक पानी, सिंचाई फ्री लेकिन इस अभिभाषण में मैंने देखा कि इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं किया गया। न बिजली फ्री, न किसानों का सिंचाई का पैसा फ्री, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं इसलिए संशोधन किया जाये। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हमारे पूर्व साथी कह रहे हैं कि उस पर वैट घटा दिया जाये तो अच्छा रहेगा। यह जनहित का काम है। जो जातियां रह गई हैं, अभी आपने कुछ जातियों को एस0सी0 कास्ट में शामिल करने के लिए घोषणा की है, मैं उसमें चाहूंगा अहेरिया, ठठेरे और धनगर आपके सभी के क्षेत्रों में हैं। अहेरिया भी बदतर जीवन काट रहे हैं, ठठेरे जाति के कहीं-कहीं, किसी-किसी गांव में 2-2, 4-4 मिलते हैं और धनगर इनको भी आप एस0सी0 कास्ट में अगर शामिल करेंगे तो एक अच्छा काम होगा। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से राजस्व मंत्री

जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को खेत बेचने में, अपना मकान बेचने में परीमीशन के बिना वे बेचारे बेच नहीं सकते, फिर वो काहे के मालिक हैं। जब उनको अपनी जमीन सम्पत्ति बेचने का अधिकार नहीं है तो फिर वे खाम-ओ-ख्वाह मालिक कहे जाने के वो अधिकारी ही नहीं हैं। उसका लाभ लिया है पिछली सरकार में, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, इस सदन में मेम्बर भी रहे हैं जितने भी एस0सी0 कास्ट के प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने पूरे प्रदेश भर में, जैसा मैं अलीगढ़ का समझ रहा हूं हरिजन जाति के, शेड्यूल्ड कास्ट की जमीन कौड़ियों में केवल इसलिए कि वह जमीन केवल उन्हीं को दी जा सकती थी, एक-एक नेता ने 400-400, 500-500 बीघा जमीन खरीदी है, जो बड़ी शर्म की बात है। मैं इसमें चाहूंगा आपके माध्यम से, राजस्व मंत्री बड़े विद्वान हैं, होशियार हैं, अनुभवी हैं कि वे इसमें परिवर्तन करें और जितने भी इस तरह के केस हैं, सरकार उनको वापस ले और अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार दिलवाया जाये। ऐसा मेरा सुझाव है, साहब क्या आप इस पर सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव लाइए, अब आप समाप्त करिये।

श्री दलवीर सिंह-

शिक्षा के क्षेत्र में समान शिक्षा होनी चाहिए। चौधरी साहब का कहना था, राष्ट्रीय लोकदल का कहना था कि यदि हम प्रदेश में समान शिक्षा नहीं कर सकते तो देहात क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र बेसिक प्राइमरी पाठशाला फलां गांव की उसके छात्र को 5 अंक अतिरिक्त मिलें। हर इण्टरव्यू में, हर परीक्षा में बोनस मार्क्स देने का प्राविधान किया जाये, यह सरकार से मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

क्या अभी और बाकी है ?

श्री दलवीर सिंह-

हां, अभी है।

श्री अध्यक्ष-

तो बंद करिये।

(सदन में हंसी)

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, एक सुझाव है, अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, किसानों को पांच लाख रुपया देने के लिए कहा है। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों के साथ-साथ, जो किसान मजदूर होता है, जो किसान के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर मजदूरी का काम करता है। जो किसान से किसी भी तरह से कम काम नहीं करता है खेती में, उसके लिए भी यह बीमा की योजना होनी चाहिए। उसे भी यह बीमा का लाभ मिलना चाहिए। समान शिक्षा और यह लाभ मजदूरों को भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिए।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, इसके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। गन्ना का मूल्य बढ़ाया जाये। गेहूं का बोनस दो सौ, सवा दो सौ बढ़ाया जाये। चीनी मिलों की स्थिति पूरे प्रदेश में यह है कि पूरी चीनी मिलें चौपट हुई पड़ी हैं, कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं हैं और पिछले समय में कभी भी किसान पूरी तरह से अपना गन्ना पेराई के लिए नहीं दे पाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई जाये। हमारे जनपद में एक मात्र साधा चीनी मिल है, जिसकी क्षमता बहुत कम है, लगभग एक अरब से भी ज्यादा घाटे में चल रही है। मैं चाहूंगा कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाये, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 रविदास मेहरोत्रा जी आप बोलना चाहते थे बोलिए। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने को लिखा है तो आप बोलिए। समर्थन में बोलेंगे कि संशोधन में।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, समर्थन में बोलूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी,.....

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष को सम्बोधित किया जाता है।

* श्री रविदास मेहरोत्रा-

आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मै आपका आभारी हूं। मान्यवर, पिछले पांच साल से भ्रष्ट और जालिम सरकार थी, उसने जुल्म और अत्याचार करने की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जब कहीं, जहां कहीं जनता ने विरोध का प्रयास किया उसको जुल्म से, दमन से और तानाशाही के माध्यम से उस आवाज को दबाने का काम हुआ। पूरे प्रदेश में विकास का सारा काम बंद हो गया था, जनता समस्याओं से परेशान थी और पूरे प्रदेश में आपात का जैसा माहौल बन गया था। जब कभी हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया लाठी के माध्यम से उस संघर्ष को दबाने का काम हुआ। लखनऊ की सड़कें इस बात की गवाह हैं कि हर चौराहे के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, दमन हुआ। अभी मुझसे पहले यहां बात हो रही थी, कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के अन्दर और लखनऊ शहर के अन्दर गुण्डा और माफियाराज पिछले पांच साल में कायम था सड़कों के ऊपर लोगों की हत्या हो रही थी। लखनऊ के जिला कारागार के अन्दर डिप्टी सी0एम0ओ0 बन्द थे, उन्होंने लिख करके दिया कि मेरी हत्या कराने का प्रयास हो रहा है। इसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं हुई और जेल के अन्दर बन्द डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनकी लाश रखी गई, चार दिन तक यह मांग हुई की सी0बी0आई0 की जांच करायी जाये। हाईकोर्ट के आदेश पर सी0बी0आई0 की जांच होने का काम हुआ। यहां मौजूद नहीं हैं, पर मुझे उम्मीद थी कि प्रमोद तिवारी जी यह बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की अध्यक्षा थीं, लखनऊ की विधायिका हैं, उनके घर के ऊपर बी0एस0पी0 के लोगों ने आग लगा दी और पूरा घर जला दिया गया और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। सड़कों के ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों पर लगातार जुर्म हो रहा था। यहां पर बात हुई स्मारक के सम्बन्ध में, जो हमारे महापुरुष थे, उनके नाम पर जो स्मारक बनाये गये थे, उन स्मारकों के ऊपर गर्व हो रहा था, लूट हो रही थी। हम बधाई देते हैं, मा0 मुख्यमंत्री जी को कि जिनके मन में यह बात आ गई है कि जिन महापुरुषों के नाम से पार्क बनाये गये, जिन महापुरुषों के नाम से स्मारक बनाये गये, उसमें प्रदेश की पूर्व की सरकार ने मलाई खाने का काम किया, लूट करने का काम किया। उस स्मारक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नाम बदलने का काम किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाने का काम हुआ, हम लोग आपातकाल में 20 महीने जेल में बन्द रहे थे। माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने आपातकाल के सेनानियों को सम्मान देने का काम किया था और पूरे प्रदेश के अन्दर मुश्किल से 5000 आपातकाल सेनानी थे। प्रदेश की सरकार बदली और पूर्व की सरकार ने उन आपातकाल सेनानियों की पेंशन बन्द करके एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने का काम किया। इससे पूरे प्रदेश में यह साफ हो गया कि पूर्व की प्रदेश की सरकार तानाशाही में विश्वास रखती है। हम लोग हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट से स्टे हो गया उसके बावजूद भी पूर्व प्रदेश की सरकार ने बन्द करने काम किया। विधान सभा के सामने धरना हुआ करता था पूर्व की सरकार ने धरना स्थल को समाप्त करने का काम किया जनता को विधान सभा के सामने अपनी बात कहने का अधिकार था पूर्व की सरकार ने धरना स्थल समाप्त करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद विधान सभा के सामने धरना स्थल को बहाल करके विश्वास जताया है कि इस सरकार की लोकतंत्र में आस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रविदास महरोत्रा-

मान्यवर, मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। पूरे प्रदेश में लखनऊ शहर में जनता पीने के पानी की समस्या से परेशान है। यहां पर लखनऊ शहर में जो नाले खुले हुए हैं हर साल 12-13 बच्चे नाले में डूबकर मरते हैं। यह दुर्भाग्य था कि लखनऊ शहर में पिछले 5 साल में 70 बच्चे डूबकर नाले में गिरकर मर गये। दूसरी ओर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने अपने बंगले में 88 करोड़ लगाने का काम किया। प्रदेश की जनता समस्याओं से परेशान थी और स्मारक में पत्थर लगाने के नाम पर क्या-क्या हो रहा था। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई जिन्दा व्यक्ति अपनी मूर्ति को लगाने का काम करे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। ये सदस्य नये हैं लेकिन नेता पुराने हैं।

श्री रविदास महरोत्रा-

मान्यवर, हमारी सरकार ने चुनाव के समय जो वायदे किये थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपने मुझे समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अभी इधर सब नेता बोल चुके हैं दो लोगों को और बुलवा दें फिर आपकी तरफ से शुरू करते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के भाषण का संदर्भ लेते हुए हम बधाई देना चाहते हैं कि जितनी लाभकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का उसमें समावेश किया गया है और पूरे प्रदेश की उन सारी बातों को छुआ गया है जो 5 साल तक अछूती रहीं, उनकी तरफ देखा नहीं गया उनको छुआ नहीं गया चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे किसान का क्षेत्र रहा हो और चाहे मजदूर किसान का क्षेत्र रहा हो इन सारी योजनाओं को कहीं न कहीं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिया गया है। अभी मैं देख रहा था हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोगों का प्रबोधन कार्यक्रम था, शायद इन्हें नहीं बुलाया गया था या आप नहीं थे।

श्री अध्यक्ष-

कहा गया था आप नहीं थे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, कल जब हम लोग आये और महामहिम जी का अभिभाषण शुरू हुआ, हम लोग देखने आये थे, कुछ सीखने आये थे महामहिम के अभिभाषण के रूप में ऐतिहासिक से एक नई परम्परा को देखने का अवसर हम नये विधायकों को मिला था लेकिन जो देखा उससे और बहुत तकलीफ हुई। अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे मैंने उनके वक्तव्य को सुनाकर भूल रहा था कि पता नहीं नेता प्रतिपक्ष भूल रहे हैं या मैं भूल रहा हूं यह 2007 से लेकर 2012 तक की आपकी सरकार में हासिल घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं या इस 2 माह की नई सरकार का जिक्र कर रहे हैं। कि इस नई सरकार का जिक्र कर रहे हैं। बात हो रही थी कि महापुरुषों के नाम पर बने हुए पार्क, उनके नाम के विश्वविद्यालय पर आई हुई सरकार ने रोक लगाई है या परिवर्तन करना चाहते हैं यह गलत परम्परा है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। हम याद दिलाना चाहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में डा0 लोहिया ग्राम योजना लागू थी, हम बड़ी नम्रता से कहना चाहते हैं कि उस योजना को किस सरकार ने बंद किया था, यह परम्परा किसने डाली थी, यह भी याद करने की आवश्यकता है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इसी लखनऊ लोहिया पथ का निर्माण हुआ था और हमें याद है कि देश के एक बड़े नेता ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं हैं, उन्होंने प्रशंसा किया था कि देश के उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में इस पैदल यात्री पथ की जो नई परम्परा डाली गयी है, ऐसा देश के किसी राज्य मे देखने को नहीं मिला है। उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी और विपक्ष के लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की थी, लेकिन इस योजना को रोक दिया गया, बिना कारण बताये रोक दिया गया और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह जनहित के कारण रोका गया है या पार्टी हित में इसे रोका गया है और एक नई परम्परा वहां भी डाली गयी थी। वैसे इसे राजनैतिक द्वेष में रोका गया, यह इस प्रदेश की सारी जनता जानती है। जहां तक पार्कों का सवाल है, पार्क बनने चाहिए थे, मूर्तियां लगनी चाहिए थी। लेकिन हमें लगता है कि ज्ञात और अज्ञात इस देश के ऐसे तमाम महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता से लेकर, इस राज्य की राजनीति में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि उनके नाम पर मूर्तियां और पार्क क्यों नहीं बने। यह सही है कि इन मूर्तियों और पार्क बनाने के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घोटाले हुए हैं, हम उन पर बहुत

लम्बी चर्चा नहीं करना चाहते हैं लेकिन आज यह सही है कि पिछले पांच सालों की जो सरकार रही है जब हम लोग दूसरे राज्यों में जाते थे तो हम लोगों की पहचान हो गयी थी कि घोटालों के प्रदेश की सरकार से यह आये हुए हैं यही हम लोगों की लगभग पहचान हो गयी थी और वह घोटाले उन्हीं महापुरुषों की मूर्तियों को लगाने के नाम पर हुए हैं, उन्हीं पार्कों को विकसित करने के नाम पर हुए हैं। उस समय प्रदेश में विकास शून्य की ओर चला गया था। चाहे अम्बेदकर विकास योजना रही हो और चाहे अम्बेदकर ग्राम योजना रही हो भारी पैमाने पर उसमें घोटाले और लूट की गयी है, जिनकी शिकायतें आज भी वर्तमान सरकार को मिल रही है। हम आपसे मांग करेंगे कि ऐसे जो भी घोटाले पूर्ववर्ती सरकारों में किये गये हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि मैं ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहां लगभग 500 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो जलमग्न रहती है एक बकुलाही नदी वहां से गयी हुई है, सीपेज की समस्या है। हम चाहते हैं कि कृपापूर्वक इस समस्या को भी उसमें जोड़ा जाये। आपने समय दिया, हम इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैं नये माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें और इधर-उधर की बात करने के बजाय अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां रखें। ताकि यह बातें सदन के संज्ञान में आ सकें, जहां से आप आये हैं, आप अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे तो ठीक होगा।

श्री ओम कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं बिजनौर जिले की नहटौर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मैंने आपका दो दिन का प्रबोधन कार्यक्रम भी अटैन्ड किया है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में रह गयी थी। मैं उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे नहटौर विधान सभा क्षेत्र में हजारों परिवार बुनकर उद्योग में लगे हुए हैं, जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती है लेकिन हमारी विधान सभा में बिजली की इतनी ज्यादा समस्या है कि जो उद्योग धन्धे अच्छे खासे चल रहे थे वह पीछे धकेलने शुरू हो गये हैं और जो मजदूर उनमें काम करते थे उनकी रोजी-रोटी के लाले पड़ गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा के अन्दर एक भी राजकीय डिग्री कालेज नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करतात हूं कि एक राजकीय डिग्री कालेज और एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहटौर में या हल्दौर में बनना चाहिए। हमारे इस देश को आजाद हुए 60 से 65 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी बेसिक चीजें जैसे हैण्डपम्प की समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, शिक्षा सम्बन्धी समस्या, आज भी हम इन चीजों से वंचित हैं। जब हम अपने कार्यालय में बैठते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हमारे पास आते हैं वह पीने के पानी से त्रस्त होते हैं और वह कहते हैं कि हमें कम से एक गांव को दो हैण्डपम्प दीजिए तो मान्यवर, कम से कम 1 हजार हैण्डपम्प दिलवाने की कृपा करें। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, नये सदस्य जो भी बोलें चाहे वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के उनको पूरा समर्थन मिलना चाहिए और जो हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं जो शोरगुल करते हैं उन्हें समझना चाहिए, नये सदस्यों की हूटिंग अगर होती है तो हम समझते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है।

श्री ओम कुमार-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में स्थित सरकारी हास्पिटल में एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है, आई0सी0यू0 नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाये, आप मेरे क्षेत्र की समस्या को मंगा करके देख लीजिए कि कितने एक्सीडेंट केसेज में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पायी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे यहां कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लिंक रोड हैं उनकी हालत बहुत खराब है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह हमारी सरकार का मामला है या आपकी सरकार का मामला है यह जन समस्या है इसे मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जो भी लिंक रोडे हमने आपके पास लिख करके भेजी हैं उनका निर्माण कराया जाये बस यही में आपसे कहना चाहता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो चीजें छूट गई हैं उन्हें उसमें जोड़ा जाये नहीं तो मैं महामहिम के अभिभाषण की निन्दा करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अभिभाषण पर चर्चा कई दिनों तक चलेगी और सभी को बोलने का मौका मिलेगा। माननीय बंशी पहाड़िया जी हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल जी का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सत्य से परे एक पुलिन्दा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के लोगों ने जो भारत सरकार पर उंगली उठायी, क्रय केन्द्रों की बात की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र की बात भी कह लें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मैं खुर्जा की बात नहीं कह रहा हूं मैं कांग्रेस से आता हूं अभी जो क्रय केन्द्रों की बात की गई। जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। 140 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए, 30 रुपया बोरे के लिए, 1285 रुपये खरीद के लिए, 15 रुपये पल्लेदार के लिए, 20 रुपये कैरिज चार्ज के लिए, 20 रुपये टैक्स के लिए और तीन महीने के ब्याज के लिए व्यवस्था की है जिसका खर्च 1550 रुपये बैठता है। राज्य सरकार को 250 रुपये मुनाफे के तौर पर भारत सरकार दे रही है, उसके बाद भी बोरियों के बारे में जो भारत सरकार पर लांछन लगाया जाता है वह सत्य से परे है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भण्डारण की व बोरियों की व्यवस्था करे। इसलिए कोई भी लांछन लगाने से पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सुझाव के तौर पर

कह रहा हूं चूंकि हमारे नेता का बयान आ चुका है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कानून व्यवस्था के बारे में तत्कालीन सरकार का जो रवैया रहा उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन उसे सुधारने के लिए हम इस प्रस्ताव में संशोधन चाहते हैं। साथ में मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से यह बात कहना चाहते हैं कि खनन के नाम पर बहुत बड़े माफिया यदि कोई सरकार ने पालने का काम किया तो तत्कालीन सरकार ने किया। लेकिन वर्तमान सरकार में भी किसान अपने खेत से अपने घर के लिए मिट्टी उठाता है तो राजस्व के अधिकारी और पुलिस के दरोगा उसका उत्पीड़न नहीं, अपमान करते हैं। मुझे आपके माध्यम से यह कहने में संकोच नहीं की रजिस्ट्री आफिस में रजिस्ट्रार के यहां 2 प्रतिशत देने पर बैनामा आपका वैलिड होता है, नहीं तो आपके बैनामे को रोक दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, मैं ग्राम पंचायत का सदस्य रहा हूं, ग्राम प्रधान रहा हूं, जिला परिषद् का मेम्बर रहा हूं और ब्लाक प्रमुख मेरा भाई रहा है। आज 80 प्रतिशत ब्लाकों में सेक्रेटरी नहीं हैं, ग्राम पंचायतों का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, आज बिजली के बारे में जो भेदभाव का काम तत्कालीन सरकार ने किया, सारी दुनिया में खुर्जा का चीनी उद्योग, आज खुर्जा की थाती दम तोड़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी अब समाप्त करिये। अब इधर से भी एक सदस्य को मौका मिलना चाहिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मैं नया विधायक हूँ, मेरा बैकवर्ड क्षेत्र है, खुर्जा का पॉटरी उद्योग दम तोड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब आप जेवर से लड़ते थे। अब बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, मेरी एक बात सुन लीजिये, आदरणीय हुकुम सिंह जी ने कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा, थोड़ा नौकरशाही पर सरकार कण्ट्रोल करे, बहुत बुरा हाल है नौकरशाही का। आपका पुलिस का कप्तान, जिले का जिलाधिकारी आपके द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वह विधायक को देखकर ऐसे दुःखी होते हैं जैसे हमने कोई उनका अपमान कर दिया हो।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के 90 फीसदी थानों में इंस्पेक्टर नहीं हैं और जो कोतवाली चलाने के लिए सक्षम नहीं हैं वह सब-इंस्पेक्टर थाने व कोतवाली चला रहे हैं। इंस्पेक्टरों की इतनी कमी है उस पर सरकार ध्यान दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के अपने-अपने आसन पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग परेशान न होइये, इस पर अभी दो दिन चर्चा और होगी, सबको बोलने का मौका मिल जायेगा, फिक्र न कीजिये।

श्री मौ0 इरफान-

मैं बिलारी, मुरादाबाद जिले में विधायक हूँ मुझे पहली बार मौका मा0 अध्यक्ष जी ने दिया है, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी विधान सभा, ऐसी विधान सभा है जो दो जिलों में पड़ती है। एक जिले का नाम भीमनगर, एक का मुरादाबाद हैं जिस जिले का नाम भीमनगर रखा गया है, वह सम्भल जिला है। सम्भल एक तारीखी जगह है, उसका नाम बदलकर भीमनगर गलत किया गया है। उसको अगर बदलना ही था तो उसकी पहचान 'सालार नगर' या 'मसूद नगर' होना चाहिये। दूसरी बात जनपद मुरादाबाद में जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को हवााई अड्डे में तब्दील किया जाना चाहिये। तीसरी बात, जनपद मुरादाबाद का नाम, मैं बहुत अदब से राज्यपाल जी के अभिभाषण के बारे में कहना चाहूँगा कि जो अभिभाषण प्रस्ताव है उससे पूरी तरह सहमत हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ लेकिन मुरादाबाद नगर जो आस-पास के जिलों में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उसका जिक्र अभिभाषण में किया जाना चाहिये। 30 विधान सभा क्षेत्र बिलारी जो अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है उसको प्राथमिकता के आधार पर नगर बिलारी के लिए जिसमें बुनकर सबसे ज्यादा निवास करते हैं वहाँ बुनकरों के लिए अलग से सूत व्यवस्था होनी चाहिये और बिलारी में कोई मंडी समिति नहीं है वहाँ मण्डी समिति का भी गठन होना चाहिये। जनपद मुरादाबाद में जो ग्रोथ सेन्टर है वह अधूरा पड़ा है उस ग्रोथ सेन्टर को पूरी तरह से विकसित कर दें ताकि वहाँ का रोजगार बढ़े और जो बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उसको बिजली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ 24 घण्टे बिजली दी जानी चाहिये। नगर बिलारी में जहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। आस-पास के सारे लोग वहाँ रात में लगने वाली बाजार लगती है वह ऐसी पहली जगह है जहाँ रात में बाजार लगती है। वहाँ लोगों के ठहरने के लिए रैन बसरे की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिये। आखिर में कहना चाहता हूँ सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश से जुड़े क्रय चालकों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उनको पेंशन, जी0पी0एफ0 आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिये। अन्त मे मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

* श्री रवीन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि पिछली सरकार में कार्यपालिका के द्वारा विधायिका का बड़ा अपमान किया गया अधिकांश लोग लाठी खाये थे। मैं विधायक बनने के बाद बिजली की समस्या पर, पानी की समस्या पर तीन बार धरने पर बैठा हूँ। लेकिन बनारस के अधिकारियों ने हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया न बिजली पर न सड़क पर न सीवर पर। पिछली सरकार में अधिकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निरंकुश थे उन पर कोई अंकुश नहीं है यह लगातार लाठियों से पिटे थे अभी भी इन पर अंकुश नहीं है। मेरा निवेदन है कि थोड़ा अधिकारियों पर कार्यपालिका पर अंकुश लगाया जाय और हम सबका सम्मान किया जाय। दूसरा मेरा निवेदन है कि बनारस में वरुणा नदी में कचहरी से लेकर पुराने पुल तक एक पथवे बनाया जाय। साथ ही साथ कजाकपुरम् में लाटभैरों पर एक फ्लाई ओवर बना दिया जाय। माननीय सुरेन्द्र सिंह जी हैं उन्होंने कहा भी था एक फ्लाईओवर वहाँ बना दिया जाय जिससे जहाँ जाम रहती है उससे उसका निजात मिलेगा। बनारस में विद्यापीठ में आयुर्वेद मेडिकल कालेज खोलने की बात कही गई थी वहाँ फण्ड नहीं है मेरा निवेदन है कि बनारस में गंगापुर में एक आयुर्वेद का मेडिकल कालेज बनाया जाय। धन्यवाद।

(श्री पवन पाण्डेय का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री सुरेश बंशल-

मान्यवर, मैं पहली बार विधायक बना हूँ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्यायें हैं सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में यह है कि जो विजय नगर क्षेत्र है जिसकी आबादी पाँच लाख के करीब है वहाँ पर कोई इण्टर या डिग्री कालेज नहीं है। गाजियाबाद में केला भट्ठा जो सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र है जिसमें शिक्षा के लिए कोई भी स्कूल या कालेज नहीं हैं गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र में जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। गाजियाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि गाजियाबाद शहर के बीच में जो लाइन जाती है आधा शहर इधर है आधा शहर उधर है उसकी कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ एक अण्डर पास है उसमें भी जाम रहता है। हमारे प्रयासों से वहाँ के नागरिकों के प्रयासों से रेलवे ने एक प्रपोजल दे दिया है ओवर ब्रिज बनाने के लिए जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि गाजियाबाद के इस ओवर ब्रिज को बनवाया जाय। रेलवे से पत्राचार कराया जाय उसमें आधा पैसा रेलवे दे देगा, यदि यह कनेक्टिविटी मिल जाती है तो गाजियाबाद की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

इसके बाद जो हमारा प्रतापनगर क्षेत्र है उसमें खारा पानी है वहीं से गंगा जल ट्रीटमेंट प्लान शुरू हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रतापनगर के निवासियों को भी गंगा जल दिलवाया जाय। इसके साथ-साथ जो केला भट्टा का क्षेत्र है उसमें कब्रिस्तान के लिये जमीन नहीं है। वहाँ पर कब्रों पे कबरे बनी हुई हैं। अब तक बनाने हेतु जगह नहीं बची। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर कब्रिस्तान के लिये जगह दी जाय। मेरा आपसे यह कहना है कि गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देता है। वहाँ पर बहुत सी निजी इण्डस्ट्रियाँ हैं, परन्तु वहाँ पर बिजली मात्र 8 घण्टे आती है। आपसे निवेदन है कि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था सही करायी जाय। गाजियाबाद में जिला अस्पताल में कोई बर्न यूनिट नहीं है, कोई हार्ट यूनिट नहीं है। कृपया इसकी व्यवस्था करायी जाय। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी यह चर्चा कई दिन चलेगी। आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। नये सदस्यों को बोल लेने दें। कल नेता लोग और वरिष्ठ सदस्य बोलेंगे। पवन कुमार पाण्डेय जी, आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिये।

* श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में सरकार बनी है और जो महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश मे सरकार बनने के बाद सदन में अभी नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को रख रहे थे। मैं क्यों उनकी बातों को सुनकर यह समझ नहीं पा रहा था कि जब 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी और जिस तरह से जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार और लूट पूरे प्रदेश में मची थी यह उसका बयान कर रहे थे। मुझे लगता था कि नेता प्रतिपक्ष को अपना पुराना दिन, उनकी सरकार की गुण्डाई, उनकी सरकार का भ्रष्टाचार, अत्याचार याद आ रहा था। उस पर बयान कर रहे थे। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज इस सरकार को बने दो माह हो गये हैं और इन दो महीनों के अन्दर जिस तरह से पूरे प्रदेश के हर अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सपना डॉ0 राम मनोहर लोहिया का था और जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लानी है और उस मुस्कान को लाने का प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। (मेजें थपथपाई गईं) आज पिछले 5 वर्षों में इनकी सरकार थी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शिक्षा का पूरा बाजारीकरण हो गया था। गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। शिक्षा इतनी महंगी हो गई थी कि एक गरीब परिवार का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को सस्ता करने का काम किया है। गरीब परिवार के बच्चों को प्राइमरी से लेकर एम0ए0 तक की शिक्षा को निःशुल्क करने का काम किया है। आज किसानों को खाद, पानी, बिजली देने की योजना चालू की है। आज क्षेत्रों में लाइट देने की व्यवस्था चालू की है, आज किसानों की नहरों मे पानी देने की योजना चालू की है। आज उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने की योजना हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है। हम इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि 5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये। गैंगस्टर, गुण्डा ऐक्ट लगाया गया। जो लोग ब0स0पा0 सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले की भावना से कोई काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके ऊपर भी कोई मुकदमा लिखाया गया?

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

हमारे ऊपर 7-8 मुकदमें लिखाये गये थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें नौजवान निकलते हैं। गरीब परिवार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लड़के निकलते हैं जो छात्र संघ का चुनाव लड़कर विधान सभा और लोक सभा में पहुँचते हैं। लेकिन जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो इन्होंने छात्र संघ के चुनावों को बन्द करने का काम किया था। छात्रों की नर्सरी को बन्द करने का काम किया था। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने छात्र संघ को बहाल करके गरीब परिवार के लड़कों को भी राजनीति करने का मौका दिया है। हम इस मौके पर अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिये आपके माध्यम से कहना चाहते है। कि

समर में घाव खाता है जो उसी का नाम होता है,
छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है
सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की
वही पाषाण मन्दिर में कहीं भगवान होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नये सदस्य के रूप में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उस पर सदन में घोर विरोध जताता हूँ। जैसा कि इस अभिभाषण में भेदभाव की नीति को अपनाया गया था, वह न अपनाई जाय। पिछली सरकार में आगरा, 90 ग्रामीण क्षेत्र से मैं कालीचरण सुमन विधायक था, अब बहुजन समाज पार्टी से बहनजी के आर्शीवाद से जीतकर आया हूँ। मैंने छोटी ग्राम पंचायत भी देखी है मैं वहां प्रधान रहा हूँ। ब्लाक स्तर की पंचायत भी देखी है क्योंकि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और जिले की पंचायत भी देखी है। जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आप विधायक हो गये हैं बड़ी पंचायत में आ गये हैं।

श्री कालीचरन सुमन-

आज सौभाग्य से मुझे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका मिला है। पिछली सरकार में मेरी विधान सभा क्षेत्र में पेय जल की समस्या के निदान हेतु टी0टी0एस0पी0 की टंकियां स्वीकृत हुई थीं। उनका पैसा जिले में पहुँच चुका था, परन्तु आज तक पूरी नहीं की गई है। भेदभाव की नीति के तहत यह किया गया है, इसके अलावा और बड़ी 13 टंकियां भी स्वीकृत हुई थीं पिछली सरकार के अन्तर्गत स्वीकृत उनको भी रोक दिया गया है। मान्यवर, अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत, चार ग्राम अम्बेडकर ग्राम स्वीकृत हुये थे। सरकार बदलने के कारण उनका तत्काल पैसा रोक दिया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका पैसा पहुँच गया है तो उसको पूरा कराने की कृपा करें। इसी तरह से भेदभाव की नीति के तहत मेरी सदर तहसील के अन्तर्गत जाति विशेष के आधार पर लेखपालों के ट्रांसफर किये गये हैं तो यह भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिये। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन सड़कें एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जोड़ने की योजना है। इसके तहत जैसे ग्राम मिलक से ठार पीपरा विसारना तक, जगनेर रोड मलपुर से नगला प्रताप तक ग्राम हौद से घड़ी पीरिया नदोता वरौली गूजर रोड तक, पचनाई रेहता की नहर की पुलिया से ठाकुर दास की गढ़ी तक। इसके अलावा जिला आगरा, आगरा ग्रामीण क्षेत्र विकास खण्ड अकोला

परिसर में मीटिंग हाल बनवाने की कृपा करें। खारी नदी रामनगर अकोला में चैक डेम पानी के रोकने हेतु पुल बाँध निर्माण कराने की कृपा करें। इसके अलावा मान्यवर, मेहरा नाहर गंज तनौरा नूरपुर महल, बत्तीसा, यमुना नदी कटान रोकने हेतु चेक डैम निर्माण कार्य करवाने का कष्ट करे।...

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

ऐसा है पानी की टंकी के बारे में जो आपने फरमाया है, उसमें आपकी जानकारी के लिए, पानी की टंकी कहीं नहीं रोकी है, अगर कहीं रुकी है, आपको सूचना है, तो बता दें, फौरन इश्यू कर दी जायेगी, किसी गलतफहमी की वजह से कहीं रुकी है, पूरे प्रदेश में पानी की टंकी कहीं नहीं रोकी गयी है। लेकिन एक जानकारी आपको यह दे दें कि स्वजल योजना के तहत जो आपकी सरकार में पानी की टंकियां बनी थीं उसकी एक टंकी में भी पानी नहीं भरा जा सकता है क्योंकि उसमें पानी भरा जाता है तो वह हिलने लगती है। उन सारी टंकियों को गिरवाना मजबूरी है सरकार की।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

अगर कोई टंकी स्वजल योजना के अलावा बन रही हो और रुक गई हो तो आप सूचना दीजिये, वह शुरू हो जायेगी। यह भी आपको जानकारी दे दें कि माननीय कांशीराम योजना के तहत जो मकानात बन रहे हैं उनको नहीं रोका गया है। हम वह नहीं करेंगे जो आपने किया।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 मई, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई-

पहली-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी-कुंवर भारतेन्द्र सिंह की तहसील बिजनौर में गंगा तट के किनारे बसे गांवों की कृषि योग्य भूमि एवं मकानों को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी-श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर में विद्युत सप्लाई 6 घण्टे से अधिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, चौथी-श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद मेरठ शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबेल लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा पाँचवी-श्री रवीन्द्र जायसवाल की प्रदेश में फूड एण्ड सेफ्टी ऐक्ट 2006 के अन्तर्गत नये लाईसेन्स एवं नवीनीकरण प्रक्रिया की ऑन लाईन व्यवस्था के साथ मैनुअल का भी विकल्प लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठवीं-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं-श्री सूरजपाल सिंह की जनपद आगरा में मासूमों के साथ आये दिन हो रही यौन दुराचार एवं हत्याओं के सम्बन्ध में, आठवीं-श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में यमुना नदी पर स्थित वृन्दावन-मांट पुल के सम्पर्क मार्ग को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में, नववीं-श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर विधान सभा खजनी के विकास खण्ड बेलघाट में कम्हरिया घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं-श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी की प्रदेश में मांस निर्यात मूलक इकाई द्वारा विदेशों में अधिकतम मांस निर्यात के कारण दूध उत्पादन पर पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं-श्री मदन चौहान की जनपद पंचशील नगर के गढ़मुक्तेश्वर नगर में

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर से सम्बन्धित कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं-श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर में श्री सत्येन्द्र दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हुये हमले के सम्बन्ध में, तेरहवीं-डॉ0 धर्मपाल सिंह की आगरा महानगर की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में तथा चौदहवीं-श्री सुनील कुमार सिंह यादव की जनपद सोनभद्र में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :-

1-श्री संजय कुमार,
2-श्री ठाकुर दलबीर सिंह,
3-श्री काली चरन सुमन,
4-श्री तसलीम अहमद,
5-श्री अली यूसुफ अली,
6-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
7-डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,
8-श्री रोशन लाल वर्मा,
9-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,
10-श्री विजय कुमार दुबे,
11-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
12-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
13-श्री जय प्रकाश अंचल,
14-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल,
15-श्री अगयश रामसरन वर्मा,
16-श्री पंकज मलिक,
17-श्री पूरन प्रकाश,
18-साध्वी निरंजन ज्योति,
19-श्री मनीष असीजा,
20-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
21-डॉ0 पूर्णमासी देहाती तथा
22-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 5 बजे बुधवार दिनांक 30 मई, 2012 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 29 मई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(अतारांकित प्रश्न सं0 27 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के 1ले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर का संलग्नक

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु शासनादेश में निहित व्यवस्था में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न आयु वर्ग में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने पर निम्नानुसार पुरस्कार राशि दी जाती है-

राष्ट्रीय खेल	धनराशि लाख रु0 में		
	स्वर्ण	रजत	कांस्य
एकल गेम्स	3.00	2.00	1.00
टीम गेम्स	1.00	0.50	0.25

राष्ट्रीय प्रतियोगिता	(धनराशि लाख रु0 में)						
राष्ट्रीय टीम गेम्स	स्वर्ण	रजत	कांस्य	एकल गेम्स	स्वर्ण	रजत	कांस्य
सीनियर	0.40	0.30	0.20	सीनियर	1.00	0.75	0.50
जूनियर	0.30	0.25	0.15	जूनियर	0.50	0.35	0.25
सब जूनियर	0.15	0.10	0.05	सब जूनियर	0.25	0.15	0.10

कीर्तिमान बनाने का रु0 50.000 की अतिरिक्त पुरस्कार देय होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें	(धनराशि लाख रु0 में)		
एकल गेम्स	स्वर्ण	रजत	कांस्य
ओलम्पिक	30.00	20.00	15.00
कामनवेल्थ, एशियन, एफोएशियन, विश्वकप	15.00	10.00	08.00
टीम गेम्स	स्वर्ण	रजत	कांस्य
ओलम्पिक	15.00	12.00	10.00
कामनवेल्थ, एशियन, एफोएशियन, विश्वकप	10.00	08.00	06.00
सैफ गेम्स	स्वर्ण	रजत	कांस्य
एकल	3.00	2.00	1.00
टीम	1.00	0.50	0.25

विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार (पुरुषों हेतु) एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार (महिलाओं हेतु) से सम्मानित किया जाता है। ऐसे पुरस्कृत खिलाड़ियों को शासन द्वारा एक प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण जी/रानी लक्ष्मीबाई की एक कांस्य प्रतिमा तथा रु0 50,000 की नकद धनराशि से सम्मानित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त खेल/खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण शिविर, विशेष प्रशिक्षण शिविर, खेलकूद उपकरण/सामग्री, भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल संघों को अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवासीय छात्रावासों में खिलाड़ियों को आवासीय, शिक्षा एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है।

नत्थी 'ख'

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	2	3
1	श्री हुकुम सिंह श्री कलराज मिश्र, श्री सतीश महाना, श्री रवीन्द्र भड़ाना, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री रवि शर्मा, श्री जनमेजय सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री बावल सिंह, श्री केशव प्रसाद, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा', श्री सुरेश कुमार खन्ना, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री मनीष असीजा, सुश्री सावित्री बाई फुले, श्री संगीत सिंह सोम, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, (कैलाश डेरी वाले), श्री सत्यदेव पचौरी, श्री राघव लखनपाल, श्री सुरेश कुमार, श्री महेश कुमार शर्मा, श्री मुकुट बिहारी, श्री विजय बहादुर यादव,	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया- 1-समर्थन मूल्य के अन्तर्गत गेहूं क्रय में भारी धांधली तथा किसानों के शोषण के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के कुछ जनपदों में 30-40 साल पुराने लम्बित चकबन्दी के वाद निस्तारित न होने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध कटान तथा अवैध रूप से मांस के निर्यात के कारण घटते पशुधन के सम्बन्ध में, 4-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई मोइउद्दीनपुर शुगर मिल, मेरठ की बन्द इकाई को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में, 6-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 8-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
	श्रीमती कृष्णा पासवान, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अजय, श्री सलिल बिश्नोई, श्री अगयस रामसरन वर्मा, श्री गंगा सिंह कुशवाहा, श्री उपेन्द्र तिवारी तथा डा0 अरूण कुमार	10-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में, 13-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में, 14-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में, 15-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में, 16-औद्योगिक विकास की गति ठप पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में, 17-नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 18-प्रदेश में विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने तथा आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय बिजली दिलाये जाने, किसानों को नये संयोजन देने तथा क्षतिग्रस्त पोषकों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की स्थानान्तरण में स्थिरता लाने की नीति को दुरुस्त करने तथा उनका उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में, 20-चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने, गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		21-सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं सभी को साक्षर बनाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, 22-विद्यालयों में मिलने वाले मिड-डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध/योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार व कालाबाजारी के सम्बन्ध में, 23-प्रदेश में स्थिर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की धनराशि पर्याप्त बढ़ाने के सम्बन्ध में, 24-आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये किसी सार्थक कार्ययोजना के सम्बन्ध में, 25-गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दा, लीवर व हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर कराये जाने के सम्बन्ध में, 26-किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में, 27-क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की निशानदेही पर गरीब व असेवित बस्तियों में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का-2 नल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 28-प्रदेश के इण्टर व महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य एवं रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 29-प्रदेशवासियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से बचाने के लिये किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 30-नदियों के बढ़ते हुये प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषित पेयजल आपूर्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, 31-स्वतंत्रता संग्राम में हुये शहीदों एवं देश की सीमा की रक्षा करने वाले शहीदों की जन्म स्थली व कर्म स्थली क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, 32-महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में, 33-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सघन जांच के लिये जिला स्तरीय प्रयोगशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में, 34-थानों में पुलिसकर्मियों की अत्यधिक कमी होने के सम्बन्ध में,

1	2	3
2	श्री प्रमोद तिवारी, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार, श्री संजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव, डा0 मो0 मुस्लिम, कुंवर कौशल किशोर, श्री दलजीत सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री विजय कुमार दूबे, श्री अजय कपूर, श्री गयादीन अनुरागी, श्री राधेश्याम, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री ललितेश पति त्रिपाठी, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप माथुर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री वंशीधर पहाड़िया, श्री पंकज मलिक तथा श्री दिलनवाज खान।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-कि अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 3-कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द होने के सम्बन्ध में, 4-कि अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में, 5-कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के नाम से अलग-अलग राज्यों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में, 6-कि विगत 5 वर्षों से बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे को देखते हुये पुनर्वास के लिये केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार द्वारा भी बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-कि पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 8-कि बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये तथा उन्हें रु0 360 प्रति क्विंटल की दर से मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 10-कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 11-कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून-व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून-व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में, 12-कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण अंचलों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		13-कि छत्रपति शाहूजी महराज नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती, महराजगंज, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर, प्रबुद्धनगर, पंचशील नगर, बिजनौर, अलीगढ़ एवं मथुरा आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 14-कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। केरोसिन/मिट्टी का तेल रु0 35-40 प्रति लीटर बिक रहा है और उर्वरक रु0 500 प्रति बोरी बिक रही है। कन्ट्रोल रेट पर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बिक रहे हैं। 15-कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में, 16-कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद किये जाने के सम्बन्ध में, 17-कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 18-कि सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लायी जाने के सम्बन्ध में, 19-कि बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिये। बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में, 20-कि शुगर मिल पडरौना, शुगर मिल रामकोला खेतान तथा छितौनी शुगर मिल एवं कटकुइयां शुगर मिल को शीघ्र चलाया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, 21-कि गीडा में केन्द्र सरकार द्वारा टैक्सटाइल जोन स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जाने के सम्बन्ध में, 22-कि 25 वर्ष के ऊपर प्रत्येक बेरोजगार नवजवान को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, 23-कि किसानों के रु0 50,000 (पचास हजार रुपये) तक के कर्जे प्रदेश सरकार अथवा उसके अधीनस्थ चलने वाले विभागों द्वारा माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		24-कि पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कायम किये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जायं। जनपद महराजगंज के नौतनवां क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री कौशल किशोर सिंह 'मुन्ना' तथा जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री गयादीन अनुरागी पर राजनैतिक द्वेषवश कायम किये गये झूठे मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में, 25-कि अल्पसंख्यकों को चुनावी वायदे के अनुसार 18% आरक्षण देने के वायदे को अमलीजामा पहनाये जाने के सम्बन्ध में, 26-कि जनपद रायबरेली एवं जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर (अमेठी) में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 27-कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 28-कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में, 29-कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 30-कि प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 31-कि मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व बाड़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये उचित प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में, 32-कि मथुरा शहर के भीतर स्थित बस स्टैण्ड का हाई-वे व ट्रांस यमुना एरिया में स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-कि केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग की मेगा डेस्टीनेशन स्कीम के तहत मथुरा जनपद की योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में, 34-कि मथुरा जनपद में आई0 टी0 हब का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 35-कि मथुरा-वृन्दावन, गोवर्धन में रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		36-कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों में वृद्धावस्था आश्रम बनाया जाना अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं को इस उद्देश्य हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में, 37-कि मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र के सभी मुख्य दर्शनीय स्थलों के निकट पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 38-कि उ0 प्र0 सेतु निगम द्वारा मथुरा शहर एवं अलीगढ़ के बीच यमुना पर पड़ने वाले पुल का तत्काल सुदृढ़ीकरण कराया जाना तथा यमुना एक्सप्रेस हाई-वे से आने वाले वाहनों के कारण होने वाली यातायात की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु उपरोक्त पुल के समानान्तर एक नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 39-कि मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र को चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, 40-कि उ0 प्र0 में अनधिकृत कालोनियों की बाढ़ को देखते हुये इन पर रोक लगाने हेतु सख्त कानून तत्काल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 41-कि मथुरा-वृन्दावन नगरपालिका को मिलाकर शीघ्र नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में, 42-कि गोवर्धन श्राइन बोर्ड के स्थान पर बृज श्राइन बोर्ड की स्थापना कराकर उसमें मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्द गांव तथा बरसाना को भी सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में, 43-कि वृन्दावन में तत्काल सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 44-कि वृन्दावन में पूर्व सरकार द्वारा समग्र विकास के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, 45-कि मथुरा जनपद की सभी प्रमुख सड़कों की आवश्यकतानुसार नवनिर्माण या मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 46-कि बृज चौरासी कोस के परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में, 47-कि मथुरा, वृन्दावन व गोवर्धन की नगर पालिकाओं के द्वारा इन क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 48-कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम भानपुर बाबू, थाना सोनहा, तहसील स्तरीय गांव है समस्त सुविधाओं के होते हुये भी अग्निशमन केन्द्र का अभाव है, अग्निशमन केन्द्र के लिये भूमि भी आरक्षित है लेकिन निर्माण कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है जबकि आये दिन आग से बचाव के साधन न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को जान-माल का नुकसान उठाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		49-कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम भानपुर, तहसील स्तर का गांव होने के बावजूद किसानों की सुविधा को देखते हुये अनाज क्रय केन्द्र, खाद, बीज वितरण की व्यवस्था का अभाव है, पूर्व में भानपुर में एग्रो द्वारा संचालित खाद एवं बीज वितरण केन्द्र को कर्मचारी का अभाव दिखाकर अन्य दूसरे केन्द्र से अटैच कर दिये जाने के सम्बन्ध में, 50-कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम रुधौली, तहसील स्तरीय ग्राम टाउन एरिया के समस्त मानकों को पूर्ण करता है, पानी, बिजली, सड़क आदि जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुये रुधौली को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में, 51- कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के अन्तर्गत अठदमा स्थित चीनी मिल द्वारा रासायनिक एवं अन्य प्रदूषित पदार्थ आमी नदी में डाला जा रहा है, नदी का जल काला पड़ गया है, जलीय जीव जन्तु प्रदूषित जल की वजह से मर रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुये 10 किमी0 क्षेत्र के किसानों की खेजी एवं स्वास्थ्य दोनों प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहे हैं, मिल प्रबन्धन के मनमानी कृत्य से क्षेत्र के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से मिल प्रबन्धन को अवैधानिक कृत्य को रोके जाने के सम्बन्ध में, 52-कि जनपद प्रबुद्धनगर का नाम शामली कर दिये जाने के सम्बन्ध में, 53-कि दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग का तत्काल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 54-कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली, करनाला मार्ग व मुजफ्फरनगर-शामली मार्ग का निर्माण तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में, 55-कि शामली स्टेडियम तथा छात्रावास का निर्माण तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में, 56-कि पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प व रि-बोर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 57-कि प्रबुद्धनगर जिला मुख्यालय का निर्माण तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में, 58-कि शामली क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ायी जाय, एलम, भभीसा, गंगेरू, बहावटी बिजली घर की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		59-कि कृष्ण नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 60-कि शामली में भूजल दूषित हो रहा है, जिससे गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं प्रदूषण रोकने हेतु सख्त कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 61-कि राजकीय परिवहन बस शामली, बुढ़ाना, मेरठ व कैराना, कांधला, मेरठ आदि रूट पर बसें बढ़ायी जाने के सम्बन्ध में, 62-कि शामली क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को रोकने हेतु रीचार्ज कुएं बनाये जाने के सम्बन्ध में, 63-कि सहकारी बैंकों के किसानों का कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में, 64-कि प्रबुद्धनगर जनपद बागवानी का क्षेत्र है, प्रदेश सरकार कृषि एवं बागवानी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये नयी योजनाओं का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में, 65-कि यमुना नहर की साइड पटरी को पक्की कराया जाय जिससे शामली विधान सभा को दिल्ली से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, 66-कि यमुना नहर की साखलोई सहित सभी राजबहों की सफाई करायी जाने के सम्बन्ध में, 67-कि सघन कृषि विधान सभा शामली की साखलोई रजबहा लगातार चलाये जाने के सम्बन्ध में, 68-कि सघन कृषि क्षेत्र शामली में 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 69-कि शामली में ब्लड बैंक स्थापित कर अस्पताल का उच्चीकरण किया जाय एवं 300 बेड का अस्पताल आबादी के हिसाब से बनाये जाने के सम्बन्ध में, 70-कि शामली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 71-कि कांधला में कन्या महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में, 72-के मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर की 81.00 किमी0 से 131.00 किमी0 तक सफाई करायी जाय तथा सभी फाटकों की मरम्मत करायी जाय और पुलों का निर्माण कराकर समस्त रजबहों के हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाने के सम्बन्ध में, 73-कि खड्डा एवं कप्तानगंज (जनपद कुशीनगर) के तहसील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		74-जनपद कुशीनगर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करायी जाने के सम्बन्ध में, 75-कि खराब पड़े हैण्ड पम्पों की रि-बोरिंग कराकर पेयजल सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में, 76-कि तमकुही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ए0 पी0 तटबन्ध (जनपद कुशीनगर) के 1.6 किमी0 से 2.14 किमी0 तक नरवाजोत एक्सटेंशन के 0.800 किमी0 से 2.00 किमी0 तक बन्धों की मरम्मत करायी जाय तथा स्पर एवं स्टट का निर्माण कराने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 77-कि तमकुही क्षेत्र में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 78-कि पडरौना में स्थापित बस डिपो को क्रियाशील किये जाने के सम्बनन्ध में, 79-कि मदनपुर मेटियारी, कुशीनगर, गोरखपुर की बन्द पड़ी परिवहन सेवा को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 80-कि गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केन्द्र व प्रजनन केन्द्र सेवरही का आधुनिकीकरण कराया जाय और निदेशक सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में, 81-कि खड्डा विधान सभा खेत्र तथा तमकुही विधान सभा के सभी थानों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 82-कि जनपद कुशीनगर के तमकुही विधान सभा क्षेत्र के ए0 पी0 तटबन्ध पर रहने वाले बाढ़ पीड़ित लोगों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में, 83-कि तमकुही विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक दुधही के अन्तर्गत बांसगांव के टोला खैरवा के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उसी जंगल जमीन पर मालिकाना हक दिया जाय तथा इसी ब्लाक के दसहवां एवं खलवा टोला के बाढ़ पीड़ित लोगों को जंगल जमीन पर ही मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में, 84-कि पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बनने वाली कच्ची शराब के निर्माण पर रोक लगायी जाय तथा इसमें संलिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 85-कि तमकुही विधान सभा क्षेत्र टी0 बी0 रोड पर पुल का निर्माण, गौरी जगदीश ग्राम के गौरीघाट एवं पिपरा घाट के गोला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		86-कि विधान सभा क्षेत्र में अग्निपीड़ित लोगों को आवास की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		87-कि पूरे प्रदेश में नये सिरे से बी0 पी0 एल0 सर्वे कराकर पात्रों की सूची बनायी जाने के सम्बन्ध में,
		88-कि विधान सभा तमकुहीराज में नये राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		89-कि विधान सभा तमकुही क्षेत्र में सेवरही से लतवा मुरलीधर एनएच 28 तक के मार्ग का चौड़ीकरण तथा सिसवा से तमकुही राज तक के सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		90-कि तमकुही राज विधान सभा क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केन्द्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र, शुगर मिल व लाखों से ज्यादा आबादी में बसे सेवरही व दुधही क्षेत्र में कम से कम 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति दो शिफ्टों में दिये जाने के सम्बन्ध में,
		91-कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्याना फलपट्टी घोषित है अतः यहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		92-कि स्याना विधान सभा क्षेत्र के मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		93-कि बुलन्दशहर जनपद के खुर्जा एवं स्याना विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		94-कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पाट्री उद्योग खुर्जा में सड़कों/ संपर्क मार्गों का निर्माण नेशनल हाइवे स्तर पर कराये जाने के सम्बन्ध में,
		95-कि पाट्री उद्योग से जुड़े लोगों के लिये विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		96-कि अधूरी जहांगीरपुर चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		97-कि पाट्री उद्योग के हित में खुर्जा में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाने के सम्बन्ध में,
		98-कि जनपद बुलन्दशहर की सेठ गंगासागर जटिया राजकीय चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय जटिया का आबादी के हिसाब से उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		99-कि जनपद हमीरपुर में विधान सभा क्षेत्र राठ में सिंचाई हेतु प्रस्तावित विराट सागर परियोजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 100-कि जनपद हमीरपुर के मुस्करा ब्लाक में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 101-कि जनपद हमीरपुर के राठ चरखारी मार्ग पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 102-कि विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत राठ चिकित्सालय, सरीला चिकित्सालय, गोहाण्ड चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 103-कि विधान सभा क्षेत्र राठ में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 104-कि विधान सभा क्षेत्र राठ में निर्मित ग्रामीण पेयजल समूह योजना, इटैलिया बाजा, मझगावां, टूंका, बजेहटा, जिगनी बंगरा आदि से तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 105-कि राठ विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 106-कि राठ विधान सभा क्षेत्र में गेहूं खरीद केन्द्रों पर व्याप्त अनियमितता पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 107-कि ग्राम मदरालालपुर विकास खण्ड कदौरा तहसील कालपी जनपद जालौन में सूर्य कुण्डा, जिसका व्यास 41 मीटर है, से पम्प कैनाल बनायी जाय जिससे समस्त कृषि भूमि की सिंचाई किये जाने के सम्बन्ध में, 108-कि विधान सभा क्षेत्र कालपी अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है जिसकी अधिकतर भूमि यमुना नदी, चम्बल नदी एवं बेतवा नदी से घिरी हुई है, इस क्षेत्र की भूमि का समतलीकरण कराकर कृषि योगय बनाये जाने के सम्बन्ध में, 109-कि विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हेतु 100 नलकूप लगाये जायं, जिससे किसानों की भूमि की सिंचाई किये जाने के सम्बन्ध में, 110-कि विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम मंगरोल विकास खण्ड महेवा तहसील कालपी में नून नदी पर अधूरे पड़े रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		111-कि विधान सभा क्षेत्र कालपी में गेहूं खरीद केन्द्रों पर बिचौलियों एवं व्यापारियों के माध्यम से खरीदे जा रहे गेहूं पर अंकुश लगाये जायं और व्याप्त अनियमितता पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		112-कि विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर (जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर) में भारी उद्योगों की उपस्थिति को देखते हुये इस क्षेत्र को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		113-कि विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम कांकर, कोला, पिपरी, उमरा सहित अन्य गांवों में गोमती नदी के कटाव को रोकने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		114-कि विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के विकास खण्ड बल्दीराय के ग्राम हलियापुर में स्थित 33/11 के0 वी0 ए0 क्षमता के अधूरे विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण करके शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		115-कि जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर का नाम बदलकर प्रचलित एवं ऐतिहासिक नाम भारत रत्न स्व0 राजीव गांधी नगर किये जाने के सम्बन्ध में,
		116-कि विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के विकास खण्ड बल्दीराय के जनपद सुल्तानपुर में आने वाली हलियापुर कानूनगो सर्किल के 21 गांवों को जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		117-जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में गेहूं खरीद केन्द्रों पर भारी अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में,
		118-जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
		119-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में गांवों में विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाइनों का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में,
		120-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में सड़कों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
		121-जनपद-बुलन्दशहर की अधूरी जहांगीरपुर चीनी मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		122-जनपद-बहराहच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		123-जनपद-बहराइच से रुपईडीहा मार्ग को तत्काल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		124-नानपारा तहसील को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		125-विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		126-सिंचाई हेतु ट्यूबवेल/नहर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		127-किसानों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		128-विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में गेहूं खरीद केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,
		129-जनपद देवरिया के रुद्रपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		130-देवरिया से रुद्रपुर, करहकोल से कौड़ीराम तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		131-हाटा, गौरी बाजार, रुद्रपुर, कपरवारघाट से बड़हलगंज तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		132-कोतवाली रुद्रपुर, जनपद देवरिया में निर्दोष सूर्यभान पटेल सहित चार लोगों पर द्वेषवश लगाये गये मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,
		133-132 के0 वी0 ए0 का एक विद्युत उप केन्द्र विधान सभा रुद्रपुर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		134-33 के0 वी0 ए0 का एक विद्युत उप केन्द्र विधान सभा रुद्रपुर के मदनपुर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		135-विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में एक सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, एक पॉलिटेक्निक एवं एक आई0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		136-विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		137-विधान सभा क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर के अन्तर्गत प्रमुख बड़े मार्गों का निर्माण जनहित में लोक निर्माण विभाग से करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		138-विधान सभा क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर के अन्तर्गत दो फीडर खड्डा एवं कोटवा पर दो शिफ्टों में विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		139-विधान सभा क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर के अन्तर्गत छितौनी मिल की खरीद बिक्री के घोटाले की जांच करवाने एवं छितौनी मिल को पुनः चालू करवाने के सम्बन्ध में,
		140-विधान सभा क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर के अन्तर्गत नहरों की सिल्ट सफाई एवं मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में,
		141-विधान सभा क्षेत्र खड्डा, कुशीनगर में लगभग 250 टोले-मजरों का विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		142-जनपद-सुल्तानपुर के जगदीशपुर/निहालगढ़ कस्बा को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		143-देवकली एवं कटेहरी रजबहा में पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,
		144-बन्द पड़े नलकूप सं0 39 को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		145-छत्रपति शाहूजी महराज नगर जिले का नाम बदल कर भारत रत्न स्व0 राजीव गांधी नगर किये जाने के सम्बन्ध में,
		146-मथुरा आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेस हाई वे पर हवाई अड्डे हेतु भूमि का चयन यथाशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		147-केन्द्र सरकार की परियोजना जैनर्म के अन्तर्गत मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच परख कराये जाते हुये सभी कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		148-यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		149-यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में औद्योगिक गैस पर आधारित एक हजार करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र तत्काल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		150-मथुरा जनपद में स्थित छाता शुगर मिल को तत्काल चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		151-उ0 प्र0 सरकार द्वारा मथुरा रिफाइनरी इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से रु0 1600 करोड़ का प्रवेश कर लेना बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,
		152-बुन्देलखण्ड में अन्ना प्रथा बन्द किये जाने एवं जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		153-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के रानीगंज वारिसगंज मार्ग स्थित कानीहौज से ग्राम दिछौली थवरी डण्डेश्वर मंदिर तक के जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में, 154-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के नहर खण्ड 28 का मुख्यालय पुनः हैदरगढ़ किया जाय। विधान सभा क्षेत्र जगदीश के विकास खण्ड शुकुल बाजार में सी0 एच0 सी0 का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 155-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के विकास खण्ड शुकुल बाजार में गोमती नदी पर ग्राम सचिन में बनने वाले पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 156-विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के विकास खण्ड जामू में कई ग्राम सभाओं को जोड़ने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग हर गांव से घाटमपुर मड़ाही शाह बाबा की मजार होते हुये ग्राम सभा सूरतगढ़ की लम्बाई लगभग 10 किमी0 का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में, 157-औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में लगने वाले हिन्दुस्तान पेपर मिल का कारखाना लगाने के लिये भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 158-जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के वि0 ख0-बड़ोखर व जसपुरा के ग्रामों में बिजली तथा सड़क की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, 159-जनपद-बांदा के जिला पंचायत बैरियर की जा रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में, 160-पूरे बुन्देलखण्ड में वाटर लेबिल नीचे जा रहा है, ज्यादातर हैण्डपम्प खराब हो गये हैं गहरी बोरिंग कराकर पीने के पानी की समस्या को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 161-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में यमुना व केन नदी से लिफ्ट कैनालों द्वारा व बांध बनाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में, 162-जनपद-हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में 50 सरकारी ट्यूबवेल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, 163-जनपद-हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में स्थापित चीनी मिल की नीलामी कर दी गयी थी, उसके स्थान पर दूसरी चीनी मिल की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		164-विधान सभा क्षेत्र राठ में विगत माह में हुई ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसलों के नुकसान का सही आंकलन करवाकर क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के सम्बन्ध में,
		165-विधान सभा क्षेत्र राठ में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 500 हैण्डपम्पों की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में,
		166-लखनऊ हस्तकला का एक प्रमुख केन्द्र है। यहां लाखों कारोबारी जरदोजी व चिकन के व्यवसाय पर निर्भर हैं। इन कारीगरों में जहां उ0 प्र0 को पूरे भारत वर्ष में एक विशिष्ट स्थान दिया है वहीं उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। उ0 प्र0 में 90 प्रतिशत से अधिक कारीगर राजधानी लखनऊ में रहते हैं। यह न्यूनतम पारिश्रमिक भी नहीं पाते। यह बिचौलिया के शिकार हो जाते हैं। उ0 प्र0 सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि इन कारीगरों को न्यूनतम पारिश्रमिक मिले। बिचौलियों से बाजार मुक्त किया जा सके और उन्हें अपने माल का सही दाम मिले। प्रदेश में एक डिजाइनर वेमर बनाने पर विचार तथा देश-विदेश में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नई डिजाइनें बनाई जा सके। इन व्यापारियों को आमंत्रित कर बिचौलियों से मुक्त कराकर अपने उत्पादकों को सही मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		167-उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ का विगत 20 वर्षों में अप्रत्याशित विस्तार हुआ है किन्तु उसकी तुलना में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है जो बहुत महंगी हैं। लखनऊ कैन्ट 10 लाख की आबादी के बीच में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। वर्तमान बजट में एक 100 बेड का सरकारी अस्पताल कैन्ट, लखनऊ विधान सभा में खोला जाये।
		168-लखनऊ कैन्ट विधान सभा की आबादी लगभग 10 लाख है जिसमें महिलाओं की आबादी को देखते हुये महिला शिक्षा के लिये एक भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है। इसका बजट में कैन्ट विधान सभा में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना का प्राविधान किया जाये।
		169-विगत वर्षों की भांति अभी भी महिलायें बहुत असुरक्षित हैं। कृप्या महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		170-यह कि स्वयं सहायता समूहों का पढ़ाने हेतु ठोस कदम उठायें-मुसलमान उर्दू और आयुष डाक्टरों की फार्मासिस्टों की तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		171-सभी 12वीं दर्जा पास लड़कियों को भी डिपाजिट अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में, 172-भीषण गर्मी को देखते हुये लखनऊ सहित सभी जिलों में वृहद स्तर पर मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 173-अपने घोषणा-पत्र में आपने सर्किल रेट के हिसाब से भूमि अधिग्रहण भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, 174-कारागारों में महिला बैरकों की बहुत दुर्दशा है उसके दुरुस्त करने हेतु तत्काल व्यवस्था/प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में, 175-शहरों में महिला शौचालयों की लगभग कोई व्यवस्था नहीं है इसके लिये विशेष प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में, 176-बांदा के शहरी तथा उसके आस-पास 40 किमी0 क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन बसपा के पूर्व मंत्रियों ने जबरन खरीदी है तथा भ्रष्टाचार करके लाखों रुपये के मकान बनवाये गये हैं। उनको नष्ट करके राज्य सरकार उनका अधिग्रहण करे तथा बुन्देलखण्ड के मंत्रियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में, 177-केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जा रहे मेडिकल कालेज से बांदा को तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना बना रखा है तथा उसको पी0 पी0 एफ0 के तहत दे दिया है। सरकार तुरन्त अपने कब्जे में ले पी0 पी0 एफ0 के आदेश को रद्द किये जाने के सम्बन्ध में, 178-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं है। बांदा के इलाके में पूर्व में गन्ने की खेती होती थी किन्तु गन्ना मिल न होने के कारण गन्ने की खेती बन्द कर दी गयी है। बांदा क्षेत्र में विसण्डा भुआ क्षेत्र में एक चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में, 179-1905 में अंग्रेजी हुकूमत में तत्कालीन राज्य में वरियारपुर का बांध बनना था जो आज खस्ता हाल में है। इसी के साथ 1957 में खंगवा डैम बिल्कुल ध्वस्त है। अरबों रुपये का घोटाला हुआ है। इसकी जांच कराई जाये तथा उसकी क्षमता को बढ़ाया जाय इसी के साथ 1915 में गमऊ डैम बनाया गया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के सम्बन्ध में, 180-बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में पिछले पांच सालों से भयंकर रूप से खनन हुआ है। हालत यह है कि पूरे के पूरे पहाड़ धराशायी कर दिये गये हैं। अब पाताल से पत्थर निकाले जा रहे हैं। केन नदी की धारा बदल दी गयी है। इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराकर इसे वन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		181-विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत लगे इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जिनका पानी प्रदूषित हो चुका है जिसके कारण हार्ट अटैक आदि की बीमारी बड़ी तेजी से चल रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ गांवों के पानी की जांच करायी गयी जिसमें पानी दूषित पाया गया। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये सभी गांवों में वाटर टैंकों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 182-जनपद सहारनपुर की लगभग सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं जिनका निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, 183-विधान सभा क्षेत्र गंगोह का कुछ हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिस साल अत्यधिक वर्षा होती है उसी वर्ष बाढ़ से भारी जनहानि व नुकसान होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 184-विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत 24 घन्टे विद्युत् आपूर्ति की जाये, जनपद सहारनपुर में बने मेडिकल कालेज को जल्द चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 185-विधान सभा क्षेत्र गंगोह में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 186-सहकारी समितियों द्वारा किसानों को एक एकड़ पर 16 हजार रु0 ऋण दिया जा रहा है जिसमें किसानों की फसल में लागत अधिक लगती है इसलिये इसको बढ़ाकर एक एकड़ पर 50 हजार रुपये देने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 187-जनपद सहारनपुर में यूनिवर्सिटी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 188-जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में चकफेरी मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 189-जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में ग्राम खंडिया पर भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 190-जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में विलासपुर-शीशगढ़ मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 191-जनपद रामपुर की तहसील मिलक ग्राम तिराह पर 132 के0 वी0 के उपकेन्द्र का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 192-जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम वराखास में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 193-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		194-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		195-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की विद्युत् ओवर लोडिंग के लिये बड़े ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		196-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सी0एच0सी0 में उपचार के लिये उपकरण की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		197-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		198-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 का स्टाफ व उपचार के उपकरण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		199-जनपद रामपुर की तहसील मिलक में ग्राम भवरकी, चैनपुर व गदैया निकट हरसूनगला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		200-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		201-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम एहरो में पी0 एच0 सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		202-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम दिवदिवा को टाउन एरिया का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		203-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन के डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		204-कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किदवई नगर जनपद कानपुर में नयी सीवर लाइन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		205-कि गोविन्दपुरी पुल का निर्माण तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में,
		206-कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किदवई नगर में मकानों के स्वामित्व का शीघ्र निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,
		207-कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किदवई नगर में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		208-कि कानपुर दक्षिण को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		209-कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किदवई नगर जनपद कानपुर में नये स्टेडियम की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		210-कि कानपुर में एक नये एम्स अस्पताल का निर्माण तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में,
		211-प्रदेश में राजकीय संस्थान की भूमि का फ्री-होल्ड, 1998 नजूल नीति की भांति किये जाने के सम्बन्ध में,
		212-प्रदेश में शहरी गरीबों के पुनर्वासन हेतु भारत सरकार की राजीव आवास योजना, 209 तत्काल सर्वे कराकर लागू किये जाने के सम्बन्ध में,
		213-नजूल भूमि पर बसे कमजोर दलित वर्ग के गरीबों को पी0 डी0 टंडन बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उ0 न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 1986 में दिये गये निर्णयों के अनुसार वहीं पर पुनर्वास न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		214-कुम्भ मेले के पूर्व फाफामऊ, तेलियरगंज, इलाहाबाद में गंगा नदी पर प्रस्तावित गंगा सेतु को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		215-इलाहाबाद नगर में रेलवे क्रासिंगों पर रेलवे ओवर ब्रिजों का सर्वे कराकर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		216-उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 1/2009 के विज्ञापन के अनुसार चयनित टी0 जी0 टी0, पी0 जी0 टी0 के अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		217-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन अथवा राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत इलाहाबाद में नालों का सी0 सी0 निर्माण तथा आबादी में ढकने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		218-उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0 सी0 एस0, पी0 सी0 एस0 (जुडीशियल), अवर सबार्डिनेट प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा, हरियाणा, झारखण्ड, बिहार, हिमांचल आदि प्रान्तों की तरह 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,
		219-सम्पूर्ण प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव अगले सत्र में सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		220-इलाहाबाद में बक्शी बांध, अल्लापुर तथा गऊघाट पंपिंग स्टेशनों पर पंपिंग क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त पंपों को लगाकर जल भराव समस्या दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		221-हापुड़ विधान सभा के रामपुर रोड के बन्द उद्योग तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		222-काली नदी पर, असरा लोटी/मीरपुरकला-भाटैल के बीच काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		223-हापुड़ विधान सभा क्षेत्र की पुरानी सड़कों की पुराने इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		224-पंचशीलनगर नये जिले का नाम तत्काल हापुड़ रखे जाने के सम्बन्ध में,
		225-हापुड़ शहर की नई बस्तियों में विद्युतीकरण तत्काल कराया जाये व पुरानी बस्तियों से विद्युत् की लाइन हटाई जाने के सम्बन्ध में,
		226-हापुड़ ब्लाक के जो गांव वि0 वि0 खण्ड गढ़मुक्तेश्वर में शामिल किये गये हैं। उन्हें तत्काल वि0 वि0 खण्ड (विद्युत् विभाग) हापुड़ में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,
		227-प्रदेश में विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिये ठोस कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		228-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार हेतु ठोस योजना लागू करने के सम्बन्ध में,
		229-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेय जल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,
		230-महिलाओं को उत्पीड़न तथा अत्याचार रोकने के लिए कारगर उपाय करने के सम्बन्ध में,
		231-प्रदेश में नहरों की सफाई व मरम्मत तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		232-किसानों की गेहूँ की खरीद दारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		233-प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक, खाद, बीच तथा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		234-प्रदेश के चिकित्सालयों में मुफ्त दवायें तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		235-प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाप की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		236-कैन्सर, लीवर, हृदय, किडनी आदि गम्भीर रोगों की चिकित्सा व आपरेशन सरकारी खर्च पर कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		237-किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		238-प्रदेश की ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए कारगर उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,
		239-गन्ना किसानों के बकाये की शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में,
		240-भारत-नेपाल बार्डर के जनपद-बहराइच में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		241-धान की खरीद हेतु पर्याप्त मात्रा में धान क्रय केन्द्र की स्थापना तथा खरीद सुनिश्चित करने का कारगर नीति बनाने के सम्बन्ध में,
		242-वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन एक हजार प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में,
		243-मछुआ समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		244-विधायकों को 20 कि0मी0 सड़क, 10 लोहिया ग्राम, 450 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प 15 गांव विद्युतीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		245-भू-गर्भ जल में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस उपाय करने के सम्बन्ध में,
		246-प्रदेश में मानक के विपरीत खराब गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण रोकने के सम्बन्ध में,
		247-प्रदेश के स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,
		248-प्रदेश में बेसिक, जूनियर, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी शीघ्र दूर करके समुचित शिक्षा देने का उपाय करने के सम्बन्ध में,
		249-जनपद-बहराइच की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		250-जनपद-बहराइच की सिम्भावली सूगर मिल चिलवरिया तथा पारले सूगर मिल परसेन्डी द्वारा किये जा रहे जल व वायु प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		251-जनपद-बहराइच के कैसरगंज से पयागपुर होते हुए मोहनीपुर मोड़ (इकौना) तक की सड़क के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		252-जनपद-बहराइच के पयागपुर को पुनः तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		253-जनपद-बहराइच के पयागपुर में फायर ब्रिगेड स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		254-लखनऊ-बहराइच रुपईडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सी में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंगों पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		255-जनपद-बहराइच पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना के माइनरों की मरम्मत व पूर्ण निर्माण तथा टेल तक पानी पहुँचाने के सम्बन्ध में,
		256-प्रदेश के ग्रामीण संचलों में शुद्ध पेयजल हेतु पाइप वाटर पेय जल योजना में आबादी का मानक 5000 से घटाकर 2000 करने के सम्बन्ध में,
		257-उ0प्र0 में आवेदकों को तीन दिन के अन्दर आय, जाति, निवास, विकलांग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		258-प्रदेश में मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए मच्छरों के समूल नाश हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		259-प्रदेश में पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर ए0एस0वी0 तथा ए0आर0वी0 इन्जेक्शनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		260-जनपद-बहराइच के पयागपुर में महिला चिकित्सालय पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		261-जनपद-बहराइच की मण्डी समिति पयागपुर का भवन निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		262-जनपद-बहराइच की पयागपुर विधान सभा क्षेत्र की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,
		263-जनपद-बहराइच की पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		264-जनपद-बहराइच के पात्र विधवाओं, विकलांगों, वृद्धों को जिन्हें पेन्शन नहीं मिल रही है उन सबको पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		265-बहराइच जनपद के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में, 266-जनपद-बहराइच की विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, 267-प्रदेश में बाढ़ तथा वर्षा के पानी का जल संरक्षण करने की योजना के सम्बन्ध में, 268-प्रदेश के जिन जनपदों में दवायें रखने की व्यवस्था नहीं है वहां ड्रग वेयर हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 269-जनपद-बहराइच के पयागपुर में स्थित बघेल ताल की पक्षी बिहार के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, 270-बहराइच जनपद के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में दर्ज स्थायी पात्रता सूची में जिन लोगों को आवास नहीं मिला है उन सभी को इन्दिरा आवास देने के सम्बन्ध में, 271-बहराइच-जनपद के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के विकलांगों के पेन्शन, आवास, यात्रापास ट्राईसायकिल, व्हीलचेयर, बैशाखी इत्यादि उपकरण प्रदान करने के सम्बन्ध में, 272-इन्हौना में धरगही नगियामऊ से जमुनीपुर होते हुये ड्रेन इन्हौना तक बनाये जाने सम्बन्ध में, 273-ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं और लोगों को भारी असुविधा के सम्बन्ध में, 274-विद्युत आपूर्ति 10 घण्टे से ज्यादा न होने के कारण क्षेत्र का विकास बाधित है। कम से कम 16 घण्टे आपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में, 275-क्षेत्र के अन्तर्गत एक भी उद्योग (कारखाना) के न होने से बेरोजगारी की व्यापक समस्या के निदान के सम्बन्ध में, 276-कन्याओं के लिये क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की विशेष आवश्यकता है जायस में नगर पालिका क्षेत्र के साथ हर ब्लाक में एक-एक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 277-स्वास्थ्य सेवा की स्थिति क्षेत्र में अत्यन्त खराब है नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है पुराने अस्पतालों में चिकित्सकों की उचित सेवायें लोगों को न मिल पाने के सम्बन्ध में, 278-क्षेत्र में तहसील मुख्यालय तिलोई समेत पूरे ब्लाक में विद्युत आपूर्ति डबल ग्रुप में नहीं मिल रही जिसे कम से कम 16 घण्टे दिन रात की डबल शिफ्ट में दिये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		279-उत्तर प्रदेश की बेरोजगार योजनाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 280-पूर्वी उ0प्र0 के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के सम्बन्ध में, 281-पूर्वी उ0प्र0 में गण्डक, राप्ती, रोहित, बदोला महाव नदियों के बाढ़ से बचाव के सम्बन्ध में, 282-पूर्वी उ0प्र0 में मस्तिष्क ज्वर से प्रति वर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु और मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन के सम्बन्ध में, 283-सोनौली गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से जर्जर, खस्ता हाल, अवैध बसों के संचालन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में, 284-महराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील मुख्यालय पर स्थित डॉ0 घनश्याम कुँवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैय्या के अस्पताल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में, 285-महराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लाक अन्तर्गत रोहित नहर प्रणाली का मुख्य बांध जो पिछले 7 वर्षों से टूट गया है, को शीघ्र निर्मित कराने के सम्बन्ध में, 286-महराजगंज जनपद के नौतनवा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों और फार्मासिस्टों की मानक के अनुरूप नियुक्ति के सम्बन्ध में, 287-उ0प्र0 पुलिस विशेषकर महराजगंज, गोरखपुर जनपद में पुलिसिया अत्याचार के शिकार लोगों को पुलिस जुल्म से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में, 288-महराजगंज जनपद के नौतनवा, लक्ष्मीपुर बृजमनगंज धानी, निचलौल, भिठौरा, सिसवा, परतावल, घुघली, पनियरा, महराजगंज सदन एवं फरेन्दा ब्लाक के गांवों में लो वोल्टेज विद्युत की आपूर्ति से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में, 289-पूर्वी उ0प्र0 के महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सन्त कबीर नगर जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में, तथा 290-भारत नेपाल सीमा पर स्थित गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी से गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर को जोड़ने वाले माग कप्तानगंज-सिसवा-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग के उच्चीकरण एवं नवनिर्माण के सम्बन्ध में।''

1	2	3
3	श्री दलवीर सिंह, श्री त्रिलोकी राम, श्री सुदेश शर्मा, श्री भगवती प्रसाद तथा श्री वीरपाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लूट, डकैती, हत्या महिलाओं की आबरू बचाने एवं अत्याचार की घटनाओं को रोकने एवं जंगल राज से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-गन्ना किसानों को डीजल, खाद की बढ़ती महंगाई तथा उनकी मेहनत तथा उपज का उचित गन्ना मूल्य रु0 300.00 प्रति कुन्तल दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश के बड़े भू-भाग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये चार भागों में विभक्त कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (हरित प्रदेश), बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य उत्तर प्रदेश (अवध प्रान्त) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) की बेंच बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की नगदीकरण की बन्द की गयी सुविधा पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 7-राजकीय कर्मचारियों की वर्ष 2005 से नवनियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन योजना रोकी गयी, को पूर्ववत् की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 8-राजकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान छठे वेतनमान के अनुरूप शिक्षा भत्ता एवं परिवहन भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई को रोकने तथा मूल्य नियंत्रण नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में कक्षा 12 तक सभी समुदायों के छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश के किसानों की आवश्यकतानुसार खाद एवं बीज सही समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश के किसानों की उपज का सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्य एवं कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः उचित निर्धारण कराने के सम्बन्ध में, 13-किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार द्वारा किसान के पूर्ण उत्पादन का खरीद के आश्वासन के सम्बन्ध में,

1	2	3
		14-बढ़ती महंगाई में पेट्रोल व डीजल पर अन्य राज्यों की तुलना में उ0प्र0 में लगे वैट को उन राज्यों की भाँति करने के सम्बन्ध में, 15-सभी जाति धर्म की कन्याओं के विवाह के लिये सहायता राशि अल्पसंख्यक समुदाय की कन्याओं की भांति कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-प्रदेश के कम क्षमता के शुगर मिलों के क्षमता बढ़ाये जाने एवं बन्द पड़ी मिलों को चलाये जाने के सम्बन्ध में। विशेष रूप से जनपद-अलीगढ़ की साथा सहकारी शुगर मिल की क्षमता दोगुनी किये जाने के सम्बन्ध में, 17-प्रदेश के जनपद-अलीगढ़ में स्थित काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-प्रदेश के जनपद-अलीगढ़ में विगत 20 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग के आश्वासन के सम्बन्ध में, 19-पूरे प्रदेश के सामान्य एवं गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 20-पूर्वांचल पैकेज के भांति पश्चिमांचल पैकेज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 21-प्रदेश ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में एन0सी0आर0 के प्रस्तावित विस्तार 2021 में बागपत को शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में, 22-जनपद अलीगढ़ धरनीधर के सम्बन्ध पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में, 23-जनपद अलीगढ़ मंगलायातन को जैन धर्म का पर्यटक स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 24-जनपद-गाजियाबाद में बदनदी मोदी कपड़ा मिल पर बकाया मजदूरों का भुगतान करने के सम्बन्ध में, 25-जनपद-गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में, 26-जनपद-गाजियाबाद में एन0एच0 58 पर बाईपास रोड अथवा फिलओवर पुनः बनवाने के सम्बन्ध में, 27-जनपद-मेरठ में मोहद्दीनपुर स्थित सहकारी शुगर मिल को पुनः चलवाने के सम्बन्ध में, 28-जनपद-गाजियाबाद में मोदी शुगर मिल पर बकाया गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में,

1	2	3
		29-पूरे प्रदेश में गेहूँ क्रय पर 200 प्रति कु0 अतिरिक्त बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में, 30-प्रदेश में बन्द पड़ी सभी विद्युत डेरियों को चालू करने एवं उन पर बकाया किसानों व कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध में, 31-किसान बीमा के साथ किसान मजदूरों को भी बीमा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 32-पूरे प्रदेश में सभी जातियों के बच्चों को आई0एस0, पी0सी0एस0 की कोचिंग उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-वि0 खं0 स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ट्रामा सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 34-प्रदेश भर में विशेष अभियान के अन्तर्गत समस्त चकरोडों को चिन्हांकित कर उन पर मिट्टी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 35-प्रस्तावित 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के साथ-साथ कन्डेरा जाति एवं अहेरिया जाति को भी सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 36-जनपद-अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम को पर्यटक का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 37-जनपद अलीगढ़ ब्लाक इगलास में खेड़िया गुरुदेव पर पुल के सम्बन्ध में।"
4	श्री डॉ0 मुहम्मद अय्यूब, श्री अनीसुर्रहमान, तथा श्री मलिक कमाल यूसुफ	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित को उल्लेख नहीं किया है :- 1-मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री निर्माण एवं इसे शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस उल्लेख नहीं है, 2-मुस्लिमों को 18 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है, कृपया इसका भी उल्लेख किया जाय, 3-रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशें लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है, कृपया इसका भी उल्लेख किया जाय, 4-अतिदलित, अतिपिछड़ों के विकास एवं उनके आबादी के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, 5-बुनकरों का कर्ज न माफ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा

1	2	3
		6-गोकशी के नाम पर निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न न किये जाने के सम्बन्ध में।"
5	सुश्री अनुप्रिया पटेल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण रोकने एवं सुरक्षा सुनिश्चित कराने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र रोहनियां, वाराणसी "फूलों की खेती" के लिये जाना जाता है, उसे उद्योग का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 3-बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत आपूर्ति सस्ती दरों पर धागा उपलब्ध कराने, पावरलूम की आपूर्ति 20 घण्टे उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 4-31 अक्टूबर को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में, 5-समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, तथा 6-विधान सभा क्षेत्र रोहनियां, वाराणसी में विद्युत एवं पेयजल तथा विकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।"
6	डॉ0 धर्मपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद आगरा के रा0रा0मा0-2 से रहनकलां होते हुए समोगर घाट (यमुना नदी) तक सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के सम्बन्ध में, 2-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंदौली को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहन को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खंदौली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद आगरा के एत्मादपुर कस्बा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		6-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के कुबेरपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		7-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के नगला चतुरा से सिकन्दरपुर तक यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के कस्बा एत्मादपुर के मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,
		9-जनपद आगरा के समोगर घाट यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		10-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा के खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		11-जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा के शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद आगरा के जलेसर रोड से गढ़ी खंजर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		13-जनपद आगरा के गांव बुर्ज गंगी से वास किशन सिंह तक सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में,
		14-जनपद आगरा के गांव बुर्ज गंगी से बैलोंठी तक सड़क का निर्माण (बाईपास सहित) के सम्बन्ध में,
		15-जनपद आगरा के नगला रते (शेखपुरा) की सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में,
		16-जनपद आगरा के एत्मादपुर-बरहन रोड से वास बोड़िया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		17-जनपद आगरा के गांव सल्लगढ़ी से मण्डनपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		18-जनपद आगरा के खंदौली-एत्मादपुर रोड से गांव वास रिसाल तक सड़क की विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,
		19-जनपद आगरा के जलेसर रोड से गांव ऊँचा तक सड़क की विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		20-आगरा महानगर की बदतर हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		21-लखनऊ के तेलीबाग स्थित बल्देव बिहार मोहल्ले में लो वोल्टेज के दृष्टिगत पीपल के पेड़ के पास एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		22-लखनऊ के तेलीबाग स्थित बल्देव बिहार मोहल्ले में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में,
		23-लखनऊ के तेलीबाग स्थित बल्देव बिहार मोहल्ले मे गलियों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-लखनऊ के कुकरैल पिकनिक स्पाट फरीदीनगर स्थित अवध कुंज तथा श्रीराम कुंज मोहल्लों में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-लखनऊ के कुकरैल पिकनिक स्पाट फरीदीनगर स्थित अवध कुंज तथा श्रीराम कुंज मोहल्लों में गलियों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-सावित्री बाई फूले कन्या शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत लौह पुरुष सरदार पटेल इण्टर कालेज, चन्दीगढ़ी, पुरवा, उन्नाव से वर्ष 2010 से हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं के चयन में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		27-सावित्री बाई फूले कन्या शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 ग्राम-रम्माखेड़ा, ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर, जनपद-उन्नाव की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं के चयन में किये गये भेदभाव की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-नगर निकाय, उन्नाव में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-कार्यालय नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के पत्रांक : 24/पेंशन वि0/09-10/87, दिनांक 13-4-2009 में उल्लिखित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-जनपद उन्नाव की पुरवा-त्रिपुरारपुर मार्ग में कराये गये घटिया डामरीकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-नगर पालिका परिषद्, उन्नाव में वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयों का भुगतान तथा पेंशन निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		32-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा-कोदइयाखेड़ा सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने तथा मार्ग में पड़ने वाले टूटे हुए नहर के पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने तथा मार्ग में पड़ने वाले टूटे हुए नहर के पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		33-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 34-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा में जल निकासी नालियों के निर्माण एवं गलियों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।"
7	श्री पूरन प्रकाश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद मथुरा के गांव मल्है से गांव होल्ला तक लगभग 1.300 कि0मी0 नव निर्माण के सम्बन्ध में, 2-जनपद मथुरा के गैस गोदाम से कटैला पुल तक लगभग 1.500 किमी0 नव निर्माण के सम्बन्ध में, 3-जनपद मथुरा के बल्देव रोड से नंगला पीता तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 4-जनपद मथुरा के कटैला प्राइमरी पाठशाला से नहर तक लगभग 800 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 5-जनपद मथुरा के राया से सादाबाद रोड बाल्टीगढ़ी तक लगभग 2.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 6-जनपद मथुरा के अनोड़ा सादाबाद रोड से नगला हर्राय तक लगभग 600 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 7-जनपद मथुरा के राया सादाबाद रोड से ब्योही बिजहारी तक लगभग 3.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 8-जनपद मथुरा के कारब बल्देव रोड से सिहोरा मार्ग तक लगभग 2.50 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 9-जनपद मथुरा के कारब में पैठ में रमचैलिया तक लगभग 800 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 10-जनपद मथुरा के रामपुर चौराहे से पबेसरा तक लगभग 2.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 11-जनपद मथुरा के कारब सिहोरा मार्ग से धैनावर होकर पोखर तक लगभग 900 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 12-जनपद मथुरा के रामपुर चौराहे से केसर गढ़ी तक लगभग 500 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 13-जनपद मथुरा के कचनाऊ से बरौली तक लगभग 2.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		14-जनपद मथुरा के बल्देव खंदौली मार्ग से मादोर तक लगभग 1.50 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 15-जनपद मथुरा के जादोपुर से सेलखेड़ा तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 16-जनपद मथुरा के बरौली से मंगलीगढ़ी तक लगभग 800 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 17-जनपद मथुरा के पी0बी0एम0बी0 मार्ग से लोहवन तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 18-जनपद मथुरा के मथुरा-आगरा हाईवे से झण्डीपुर मार्ग लगभग 2 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 19-रेपुरा जाट से कन्जौली घाट लगभग तीन किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 20-जनपद मथुरा के अवैरनी से पचावर मार्ग लगभग 3 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 21-जनपद मथुरा के राया सादाबाद मार्ग से अनौड़ा, बिजहारी, ब्यौही मार्ग लगभग 4 किमी0 नव निर्माण तथा नगला पीता से पड़रारी तक लगभग 2.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 22-जनपद मथुरा के फजीयतपुर नगरिया से भंकरपुर तक लगभग 500 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 23-जनपद मथुरा के भंकरपुर से पुलिया तक लगभग 200 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 24-जनपद मथुरा के रामपुर केशर गढ़ी मार्ग से गदी धनिया तक लगभग 700 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 25-जनपद मथुरा के खड़िया से चौहरी तक लगभग 900 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 26-जनपद मथुरा के अचरू से होल्ला तक लगभग 500 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 27-जनपद मथुरा के मुरसैनिया से बम्बा के पुल तक लगभग 1.6 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 28-जनपद मथुरा के नहर के पुल से गढ़ी धनुआ तक लगभग 250 मीटर नव निर्माण के सम्बन्ध में, 29-जनपद मथुरा के भरऊगढ़ से अनौड़ा बिहारी मार्ग को जोड़ने वाला लिंक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		30-जनपद मथुरा के नगला हर्रा मार्ग से निहालपुर तक लगभग 400 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 31-जनपद मथुरा के बुर्ज से सरूपा होकर रामपुर कैसरगढ़ी मार्ग को जोड़ने वाला लिंक मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में, 32-जनपद मथुरा के नगला थाना से नहर के पुल से विरजानन्द आश्रम तक लगभग 300 मीटर, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 33-जनपद मथुरा के कूड़ा से बरौली तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 34-जनपद मथुरा के न0 संजा से मंगली गढ़ी तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 35-जनपद मथुरा के फरह ओल मार्ग से जाफरनगर लगभग 1.500 किमी0 (फरह ब्लाक), नव निर्माण के सम्बन्ध में, 36-जनपद मथुरा के नगला बदना से कन्जौली घाट 1 वाया नगला वेर, नौहा लगभग तीन किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 37-जनपद मथुरा के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की पुत्रियों के शादी में अनिवार्य रूप से रु0 50-50 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में, 38-जनपद मथुरा के के बल्देव फरह एवं राया ब्लाकों की उखड़ी (जर्जर) सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 39-जनपद मथुरा में अवैध रूप से पुलिस की देखरेख में अवैध बालू एवं मिट्टी के खनन तथा काले तेल कारोबार के माफियाओं को समाप्त करने के सम्बन्ध में, 40-मथुरा के फरह ब्लाक के अन्दर धानाजीवना एवं गांजोली ग्रामों की मुख्य सड़क से जोड़ने एवं पूरी सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में, 41-मथुरा के अन्तर्गत ओल से चौकी पुरा, लुहारा मार्ग को आवागमन को सुचारु करने के सम्बन्ध में, 42-अपर आगरा कैनाल मथुरा के अन्तर्गत फरह ब्लाक एवं मांट ब्रांच कैनाल के अन्तर्गत आने वाले मथुरा, राया, बल्देव, ब्लाकों की जमीन में सिंचाई पानी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में एवं इनसे निकली समस्त माइनरों में टेल तक पानी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 43-मथुरा एवं महावन तहसील के ग्रामीण अंचल के विद्युत् जर्जर तारों को बदलवाने एवं खम्भे आदि बदलवाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		44-अनुसूचित जाति के एवं पिछड़ी जातियों के जू0हा0 हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेजों आदि में छात्रवृत्ति शीघ्र प्रदान कराने में तथा वजीफा राशि दो गुनी करने के सम्बन्ध में, 45-जनपद मथुरा के विभिन्न विद्यालयों छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति अवैध रूप से स्कूल कालेजों के खातों से निकलवाकर छात्रों को प्रदान कराने में तथा फीस के नाम अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में, 46-जनपद मथुरा के फरह, बल्देव, राया ब्लाक के ग्रामीण अंचल एवं कस्बों में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 47-जनपद मथुरा के फरह, राया, बल्देव ब्लाकों में पेयजल की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक ब्लाकों में 150-150 इंडिया मार्का 02 हैण्डपम्प ग्रामों में लगवाने के सम्बन्ध में, 48-जनपद मथुरा के फरह बस स्टैण्ड पर पूर्व वर्षों की भांति रात्रि में बसों का ठहराव एवं कर्मचारियों को रात्रि में रहने के सम्बन्ध में, 49-जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक, राया ब्लाक एवं फरह ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सड़कों पर कई वर्ष पहले पड़े पत्थरों पर लेपन कार्य के सम्बन्ध में, 50-मथुरा के फरह गोवर्धन एवं बल्देव के गांवों में काफी समय से फुंके पड़े ट्रांसफार्मर बदलवाने के सम्बन्ध में, 51-जनपद मथुरा के बल्देव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण एरिया में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में, 52-जनपद मथुरा के फरह एवं राया में रोडवेज बस के रात्रि में विश्राम के सम्बन्ध में, 53-जनपद मथुरा के बरारी ग्राम में पैठ स्थान को व्यवस्थित कर एवं पैठ के स्थान की चाहर दीवारी के सम्बन्ध में, 54-जनपद मथुरा के लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा द्वारा फरह ब्लाक एवं लोक निर्माण सी0डी0 वन के अन्तर्गत बल्देव ब्लाक एवं राया ब्लाक में बनायी गयी सड़कों के मानकता के अभाव में टूटने के सम्बन्ध में, 55-जनपद मथुरा के नेशलन हाइवे से भाहई, झण्डीपुर, कुरकदा गढ़ाया, सड़क मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में, 56-जनपद मथुरा के नेशनल हाईवे से जुड़े रेपुरा जाट से कन्जौली घाट पुल तक सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण (मरम्मत) के सम्बन्ध में,

1	2	3
		57-जनपद मथुरा के फरह ब्लाक में करनपुर, कोड़ मिर्जापुर ब्राह्मण, भदाया, पिपरोठ, जिरौली, करनावल, गांजोली, धानाजीवना, किरारई, शहजादपुर, विरौना, भदेरूआ, सलेमपुर, मलिकपुर आदि ग्रामों में सड़क एवं बिजली तथा पेयजल सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, 58-जनपद मथुरा के फरह ब्लाक, बल्देव ब्लाक एवं राया ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में डी0ए0पी0 एवं यूरिया खाद किसानों को प्रदान कराने के सम्बन्ध में, 59-जनपद मथुरा के झुड़ावई, नगला महादेव, नगला छीतर सिंह एवं बलजीत के नगला में पेयजल सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, 60-जनपद मथुरा के फरह ब्लाक, बल्देव ब्लाक, राया ब्लाकों के ग्रामीण अंचल में किसानों को आलू के बीज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, 61-जनपद मथुरा के अवैरनी पचावर मार्ग पर नगला रायसिंह से ग्राम नगला रतिया तक लगभग 1.50 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 62-जनपद मथुरा के नगला लोका से नगला बीच तक लगभग 1.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 63-जनपद मथुरा के पचचार से नगला रतिया होते हुए बल्देव जुगसना मार्ग तक लगभग 3.00 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 64-जनपद मथुरा के पचावर जुगसना मार्ग से नगला कुजी होते नगला बाला तक लगभग 1.50 किमी0, नव निर्माण के सम्बन्ध में, 65-जनपद मथुरा के पचावर से नगला चेता भडऊगड होते हुए अनौडा तक लगभग 5.00 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 66-जनपद मथुरा के बल्देव जुगसना राजवहा से बल्टीगढ़ी खेड़ा तक 1.50 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 67-जनपद मथुरा के बल्देव जुगसना मार्ग पर सरकण्ड से नगला विधि होते हुए दधैटा तक 2.00 किमी0, सरायदाऊद से नगला बुर्ज तक 1.50 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 68-बल्देव जुगसना मार्ग पर जुगसना से नगला मेदू तक 1.00 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 69-जनपद मथुरा के पचावर कारब मार्ग पर स्थित माइनर की पटरी बल्देव राया मार्ग तक 1.50 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		70-जनपद मथुरा के राया सादाबाद मार्ग पर तबका से नगला बीच तक लगभग 1.50 किमी0, नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 71-जनपद मथुरा ब्लाक बल्देव ग्राम पंचायत नरहौली जुन्नारदार एवं ग्राम बिरौना में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में, 72-जनपद मथुरा वि0खं0 राया में ग्राम पडरारी एवं ग्राम नगला थाना तथा ग्राम खांडियां के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, 73-जनपद मथुरा ब्लाक राया के गांव नगला लाल को विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 74-जनपद मथुरा के अन्तर्गत पचावर में नव निर्मित विद्युत् उपकेन्द्र को चालू किये जाने के सम्बन्ध में।"
8	श्री संजय कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में चकफेर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 2-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम खंडिया पर भाखड़ा नदी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, 3-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विलासपुर-शीशगढ़ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 4-जनपद रामपुर की तहसील मिलक ग्राम तिराह पर 132 के0वी0 के उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में, 5-जनपद रामपुर की तहासील मिलक के ग्राम खास में 33 के0वी0 के उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में, 6-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी के उपमंडी के निर्माण के सम्बन्ध में, 7-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में, 8-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की विद्युत् ओवर लोडिंग के लिए बड़े ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सी0एच0सी0 में उपचार के लिए उपकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 10-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		11-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 पर स्टाफ व उपचार के उपकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 12-जनपद रामपुर की तहसील, मिलक में ग्राम भवरकी, चैनपुर व गदैया निकट हरसूनगला पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 13-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में महिला महाविद्यालय को निर्माण के सम्बन्ध में, 14-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम एहरो में पी0एच0सी0 के निर्माण के सम्बन्ध में, 15-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम दिवदिवा को टाउन एरिया का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में तथा 16-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन के डिपो के निर्माण के सम्बन्ध में।"
9	श्री सतीश महाना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-प्रदेश में बढ़ रही भीषण महंगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में, 2-कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एमएलडी वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में, 3-कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 4-कानपुर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या के सुधार के सम्बन्ध में, 5-घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में, 6-कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में, 7-मिड-डे-मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में, 8-कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के सम्बन्ध में, 9-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत् कटौती के सम्बन्ध में, 10-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		11-कानपुर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में, 12-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में, 13-कानपुर के बाहरी सोसाइटी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 14-कानपुर स्थित हंसपुरम् कालोनी में आवास विकास परिषद् द्वारा बड़ी संख्या में मकान बनाने के पश्चात् भी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 15-कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों- अर्रा, बिनगवां, गंगापुर में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में।"
10	श्री सुरेश राणा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में, 2-थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में, 3-थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में महिला पालीटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-थानाभवन क्षेत्र की जलालाबाद नगर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में, 5-थानाभवन क्षेत्र में कच्ची गढ़ी ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में, 6-शामली से लेकर गढ़ीपुख्ता होते हुए हथछोया तक सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-थानाभवन बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में, 8-हरड फतेहपुर बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में, 9-थानाभवन विधान सभा के ग्राम दसोडी, उमरपुर, जाफरपुर, गोसगड़, गदेवड़ा, मालेण्डी, कुतुबगढ़, वितारसी, भदोड़ा आदि ग्रामों में पानी की टंकी के सम्बन्ध में, 10-हिण्ड से लेकर गढ़ीपुख्ता तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		11-हिरनवाडा बाईपास के सी0सी0 के सम्बन्ध में, 12-उमरपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में, 13-भन्दौडा ग्राम में हाईस्कूल के सम्बन्ध में, 14-लपराना गांव के मजरे नया गांव में जू0 हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में, 15-ग्राम लुहरी में इंटर कालेज एवं टंकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-ग्राम हरड फतेहपुर में राजकीय इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 17-ग्राम भनेडा व ग्राम खेड़ा गदाई में हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में, 18-ग्राम पंचायत जलालपुर के मजरे समसपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-ग्राम भनेडा में 3 मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-थाना भवन नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में, 21-थानाभवन शामली मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में, 22-थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में, 23-ग्राम दुल्लाखेड़ी में बिजलीघर को शीघ्र चलाने के सम्बन्ध में, तथा 24-ग्राम नौनागली में 5 एम0बी0ए0 का नया बिजलीघर बनाये जाने के सम्बन्ध में।”
11	श्री बब्बन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- “किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-गोण्डा-लखनऊ मुख्य मार्ग पर बालपुर बाजार के पास टेढ़ी नदी पर ध्वस्त पुल जो विगत दो वर्षों से बन्द है, के निर्माण के सम्बन्ध में, 2-करनैलगंज से आर्यनगर वाया कटरा बाजार-रामापुर- रौड़िया मार्ग एवं आर्यनगर से गोकरन शिवाला मार्ग जो पूर्णतः ध्वस्त एवं गड्ढे में बदल गयी है लम्बाई 35 किमी0 का निर्माण उच्चीकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		3-दुबहा बाजार से कटुआनाला सम्पर्क मार्ग 10 किमी0 जो लो0नि0वि0 से 10 वर्ष पूर्व बनी थी, का निर्माण हॉट मिक्स से कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-करनैलगंज-हुजूरपुर मार्ग से नहवापरसौरा से देव्वापसिया, धर्मपुर, चैनापुर, झोनहा बार्डर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 17 किमी0 ध्वस्त डामर रोड को निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-कौड़िया से अशोकपुर मार्ग लम्बाई 10 किमी0 का डामरीकरण हॉट मिक्स से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-दुबहा बाजार से कटुआनाला के बीच एक विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में, 7-दुबहा बाजार से नरायनपुरकला-रायपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग, जो पी0डब्ल्यू0डी0 से निर्मित है लम्बाई 10 किमी0 गड्ढे में परिवर्तित हो गयी का निर्माण हॉट मिक्स से कराने के सम्बन्ध में, 8-लगभग लाख हेक्टेयर जल प्लावित क्षेत्र वि0 खण्ड कटरा बाजार वि0 खण्ड हलधरमऊ, वि0 खण्ड रूपईडीह जनपद गोण्डा के अन्तर्गत किसानों को उबारने के लिए 1-टेढ़ी नदी/नाला की सफाई/खुदाई, 2-चंदहा नाला की सफाई/खुदाई, 3-विसुही नाला की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में, 9-गोण्डा-लखनऊ मार्ग पर कोचाकसिमपुर से वाया कमालपुर पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक लम्बाई 6.0 किमी0 निर्माण कराया जाय, 10-वित्त विहीन जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में, 11-गिरते भूजल स्तर एवं भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए पहले की भांति विधायकों को क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 500 इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प का कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-297, कटरा बाजार विधान सभा में किसानों का गेहूं नहीं तौला जा रहा है, विचौलिये हावी हैं, बोरों का अभाव हैं, किसानों का गेहूं तुलवाये जाने के सम्बन्ध में, 13-परसागौडरी-पीतसा मार्ग के किमी0 से वाया बुधाई पुरवा सोनहरा ध्वस्त मार्ग का लेपन हॉट मिक्स से कराये के सम्बन्ध में, 14-टेढ़ी नदी पर ग्राम मथुरा एवं जयरामजोत के मध्य पक्का पुल निर्मित कराया जाय।”

1	2	3
12	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-किसानों की आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में, 2-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में नई सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में हो रही विद्युत् कटौती के सम्बन्ध में, 6-विद्युत् विभाग में परिवर्तकों की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश मे सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्य दिल्ली व हरियाणा के बराबर करने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में, 14-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		15-प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों का आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में, 16-प्रदेश में मिड-डे-मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में, 17-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृह कर माफ करने के सम्बन्ध में, 18-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 19-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में, 20-प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, 21-प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में, 22-प्रदेश में दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, 23-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गोकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, 24-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मांस प्लांटों को लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में, 25-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में, 26-मेरठ में नई कालोनी गंगा नगर, लोहिया नगर, पल्लव पुरम् में थाना खोलने के सम्बन्ध में, 27-मेरठ मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में, 28-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में, 29-मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में, 30-देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में, 31-खेल नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 32-खेल का सामान बनाने वाली कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		33-मेरठ में 24 घण्टे बिजली दिये जाने एवं घरेलू उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में, 34-टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नयी सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 35-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिए नीति बनाने के सम्बन्ध में, 36-मेरठ नगर निगम के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में, 37-मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में, 38-मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में, 39-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में, 40-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का उपयोग भेदभाव से करने के सम्बन्ध में, 41-मेरठ जिले में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के लिए हजारों की संख्या में चक्कर काट रहे व्यक्तियों को पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में, 42-मेरठ महानगर में नयी आवासीय दलित एवं मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 43-मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक जाम व उसके कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में, 44-नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में, 45-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से दलित एवं मलिन बस्तियों में नाली एवं सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में, 46-प्रदेश के सभी जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 47-मेरठ जनपद की सभी तहसीलों में जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, तथा 48-मेरठ जनपद में बढ़ती आबादी के कारण शहर के बाहरी इलाकों में बन रही नई कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।”

1	2	3
13	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-गोरखपुर स्थित बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस पर रोकथाम हेतु पुनः टीकाकरण कराये जाने तथा अभी तक अनुसंधान की सभी सुविधायें गोरखपुर में ही उपलब्ध न किये जाने के सम्बन्ध में, 3-गोरखपुर में स्वायत्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-गोरखपुर शहर विधान सभा की सीमा अन्तर्गत एक बड़े हिस्से में पाइप पेयजल आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में, 5-गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह पर लगे हुए स्थगन आदेशों को हटाये जाने तथा मुकदमों की पैरवी में विधिक अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रुचि न लिये जाने के सम्बन्ध में, 6-गोरखपुर शहर विधान सभा के सीमान्तर्गत एक बड़े हिस्से में जल निकासी हेतु नालों की कोई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में, 7-गोरखपुर महानगर के एक बड़े हिस्से के कच्ची/खड़ण्जे की सड़कों को न बनवा कर पहले से बनी हुई सड़कों को बार-बार बनवाने के सम्बन्ध में, 8-गोरखपुर नगर निगम में अत्यन्त घटिया पत्थर की ईंटों द्वारा इंटरलाकिंग सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में, 9-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई गयी बहुत सी कालोनियों के अभी तक नगर निगम को हैण्डओवर न होने के सम्बन्ध में, 10-गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत कोलोनाईजर या लैण्ड डेवलेपर द्वारा अत्यन्त अधोमानक कालोनियों को विकसित किये जाने के बारे में प्राधिकरण व अधिकारियों द्वारा कोई दण्डात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में, 11-गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बुद्ध व्यवसायिक काम्पलेक्स में कराये गये कार्यों से गोपलापुर में हो रहे जल भराव के सम्बन्ध में,

1	2	3
		12-गोरखपुर में प्रस्तावित शहीद असफाकुल्लाह खां जन्तु उद्यान के लिए धन न अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने के सम्बन्ध में,
		14-नेशनल हाइवे-28 के फोर-वे-लेन से लेकर नौषण होते हुए पैडलगंज तक के मार्ग के अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में,
		15-गोरखपुर स्थित देवरिया बाईपास के अमर उजाला के सामने से सहारा स्टेट तक के हिस्से के अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में,
		16-गोरखपुर जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सीय संसाधनों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,
		17-गोरखपुर महानगर में भगवानपुर तथा मोहरीपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में,
		18-गोरखपुर में फातिमा अस्पताल से लेकर खजान्ची बाजार तक के बाईपास को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जिला जेल बाई पास पर फातिमा अस्पताल से पादरी बाजारी पुलिस चौकी तक सड़क के दोनों ओर नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		20-गोरखपुर महानगर में बहुत से क्षेत्रों में अभी तक विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में,
		21-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तर्ज पर शहरी विद्युतीकरण की योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-गोरखपुर महानगर में शहर विधान सभा सीमान्तर्गत बहुतेरे जर्जर पोलों व तारों को बदलने तथा ट्रांसफारमर की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-विद्युत् कर्मियों की भीषण कमी के कारण गोरखपुर महानगर में हो रहे अत्याधिक फाल्ट को ठीक करने में असफलता से मुकाबले के लिए विद्युत कर्मियों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,
		24-गोरखपुर महानगर सहित पूरे प्रदेश में नगर निगमों में हो रहे ठेके पर सफाई व्यवस्था को समाप्त करके सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,
		25-पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिक पिछड़ेपन के बावजूद इस क्षेत्र के विकास की कोई योजना बनाने तथा उद्योगपतियों को विशेष छूट देकर इस क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		26-गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कामन एफ्लूण्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-गोरखपुर में महानगर में 12 वर्षों से बन्द पड़े फर्टिलाइजर के कारखाने को पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		28-गोरखपुर महानगर में बहुत सारे नैसर्गिक पोखरों/तालों के सौन्दर्यीकरण तथा डि-सिल्टिंग के सम्बन्ध में कोई योजना न बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		29-गोरखपुर महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		30-गोरखपुर महानगर में नकहा नं0 1 पर लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर सेतु निगम द्वारा उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए भेजे गये प्राक्कलन के लिए धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-गोरखपुर महानगर की यातायात की समस्या के समाधान के लिए मोहद्दीपुर से इंजीनियरिंग कालेज के पहले तक, गोलघर में शास्त्री चौराहे से पुलिस लाईन्स के गेट के पहले तक तथा रूस्तमपुर चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थाई, प्रभावी तथा कारगर योजना के सम्बन्ध में,
		33-दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-पूर्ववर्ती सरकार की गोरखपुर विश्वविद्यालय में किशक गोरखपुरी पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन करने के सम्बन्ध में,
		35-गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		36-अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर रु0 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1,000 न किये जाने के सम्बन्ध में,
		38-पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,
		39-नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु कोई जमीनी मूलभूत योजना बनाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		40-गोरखपुर महानगर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में, 41-इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में कोई बेहतर आवासीय योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, 42-प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को दूर करने के लिए कोई कारगर योजना बनाने के सम्बन्ध में, 43-प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियंत्रण में सरकार की पूरी असफलता के सम्बन्ध में, तथा 44-प्रदेश के क्रय केन्द्रों में किसानों के भीषण आर्थिक शोषण पर रोक लगाने में प्रदेश सरकार की असफलता के सम्बन्ध में।"
14	श्री राघव लखनपाल शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-सहारनपुर में विश्वविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-सहारनपुर के ब्लाक गंगोह व नानौता के गांव ढायकी, नथौड़ी रामसहवाला आदि अन्य गांवों में पीने का पानी जहरीला हो चुका है जिस कारण इन गांवों में सैकड़ों लोग कैंसर, लीवर व गुर्दे की बीमारी के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इन गांवों में पानी हेतु साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए आर0ओ0 सिस्टम लगवाने के सम्बन्ध में, 3-सहारनपुर में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रति वार्ड आर0ओ0 सिस्टम की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-सहारनपुर में लिंक रोड उत्सव पैलेस से डा0 बी0एल0 धवन तथा जेल चुंगी तक के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 5-सहारनपुर के नगर निगम में शामिल की गयी नई कालोनियों व गांवों में पीने के पानी हेतु नई टंकियों का व पाईप लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में, 6-किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में, 7-पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

1	2	3
		9-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों एवं बिहार व नेपाल को तस्करी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 11-पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में, 13-किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में, 14-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में, 15-कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में, 16-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में, 17-औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में, 18-जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज के रुके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में, 19-सहारनपुर नगर निगम को विकास कार्यों हेतु विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, 20-सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का प्रयोग बिना भेदभाव करवाये जाने के सम्बन्ध में, 21-सहारनपुर देवबंद मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में, 22-देवबंद-बड़गांव मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में, 23-सहारनपुर नगर में 500 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		24-सहारनपुर में बी0पी0एल0 कार्डों का कोटा बनवाने के सम्बन्ध में,
		25-सहारनपुर नगर निगम के लिए सार्थक विकास योजनाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-सहारनपुर नगर निगम की नई कालोनियों के विकास हेतु विशेष पैकेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-सहारनपुर नगर के चिलकाना रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-सहारनपुर नगर के बेहट रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-आवास विकास व आस-पास की नई कालोनियों में नये रूप से सीवर लाइन व सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		30-सहारनपुर की प्रमुख धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला के सामने पवित्र पांव धोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-सहारनपुर नगर के एस0बी0डी0 बजौरिया सिविल हास्पिटल के आधुनिकीकरण की योजना के सम्बन्ध में,
		32-सहारनपुर नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे को स्थानान्तरित कर किसी नये स्थान को चिन्हित कर आधुनिक रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		33-सहारनपुर नगर को विद्युत कटौती मुक्त रखने के सम्बन्ध में,
		34-सहारनपुर नगर के अम्बाला रोड स्थित मुख्य पुल जोकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है जिसकी हालत बहुत खराब (जर्जर हालत) है को पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में,
		35-सहारनपुर नगर के उद्योग को पूर्ण जीवित करने हेतु विशेष औद्योगिक पैकेज के सम्बन्ध में,
		36-सहारनपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत् कटौती मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		37-सहारनपुर नगर निगम की कालोनियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल, पाइप लाइन व हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,
		38-सहारनपुर नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी नई कालोनियों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-सहारनपुर नगर में बेहतर शिक्षा हेतु नये हाईस्कूल व इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		40-सहारनपुर नगर में बाल्मीकि कालोनियों व अन्य दलित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, विद्युत व्यवस्था व पक्के शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में, 41-सहारनपुर परिक्षेत्र में गो-वध रोकने हेतु कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के सम्बन्ध में, 42-सहारनपुर नगर के आस-पास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के सम्बन्ध में, 43-सहारनपुर नगर की पवित्र नई पांवधोई नदी की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में, 44-सहारनपुर नगर में ढ़मोला नदी में मोहल्ला गिल कालोनी की तरफ हो रहे कटान को रोकने हेतु पक्की ढांहगो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 45-सहारनपुर नगर में ढ़मोला नदी के कई स्थानों पर पानी के कटान को रोकने हेतु पक्की ढहांगों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 46-सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु दस नई पानी की टंकियों के निर्माण के सम्बन्ध में।"
15	श्री श्याम देव राय चौधरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख व्यस्ततम जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-धार्मिक, तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में किये जा रहे 8-10 घन्टे की विद्युत् आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में, 4-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने एवं प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में, 5-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल कष्ट को दूर किये जाने हेतु बड़े नलकूप तथा मिनी नलकूपों के रि-बोरिंग तथा नये नलकूप के निर्माण हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		6-वाराणसी की बढ़ती हुई आबादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए नया जलकल स्थापित करने के सम्बन्ध में, 7-कोनिया-कज्जाकपुरा क्षेत्र में स्थित वरूणा नदी पर एक मिनी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-सर्व विद्या की राजधानी वाराणसी नगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में, 9-वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में प्रस्तावित 220/33 के0वी0 नये सब स्टेशन को अभी तक चालू न किये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रत्येक मा0 विधान सभा सदस्य को उनके क्षेत्र में लगाये जाने हेतु 225-225 नग हैण्डपम्प हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में, 11-वाराणसी में गंगा नदी में रामनगर से राजघाट तक मछली मारने, बालू खनन पर लगे प्रतिबन्ध तथा कछुआ सेंचुरी के विरोध में मल्लाह समुदाय द्वारा आन्दोलन के समर्थन में सकारात्मक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 12-वाराणसी में प्रत्येक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार सम्भावनाओं के बावजूद पर्यटन की दृष्टि से किसी भी कार्यक्रम को न अपनाये जाने के सम्बन्ध में, 13-विद्युत् के क्षेत्र में वाराणसी को रोल माडल बनाये जाने की घोषणा के बावजूद भी लगातार हो रही दिन-रात की कटौती से आम जनता को हो रही परेशानी और उद्योग धन्धों में आ रही परेशानी को दूर करने के सम्बन्ध में, 14-बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने एवं सी0डी0पी0ओ0 एवं मुख्य सेविकाओं के स्तर पर धन उगाही पर रोक लगाने एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में, 15-आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकत्रियों को पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में, 16-शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गलियों के ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलकर प्रदूषित जलापूर्ति एवं ओवरफ्लो की परेशानी से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 17-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत कार्यक्रम को पारदर्शी बनाये जाने एवं जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों का अनुश्रवण कमेटी गठित करने के सम्बन्ध में, 18-पतित पावनी गंगा नदी में लगभग 22 नालों द्वारा जल-मल युक्त गन्दा पानी गिरने पर अविलम्ब रोक लगाने एवं नदी को प्रदूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		19-प्रसिद्ध गंगा तट के घाटों को गन्दगी से बचाने एवं उन्हें साफ-सुथरा बनाये रखने की दृष्टि से कोई कार्यक्रम का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में, 20-गोवंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में, 21-काशी में हज यात्रियों हेतु हज हाऊस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 22-बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हस्तशिल्प में लगे हुए लाखों बुनकरों के समक्ष उत्पन्न बेरोजगारी एवं बेकारी को दूर करने हेतु कोई कार्यक्रम अपनाये जाने के सम्बन्ध में, 23-वाराणसी स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में गरीब व असहाय मरीजों हेतु डायलिसिस यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में, 24-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता व मानक की घोर अनदेखी तथा सार्वजनिक धन की लूट खसोट पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 25-नगरीय क्षेत्र में पेयजल के अभाव को दूर करने हेतु नये हैण्डपम्प के अधिष्ठापन तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में।"
16	श्री सलिल विश्नोई	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-कानपुर महानगर में हो रही अंधाधुन्ध विद्युत कटौती को रोकने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में, 2-कानपुर महानगर में भीषण गर्मी में पीने के पानी के संकट को समाप्त करने के प्रयासों के सम्बन्ध में, 3-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बनकर तैयार फूलबाग की टंकी को चालू करने के सम्बन्ध में, 4-कानपुर महानगर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था को ठीक कराने सम्बन्धी किसी योजना की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में, 5-कानपुर महानगर की टूटी-फूटी सड़कों के सुधार के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये न ही भविष्य में सुधारे जाने की किसी योजना की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		6-कानपुर महानगर में पतित पावनी गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने सम्बन्धी किसी कार्य योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, 7-शहरी क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्रों में विधायक कोटे के अन्तर्गत सबमर्सिबल पम्प तथा हैण्डपम्पों की अवस्थापना के सम्बन्ध में कोई घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के विशेषकर कानपुर महानगर में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश के व्यापारियों की सहूलियत तथा इस वैश्विक मंदी के दौर में उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वैट के सरलीकरण तथा टैक्स की दरों में कमी की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में, 10-कानपुर महानगर के नानाराव पार्क में अमर शहीद नाना साहब पेशवा की मूर्ति लगवाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान से उत्पन्न वेतन विसंगतियां दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 12-कानपुर महानगर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु कोई योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में, 13-गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में नव निर्मित 50 बेड के आई0सी0यू0 को प्रारम्भ कराने का कोई उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 14-कानपुर महानगर में कल्याणपुर, गुरूदेव सिनेमा, जरीब चौकी, दादानगर तथा खपरा मोहाल रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बनवाये जाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में।"
17	श्री धर्मपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-जनसंख्या की दृष्टि से बी श्रेणी में आने वाली जनपद बरेली की नगर पालिका आंवला में "बी" श्रेणी के अनुसार 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ किये जाने एवं की जा रही कर्जा वसूली को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		3-जनपद बरेली में पी0एम0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत रम्पुरा-अलीगंज, सिरोली मार्ग जो 2 वर्ष में क्षतिग्रस्त हो गयी है उसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराकर उसका पुनः हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद बरेली के ग्राम चकरपुर-महमूदपुर के बीच आरिल नदी पर एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद बरेली के पास महाभारत कालीन अहिक्षेत्र पर द्रोपदी स्वयंवर स्थल जो अधूरा है उसे बजट आवंटित कर पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद बरेली के ग्राम धन्ना वाली गौटिया के पास आरिल नदी पर काजवे बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-जनपद बरेली के ग्राम शिवपुरी के पास कैलाश गिरिगढ़ के पास रामगंगा नदी पर स्थायी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-आंवला विधान सभा क्षेत्र में किसानों का गेहूं नहीं तौला जा रहा है, बिचौलिये हावी हैं, वारदानें का अभाव है, किसानों का गेहूं तौलवा कर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, 9-सिरौली टाउन एरिया में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-सिरौली-बरेली सड़क पर आवगमन हेतु रोडवेज की 3 बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में, 11-आवंला नगरपालिका की विद्युत आपूर्ति हेतु अधिक क्षमता का ट्रान्सफारमर लगाये जाने के सम्बन्ध में, 12-ग्राम गुलड़िया गौरी शंकर में एक नया बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में, 13-ग्राम लीलौर में महाभारत कालीन झील को पक्षी बिहार बनाये जाने के सम्बन्ध में, 14-आंवला नगर में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु एक और वाटर टैंक बनवाने के सम्बन्ध में, 15-बरेली से भगोरा-आंवला, आंवला से रामनगर, रामनगर से सिरौली, सिरौली से सहाबाद में बन रहे हाट मिक्स प्लान्ट के कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 16-रम्पुरा से अलीगंज, अलीगंज से सिरौली-शाहाबाद राज्य सड़क मार्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।”

1	2	3
18	श्री मनीष असीजा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-वर्ष 2008 में फिरोजाबाद नगरपालिका परिषद् के सीमा विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में, 2-फिरोजाबाद नगरपालिका द्वारा गृहकर एवं जलकर के नाम पर नगर की जनता का भयदोहन कर अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में, 3-फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का वर्षों से लम्बित पड़ा रहने के सम्बन्ध में, 4-फिरोजाबाद जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं ट्रेंड, अनट्रेंड स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में, 5-नगर फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा कन्या विवाह हेतु मिलने वाली सहायता के अपर्याप्त बजट के सम्बन्ध में, 6-नगर फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं के अन्दर नारकीय परिस्थितियों यथा सड़कों का अभाव, जल निकासी व्यवस्था का अभाव, पेयजल आपूर्ति का अभाव की अत्यन्त गम्भीर समस्या के निदान न हो पाने के सम्बन्ध में, 7-फिरोजाबाद नगर के एक मात्र स्टेडियम में एक टर्फ विकेट के निर्माण एवं स्टेडियम के उचित रख-रखाव के सम्बन्ध में, 8-फिरोजाबाद नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान में कार्यरत लाखों की संख्या में श्रमिकों के लिए पेयजल हेतु वाटर कूलर, विश्राम हेतु रैन बसेरा एवं दैनिक क्रियाओं हेतु सुलभ शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में, 9-फिरोजाबाद नगर की नयी आबादी के क्षेत्र में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में, 10-फिरोजाबाद नगर में बहुत से जर्जर पोलों, तारों व ट्रांसफारमरों के बदलवाने के सम्बन्ध में, 11-औद्योगिक आस्थान स्थित बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में, 12-एस0एन0 हास्पिटल स्थित बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,

1	2	3
		13-पुरुषोत्तम विहार कालोनी स्थित बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,
		14-फिरोजाबाद स्थित आफसाबाद नाला चौराहे पर से उपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-फिरोजाबाद नगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट निवारण हेतु जेड़ा झाल (निचली गंगा नहर प्रणाली) से जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		16-फिरोजाबाद नगर में शामिल 13 ग्राम सभाओं सहित पूरे नगर का रि-आर्गनाइजेशन सर्वे जल निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-नगर फिरोजाबाद में औद्योगिक इकाइयों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु उद्योगों को मिलने वाले एक मात्र ईंधन प्राकृतिक गैस पर वसूले जाने वाले एंट्री एवं वैट टैक्स को अप्रपात्रों के सापेक्ष में सरीलकृत करने के सम्बन्ध में,
		18-नगर फिरोजाबाद में कार्यरत मेहनतकश मजदूरों के भविष्य निधि के तथा उनके वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में,
		19-फिरोजाबाद नगर स्थित निर्यात करने वाली इकाइयों पर वैट नहीं लगता है फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा एस0 आई0 बी0 सर्वे के नाम पर अवैध रूप से उत्पीड़न के सम्बन्ध में,
		20-फिरोजाबाद स्थित निर्यातकों को फ्रेट कम्पनसेशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि के दो वर्षों से लम्बित होने के सम्बन्ध में,
		21-नगर फिरोजाबाद में रोडवेज के स्टैण्ड की जर्जर दशा को सुधारने तथा नई नगरीय बस सेवाओं के परिचालन के सम्बन्ध में,
		22-फिरोजाबाद नगर में विद्युत कर्मियों की भारी कमी के चलते पहले से ही कम मिल रही आपूर्ति की और बद्तर हालात के सम्बन्ध में,
		23-ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत आने के कारण फिरोजाबाद नगर को 24 घण्टे की अबाधित पूर्ति के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये हैं। इस अति महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-फिरोजाबाद नगर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		25-फिरोजाबाद की वर्षों से कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 न दिये जाने के सम्बन्ध में, 26-फिरोजाबाद नगर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर उठाने एवं उनके आधारभूत ढांचों में सुधार के सम्बन्ध में, 27-फिरोजाबाद नगर के यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर चंद्रवार के ऐतिहासिक जैन मंदिर, हनुमान मंदिर तथा सूफी साहब तथा यमुना के धारों का विकास कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में, 28-फिरोजाबाद नगर स्थित लेबर कालोनी रेलवे फाटक पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में, 29-फिरोजाबाद नगर से गुजरने वाले हाथरस ब्रांच के रजवाहा में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में, 30-फिरोजाबाद नगर में चले आ रहे विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग के विकास हेतु एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से नगर के कांच उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में, 31-फिरोजाबाद नगर के समीप 3 सायनी में एक बड़ी क्षमता के बिजली घर निर्माण के सम्बन्ध में, 32-फिरोजाबाद जनपद में सिरसागंज स्थित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, 33-फिरोजाबाद नगर में अनुसूचित समाज के तथा व्यापारियों के साथ आये दिन होने वाले लूट, डकैती, हत्या तथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, 34-फिरोजाबाद में राशन डीलरों द्वारा अवैध रूप से वितरित होने वाली सामग्री की कालाबाजारी पर कठोर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में, 35-फिरोजाबाद जनपद में गिरते हुए भू-जल स्तर को उठाये जाने के सम्बन्ध में, 36-फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण की पिछली कार्य गतिविधियों की गहनतापूर्वक अध्ययन कर पूरे प्राधिकरण की उपयोगिता पर गम्भीरता से समीक्षा के सम्बन्ध में, 37-फिरोजाबाद नगर में पेयजल की समस्या की तत्काल राहत के लिए 500 सबमर्सिबल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में,

1	2	3
		38-फिरोजाबाद नगर में छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति अनुदान में घोटाले की जांच के सम्बन्ध में,
		39-बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए विधायक निधि 2.50 करोड़ करने तथा प्रत्येक विधायक को पूर्व की भांति 7-10 किमी0 सड़क प्रदान करने तथा हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		41-प्रदेश में मिड-डे-मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,
		42-जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में स्थित जिला महिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल में गम्भीर मरीजों को तत्काल गेट से ही बाहर रेफर करने की दशा में बहुत बड़ी जनहानि होती है। इस आपराधिक लापरवाही रोके जाने के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश तथा जनपद में गोकशी की घटनाओं पर तत्काल कठोर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,
		44-फिरोजाबाद नगर में थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित जन सहयोग से बनने वाली पुलिस चौकी को अविलम्ब पूरी क्षमता के साथ बनवाने के सम्बन्ध में,
		45-फिरोजाबाद नगर के सबसे बड़े कन्या विद्यालय महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान जिसमें कि लगभग 14000 बच्चियां पढ़ रही हैं की भूमि से सटी जिला पंचायत की बरसों से निष्प्रयोजित भूमि विद्यालय को प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		46-फिरोजाबाद नगर की सड़कों की सीवर तथा वाटर लाइन खुदाई के कारण हुई टूट-फूट को दूर कर नयी सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में,
		47-फिरोजाबाद नगर के शमशान गृहों तथा कब्रिस्तानों के विकास के लिए कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		48-प्रदेश में खाद्य सामग्री एवं दूध में होने वाली मिलावटखोरी को रोकने हेतु कठोरतम प्रावधानों की तथा उनके क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में,
		49-फिरोजाबाद नगर पालिका का वर्तमान में चुनाव अधिसूचना के पश्चात् मतदाता संख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 4.51 लाख है, को नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		50-फिरोजाबाद नगर को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 स्कीम के फेज-2 में लिए जाने के सम्बन्ध में, 51-प्रदेश में तथा नगर फिरोजाबाद में रिक्शा, हाथ ठेला चालकों पर लाइसेन्स शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में, 52-प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क रक्त चढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 53-गम्भीर रूप से बीमार गरीबों को सप्ताह के अन्दर चिकित्सीय सहायता/आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में, 54-नगर फिरोजाबाद में जिला अस्पताल की अत्यन्त विशाल भूमि पर एक मल्टी यूटिलिटी हास्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में, 55-फिरोजाबाद नगर की एन0एच0-2 हाइवे स्थित सर्विस रोडों की दयनीय दशा सुधारे जाने के सम्बन्ध में, 56-फिरोजाबाद नगर के कांच के कलात्मक कार्यों में लगे कुशल एवं दक्ष कारीगरों को प्रदेश स्तर पर कलाकार का दर्जा देकर पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में तथा हस्तशिल्पियों के भविष्य के लिए सुदृढ़ आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में, 57-फिरोजाबाद नगर में स्थापित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर में 40-40 एम0वी0 क्षमता के तीन ट्रांसफारमर के स्थान पर 60-60 एम0वी0 क्षमता के ट्रांसफारमर स्थापित कराने के सम्बन्ध में, तथा 58-वित्तीय वर्ष 2001-12 में नगरपालिका परिषद्, फिरोजाबाद की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए स्वीकृत अनुदान राशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।"
19	श्री जगन प्रसाद गर्ग	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-आगरा नगर पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर संभ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में, 2-आगरा नगर में पास के जिलों के लिए सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में, 3-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा नगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में, 4-आगरा नगर स्थित ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु आगरा, मथुरा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		5-आगरा नगर में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 6-आगरा नगर में गरीब बच्चों की शिखा के लिए नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में, 7-आगरा नगर में बिना लाइसेन्स के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में, 8-आगरा नगर में वी0पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्माद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड व आलमगंज पानी की टंकी के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में, 9-आगरा नगर के तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड बगल नाले, महाराणा प्रतापनगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बाल्मीकी बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की क्रमवार सफाई के सम्बन्ध में, 10-आगरा नगर में 89 उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े लगभग 550 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि-बोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में, 11-आगरा नगर के मस्ता बगीची बल्केश्वर, जौन्समिल, जीवनी मण्डी व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण गिरासू विद्युत् पोलों तथा खराब ट्रांसफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में, 12-आगरा नगर में अब्बूलाल दरगाह से ए-6, जनता क्वाटर के सामने पुलिया कमला नगर तक नाला चौड़ा व गहरा बड़ा बनाने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों पर सेल टैक्स को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में, 14-आगरा नगर के मदिया कटरा, लोहामण्डी, राजा मण्डी व कमला नगर तथा बल्केश्वर आदि प्रमुख क्षेत्रों के बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में, 15-आगरा नगर के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन जो कि शहर के मध्य है का नाम जो कि हास्यापद है को बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		16-आगरा नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सिकन्दरा, खन्दारी चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 17-उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में, 18-प्रदेश के महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानें व वधाशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में, 19-आगरा नगर में आगरा किला से एत्माद्दौला तक रोपवे एवं ताजमहल से बल्केश्वर महादेव मन्दिर तक हाथ चलित एवं पेट्रोल चलित नाव चलाने के सम्बन्ध में, 20-उत्तर प्रदेश में गो-रक्षा कानून का सख्ती से पालन के सम्बन्ध में, 21-उत्तर प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में बढ़ोत्तरी मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि को रोकने के सम्बन्ध में, 22-आगरा नगर में धोबियों को कपड़े धोने हेतु शहर के बाहर नजदीक पर्याप्त नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में, 23-उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 24-आगरा नगर में अतिक्रमण के कारण नाले व नालियों की सफाई नहीं होती है इस कारण जल भराव की समस्या ज्यादा है उसके निदान के लिए रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में, 25-आगरा नगर में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकीज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिए प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण के सम्बन्ध में, 26-उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुए मुख्य आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइण्ड आयल, डबलरोटी, आलू, प्याज की उपलब्धता मूल्य नियंत्रण एवं घटतौली व अपमिश्रण की रोकथाम के सम्बन्ध में, 27-आगरा नगर की यातायात व्यवस्था जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ध्वस्त है उसके निवारण के लिए सैंट जोन्स कालेज रेलवे व मदिया कटरा, रेलवे पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		28-आगरा नगर के शहरी क्षेत्रों से टेनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैंस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर बाहरी इलाकों में स्थानान्तरित कर सम्बन्धित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 29-आगरा नगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में, 30-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक व धर्मस्थलों को मेट्रो रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में, 31-उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा उनसे नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में, 32-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बीमा कराकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 33-उत्तर प्रदेश किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में व अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में, 34-उत्तर प्रदेश में वृद्धों के लिए ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में, 35-उत्तर प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में, 36-उत्तर प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं की सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में, 37-आगरा नगर की मलिन बस्तियों में आवश्यक रूप से सुलभ शौचालय व पेशाबघर बनाये जाने के सम्बन्ध में, 38-आगरा नगर में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निरन्तर 24 घण्टे की विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप रखने के सम्बन्ध में, 39-आगरा नगर में विद्युत् तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत् पोल की जर्जर दयनीय स्थिति के सुधारने के सम्बन्ध में, 40-आगरा नगर में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		41-आगरा नगर में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में (एस0एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरी) में विस्तार व सुधार के सम्बन्ध में,
		42-आगरा नगर में जल निकासी के लिए नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,
		43-उत्तर प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,
		44-आगरा नगर में ताजमहल के आस-पास विशेष सफाई कर्मचारी लगाकर दो समय विशेष सफाई कराने के सम्बन्ध में,
		45-उत्तर प्रदेश के गिरते हुए भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,
		46-उत्तर प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों व इण्टर कालेजों के शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,
		47-उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		48-आगरा नगर में पोइयाघाट दयालबाग से जमुना पार जाने के लिए पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,
		49-आगरा नगर में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में तथा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,
		50-आगरा नगर में फाउन्ड्री उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने हेतु इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		51-आगरा नगर में टी0बी0 अस्पताल, एस0एन0 अस्पताल व सरोजनी नायडू महिला अस्पताल व जिला चिकित्सालय की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		52-आगरा नगर को ताजमहल, सिकन्दरा, लाल किला व एत्माद्दौला जैसे स्मारकों के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		53-आगरा नगर में पुराने कुओं की सफाई करके पानी को पीने योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		54-आगरा नगर में कमला नगर, बल्केश्वर व ट्रान्सपोर्ट नगर में बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		55-आगरा नगर में पर्याप्त मात्रा में लोड के अनुसार सीवर लाइन एवं पानी हेतु पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,
		56-प्रदेश में रसाई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,
		57-आगरा नगर जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
		58-आगरा नगर जल संस्थान को सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		59-आगरा नगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		60-आगरा नगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये समरसेबिल पम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,
		61-आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण व उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		62-आगरा नगर में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		63-आगरा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, रिक्शा, फावड़े, झाड़ू , ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		64-आगरा नगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु व बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		65-उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने एवं फण्ड व बोनस आदि समय से देने के सम्बन्ध में,
		66-आगरा नगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		67-आगरा नगर में नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व ढूढा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		68-आगरा नगर में दसियों कान्वेंट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उन पर सही हाउस टैक्स न लगाने वाले सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में, 69-सम्पूर्ण आगरा को अतिक्रमणों से मुक्त करने हेतु अतिक्रमण हटाओ दस्ता मय मजिस्ट्रेट के बनाने के सम्बन्ध में, 70-हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वाहन परिवहन शुल्क एवं सलाना टैक्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स करने के सम्बन्ध में, 71-आगरा नगर में सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में, 72-आगरा नगर में लोहामण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0वि0प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 73-आगरा नगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में, 74-उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों, चिकित्सकों, वकीलों, अभियन्ताओं, बिक्रीकर व आयकर अधिकारियों के निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, 75-आगरा नगर में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 76-आगरा नगर के देहली गेट पर रेलवे पुल का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व बीच में विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में, 77-गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेवड़ी, गजक व पेठा सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में, 78-आगरा नगर की जनसंख्या अत्यधिक हो जाने के कारण पानी सप्लाई हेतु एक नया संस्थान का निर्माण ट्रान्स यमुना कालोनी में करने के सम्बन्ध में, 79-जिलाधिकारी आगरा द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृति पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृत से शस्त्र लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		80-आगरा नगर के बाल्मीकी बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर, मलिन बस्ती कच्छपुरा, वाटर वर्क्स के पास शास्त्रीनगर के पूर्ण रूप से गिरासू शौचालयों को दोबारा बनाने के सम्बन्ध में,
		81-आगरा नगर के ट्रांसपोर्ट नगर, ग्रीन पार्क कालोनी, तोता का ताल व न्यू राजामण्डी कालोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		82-आगरा नगर में जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक घाटों का निर्माण व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व लाइटिंग करके बम्बई की तरह चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,
		83-आगरा नगर में ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) बनाकर पानी को रोकने के सम्बन्ध में,
		84-आगरा नगर की मालवीय कुंज शरणार्थी कालोनी है। उससे नगर निगम आगरा द्वारा विगत 60 वर्षों से किराया लिया जा रहा है। उस कालोनी को उचित धन लेकर उन्हें मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में,
		85-आगरा नगर में सुल्तानगंज की पुलिया के निकट कालोनियों की जर्जर एवं गड्ढ़ा युक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,
		86-आगरा नगर में ताजमहल, लालकिला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला स्मारकों तथा बल्केश्वर महादेव मन्दिर व कैलाश महादेव मन्दिर को जमुना में नाव (बोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,
		87-आगरा नगर में गाय व भैसों के मालिकों को शहर के बाहर नजदीक तबेला हेतु सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,
		88-आगरा नगर के मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरुद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग भगवान टाकीज पुल के नीचे, रामबाग पुल के नीचे, आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, धूलियागंज सहित सम्पूर्ण नाजायज खोखों को हटाने के सम्बन्ध में,
		89-आगरा नगर में नुनिहाई से रेल पटरी पार कर प्रकाश नगर व सुशील नगर जमुना पार जाने के लिये रेलवे पुल अथवा रेलवे फाटक बनाने के सम्बन्ध में,
3		90-आगरा नगर में विगत 5 वर्षों से हो रहे ताज महोत्सव में फिजूल खर्ची के अश्लील नाच व गन्दे गानों पर सरकारी व जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		91-आगरा नगर में बगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास गधापाडा तिराहे के पास, किदवई पार्क से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवैध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में, 92-उत्तर प्रदेश में छावनी परिषदों द्वारा कस्बों तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फण्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में, 93-आगरा नगर की मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालोनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में, 94-उ0 प्र0 में वर्ष 2006-07 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी। उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में, 95-उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है उन्हें सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में, 96-उत्तर प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुरानेपन के आधार पर नम्बर बाई नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में, 97-आगरा नगर में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में मिड-डे-मील खानें में हो रही धांधली रोकने व बासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में, 98-आगरा नगर में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में, 99-आगरा नगर के गन्दे लैट्रिन युक्त नाले जो यमुना जी में जाकर मिल रहे जिसके कारण जमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गई हैं उन गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में, 100-उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषदों द्वारा बनाई जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क, अस्पताल, कम्युनिटीहाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भू-खण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		101-आगरा नगर के ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से नहीं बनी है। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जलभराव से साक्षात नरक बन गया है उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में, 102-आगरा नगर में मदरसे वाली गली, वजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदबू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में, 103-आगरा नगर में शरीर का व धन का नुकसान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में, 104-उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने के तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में, 105-उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के टैक्सों को कम कर एक या दो स्थानों पर टैक्स लगाकर ईमानदारी व कड़ाई से वसूल करने के सम्बन्ध में, 106-आगरा नगर के नुनिहाई के बहुत पुराने शमशान घाट का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में, 107-आगरा नगर स्थित अनुराग नगर बल्केश्वर से मनोहरपुर तक की जर्जर सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में, 108-आगरा नगर में गरीबों के लिए पेठा मिठाई बनाने वाले पेठा व्यवसाइयों को शहर से बाहर कम कीमत पर डेवलप कर प्लाट उपलब्ध कराने व कंट्रोल रेट पर गैस की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में, 109-आगरा नगर की पानी की विकट समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित बैराज को जल्दी से जल्दी बनवाने के सम्बन्ध में, 110-आगरा नगर में बनने वाले ताज कोरीडोर को पुनः सुधार अथवा संशोधन करके बनाने के सम्बन्ध में, 111-उत्तर प्रदेश में स्कूटर व मोटर साइकिल के चालानों को मौका स्थल पर जुर्माना कर छोड़ने के सम्बन्ध में, 112-आगरा नगर के आगरा कैन्ट स्टेशन, ताजमहल, किला, सिकन्रा व एत्मादौला स्मारकों पर देश-विदेश के पर्यटकों की लूटपाट रोकने हेतु विशेष पुलिस लगाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		113-प्रदेश में परिसीमन होने के कारण व विधायक क्षेत्र बढ़ जाने तथा वोटरों की संख्या बढ़ जाने व महंगाई बढ़ जाने के कारण विधायक निधि कम से कम 2 करोड़ करने के सम्बन्ध में, 114-आगरा नगर की जर्जर सड़क व नाली जो कि तोता का ताल से नगर निगम स्कूल तक ऊषा देवी मन्दिर मोती कुंज तक तथा सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लोचपुरा तक बनवाने के सम्बन्ध में, 115-ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि व नगरों में पड़ी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों किसानों व भूमिहीन निवासियों को देने के सम्बन्ध में, 116-उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने लम्बित विवादों को निपटाने हेतु न्यायालयों की डबल शिफ्ट लगाने अथवा नये न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में, 117-उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरह पत्थरों द्वारा बनायी गयी मूर्तियों को वैट कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में, 118-जिला योजना समिति के सदस्य हेतु नगर निगम व नगरपालिका स्तर से चुनाव कर प्रत्येक से एक सदस्य चुनकर भेजने के सम्बन्ध में, 119-उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न को रोकने हेतु गलत तरीके से लगाये जा रहे दहेज ऐक्ट एवं हरिजन ऐक्ट को हटाये जाने के सम्बन्ध में, 120-आगरा नगर में रामबाग पुल के नीचे एवं भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे बहुत गन्दगी रहती है। गन्दगी एवं अवैध कब्जों को रोककर उसके नीचे अन्दर स्कूटर, आटो, कार एवं बस पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में, 121-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं पुत्रियों की शादी हेतु सहायता गरीबी के आधार पर बगैर किसी जाति धर्म के दी जा रही है। अतः जाति धर्म की प्रमाण-पत्र की बाध्यता को हटाने के सम्बन्ध में, 122-आगरा नगर में आगरा फोर्ट के पास 40 साल से बन्द पड़े हुए पुराने बिजली घर को हटाकर उसके स्थान पर मार्केट या पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में, 123-आगरा नगर में वेदान्त मन्दिर के निकट स्थित यमुना किनारे, कैलाश मन्दिर नगर के सबसे प्राचीन घाटों के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		124-उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं खेतों को बिजली, पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 125-उत्तर प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने के लिये प्रदेश की नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में, 126-आगरा नगर में छोटे-छोटे झगड़े तथा प्रदर्शनों को दबाने के लिये गलत तरीके से रासुका लगाने को रोकने के सम्बन्ध में, 127-आगरा नगर में जीवनी मण्डी स्थित जागरण अखबार के सामने कृष्णा कालोनी में सम्पूर्ण सड़कें जो विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में, 128-आगरा नगर में ताजमहल व एत्माद्दौला के पीछे जमुना जी में विगत पांच वर्षों से पड़ी भारी गन्दगी व कूड़े के ढेरों को साफ करने के सम्बन्ध में, 129-आगरा नगर में बहुत से स्थानों पर शौचालय व पेशाबघर नहीं हैं तथा नगर निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश शौचालय एवं पेशाबघर गिरासू एवं जर्जर हो गये हैं उनकी मरम्मत तथा नये शौचालय एवं पेशाब घर बनाने के सम्बन्ध में, 130-आगरा नगर के मनोहरपुर से जमुना पार जाने के लिए पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, 131-उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी हैं वर्तमान में प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण, चोरी, डकैती की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक लाख की आबादी पर एक हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में, 132-आगरा नगर के मोतीगंज (जमुना किनारे के पास) की सड़क विगत 5 वर्षों से गड्ढायुक्त एवं जर्जर हैं सड़कें व नाली के मरम्मत के सम्बन्ध में, 133-आगरा नगर की सेंट्रल बैंक रोड कमला नगर की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त है तथा कमला नगर की जनसंख्या को देखते हुए उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाईडर डालकर मय लाइट व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, 134-उत्तर प्रदेश में बहुत से पुत्र अपनी आर्थिक परेशानी के कारण अपनी विधवा माता व वृद्ध माता का भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं ऐसी विधवा माता, वृद्ध माताओं को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह रु0 1000.00 सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		135-उत्तर प्रदेश में मनमाने तरीके से सर्किल दर बहुत बढ़ा दी है उसके कम करने के सम्बन्ध में,
		136-उत्तर प्रदेश में विधायकों को कूपन के कारण होने वाली परेशानी से बचाने हेतु कूपन के स्थान पर नगद धनराशि देन के सम्बन्ध में,
		137-उ0 प्र0 के सभी विधायकों को विगत वर्ष तक 225 हैण्डपम्पों का कोटा लगवाने हेतु अधिकार दिया गया था उसे पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,
		138-आगरा नगर के आर्थिक विकास व देश विदेश के पर्यटकों के मनोरंजन हेतु वेदान्त मन्दिर जमुना किनारे से एत्माद्दौला होते हुए लाल किला से ताजमहल तक रोपवे चलाने के सम्बन्ध में,
		139-आगरा नगर में छावनी परिषद् द्वारा लगाये गये नाजायज प्रवेश शुल्क को हटाने के सम्बन्ध में,
		140-आगरा नगर में सम्पूर्ण नगर में सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं उनका पेच वर्क (मरम्मत) कराने के सम्बन्ध में,
		141-आगरा नगर जीवन ज्योति हास्पिटल के पास बैनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे तथा सामने 10 फुट चौड़ाई, 10 फुट गहराई 5 कि0मी0 लम्बे नाले की तलीझाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में,
		142-आगरा नगर में कमला नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाने के कारण अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नये थाने के निर्माण के सम्बन्ध में,
		143-उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल में हो रही मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये मिट्टी के तेल में दी जाने वाली सब्सिडी (छूट) को बन्द करने व कन्ट्रोल की दुकान से हटाने के सम्बन्ध में,
		144-आगरा नगर में आलू की अधिकतम पैदा को देखते हुए आलू पर आधारित चिप्स, पापड़, आलू, पाउडर व शराब आदि की इन्डस्ट्रीज आगरा में लगाने के सम्बन्ध में,
		145-आगरा नगर में कैलाश महादेव मन्दिर से बल्देव जाने हेतु जमुना पर बड़ा पुल बनाने के सम्बन्ध में,
		146-आगरा नगर के विभिन्न मार्केटों के बाहर खुले में बिक रहे मीट को रोकने के लिये आगरा महानगर की चारों दिशाओं में मीट मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,
		147-आगरा नगर की सफाई व्यवस्था दो पारी में प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं सायंकालीन 1 बजे से 7 बजे तक कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		148-उ0 प्र0 में सड़कों पर घूम रहे भिखारियों को पकड़कर भिक्षुक गृह में रखकर उन्हें काम सिखाकर स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में,
		149-आगरा नगर में परिषदीय प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है जो शिक्षा मित्रों की भर्ती 2007 में हुई थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		150-आगरा नगर क्षेत्र के 17 वार्डों में परिषदीय नहीं हैं। उन 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में,
		151-आगरा नगर में बाल्मीकी बस्ती महाराणा प्रताप नगर निकट बाईपास के 10x10 चौड़े नाले की तली झाड़ सफाई के सम्बन्ध में,
		152-आगरा नगर में नहर पुलिया लंगड़े की चौकी से मोतिया की बगीची में मान सिंह कुशवाहा के मकान से वाटर वर्क्स रोड तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,
		153-उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स बनाने के लिए पुलिस चौकी से लेकर डी0आई0जी0 तक की स्वीकृति ली जाती है उसके बाद विधायक व सांसद की स्वीकृति से शस्त्र लाइसेंस बनते हैं उसकी अनिवार्यता खत्म करने के सम्बन्ध में,
		154-आगरा नगर में मण्टोला क्षेत्र में आये दिन जातीय व साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उसे रोकने के लिये काजीपाड़े में स्थाई पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में,
		155-आगरा नगर की सिकन्दरा कालोनी की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		156-आगरा नगर की महर्षिपुरम् कालोनी की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		157-आगरा नगर की सोंठ की मण्डी डबल फाटक के पास वाली गली के पास विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		158-आगरा नगर में रोशन बिहार गुरुद्वारे के पीछे सिकन्दरा की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,
		159-आगरा नगर में सी0एन0जी0 गैस पर आधारित विद्युत स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		160-आगरा नगर की सिकन्दरा कालोनी में बड़ी पानी की टंकी बनवाने के सम्बन्ध में, तथा 161-आगरा नगर के ट्रान्सपोर्ट नगर में सेक्टर-1 के पार्क से अवैध कब्जे हटाकर बाउन्ड्री वाल बनवाने के सम्बन्ध में।''
20	श्री साध्वी निरंजन ज्योति	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा से बेरी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-विकास खण्ड कुरारा जनपद हमीरपुर में सिटी फारेस्ट से चन्दूपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में सिकरोढ़ी से भटपुरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदहा के टोला से टिकरी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदहा में मौदहा से छिमौली तक रोड व रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में मुड़ेरा से परेहठा रोड का निर्माण एवं रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर में पचखुरा से जलाला स्टेशन तक रोड का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में पत्योरा से कटार तक रोड का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में सुबासा ग्राम से चन्दौलीजार तक सम्पर्क मार्ग एवं चन्दौलीजार के पास नाला में रपटा या पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदाहा में सिजवाही से फत्तेपुरवा रपटा निर्माण के सम्बन्ध में, 11-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदाहा में खण्डेह से फत्तेपुरवा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदाहा में रीवन से खण्डेह तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		13-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में गुढ़ई से बैजेमऊ, बैजेमऊ से गढ़ा होते हुए कुटी डेरा तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में नदेहरा से कलौलीजार होते हुए ललपुरा तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड मौदाहा में परछट से खैरीत का रोड एवं रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड कुरारा में विलौता के मजरे से छक्की का डेरा, टेक चन्द्र का डेरा तथा धनीराम का डेरा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 17-जनपद हमीरपुर विकास खण्ड कुरारा के ग्राम मेरापुर के मजरा जौहरिया डेरा, केशरिया का डेरा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-हमीरपुर नगर के दीवान शत्रुघन सिंह जिला अस्पताल में आई0सी0यू0 केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में, 19-जनपद हमीरपुर के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउन्ड हेतु डाक्टर एवं टेक्निशियन की तैनाती के सम्बन्ध में, 20-जनपद हमीरपुर के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सभी मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 21-जनपद हमीरपुर के क्षेत्र इचौली, चांदी, भमई, दानी, बक्छा में खारा पानी होने के कारण पेयजल की समस्या हेतु उचित व्यवस्था करके निदान कराये जाने के सम्बन्ध में, 22-जनपद हमीरपुर शहर से सटे हुए यमुना एवं बेतवा नदी से 10 कि0मी0 की परिधि में मौरंग/बालू खदान पर शक्ति से प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में, 23-बुन्देलखण्ड में इस वर्ष आंधी व ओलावृष्टि से हुए किसानों की फसलों के हुए शत-प्रतिशत नुकसान होने के कारण किसानों को विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश के किसानों का गेंहू शत-प्रतिशत सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में, 25-जनपद हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय मार्ग 86 व राजमार्ग पर जिला पंचायत, जिला परिषद् व अण्डा पड़ाव व खनन विभाग द्वारा लगाये गये गुण्डा टैक्स बैरियर को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		26-जनपद हमीरपुर के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 27-जनपद हमीरपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 28-जनपद हमीरपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु जले ट्रान्सफारमरों को समय से बदलने तथा खड़े खम्भों पर तार लगाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 29-जनपद हमीरपुर में मनकी से मूसानगर यमुनापुर का लगभग 7 वर्ष से निर्माणाधीन पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 30-जनपद हमीरपुर में आयु, जाति, निवास प्रमाण-पत्र बनवाने में हो रही कठिनाईयों के निदान हेतु प्रभावी एवं सरल नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।''
21	श्री सुरेश कुमार खन्ना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित/रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये कोई कारगर नीति के सम्बन्ध में , 3-गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिये कोई कारगर नीति/उपाय करने के सम्बन्ध में, 4-किसानों का 100 प्रतिशत गेहूं सरकारी क्रय केन्द्रों पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने, बाहरी निवेश करने वालों को सुरक्षा एवं प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में, 6-पुलिस के जुल्म ज्यादती रोकने, पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रोड साइड की पुलिस चौकियों पर बैरियर लगाकर अनधिकृत रूप से वाहनों को रोककर पुलिस द्वारा उनका शोषण/उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में गोवंश की हत्याओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		9-प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसी कारगर योजना के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश के 18 साल से 29 साल तक के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, 11-बढ़ती हुई को रोकने हेतु कारगर उपायों के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश सरकार द्वारा आरोपित पेट्रोलियम पदार्थों पर से टैक्स/अधिभार की मात्रा कम किये जाने के सम्बन्ध में, 13-अल्पसंख्यक कन्याओं की तरह समाज की अन्य लड़कियों को भी जो बी0पी0एल0 परिवारों की हो हाई स्कूल पास करने के बाद रु0 30,000 का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में, 14-प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य ना किये जाने के बाद भी उनके सम्बन्ध में कोई कारगर उपाय के सम्बन्ध में, 15-पश्चिमी उ0प्र0 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेन्च स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 16-प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की नीति के सम्बन्ध में, 17-प्रदेश में नकली दवाओं की बिक्री को रोकने, झोला छाप डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में, 18-गन्ना किसानों को आकर्षित करने के लिये किसी विशेष नीति के सम्बन्ध में, 19-प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में, 20-प्रदेश के बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के सम्बन्ध में, 21-प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में मनमानी फीस लेने के सम्बन्ध में, 22-सभी गरीबों के बी0पी0एल0 कार्ड बनने के सम्बन्ध में, 23-शाहजहांपुर नगर में रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में, 24-शाहजहांपुर नगर के तलीझाड़ नाले की सफाई के सम्बन्ध में, 25-सभी इच्छुक छात्रों का बी0ए0, बी0काम, बी0एस0सी0 में प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		26-प्रदेश के सभी बी0एड0 बेरोजगारों को शिक्षक के रूप में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में, 27-प्रदेश के शिक्षा मित्रों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 28-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के सम्बन्ध में, 29-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 रोड बनाने के सम्बन्ध में, 30-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में सी0सी0 रोड बनाने के सम्बन्ध में, 31-135-शाहजहांपुर विधान क्षेत्र के सभी गरीब पात्रों को विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में, 32-शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद् (संस्थान) को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में, 33-शाहजहांपुर के गांधी फैजाम महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 34-कन्याओं की शिक्षा हेतु कक्षा 9, 11, 13 में प्रवेश हेतु विभिन्न विद्यालयों में अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में, 35-शाहजहांपुर नगर में सघन वृक्षारोपण व उनको जीवित रखने की नीति के सम्बन्ध में, 36-135 विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शहवाजनगर (वेहटा) से रज्जव नगर तक लगभग 3.5 किमी0 मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में, 37-शाहजहांपुर के ग्राम बड़ावन के पूर्सी छोर से लधौली तक के कच्चे मार्ग को पक्का बनवाने के सम्बन्ध में, 38-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की तीन न्याय पंचायतों-पैना बुजुर्ग भावलखेड़ा, जमुही व ब्लाक ददरौल की न्याय पंचायत घुसगंवा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों व मजरों में अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 39-शाहजहांपुर के ग्राम शहामतगंज गौटिया से दौलतपुर तक मार्ग का मरम्मत कराने के सम्बन्ध में, 40-शाहजहांपुर के शाहवाजनगर से कपेड़कटका तक का मार्ग पुर्ननिर्माण कराने के सम्बन्ध में, 41-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से निजी नलकूपों के कनेक्शन जिन्होंने आवेदन किया है (रसीद कटवाई है) विद्युत कनेक्शन दिलाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		42-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम टिकरा से तिउलक तक कृषि फसल को बरबादी से रोकने के लिये नाला खुदाई करवाने के सम्बन्ध में, 43-135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी हेतु पर्याप्त मात्रा में इण्डिया मार्का-2 नल लगवाने तथा खराब पड़े नलों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में, 44-शाहजहांपुर में बढ़ती हुई आबादी के साथ ही राशन का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में, 45-शाहजहांपुर नगर की अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, 46-शाहजहांपुर नगर में बढ़ती हुई आबादी तथा आवागमन में हो रही कठिनाई के निदान स्वरूप रेल की पटरी वाले मार्गों को डामर की सड़क बनाकर चालू करने के सम्बन्ध में, 47-शाहजहांपुर नगर में अधिकांश मोहल्लों में बिजली के तारों के लटकते हुये गुच्छों को व्यवस्थित करके खम्बे लगवाने के सम्बन्ध में, 48-शाहजहांपुर के ग्राम निजामपुर गौटिया को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के सम्बन्ध में, 49-शाहजहांपुर नगर में स्ट्रीट लाइट का तार पूरे शहर में डलवाने के सम्बन्ध में, 50-शाहजहांपुर एन0एच0-24 पर पैतापुर तक जाने का कच्चा मार्ग पक्का कराने के सम्बन्ध में, 51-रौजा (शाहजहांपुर) से सीधा मार्ग रामापुरबरकत तक बनवाने के सम्बन्ध में, 52-भावल खेड़ा व ददरौल ब्लाक का जो हिस्सा 135 शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में आता है उसमें सूर्या लाइट लगवाने के सम्बन्ध में, 53-शाहजहांपुर मोहल्ला रेती वाली रोड से विसरात घाट तक आने के लिये रास्ता पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 54-शाहजहांपुर नगर में बरेली मोड़ पर सैटेलाइट बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 55-शाहजहांपुर में आम की फसल को देखते हुये मैंगो रिसर्च सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में, 56-शाहजहांपुर शहीदों की नगर में शहीदों के याद में एक संग्रहालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		57-रोजा थर्मल पावर से शाहजहांपुर जनपद को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने तथा पावर यूनिट से 5 किमी0 की सीमा में अनिवार्य रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 58-मोहम्मदी रोड पर शाहजांपुर से लगभग 5 किमी0 दूरी पर आबादी के बीच से प्रदूषण करने वाला हड्डी कारखाना को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।"
22	श्री रवि शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-स्वतंत्रता की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से युद्ध करने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जन्म स्थली (जनपद झांसी) को राजकीय स्मारक के रूप में घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-उ0प्र0 के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 3-झांसी महानगर को पेयजल संकट से मुक्त कराने के लिये माताटीला बांध से एक अन्य लाइन लाकर पेयजल संकट समस्या के निदान हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-झांसी महानगर के नगर निगम गठित हुये 7 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी अभी तक बी-2 दर्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-झांसी में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 6-झांसी में अर्न्तराज्यीय सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में, 7-झांसी हवाई अड्डे को डोमैस्टिक एअरपोर्ट घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 8-झांसी की मलिन बस्तियों में एवं प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ शौचालय एवं स्नानागार की स्थापना के सम्बन्ध में, 9-झांसी में सुविधायुक्त पत्रकार भवन, वाचनालय एवं पत्रकार कालोनी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-झांसी महानगर के विभिन्न बाजारों में पार्किंग स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 11-झांसी के हंसारी में प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		12-झांसी महानगर के पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक बनाकर पेयजल संकट का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-झांसी महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-टी0ई0टी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-झांसी नगर निगम के संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-शिक्षा मित्रों एवं आंगनबाड़ी कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-झांसी के प्रमुख तालाबों को पर्यटक के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-झांसी में नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम की सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,
		19-झांसी जिला अधिवक्ता संघ के पुस्तकालय मीटिंग हाल का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-गोवंश रक्षा हेतु कठोर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-झांसी में दद्दा ध्यानचन्द्र स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने के सम्बन्ध में,
		22-झांसी बिजौली स्थित ग्रोथ सेन्टर में मेगा इन्डस्ट्रीज लाने के प्रयास एवं वहां स्थापित उद्योग कारखानों के लिये अलग से लाभकारी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		23-प्रेमनगर नगरा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल एवं प्रसूति गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		24-आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में पिछड़े हुये बुन्देलखण्ड में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		25-बीड़ी श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, बी0पी0एल0 एवं आवासीय सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		26-झांसी में सक्रिय हो गये खनन माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-झांसी महानगर के समस्त मुख्यमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		28-सीपरी बाजार स्थित रेलवे ब्रिज हेतु रेलवे द्वारा मांगे गये धन के आवंटन के सम्बन्ध में, तथा 29-मुख्य मार्गों जैसे ग्वालियर रोड, हंसारी रोड, आई0टी0आई0 स्थित रेलवे क्रासिंगों पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
23	श्री अगयश राम शरन वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में, 2-जनपद पीलीभीत सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में धन लेकर फर्जी अपराधों का पंजीकरण एवं वास्तविक घटनायें छिपाने की घटनाओं को रोकने एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद पीलीभीत में लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बंद होने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगों की पेंशनें वर्षों से प्राप्त न होने एवं पेंशनभोगियों को मृतक दर्शाने के प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद पीलीभीत में माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कराने, विद्यालय भवनों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नियुक्तियों में की जा रही अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में, 5-जनपद पीलीभीत की बंद दुग्ध डेरियों को चालू कराने, बिसलपुर तहसील स्थापित कराने के सम्बन्ध में, 6-जनपद पीलीभीत के चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय जो बंद पड़े हैं को चालू कराने के सम्बन्ध में, 7-जनपद पीलीभीत की तहसील बिसलपुर की सार्वजनिक भूमि से बसपाइयों के अनाधिकृत कब्जे हटवाने एवं अपात्र के पट्टे निरस्त कराने के सम्बन्ध में, 8-उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोनस बड़ा कर कृषि उपजों का मूल्य दिलाने एवं जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में गेहूं क्रय का ठेका धान मिल मालिकों एवं आढ़तियों तथा खाद्यान्न माफियाओं को आवंटन से रोकने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		10-सम्पूर्ण प्रदेश में हरे भरे पेड़ों के कटान पर कोई रोक लगाने एवं पर्यावरण के विषयक विधियों को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में, 11-जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत समस्त नगर क्षेत्रों विशेष रूप से बीसलपुर, बिलसण्डा के निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितता को समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत अधिकांश नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने, बेनीपुर-अल्पिका, करेली-रजवाहा, साबेपुर-रजवाहा, गोबल-रजवाहा तथा सम्बद्ध बन्द अन्य अल्पिकाओं को चालू कराने तथा शारदा एवं देवहा नदी के कटान को रोकने के सम्बन्ध में, 13-जनपद पीलीभीत के मुख्य मार्ग लिपुलेक-भिन्ड मार्ग, बीसलपुर-बरेली मार्ग, बीसलपुर-गोला मार्ग जो अभी-अभी केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत बने हैं एक एकदम क्षतिग्रस्त हो गये हैं को ठीक कराने के सम्बन्ध में, 14-जनपद पीलीभीत में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार कराने तथा जर्जर तार एवं कोल बदलवाने के सम्बन्ध में, 15-जिला सहकारी बैंक पीलीभीत में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटालों को रोकने, सहकारी समितियों में खाद एवं बीज आदि की कृषकों हेतु उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बनध में, 16-जनपद पीलीभीत की तहसील मुख्यालय बीसलपुर हेतु सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के सम्बन्ध में, 17-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में उप निबन्धक कार्यालय भवन की निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में माधवपुर तथा न्यूरिया हुसैनपुर नाम से नये क्षेत्र पंचायत सृजित कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 19-परिवहन निगम के निजी क्षेत्र में समर्पित किये जाने से बचाने तथा जनपद के नगर बीसलपुर में राजाकीय परिवहन निगम का डिपो एवं वर्कशाप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।”

1	2	3
24	कुंवर भारतेन्द्र सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-अनेकों (531) किसानों ने अपने नलकूपों की विद्युतीकरण का धन जमा कर दिया है, किन्तु उन्हें 2009 से बिजली नहीं मिली है। सरकार किसानों के नलकूपों में बिजली कनेक्शन प्राथमिकता पर दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 2-जिला बिजनौर में आज भी अनेकों गांव ऐसे हैं जिनमें पक्की सड़क नहीं है। हल्दौर विकास खण्ड के छाछरी से झाल से ग्राम ननूपुरा तक लगभग 5 कि0मी0 सड़क को पक्का बनवाया जाये। उपजाऊ कृषि भूमि के ऐसे अनेकों गांव में सड़क न होने से किसानों को बहुत कठिनाई का सामना किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 3-बिजनौर जेल का निर्माण 1852 में हुआ था। कैदियों के बैरक खण्डहर बन चुके हैं। टाईप 2, टाईप 3 के आवास भी जर्जर स्थिति में है। महिला बैरक में बच्चों के लिये क्रैश (Creche) नहीं है, रसोई नहीं है तथा रात्रि शौचालय भी नहीं है। जेल की दीवार भी पुनः निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री इन्द्रपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में संचालित वित्तविहीन संस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र-सिकन्दरा में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में, 3-विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में अमराहट सिंचाई परियोजना बढ़ाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद-रमाबाई नगर में एन0 एच0-2 व यमुना नदी के बीच पीने के पानी की घोर कमी के सम्बन्ध में, तथा 5-जिला मुख्यालय औरैया की विद्युत काटकर औरैया जनपद के विधूना क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत देने के सम्बन्ध में।''
26	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु आग्रह क्योंकि विकास खण्ड बवीना, बड़ागांव, चिरगांव में कोई बालिका विद्यालय नहीं है एवं सभी ब्लाक अति पिछड़ी श्रेणी में आते हैं बालिका महाविद्यालयों को खोलवाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		2-जिला झांसी क्षेत्र 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना, बड़ागांव, चिरगांव, में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 3-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना, ग्राम वैदौरा एवं विकास खण्ड बड़ागांव, चिरगांव में ग्राम बिठरी एवं रनगुंवा के मध्य पहूंज नदी पर चेक डैम निर्माण हेतु स्वीकृत एवं बजट का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में, 4-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना, में सुकुवा ढुकवा बांध से लिफ्ट कैनाल सुकुवा-ढुकुवा, सिमिरया, रतनपुर घिसौली, नयाखेड़ा, रसोई, मानपुर सरवा, किलिचवारा, टूंका, वेदौरा, भड़रा छर्रा, कसावरी, बरुआपुर, अमरपुर, इमिलिया, राजापुर, छतपुर, वछौनी, वरनपुर, बसाई, गजगांव, वमेर, रक्सा, अठोंना, पठारी, मुरारी कोटि चमरौवा, पुनावली, डोमागोर, गेबरा, डगरवाहा, नयाखेड़ा आदि गांवों में सिंचाई कार्य हेतु पम्प कैनाल बनवाने के सम्बन्ध में, 5-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम आरी-पोहरा के मध्य में स्थित पहुंच नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 6-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड चिरगांव, में रामनगर रोड से ग्राम-करगुंवा होते हुये नन्दसिया-देवरा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में, 7-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना के सुकुवा-ढुकुवा रोड से चन्दौली गांव तक सम्पर्क रोड बनवाने के सम्बन्ध में, 8-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड चिरगांव में निवी से खिरिया राम होते हुए ग्राम नरी तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में, 9-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना में ग्राम गनेश पुरा से राजगढ़ तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में, 10-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना, विकास खण्ड बवीना का ग्राम रासोई से गगली होते हुए झोरो मोहल्ला तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में, 11-जिला झांसी क्षेत्र, 222 बवीना में इस समय गंभीर पेयजल समस्या है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी के अधिकांश स्रोत सूखे पड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 200 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में, तथा

1	2	3
		12-जिला-झांसी क्षेत्र 222, बवीना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम सरवा (भड़रा), बौदोरा, छर्रा, डुबुकी, चिपलौठा (धमानाईखिरक) कोलवा (हनुमान खिरक), सिमराबारी (चौका, मखरऊ, बादली कोड़रा, डुबकी), रक्सा (जनकपुर, भरतेले का डेरा सिमरइयन का डेरा पुरतनया बांध मुहल्ला), चिलगांव देहात (पाल का डेरा) रसीना (मटियारी मोहल्ला), हीरापुर (ढंगा मोहल्ला) लहर (सारमधु) खजरहा बुजुर्ग (मोंटा टोरिया दयानगर पथरवारा पनहारी) मथुरापुरा (टपरियन भड़रा) खजराहा खुर्द (मातनपुरा) बुड़पुरा (हरपालपुर, खाड़ी (वैरागड़ खुशीपुरा) बबीना रूरल गौची खेड़ा मुखिया मोहल्ला में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में।"
27	श्री शाहआलम (गुड्डू जमाली)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-आजादी के 63 साल बीत जाने के बाद भी मेरी विधान सभा मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़ में सायं 7.00 बजे से सुबह तक कोई बस सेवा न होने के कारण जनता को घोर समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि मुबारकपुर का कोई सदस्य सायं 7.00 बजे के बाद जिला मुख्यालय पर कहीं बाहर से आता है तो बस सेवा न होने के कारण उसे सुबह तक वहीं इन्तजार करना पड़ता है। अतः विधान सभा मुबारकपुर में रात के समय बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में, तथा 2-जनपद-आजमगढ़ की मुबारकपुर विधान सभा जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है जिसमें विद्युत आपूर्ति बुरी तरह बाधित होने के कारण बुनकर समाज के पावरलूम न चला पाने के फलस्वरूप बुनकर समाज भुखमरी के कगार पर है। अतः मुबारकपुर एवं जहानागंज में पावरलूम उद्योग चलाने हेतु 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।''
28	श्री अली यूसुफ अली	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा में स्वार बिलासपुर मार्ग के निर्माण को स्वीकृत हो चुकी है 20 प्रतिशत का हो चुका है बजट न होने की वजह से रोक दिया गया है उपरोक्त कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		2-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा में बमना, स्वार, खोद, सैदनगर भोट, दुर्गनगला आदि मिनी विद्युत केन्द्रों में समुचित विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में, 3-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा में अजीम नगर से जिठनीय तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा, ग्राम हमीरपुर में फुफा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा, खोद से खड़िया, थूनापुर तक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा लालपुर तहसील टाण्डा में कोसी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा, ग्राम खेड़ा टाण्टा, दोकपुरी टाण्डा में इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा, नगलिया, खेड़ा टाण्डा, दोक पुरी टाण्डा में 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 9-जि0 रामपुर, क्षेत्र चमराऊवा, खुशहालपुर से धीरजनगर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
29	श्री गुटियारी लाल दुवेश	''प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- 1-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, के अन्तर्गत सराय ख्वाजा व नरीपुरा में अधिकांश आबादी अनु0 जाति व अति पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं, वर्षा के गन्दे पानी की निकासी हेतु कोई भी साधन नहीं है जिससे आबादी में गन्दा पानी भरने से अनेक प्रकार की बिमारियां फैलती हैं, जिसमें तमाम लोगों की जाने चली जाती हैं। शिवनगर सराय ख्वाजा नरीपुरा से मलपुरा तक नालें की लम्बाई लगभग-3 कि0मी0 तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, में फतेहाबाद मार्ग के मुगल होटल के समीप गोवर चौकी पुलिया का सकरा होने के कारण ट्राफिक आने-जाने से जाम लगा रहता है व दुर्गन्ध होती रहती है। लोक महत्व की दृष्टि से पुलिया का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में, 3-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी के अन्तर्गत नगर निगम में आने वाले ग्रामों की आबादी छोटा उर्खरा बसई खुर्द व देवरी रोड यनगला परसोती, नगला भरतीय में गन्दा पानी भरने के कारण बीमारी फैल रही है, नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		4-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, में अजीत नगर गेट एअर पोर्ट के पास जहां वी0आई0पी0 रोड पर बरसात के समय करीब चार फिट पानी भर जाता है नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 5-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, में नरीपुरा भीमनगर में वर्षों से सी0 सी0 कार्य व इण्टरलाकिंग कार्य कराने के सम्बन्ध में, 6-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, ताजमहल के पूर्वी गेट के 20 मी0 की दूरी पर एक शौचालय टूटा पड़ा है निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 7-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, रूई की मण्डी व शाहगंज रेलवे पुल के नीचे सड़क टूटी पड़ी है, आये दिन दुर्घटनायें होती हैं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, रूई की मण्डी शाहगंज में रेलवे पुल का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में, 9-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, ताजमहल के पास चार कि0मी0 के अन्तर्गत हज्जूपुरा, नगलाटीन, गोबर चौकी, राठौर बस्ती, नगलडीन नौपुरा नाला शेख बुलाखी, दलयाई, कोयलाई, असदगली, बसई खुर्द, इण्टर लाकिंग एवं सी0सी0 कार्य व शौचालय का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में, तथा 10-जिला आगरा, क्षेत्र 87, आगरा छावनी, में छावनी परिषद् के कुछ नियम है इसलिए ए0डी0ए0 पथकर निधि डूडा व नगर निगम द्वारा विकास नही कराया जाता है 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।"
30	श्री सूरज पाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी, कगरौल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी, के अन्तर्गत नगर पंचायत किरावली को नगरपालिका परिषद् का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी, के राष्ट्रीय राजमार्ग, 11 से किरावली, अछनेरा, फरेह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		4-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में, 5-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी, में पेयजल की समस्या को देखते हुए पेय जल योजना को प्रभावी ढंग से मुख्य ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल अपूर्ति कराने के सम्बन्ध में, 6-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी के रणुका धाम यमुना नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में, 7-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत आई0टी0आई0 कालेज बनवाने के सम्बन्ध में तथा 8-जि0 आगरा, क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी ग्रामीण मार्गों के विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।"
31	श्री तसलीम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-जिला बिजनौर, क्षेत्र नजीबाबाद में ऐतिहासिक मोरध्वज का किला है जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में दिन प्रतिदिन होता जा रहा है मोरध्वज के किले के लिये बजट में संशोधन कर कम से कम 5 करोड़ रुपये उसके रख-रखाव में किये और उसकी चहार दिवारी सही करने के लिये एवं उसको पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार करें एवं नवाब नजीबुदौल्ला का ऐतिहासिक द्वार है वे भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसके रख-रखाव प्लास्टर एवं सौन्दर्यीकरण कराने के लिये उचित बजट की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, 2-जिला बिजनौर, क्षेत्र नजीबाबाद में 6 गांव ऐसे हैं जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिसके नाम निम्न है-1-लालपुर सोजीमल, 2-ग्राम सैलमपुर भट्टा, 3-मझाड़ी, 4-बोरोकी, 5-नयागांव, 6-कोटेद्वार रोड अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है बजट में उपरोक्त गांव में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में, 3-जिला बिजनौर, क्षेत्र नजीबाबाद में तीन ऐसे बड़े मोहल्ले है जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है, 1-मोहल्ला वाहिदनगर, 2-मोहल्ला मुनीर गंज वालोमल कालोनी, 3-नई बस्ती चारबाग उपरोक्त तीन मोहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जिला बिजनौर, क्षेत्र नजीबाबाद में कोटेद्वारा फाटक से ग्राम जागी रमपुरी तक, कासिमा इण्टर कालेज से ग्राम हरसुवाड़ा ईदगाह, कटहेड़ी फाटक होते हुए बिजनौर रोड तक, कासिम इण्टर कालेज से जालाबाद से बाई पास तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		5-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, गर्ल्स डिग्री कालेज नहीं है जमीन उपलब्ध है। गर्ल्स डिग्री कालेज का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 6-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज नहीं है। निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 7-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, में हरिद्वार रोड एन0एच0-74 दोज वाला तिराहा बाई पास से बिजौरी बढ़िया एन0एच0 119 तक दिल्ली पौड़ी मार्ग तक पी0डब्लू0डी0 32 नं0 रोड लगभग 14 कि0मी0 मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में, 8-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, के ग्रामों में मात्र 5 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है और शहर में मात्र 8 घण्टें उपलब्ध हो रही है पूरी विधान सभा में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में, 9-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, में ग्राम सेतपुरी में चार खम्भे ग्राम दिनौड़ा में 10 खम्भें मुग्कर पुर में 6 खम्भें, राहतपुर में 4 खम्भें, जखाकी में 10 खम्भें, हरेवली में 5 खम्भें सिकरौडा में 10 खम्भे, राजपुर नोवादा में 4 खम्भें, बाखर पुर में 03 खम्भें, लगवाने के सम्बन्ध में, 10-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, ग्राम श्यामीवाला, बडीजुवाली छोटी जुवाली में प्रत्येक गांव में 100 के0वी0ए0 के तीन ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में, 11-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, दवाईया अल्ट्रासाउण्ड मशीन एक्स रे मशीन ईसी0जी0 मशीन व आई0सी0यू0 की व्यवस्था एवं अतिरिक्त भवन निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 12-जिला बिजनौर, क्षेत्र 17, नजीबाबाद, में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है मरीजों को इलाज के लिए मेरठ ले जाना पड़ता है, 100 बेड के अस्तपाल के निर्माण के सम्बन्ध में।"
32	श्री उमाशंकर सिंह	''प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-जनपद बलिया के औद्योगिक क्षेत्र घोषित माधोपुर, विधान सभा रसड़ा में जहां काफी दिनों से बन्द पड़ी कताई मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		2-जनपद बलिया विधानसभा रसड़ा में टीकादेउरी नगपुरा के पास जनपद गाजीपुर को जोड़ने के लिए टोंस नदी पान्टून ब्रिज (पीपे का पुल) के सम्बन्ध में, 3-जनपद बलिया विधानसभा रसड़ा के नगर पालिका क्षेत्र में एकमात्र राजकीय बालिका विद्यालय जो कि लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय से किराये के जर्जर मकान में चल रहा है उसके लिए भवन बनाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद बलिया में रसड़ा विधानसभा के ग्राम सभा कोड़रा (चिलकहर) एवं ग्राम सभा मिर्जापुर जेवैनिया जो कि टोंस नदी के किनारे बसे हैं, बाढ़ के समय में इन तमाम गांवों का अस्तित्व समाप्त होने का डर रहता है वहां पर रिंगबन्धा एवं नदी किनारे बोल्डर पिचिंग का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद बलिया में रसड़ा विधानसभा के नगर पालिका क्षेत्र में काफी पुराने लगे ट्रांसफार्मर जिसमें 400 के0वी0ए0, 200 के0वी0ए0 एवं 100 के0वी0ए0 के आये दिन जले रहते हैं, इनकी क्षमता बढ़ाकर लगाए जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद बलिया में रसड़ा विधानसभा के नगर पालिका रसड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, 7-जनपद बलिया रसड़ा विधानसभा में तहसील रसड़ा के विकास खण्ड नगरा के बीच कोई विद्युत सब स्टेशन न होने के कारण आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा राधोपुर, अठिला, खरूआंव या सिसवार में से किसी एक जगह विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां खेतों की सिंचाई हेतु नहर, ट्यूबबेल आदि की व्यवस्था नहीं है जैसे अमहर, राधोपुर, डेहरी, चिलकहर, खनवर, बछईपुर आदि ग्रामों में सरकारी ट्यूबबेल लगाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा जोकि चारों तरफ से टोंस नदी, लकड़ा नाला एवं बसनदी नाले से घिरे होने के कारण इन क्षेत्रों का पीने का पानी आर्सेनिक युक्त (दूषित) हो चुका है इसलिए रसड़ा विधान सभा में कम से कम 2000 हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में, तथा 10-जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा में तमाम ऐसे ग्राम हैं जहां 63 साल आजादी के बाद आज भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

1	2	3
33	श्री राजेश त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर जनपद के विकास हेतु स्पेशल पैकेज देने के सम्बन्ध में, 2-गोरखपुर मण्डल में बाढ़ की तबाही रोकने के लिए जलकुन्डी योजना को लागू करने के सम्बन्ध में, 3-होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, 4-होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में, 5-गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में, 6-प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में, 7-गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण विद्युत कटौती को रोककर दो शिफ्ट में बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 8-गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक हास्पिटल खोलने के सम्बन्ध में, 9-गोरखपुर जनपद में पावर हाउस बनाने के सम्बन्ध में, 10-गोरखपुर के गोला तहसील में दीवानी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 11-गोरखपुर के गोला तहसील क्षेत्र में सरयू नदी पर गोला में वेवरी घाट पर एवं कूवानो नदी पर दुघरा घाट तथा राप्ती नदी पर खुटभार के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 12-गोरखपुर के गोला तहसील के बडहलगंज क्षेत्र के आक्षीदीह से सरया तक तथा छपियां उमराव से कोलखास तक तटबंध बनाने तथा खडेसरी से छपिया तक निर्मित बांध एवं कूवानों तक पर रसूलपुर से बौरदीह तटबंध के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में, 13-कब्रिस्तानों को व्यवस्थित करने की योजना की तरह ही शमशान घाटों को भी व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में, 14-धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		15-गोरखपुर जनपद में बड़े तकनीकी शिक्षा के राजकीय संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में, 16-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील सहित सभी उपेक्षित तहसील मुख्यालयों पर बस स्टेशन एवं यात्री निवास के सम्बन्ध में, 17-गोरखपुर जनपद के बरहलगंज एवं गोला में वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में, 18-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील के अन्तर्गत उरर्वा बाजार को नगर पंचायत तथा बरहलगंज नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में, 19-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र में तरैना नाले की खुदाई कराकर दोनों तरफ तटबंध बनाने के सम्बन्ध में, 20-गोरखपुर जनपद के आमीनदी के प्रदूषण को समाप्त करने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में, 21-गोरखपुर के गोला तहसील के अन्तर्गत मोहन पौहरिया जगदीशपुर कोलखास, तुर्कवलिया, पौहरिया कोलखास कोटिया दीपशाह बनकटी, रतनपुरा, बारानगर जैसे गांव को नदी के कटाव से बचाने हेतु, बोल्डर पीचिंग कराने तथा कटाव से बेघर हुए लोगों को बसाने के सम्बन्ध में, 22-गोरखपुर जनपद के गांव में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में, 23- गोरखपुर जनपद के गोला तहसील के गांव में सामुदायिक भवनों का निर्माण के सम्बन्ध में, 24-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र के विद्युत विहीन गांव एवं टोलों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, 25-गोरखपुर जनपद गेहूं की खरीद के समस्या से निजात दिलाने के सम्बन्ध में, 26-महंगाई रोकने एवं पेट्रोल कीमत घटाने के उपायों के सम्बन्ध में, 27-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र में घरेलू गैस की आपूर्ति से त्रस्त लोगों को उससे निजात दिलाने के सम्बन्ध में, 28-प्रदेश के अग्नि पीड़ितों एवं बाढ़ पीड़ितों के लिए निर्धारित अहेतुक सहायता राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में, 29-गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए पाइप लाइन एवं हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में, तथा

1	2	3
		30-गोरखपुर जनपद के जर्जर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।"
34	श्री जमील अहमद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-मेरी विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के सभी ग्रामों के विद्युत तारों की हालत अत्यन्त जर्जर हैं जिन्हें बदले जाने के सम्बन्ध में, 2-जिला मुजफ्फरनगर की मेरी विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में विद्युत आपूर्ति अत्यन्त खराब है जिससे किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जिला मुजफ्फरनगर की मेरी विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में राजनैतिक बदले की भावना से लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसाने के सम्बन्ध में तथा 4-जिला मुजफ्फरनगर की मेरी विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के खादर में बाढ़ की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में।
35	श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-जनपद महराजगंज में पानेराव ब्लाक में औकरहवा के पास 26 लोगों के मरने के बाद बंधा का उच्चीकरण किया जाय, 2-बी0एम0सी0टी0 मार्ग बस्ती मेहदावल, कप्तानगंज, तम्कुही के बीच वाले हिस्से का भी निर्माण कराया जाय, 3-पकडियार ब्लाक घुघली के पास अवैध बालू खनन को रोका जाय, 4-पिछले कई सरकारों द्वारा नेपाल भारत सीमावर्ती जिलों में 18 घंटे बिजली व्यवस्था माओवादी का घुसपैठ रोकने के लिए दिया जा रहा था पुनः महराजगंज और सिद्धार्थनगर में 18 घंटे बिजली व्यवस्था बहाल किया जाय, 5-विद्युतीकरण के लिए प्रति विधान सभा में गांव सभा चयनित करके कार्य कराया जाय, 6-इन्सेफिलाइटिस का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वांचल का रहा है कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है जिसके रोकथाम के लिए छिड़काव की व्यवस्था तक स्वच्छ पानी के लिए अतिरिक्त हैण्डपम्प दिया जाय।"

1	2	3
36	श्री ओम कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर एवं हल्दौर में बुनकर उद्योग है जिसमें हजारों लोगों का जीवन यापन होता है लेकिन बिजली की आपूर्ति समय से न होने के कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं डबल ग्रुप विद्युत सप्लाई करवाने के सम्बन्ध में, 2-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर एवं हल्दौर में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है मरीजों को इलाज के लिए मेरठ ले जाना पड़ता है, 100 बेड के अस्पताल एवं फिजियोथेरोपी सेन्टर, आई0सी0यू0 ऐम्बुलेंस की सुविधा एवं निर्माण के सम्बन्ध में, 3-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर डिग्री कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज को खुलवाने के सम्बन्ध में, 4-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर एवं हल्दौर में लगभग 5.00 ग्राम है जो कि एक तहसील में मापदण्ड के अनुरूप है जिसमें नहटौर या हल्दौर में अलग से तहसील बनवाने के सम्बन्ध में, 5-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर में 1000 हैण्डपम्प लगवाने एवं नहटौर से नूरपुर रोड के बीच अखेड़ा से पाडली माण्डू तक रोड के निर्माण एवं गांगन नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में, 6-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर से ग्राम धामपुर रोड से सेडडी तक लिंक रोड, नहटौर हल्दौर मार्ग से रघुनाथ पुर से किशन भोगन पुर तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में, 7-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर के ग्राम हताई शेख में बालिका इण्टर कालेज का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में, तथा 8-जिला बिजनौर, क्षेत्र 21 नहटौर ग्राम हरगनपुर नवादा, सिजौली पहाड़पुर आदि कई गांव में गागन नदी का पानी आने से बाढ़ के सम्बन्ध में।"
37	डा0 रमेश चन्द्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-जिला मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		2-मिर्जापुर में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में, 3-मिर्जापुर में नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 4-मिर्जापुर में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में, 5-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम काज के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-मिर्जापुर में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में, 8-जिला-मिर्जापुर में बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में, 9-जिला मिर्जापुर में हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में, 10-जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-जिला मिर्जापुर में गरीब लोगों की पुत्रियों की शादियों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-जिला मिर्जापुर में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त कार्डियोलाजिस्ट, न्यूरोलाजिस्ट, यूरोलाजिस्ट आदि पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में, 13-जिला मिर्जापुर में किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-जिला मिर्जापुर मझवां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पहाड़ी जमतुवा का बंधी का निर्माण एवं बेलवनपुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डाफाल नहर का नये सिरे से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत 500 नये नलकूप (जिसकी गहराई कम से कम 500 फिट हो) लगाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		17-जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में, 18-जिला मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में, 19-जिल मिर्जापुर के मझवां क्षेत्र में करैले से सिकरी बिन्द बस्ती तक व माधवपुर रोड से बेदौली सम्पर्क मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में, 20-जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में 150 ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में, 21-16 पिछड़ी जातियों को अनु0 जा0 में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में, 22-मिर्जापुर में मेडिकल कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 23-मिर्जापुर में विन्ध्यांचल, बिल्ठम फाल, टाण्डा फाल, चण्डिका धाम आदि जैसे पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।"
38	श्री रामहेत भारती	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-जनपद सीतापुर में शारदा नदी की कटान व बाढ़ की रोकथाम एवं कटान से पीड़ित व प्रभावितों को सरकारी भूमि को पट्टे पर आवंटित कर बसाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र में हरगांव सहित जनपद सीतापुर में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 3-कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में, 4-हरगांव विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बेहटा में ग्राम दोनवा तथा रूकनापुर के मध्य काजवे (रपटापुल) निर्माण के सम्बन्ध में, 5-विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत आवां सम्पर्क मार्ग से लोनियन पुरवा तथा बहिया, बहिरामपुर मिश्रन पुरवा का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-क्षेत्र हरगांव के ब्लाक हरगांव में बरियाडीह सम्पर्क मार्ग से सलारपुर कटियारा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

1	2	3
		7-विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक हरगांव में मंगरूवा से मोमनाबाद तथा कटियारा से पंडित पुरवा लक्षिमनपुर का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत सैतियापुर सम्पर्क मार्ग से खालेपुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में, 9-क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा में चंदेसुवा एवं तकिया सुल्तानपुर पकरिया के मध्य घघरिया नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, 10-विधान सभा क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड परसेडी, हरगांव बेहटा तथा लहरपुर में किसानों की सिंचाई के लिए खराब राजकीय नलकूपों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में, 11-विधान सभा क्षेत्र हरगांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।"
39	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-जनपद बुलन्दशहर के नगरों में कम से कम 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति, 2-प्रदेश में डीजल पर वैट घटाकर हरियाणा व पंजाब प्रदेशों के बराबर करके जनता व किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में, 3-किसानों को ऋण देते समय बैंकों द्वारा किसानों की जमीन को बन्धक बनाने पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह माफ करने के सम्बन्ध में, 4-जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद नगरपालिका के आस-पास बनी कालोनियों को सिकन्दराबाद नगरपालिका में जोड़ने के सम्बन्ध में, 5-जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद नगरपालिका के आस-पास बनी कालोनियों में जल निकासी के सम्बन्ध में, 6-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद खुर्जा सम्पर्क मार्ग (पुराना जी0टी0 रोड) के उच्चीकरण के सम्बन्ध में, 7-जनपद बुलन्दशहर में नया विकास खण्ड ककोड़ बनाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		8-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में, 9-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में नागरिक सुविधायें तथा पार्क विकसित करने के सम्बन्ध में, 10-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद तहसील में कन्या डिग्री कालेज तथा कन्या पालीटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में, तथा 11-जनपद बुलन्दशहर के गुलावठी नगर के बीचोबीच से गुजरने वाली 37 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन को नगर से स्थानान्तरित करने तथा वहां 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।"
40	श्री राम चन्द्र यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है- 1-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रमुख जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में, 2-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में हो रही कटौती से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 3-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुदौली नगर सहित प्रमुख बाजारों व ग्रामीण बस्तियों के जर्जर विद्युत तार व पोल बदलने के सम्बन्ध में, 4-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के रुदौली नगर के विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने व प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में, 5-रुदौली विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों की बोरिंग कराये जाने हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में, 6-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पौराणित मान्यताओं वाले धार्मिक स्थलों 1-अमौनीमठ, 2-मां कामाख्या भवानी स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 7-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक अग्निशम केन्द्र स्थापना हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 8-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अग्निपीड़ित परिवारों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में, 9-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		10-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के मवई सी0एच0सी0 क्षेत्र के बाबार बाजार में 100 बेड के अस्पताल हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 11-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मवई विकास खण्ड में बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में, 12-रुदौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मवई विकास खण्ड में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 13-रुदौली विधान सभा क्षेत्र बनी कोडर विकास खण्ड के आंशिक हिस्से में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कठिया ओहरामउ सिपहिया कोटवा मार्ग का निर्माण व गोमती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनी कोडर ब्लाक के आंशिक हिस्से में सरोहा ग्राम पंचायत में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा हेतु बालिका इण्टर कालेज एवं बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणी नदी के अनारपट्टी घाट पर पुल निर्माण, 16-रुदौली विधान सभा क्षेत्र के कसारी करवारी गांव के समीप गोमती नदी पर किशनी घाट पर पुल निर्माण, 17-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे बसे गांवों में किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए कसारी सिंघागढ़ (रामपुरजनक), पूरे सिकदारी, रेछ, सुनबा, विछरा, सैदपुर, सैमसी, गनेशपुर, उमापुर में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित मजरों व ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रुदौली नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 20-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वि0 ख0 रुदौली में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

1	2	3
		21-रुदौली विधान सभा के रसूलपुर खुर्द व बेतौली स0 मा0 पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 22-रुदौली वि0 क्षे0 अ0 अशरफपुर, गंगरौला सुल्तानपुर मार्ग पर भंवरी नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में, 23-रुदौली वि0 स0 क्षे0 अन्तर्गत ग्राम नैपुरा में बाढ़ पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए धन आवंटन के सम्बन्ध में, 24-रुदौली वि0 क्षे0 क्षेत्र अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता व मानक के घोर अनदेखी तथा सार्वजनिक धन की लूट खसोट पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 25-गोवंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में, 26-रुदौली वि0 स0 क्षेत्र अन्तर्गत रुदौली के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में, 27-रुदौली वि0 स0 क्षेत्र अन्तर्गत फैजाबाद नहर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व बची हुई पटरी को पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में, 28-सुल्तानपुर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व पेन्टिंग का शेष कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 29-भेलसर रुदौली मार्ग पर रुदौली क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 30-रुदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में।"
41	सुश्री रजनी तिवारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में जनपद हरदोई एवं फर्रूखाबाद को जोड़ने के लिए अर्जुनपुर बड़ागांव के मध्य रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भवनी से रूपापुर रजबहा एवं बरवन रजबहा की सफाई एवं पानी छोड़ने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		3-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के पांच नदियों से घिरे होने के कारण विद्युत समस्या के निराकरण हेतु 132 के0वी0ए0 पावर सब स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में, 4-तहसील मुख्यालय सवायजपुर में फायर स्टेशन एवं कोतवाली की स्थापना के सम्बन्ध में, 5-कस्बा हरपालपुर को नगर पंचायत बनाने एवं नगर पंचायत पाली को नगरपालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में, 6-बाढ़ग्रस्त पांच नदियों से घिरे हुये विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में प्रत्येक वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ से होने वाली भारी जन धन हानि के स्थायी समाधान के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण एवं समुचित पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के श्रमिक किरतियापुर एवं रहेलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 9-जनपद हरदोई में सरकारी खरीद केन्द्रों पर किसानों का गेहूं तौलने में हो रही धांधली, घटतौली एवं दलाली को तत्काल प्रभाव से रोकने के सम्बन्ध में।"
42	श्री फेरन लाल अहिरवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मडावरा से जनपद ललितपुर तक रोड का चौड़ीकरण चूंकि यह रोड जनपदीय मार्ग होने की वजह से यातायात काफी संख्या में चलता है। लेकिन यह रोड जनपदीय मार्ग होने की वजह से यातायात काफी संख्या में चलता है। लेकिन यह रोड सिंगल व काली मिट्टी होने की वजह से बरसात में रोड जाम व दुर्घटना होती है इसलिये इसका चौड़ीकरण हेतु बजट में प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में, 2-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के जनपद ललितपुर के वालावेहट की सौर नदी पर पुल का निर्माण चूंकि यह ग्राम नदी दसान व नदी सौर से घेराव हुआ है। बरसात में बाढ़ आने की वजह से महीनों तक घिरा रहने के सम्बन्ध में, 3-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के वालावेहट में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		4-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के ललितपुर के पालीनगर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम केलगवां में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 6-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मडावरा से जनपद ललितपुर के महरौनी में ललितपुर रोड से टिकमगढ़ तक बाई पास रोड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 7-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मडावरा के जनपद ललितपुर ब्लाक मडावरा में डिग्री कालेज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-227-महरौनी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा पाली तहसील का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 9-महरौनी में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 10-महरौनी में शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम हाउस) के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 11-ग्राम बाला वेट में पानी की टंकी की सप्लाई वाली लाइन की मरम्मत के कार्य किये जाने के सम्बन्ध में, 12-ग्राम ककोरिया में पानी की टंकी का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।"
43	श्री सुरेश बंसल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-गाजियाबाद जनपद के विजय नगर क्षेत्र में जिसकी आबादी लगभग 5 लाख के करीब है, में लड़कों की शिक्षा हेतु सरकारी इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 2-गाजियाबाद शहर के केला भट्टा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा हेतु सरकारी इण्टर एवं डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 3-गाजियाबाद शहर के विजय नगर में जहां की अधिकांश आबादी गरीब/मध्यमवर्गीय है, में सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में, 4-गाजियाबाद शहर में रेलवे लाइन के कारण शहर को विजय नगर से जोड़ने हेतु आगणित धनराशि रु0 100 करोड़ की धनराशि ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		5-गाजियाबाद के प्रताप बिहार क्षेत्र में खारे पानी की पेयजल समस्या को दूर करने के लिये प्रताप बिहार में लगे गंगा जल ट्रीटमेंट प्लान से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-गाजियाबाद क्षेत्र के केला भट्टा में मुस्लिम की आबादी अधिक होने के कारण कब्रिस्तान की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-गाजियाबाद औद्योगिक नगरी में राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये बिजली की कटौती को समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-गाजियाबाद के जिला अस्पताल में वर्न यूनिट एवं हार्ट यूनिट तथा संबंधित उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में।"
44	श्री त्रिभुवन राम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-वाराणसी में विशेषकर शहर के नजदीकी क्षेत्रों में बुनकरों के जीविकोपार्जन का मुख्य व्यवसाय हथकरघा उद्योग था, जो अब मृतप्राय हो गया है। हथकरघा से बने वस्त्रों की बाजार में उचित विक्रय व्यवस्था नहीं है, जिससे अधिकांश बुनकर मरने के कगार पर आ चुके हैं, तथा पलायन भी कर रहे हैं। अतः प्रस्ताव है कि सरकार इन बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को उचित मूल्य पर विक्रय हेतु कोई व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे इनका पलायन रुक सकें। 2-वाराणसी शहर पूर्वांचल का व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र बन चुका है। यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश मरीज इलाज कराने आते हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा के अभाव में प्रायः गरीबों को प्राइवेट नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों में इलाज के लिये बाध्य होना पड़ता है। अतः प्रस्ताव है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना वाराणसी नगर में, या हवाई अड्डा के समीप करायी जाय। 3-ग्रामीण क्षेत्र में हाईटेंशन लाईन, कई स्थानों/ग्रामों में ग्रामीणों के घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इसके रोकथाम की नीतिगत व्यवस्था नहीं है। प्रायः विद्युत निगम द्वारा घरों के ऊपर से गुजरने वाले तारों को हटाने के लिये इतनी अधिक धनराशि की मांग की जाती है कि ग्रामवासी उसे वहन नहीं कर पाते हैं तथा दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि घरों के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत लाईनों को शिफ्ट करने की योजना बनाकर ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाय।

1	2	3
		4-वाराणसी हवाई अड्डे से गाजीपुर, गोरखुपर, आजमगढ़ आदि जनपदों को जाने हेतु मात्र एक राज्य मार्ग कपसेठी-बाबतपुर-चौबेपुर-चन्दौली है। यह मार्ग बाबतपुर हवाई अड्डे से भोपापुर तक केवल एक लेन मार्ग है। मंगारी बाजार तथा इसके आगे तो यह मार्ग ग्रामीण मार्ग के रूप में रह गया है। अतः प्रस्ताव है कि इस मार्ग को मंगारी बाजार से प्रेमनगर/भोपापुर तक 7.0 कि0मी0 में दो लेन चौड़ा किया जाय। इस मार्ग को चौबेपुर बाजार में 2.0 कि0मी0 में चार लेन बनाया जाय जिससे वहां पर आये दिन की दुर्घटनाओं से निजाद मिल सके। 5-सदर तहसील वाराणसी के क्षेत्र में पानी का स्ट्राटा प्रतिवर्ष 10 से 15 फीट नीचे चला जाता है। इससे ट्यूबवेल तथा हैण्डपम्प की बोरिंग 2-3 साल में ही फेल हो जाती है। अतः प्रस्ताव है कि गंगा, गोमती तथा वरूणा नदी के मध्य के इस क्षेत्र को स्वजल योजना/सामुदायिक पेयजल योजना में सम्मिलित किया जाय। 6-सदर तहसील के चोलापुर विकास खण्ड में चन्द्रावली/ताजपुल कैनाल पम्प लगायी गयी है। गंगा में पानी की कमी तथा लगभग 200 मी0 धारा में परिवर्तन के कारण यह पम्प नहर बन्द हो गयी है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। अतः प्रस्ताव है कि इस पम्प नहर को सर्वोच्च प्राथमिकता पर चालू किया जाय। 7-वाराणसी में आशापुर से मुनारी होतु हुये नियार बाजार तक एक पक्का मार्ग है जिसका मुनारी से आशापुर तक लगभग 12.0 कि0मी0 का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। अतः प्रस्ताव है कि नगरीय क्षेत्र में होने के कारण इस मार्ग को दो लेन में चौड़ा किया जाय तथा इसका सुधार किया जाय, तथा 8-अजगरा विधान सभा में नियार बाजार में सामुदायिक पेयजल योजना स्वीकृत किया जाय, जिससे पेयजल संकट का निदान हो सके।"
45	श्री रोशनलाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-विकास खण्ड निगोही शाहजहांपुर अन्तर्गत डींघ व हमजापुर के मध्य कैंमुआ नाला पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-निगोही तिलहर तक जर्जर मार्ग (लो0नि0वि0) का निर्माण व कटी सड़क पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		3-निगोही से पुवायां तक जर्जर मार्ग (लो0नि0वि0) का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 4-एल0बी0 मार्ग से गंगा जमुनी जर्जर मार्ग (लो0नि0वि0) का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-एल0बी0 मार्ग से परा होते हुये बरैचा तक जर्जर मार्ग (लो0नि0वि0) की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 6-बरौरा से सकतिया होते हुये ऊनकलां तक जर्जर मार्ग (लो0नि0वि0) की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किये जाने के सम्बन्ध में, 8-डेलखेड़ा तिराहे से खेरेसडा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 9-थानाध्यक्ष निगोही, शाहजहांपुर श्री जीत सिंह द्वारा फर्जी मुकदमें, एन0 सी0 आर0 दर्जकर व फर्जी प्रार्थना-पत्र लेकर जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी पैमाने पर शारीरिक/आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। इन्हें उक्त जनपद से बाहर स्थानान्तरित कर इनके विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 10-विकास खण्ड तिलहर, निगोही व सिधौली शाहजहांपुर में गेहूं खरीद में कृषकों का भारी पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है जिसकी किसी संस्था से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,
46	श्री जय प्रकाश निषाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-जिला गोरखपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के सभी ग्रामों के विद्युत तारों की हालत अत्यन्त जर्जर हैं जिन्हें बदले जाने के सम्बन्ध में, 2-जिला गोरखपुर की चौरी-चौरा क्षेत्र में दिवानी न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड सरदार नगर में एक पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		4-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत वि0 खं0 ब्रम्हपुर में एक आई0टी0आई0 कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, 5-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत माँ तर्कूलही मंदिर एक एतिहासिक पर्यटक स्थल है, जिसे अधिग्रहित करके रिसीवर बैठने के सम्बन्ध में, 6-जिला गोरखपुर के क्षेत्र-चौरी चौरा के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन के पूरब और पश्चिम रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत मोती राम अड्डा से कुसुम्ही बाजार की सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की सड़क को नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत वि0खं0 ब्रम्हपुर, ग्राम सभा हरैया (टोला झिरझरवा) के पास मझना नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत एक अतिथि गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-जिला गोरखपुर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-जिला गोरखपुर के क्षेत्र समुचित विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में, 13-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत वि0खं0 ब्रम्हपुर में बरही, छितहरी, सिंहोड़वा, सराय मजगवां, टम्ठा आदि बन्धे का बोल्डर पिंचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत फरेन नाला की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में, 15-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत मझना नाला का सफाई किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 16-जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत मझना नाला पर स्थित शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।”

1	2	3
47	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-विधान सभा क्षेत्र 226, जनपद ललितपुर में तेरई फाटक के मेन रोड से ग्राम डांग बरौदा से ग्राम पारौन होते हुये ग्राम लडवारी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र 226, जनपद ललितपुर के नगरीय क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के लिए दो इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-तहसील तालबेहट क्षेत्र में बालिका महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-ललितपुर में बालिका महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-बांसी से बार सम्पर्क मार्ग ग्राम बससतगुआ में बरसात के समय पुल सैहजाद नदी का पुल डूब जाने के कारण स्कूल के बच्चों एवं ग्रामीण के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। जिसके कारण पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-ललितपुर नगर में पीने के स्वच्छ जल का बड़ा वाटर फिल्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-ग्राम दशहरा से ग्राम बछरौनी तक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 8-ललितपुर में जिला चिकित्सालय में पानी की कमी के कारण बड़ा बोर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।"
48	श्री संतराम कुशवाहा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया- 1-जनपद जालौन में बालू खनन का कार्य बन्द होने के कारण विकास कार्य एवं निजी लोगों के मकान निर्माण बन्द हैं। बालू की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगढ़, विधान सभा जनपद जालौन का अधिकांशतः भाग बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्षेत्र के समतलीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्राविधान वर्ष 2012-13 में प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		4-जनपद जालौन में पुलिस द्वारा की गयी दमनकारी नीति के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि दिनांक 08-03-2012 को रामपुरा थाना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (धानुक) श्री करन सिंह ग्राम रिठौरा के विरुद्ध फर्जी अपराध सं0-49/12, धारा 307, 332, 333 आदि दर्ज कराया गया। इसी प्रकार कोतवाली क्षेत्र उरई में अपराध सं0 783/12 में अनुसूचित जाति (बसोर) मुकेश की दबंगों द्वारा विद्युत करेंट से मृत्यु करने पर धारा 302 आई0पी0सी0 व 2 (5) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट की धारा न लगाकर धारा 304 (ए) को पंजीकृत किया और हाल ही में गीता देवी अनुसूचित जाति धोबी के मकान में प्रवेश कर अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 5-जनपद जालौन के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज में न्यूरोलाजी किये जाने के सम्बन्ध में।"
49	श्री राजबली जैसल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-कोरांव विधान सभा क्षेत्र के गेहूं के क्रय केन्द्रों में अनियमितता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत बन्द पड़ी उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी मेजा को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड कोरांव में अग्नि शमन कार्यालय खोलने एवं गाड़ी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 4-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में, 5-कोरांव विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कोरांव में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, 6-विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत विकास खण्ड कोरांव, माण्डा एवं मेजा में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर करने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत कोरांव, देवघाट डमनगंज मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत सिंचाई हेतु बेलन नदी के ग्राम केड़वर/सिरावल में लिफ्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		9-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत टौंस नदी में सिंचाई हेतु ग्राम सभा शाहपुर कला या इसौटा में लिफ्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में, 10-विधान सभा क्षेत्र कोरांव पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते विकास खण्ड कोरांग, माण्डा एवं मेजा में पेयजल की गम्भीर संकट से उबारने हेतु नये हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड कोरांव में ग्राम चन्दापुर एवं खिवली कला को पक्की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में, 12-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड कोरांव, माण्डा एवं मेजा के पहाड़ी नदियों/नालों में चेकडैमों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत भीषण अग्निकाण्ड से जले हुये मकानों को पुनः स्थापित करने हेतु आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, तथा 14-अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के गरीब परिवार के पुत्रियों को शासन से मिलने वाली शादी अनुदान की धनराशि को दो गुना करने के सम्बन्ध में तथा तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में।"
50	श्री मो0 आसिफ जाफरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में, 2-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में ग्राम महगांव, रोही, जलालपुर साना, मोहीउद्दीनपुर, मुस्तफाबाद बेनपुर कटइयां व तिलहारपुर आदि गांवों की आबादी 8000 है, इन गांव में पानी के टंकी एवं 1000 हैण्डपम्प बचे हुए गांवों के सम्बन्ध में, 3-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में पी0एच0सी0 महगांव, मकदूमपुर शेरगढ़ जलालपुर भर्ती भूपतपुर पनसारा के बीच में ब्यूर, भगवानपुर, बहुगरा, मोहीउद्दीनपुर, मोहनापुर के बीच में पी0एच0सी0 खोलने के सम्बन्ध में, 4-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में नगर पंचायत सरायअकिल, चायल, भरवारी में समय से विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

1	2	3
		5-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में मल्टीपुर में विद्युत लाइन करवाने के सम्बन्ध में, 6-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में जलाल भर्ती से भोपतपुर पन्सारा प्राथमिक पाठशाला तक 2 कि0मी0 तिगोड़ी गांव के बीच गांव से होते हुए नहर तक 1.5 कि0मी0 पक्की रोड से राम नगर ग्राम तक 2 कि0मी0 तक सेवथा भट्टा नहर से फरीदपुर के आगे पुल तक 2.5 कि0मी0 डिहा से मल्हीपुर गांव तक 2.5 कि0मी0 रतगहा मस्जिद के पास से नया तालाब से सै0 सरावा 3 कि0मी0 सुदोवर पक्की सड़क से मेडुवा होते हुए पहाड़पुर 2 कि0मी0 बलीपुर टाटा से चौर डाह 2.5 कि0मी0 फरीदपुर से सलेमपुर तक 1.4 कि0मी0 रतगहा से मनौरी पावर हाउस पैन्टीग 1.2 कि0मी0 सिंहपुर प्राथमिक स्कूल से कटरा पक्की सड़क तक जी0टी0 सै0 सरावा तक 3 कि0मी0 जलीलपुर मार्ग से असदउल्लागंत 1.2 कि0मी0 चक महापुर से पाण्डेय मउ तक एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 7-जि0 कौशाम्बी, 253 क्षेत्र चायल में मनौरी व भरवारी रेलवे ओवर ब्रिज के सम्बन्ध में।"
51	श्री गया चरण दिनकर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-उ0प्र0 में विगत 2½ माह से हत्या, डकैती, लूट, चोरी, बलात्कार व अपहरण आदि घटनाओं में अनवरत व अबाध गति से हो रही वृद्धि से ध्वस्त हो रही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 2-उ0प्र0 में व्याप्त गुंडागर्दी, माफिया गर्दी व अराजकता से त्रस्त व भयाक्रान्त जनता का जान माल, ईमान व मजहब के संरक्षण व सुरक्षा के सम्बन्ध में, 3-उ0प्र0 में अंधाधुन्ध व बेहिसाब विद्युत कटौती रोकने व नियमित आपूर्ति के सम्बन्ध में, 4-अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ वर्ग/धार्मिक अल्पसंख्यकों व अपर कास्ट के गरीब बच्चों, महिलाओं/छात्र छात्राओं व मजदूर व किसानों को शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक सुधार, संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से संचालित कार्यक्रम योजनाओं व विभागों को बंद/समाप्त कर व संतों, गुरू व महापुरुषों के अपमान करने की राजनैतिक साजिश रोकने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		5-उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट निवारणार्थ नलकूप व इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-विधान सभा क्षेत्र में नरैनी के 300 से अधिक आबादी वाले मजरों के उर्जीकरण के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र नरैनी के बागेन नदी पर ग्राम नौगवां, पथरा, सहवाजपुर में पुल बनाने के सम्बन्ध में, तथा 8-विधान सभा क्षेत्र नरैनी के असिंचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में एक-एक सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।"
52	श्री अमर पाल शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-गाजियाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में नगर विकास सीमान्तर्गत सीवर लीकेज व पानी की निकासी सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में, 2-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए गंगा जल पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-गाजियाबाद औद्योगिक नगरी में राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए बिजली की कटौती मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में, तथा 4-गाजियाबाद के जिला अस्पताल में वर्न यूनिट एवं हार्ट यूनिट तथा संबंधित उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में।"
53	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-मानिकपुर में तहसील का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-रैपुरा में बालिका इण्टर कालेज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जमुना में मऊ घाट पर सेतू निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-मानिकपुर से केसरूवा रोड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-मऊ टाउन एरिया का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।"

1	2	3
54	डा0 अरूण कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-यातायात समस्या को दूर करने करने के लिये थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-इज्जतनगर से बहेड़ी तक राजमार्ग (नैनीताल रोड) जो हार्टमैन पुल से पूरी तरह खराब है को हाटमिक्स प्लान से बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-सभी पात्र गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड बनाकर दिये जाने के सम्बन्ध में, 4-बरेली के समस्त चिकित्सालयों एवं डिसपेन्सरियों में चिकित्सकों एवं टैक्नीशियनों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 5-गम्भीर बीमारियों जैसे कैन्सर, गुर्दा, हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा बिना बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए भी पूरी तरह से सरकारी खर्च पर किये जाने के सम्बन्ध में, 6-मिलावटी दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिये जिला स्तर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाये जाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर प्रति वर्ष 25 कि0मी0 गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-बढ़ती हुई अग्निकाण्ड की समस्या से निटने के लिए बरेली शहर के उत्तरी भाग में एक और फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में, 10-गिरते भू गर्भ जलस्तर एवं बढ़ते हुए पेयजल समस्या के निदान हेतु प्रत्येक विधायक की संस्तुति 250 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, 11-बरेली शहर के निचले क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-बरेली में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 13-बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ते के अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		14-बरेली में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेन्च स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 15-बरेली में ट्रान्सफारमर फुंकने की वजह से विद्युत आपूर्ति समस्या के त्वरित निदान हेतु मोबाइल ट्रांसफारमर और अधिक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-बरेली में रेल की आई0वी0आर0आई0 फाटक, फतहगंज पूर्वी, पश्चिमी, मीरगंज एवं लाल फाटक पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 17-बरेली के मो0 संजयनगर, गोपालनगर, दुर्गानगर, गुसाई, गोटिया, सैनिक कालोनी, जोगी नवादा, मिथलापुरी, आकाशपुरम, वीरसावरकर नगर, ग्रेटर आकाश, मठ लक्ष्मीपुर, सैदपुर हाकनस, विहामान नगला स्थित नई कालोनीज, कर्मचारीनगर, सिद्धार्थनगर, भीमनगर, आलोकनगर, डिफेन्स कालोनी, कटघर, सनौआ, विधौलिया, महेशपुरा, कटरिया, पस्तोर, खड़उआ, सरनिया, नदोसी, गोकिलपुर, मरगडया, परसाखेड़ा, टिओलिया, मथुरापुर, जौहरपुर, मन्डिया, मिलिक, कन्यादासपुर, नगरियाकलां, सुन्दरासी, कानूनगोयान, बांके की छावनी, सनसिटी, पीरबहोड़ा, कंजादासपुर, कुर्मान्चलनगर में सड़क एवं जल निकासी की समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-बरेली में सिवीलियन हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में, 19-बरेली को काउन्टर मैगनेट सिटी घोषित किये हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक विकास योजनायें नहीं शुरू हुई, तत्काल विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-बरेली के जिला महिला अस्पताल से बच्चें के अपहरण (चोरी) पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में, 21-बरेली में नितान्त आवश्यक "सालिड बेस मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट" सब कुछ तैयार होने के बावजूद अब तक प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में, 22-बरेली में पेयजल योजना यू0आई0आई0 डी0एम0एम0टी0 कार्य योजना के अन्तर्गत 92 करोड़ रुपया स्वीकृत होने के बाद भी अब तक अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में, 23-नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथार्टी के अन्तर्गत बरेली को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत का उत्पादन बढ़ाये जाने तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

1	2	3
		25-बरेली में आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज नई दिल्ली के स्तर का एक बड़ा अस्पताल, अनुसंधान केन्द्र एवं ट्रामा सेन्टर मानसिक चिकित्सालय परिसर बरेली में खोले जाने के सम्बन्ध में, 26-बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त करते हुए बी0एड0 प्रशिक्षण वर्ष को वरीयता क्रम को आधार मानते हुए बी0एड0 धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 में चयन अथवा अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में, 27-नगरीय क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण विद्युत फीडर से विद्युत सप्लाई की जाती है और बिजली बहुत कम समय के लिए आती है वहां नगरीय क्षेत्र के विद्युत फीडर से सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में, 28-बरेली शहर के कुछ हिस्सों में जहां बिजली नहीं है वहां पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 29-वृद्धावस्था, विकलांग, व विधवा पेंशन के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने एवं समस्त पात्रों को पेंशन की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 30-प्रदेश में समस्त रोग निरोधक टीके लगाने पर और ज्यादा ध्यान दिये जाने एवं इसके लिए निजी चिकित्सकों का सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में, 31-बरेली के जरी, माझा, एवं फर्नीचर उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में, 32-बरेली नैनीताल रोड हवाई अड्डा गेट से पीर बहाड़ पीलीभीत रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 33-बरेली में लघु उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।"
55	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है- 1-गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के साथ हो रहे अन्याय व घटतौली भ्रष्टाचार व उत्पीड़न के सम्बन्ध में, 2-सरकारी कर्जे की वसूली के दवाब में आत्महत्या को मजबूर किसानों के सम्बन्ध में,

1	2	3
		3-प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, जनपदों में हो रहे लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं व पुलिस के लाचार व मूक दर्शक होने के सम्बन्ध में, 4-बिजली की ठप्प हो रही आपूर्ति के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न पेयजल संकट व खराब पड़े हैण्डपम्पों व समरसेबिल पम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में, 6-बेरोजगारी भत्ते के नाम छले गये प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ हुए धोखे के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में अवैध पशुकटान पश्चिमी उ0प्र0 से 1 करोड़ 75 लाख 60 हजार किलो मांस प्रति दिन विदेश निर्यात के कारण प्रदेश में घटता पशुधन, कम होती दूध की मात्रा, बढ़ती दूध की कीमत, इसके कारण नकली दूध एवं दूध के उत्पादों के बढ़ते प्रचलन व जन स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर खतरे के सम्बन्ध में, 8-मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद प्रदेश में अधिकारी समय से कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं, जनता लाचार घूम रही है, के सम्बन्ध में, 9-मेरठ महानगर की जनता को जाम से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से किसी कार्यवाही की चर्चा न करने के सम्बन्ध में, 10-मेरठ महानगर की जल निकासी का माध्यम ओडियन नाले की तली झाड़ सफाई के सम्बन्ध में, 11-पूरे प्रदेश सहित मेरठ की खस्ताहाल सड़कों के सम्बन्ध में, 12-मेरठ नगर निगम क्षेत्र में खराब पड़े 1600 से उपर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रिबोर के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश में सफाई कर्मियों के रिक्त पड़े पदों पर बाल्मिकी समाज के नौजवानों की भर्ती के सम्बन्ध में, 14-प्रदेश में बहुसंख्यक वर्ग की लड़कियों को 30,000 देने की योजना के सम्बन्ध में, 15-प्रदेश के कब्रिस्तान के सौन्दर्यीकरण की योजना की भांति शमशानों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।"

पी0एस0यू0पी0-169 विधान परिषद्-21-08-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।